

नारार्जुन
के उपन्यासों में
सामाजिक और राजनीतिक
संघर्ष

डॉ० रामवीर सिंह

धरती प्रकाशन

गांधीजी के उपन्यासों में सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष

डॉ० रामवीर सिंह

धरती प्रकाशन

© डा० रामवीर सिंह

प्रकाशक . धरनी प्रकाशन, पणवणकर, बोंगानेर (राजस्थान) / मुद्रक : एम० एन०
प्रियं, नबीन मादरा, दिल्ली-110032/संस्करण : प्रथम, 1985 / मूल्य : पचास
पचास मात्र प्राकरण : पाद चौप्रती

NAGARJAN AT UPNAYAN MEN SAMAJIK AUR RAJNITIK SANGHRAM
(CRITICISM) DR. RAMVEER SINGH

PRICE : 50/-

पूज्या मां के लिए
जिनकी कृपा से मैं
इस दहलीज तक आ सका

क्रम

आमूल

प्रथम अध्याय

नागार्जुन के उपन्यासों की पूर्व पीठिका : 21

द्वितीय अध्याय

नागार्जुन की जीवन यात्रा और वैचारिक संकल्प : 53

तृतीय अध्याय

नागार्जुन के उपन्यासों में सामाजिक संघर्ष : 78

चतुर्थ अध्याय

नागार्जुन के उपन्यासों में राजनीतिक संघर्ष : 113

अध्ययन-आधार उपन्यास सूची : 151

आमुख

स्वातंत्र्योत्तर ग्रामीण जीवन सम्बन्धी उपन्यास साहित्य में हिन्दी-जगत के महत्त्वपूर्ण एवं अनदेखे विषयों को राष्ट्रीय चेतना की धारा में जोड़कर देखने का प्रयत्न मिलता है। इन उपन्यासों के अन्तर्गत भारत के वे क्षेत्र जहाँ स्वतंत्रता की किरण का धुंधला स्वरूप ही है, उन्हें पूर्ण प्रकाशित करने का लक्ष्य निरूपित किया है। आज के बदलते हुए भौतिक युग में परिवर्तन की व्यापकता ने जिस प्रकार जीवन-मूल्यों की काया-पलट की है वह ग्रामांचलो में भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अतः समूचे आंचलिक परिवेश को समझने-समझाने के लिए बड़ा विशिष्ट भाषा, बोली, रीति-रिवाज, सामाजिक परिवेशगत परंपराओं का निरूपण, सांस्कृतिक चेतना एवं आधुनिक शिक्षा से उत्पन्न नवीन जीवन-बोध आंचलिक साहित्य की विशेषता है। इन सभी बातों को नागार्जुन के उपन्यासों के अंतर्गत विस्तार में चित्रित किया गया है। इनके उपन्यासों में वातावरण को साकार बनाने के लिए अनेक कथा-प्रसंगों को लेकर अंधल के बहुआयामी एवं बहु विसंगत फलकों को प्रस्तुत किया गया है। इस समूचे उपन्यास चिंतन में उन्होंने पुराने और नये के बीच की अन्तर-रेखा को स्वाभाविकता के साथ खींचा है।

नागार्जुन के उपन्यासों के अन्तर्गत देहाती जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन की अनेकों दिशाएँ परिमोहित हैं। जैसाकि कहा जाता है कि भारत का ग्रामीण जीवन सम्बन्धी उपन्यास साहित्य अमेरिका के आंचलिक उपन्यासों के प्रभाव से हिन्दी में आया, नागार्जुन के उपन्यासों को पढ़ने पर यह बात निर्मूल सिद्ध होती है। उनके उपन्यास किसी भी विदेशी विचार की उपज न होकर समूचे भारतीय परिवेश और उसकी हलचल, राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक विश्वासों और सांस्कृतिक समझ का परिणाम हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में समूचा देहात लाकर खड़ा किया है जिसमें किस्म-किस्म की संगतियाँ-विमंगतियाँ साफ-साफ दिखाई देती हैं।

नागार्जुन के उपन्यासों को ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि वे मात्र हिन्दी-साहित्य में किसी विशेष परंपरा के अनुसरण में नहीं हैं, न ही उनमें किसी दृष्टि-विशेष का आग्रह है। उनके तमाम उपन्यासों के कथ्य ज्ञान के अन्य विषयों से मेल खाते हैं। राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे अध्ययन के विषय उनके उपन्यासों

की परिधि के अन्तर्गत आने है ।

नागार्जुन की आननिकता रोगी सीमा में बंधी हुई नहीं है । उन्होंने अपना ही आग्रह अध्ययन और उमके सदस्य की दृष्टि में रिया है । उनका आननिक जीवन बहुत ही व्यापक एवं चिन्तनपरक है । यह स्पष्ट है कि भारत का बुद्धीय व्यवसाय विद्य में सर्वोत्तम माना जाता था । उमके मान की अहमियत विद्य में सर्वाधिक थी । परन्तु योग्य की औद्योगिक प्रगति से महत्वपूर्ण रूप में नष्ट होता चला गया । कम समय में अधिक काम, स्थान की दूरी का गिमतना और हाथ का काम मशीन में बदल जाने के कारण भारत की दम्नकारी पूरी तरह नष्ट हो गई । भारत दिन-पर-दिन घोरत की व्यावसायिक कल्पियों के प्रभाव में आता गया । परन्तु सबसे अधिक भारत के आर्थिक जीवन को नष्ट करने में ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी का हाथ रहा जिम्मे भारत का आर्थिक बांधा पूर्ण तरह तोड़ कर रग्य दिया । और सबसे अधिक भारत के पतन की, शुभ्रात तब हुई जब यह भारत के प्रशासक के रूप में आई । इस कम्पनी ने भारत का आर्थिक दोहर बहुत बुरी तरह में किया । परिणामस्वरूप देशत का दम्तकार बेकार होकर कर्ज की सपेट में आता गया । इस बेकारी, कर्ज और गुलामी में उमके अग्रजों के संरक्षक और देशी भंडिज जमींदारों के महा मनचाहे समझौते करने पडे । उमकी बहन-बेटी की अर्थाभाय में घर में बाहर निकलना पडा और उन्हें भी अनेको अर्नेतिक समझौतों के बीच पिसना पडा ।

परन्तु आजादी के बाद प्रामोण जीवन की यह जहानतमरी जिन्दगी बेहतर जीवन के लिए फिर से करवट बदलने लगी है । अपने अधिकार और जीवन की सुरक्षा के लिए देशनी लोग बधुआ मजदूरी, आर्थिक और सामाजिक शोषण के खिलाफ संघर्ष में उतारू हैं । नागार्जुन ने इस संघर्ष प्रामोण फलक का अपनी रचनाओं में समेटा है ।

नागार्जुन के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उमके मधार्पणक दृष्टिकोण की है । बंधीर और निराला के बाद वे हिन्दो साहित्य के अनेके रचनाकार हैं जिन्होंने बेनीस बिना लाग-लपेट और लाभ-लोभ के साहित्य के चौराहे पर गये होकर अनियमितताओं, असमानताओं और विमगतियों पर प्रहार किया है, उन्हें कुरेद-कुरेद कर डबा है । गांध के गली-गली गलियारों से निकर शहर की गगनचुवी इमारतों और उनके पीछे पलने वाली गदे नागों पर बसी झोपड़ी और झुग्गी वाली जिन्दगी को नागार्जुन ने पैदन चलकर स्वयं देखा है । इसी 'देखने' के आधार पर ही उनका 'अन्दाजे बया' इतना तीखा और धारदार हो सका है । बचपन से ही मथार्थ की तलाश में घर का परित्याग, वास्तविकता के लिए अपने और पराए की जाच नागार्जुन ने बड़ी संभीरता से की है ।

नागार्जुन का लगाव अपने प्रारंभिक जीवन में ही निम्न और उपेक्षित वर्ग से रहा है । यही कारण है कि उनकी रचना में निम्न वर्ग और उपेक्षित वर्ग के लोग ही नायकत्व की भूमिका निभाते हैं । स्वयं उच्चवर्गीय ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने कभी भी ब्राह्मणवाद का आरोपण नहीं किया है उल्टे इस वर्ग के अन्दर पलने और पनपने वाले ढोंग, आडंबर और इसकी पीपलीला को व्यंग्यों, कटाक्षों और उदाहरणों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है । नागार्जुन इस क्षेत्र में अनेके व्यक्ति हैं जिन्होंने इस परंपरा और रूढिवादी समाज पर खड़े होकर चोट की है । परन्तु यह नागार्जुन का दुराग्रह नहीं है । उन्हें गरीब और शोषित

ब्राह्मण और ब्राह्मणियों से बेहद सहानुभूति है—'बलचनमा' की मिमर की विधवा, 'रति नाथ की चाची' की गौरी, आदि पात्र ऐसे ही हैं। नागार्जुन ने सदियों से शोषित, उपेक्षित और वंचित निम्नवर्ग को स्वाभिमान और बेहतर जीवन का रास्ता दिखाया है। वे उसके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के पडावों को बड़ी गंभीरता से निरूपित करते हैं। स्वतंत्र भारत में अछूतों को मिलने वाले अधिकारों को वे पूर्ण समर्पण देते हैं। जहाँ इसके विपरीत स्थिति होती है नागार्जुन वहाँ संघर्ष और जनचेतना को नेतृत्व देते हैं और उसे अमली जामा देकर उनकी बेहतर जिन्दगी के दरवाजे खोलते हैं। अपनी परंपराओं और मुकामों के दौरान स्वयं वे भी इन निम्नवर्गीय पात्रों से खूब हंस-हसकर मिलते हैं और उनके साथ अपनी मजिल का सफर तय कर रहे हैं।

नागार्जुन ने किसानों और मजदूरों के शोषण को मुक्त कराने के लिए जमींदारों और पूजोपतियों से संघर्ष छेड़ा है। जमींदार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार दमन और शोषण की ऐतिहासिक परंपरा को उन्होंने बड़ी खूबी से दिखाते हुए उसकी 'अति' पर चोट की है। 'जमींदारी उन्मूलन' के बाद जमींदार की बदलती नीयत और ग्रामीण परिवेश में उसके द्वारा उत्पादित नवीन व्यवस्था को नागार्जुन व्यंग्यवाणों से वेधते हैं। नागार्जुन ने इस वर्ग के ऐतिहासिक स्वरूप को प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता आन्दोलन में मतलबी भूमिका और दुहरे लाभ वाले इस वर्ग की नम-नस की चतुराई को नागार्जुन ने 'बलचनमा', 'बाबा बटेसर नाथ' और 'वरुण के घेठे' में बड़ी गहराई के साथ प्रस्तुत किया है। इस वर्ग के लोगों का जेल जाना, जुर्माना भुगतना, मजा काटना देश-प्रेम का नाटक भर था। अपितु यह वर्ग इस तकली जेल में अपना और अपने वर्ग का हित पोषक ही रहा। यह नागार्जुन ने ऐतिहासिक निर्णय अपनी औपन्यासिक रचनाओं में दिया है। उन्होंने इस वर्ग की स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद की दोनों भूमिकाओं को प्रस्तुत किया है।

आजादी के बाद गांवों में जमींदार और किसान के बीच 'नये भूस्वामी' की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा-सा पढ़-लिखकर सरकारी नौकरी से जुड़ने वाला तथा ऊपर की आमदनी से बड़ी-बड़ी जोत वाले खेत खरीदने वाला यह वर्ग आजादी के बाद पैदा हुआ है। इस वर्ग ने गांव में नई चौघराहट और अधिकार-लालसा में आज बड़ी जी-तोड़ कोशिश की है। नागार्जुन ने इस वर्ग को 'नई औकात' वाला मानकर उसके संपूर्ण परिवेश को चित्रित किया है। 'बाबा बटेसरनाथ' के कुनाई पाठक और जयनारायण झा के रूप में नागार्जुन ने इस वर्ग के कुटिल चरित्र को प्रस्तुत किया है। यह बिल्कुल वास्तविकता है कि आज प्रत्येक गांव में यह चरित्र खूब पनप रहे हैं और मध्यम दर्जे की औकात हासिल कर तमाम सुख-सुविधाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। अपने बच्चों को ब्याज के पैसे से पढ़ा-लिखाकर उन्हें नौकरी मिल जाने पर इस वर्ग ने गांव में तिगुना लाभ लिया है। एक तो छोटे किसान को कर्ज देकर उसकी जमीन छीनी है दूसरे, चक्रवृद्धि ब्याज से अपने धन के ब्याज पर ब्याज लगाकर खूब दुहराया-तिहराया है तो तीसरे, गांव में अपनी संतान को पढ़ा-लिखाकर सामाजिक सम्मान तो हासिल किया ही है साथ ही गांव की राजनीति को भी अपने स्वार्थ के लिए संचालित किया है। पारिवारिक सदस्य

पढ़-लिखकर तमाम सरकारी गुविधाओं में लाभ ले रहे हैं और अपने घर को सोधे-सोधि आधुनिकता से जोड़ने का भरपूर प्रयाग किया जा रहा है। अतः इस उभरे हुए 'नए भूस्वामी' की नागार्जुन ने बड़ी अच्छी पहचान प्रस्तुत की है। उमकी चौपाल पर लगने वाली अनेकों सम्मानों की भीड़ को नागार्जुन ने 'वर्ण के बेटे', 'बाबा बटेगर नाथ' 'बल-चनमा' और 'रतिनाथ की चाची' में रूपायित किया है। नागार्जुन ने इस वर्ग को जमींदार से भी भयानक और कुटिल माना है। क्योंकि देहात में आज बड़ी जोत याने की बहुत इज्जत है उसने आधुनिकता का दामन पकड़कर अपनी सेनी, किमनई का औद्योगिकरण किया है। अतः उगने तमाम अधिकार और सम्पन्नताएँ पैसे के बल पर गांव में अपनी चौपाल की ऊंची चौपट पर हासिल की हैं। धाना, दलोंक, कचहरी और इलाकाई राजनीति में उसके प्रवेश से गांव की जनता अपने आप ही उमकी हदबन्दी में आ गई हैं। नागार्जुन ने इस वर्ग की एक और चारित्रिक विशेषता की ओर संकेत किया है वह है अपने स्वार्थ के लिए गांव में पार्टीबन्दी का श्रीगणेश। अपने विरोधियों और खिलाफी लोगों को झूठे केसों चोरी, कत्ल आदि में फंसाकर उन्हें कोर्ट-कचहरी के अहाते में मत्ता मारने का उमका यह कदम बड़ा ही भयानक और घतरनाक है। 'बाबा बटेगरनाथ' में गरीब दयानाथ और जयनाथ इसी वर्ग के ओछे हथकड़े के शिकार बनकर प्रस्तुत हुए हैं। बलचनमा को झूठे चोरी के केस में फंसा देना। इस भूस्वामी की इसी चारित्रिक विशेषता को नागार्जुन ने आम जनता के समक्ष प्रस्तुत कर उसके पैतरो से बचने का संकेत दिया है।

नागार्जुन के सभी उपन्यासों में राजनीतिक संघर्ष की उनकी अपनी अनुभवी भूमिका है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन से लेकर आजादी मिलने तक के राजनीतिक वातावरण को समझने और प्रस्तुत करने में नागार्जुन ने एक कुशल राजनीतिज्ञका परिचय दिया है। वैसे नागार्जुन स्वयं भी साम्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं अतः उनकी राजनीतिक समझ और उसके निष्कर्ष बड़े ही प्रामाणिक हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा निभाई गई भूमिका के वे चश्मदीद गवाह रहे हैं। अतः उनके उपन्यासों में आजादी में पहले और बाद की राजनीतिक स्थिति बड़ी माफ दिखाई देती है। 'भानभती का पिटारा' वाली कांग्रेसी राजनीति की उन्होंने अपने उपन्यासों में जमकर उसकी अवसरवादिता पर चोट की है। नागार्जुन राजनीति में गाधीजी से बहुत प्रभावित हैं परन्तु उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का उन्होंने विरोध किया है इसी तरह आजादी के बाद वे जे० पी० की 'संपूर्ण क्रान्ति' का समर्थन करते हैं और जेल भी जाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस स्थिति को 'रंडी और भड्डों' का खेल बत्ताकर अलग हो जाना उनके अन्दर उत्पन्न अन्तर्विरोध का सूचक ही है। क्योंकि अपनी ही बात को आगे बढ़ाकर मुकर जाना उनकी स्थिति को स्पष्ट करता है।

राजनीतिक दलों के बारे में नागार्जुन वर्तमान विसंगति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। जिस ढंग से स्वतंत्रता सप्राप्त लड़ा गया—किमानो और मजदूर संगठनों ने उसमें सक्रिय भूमिका अदा की वहीं कांग्रेस और उसके रहनुमाओं ने समझौतापरस्त राजनीति से उसके स्वरूप को धूमिल कर दिया। नागार्जुन ने 'बलचनमा' और बाबा बटेसरनाथ में इस स्थिति को बहुत कुछ स्पष्ट किया है, 'जिन्दगी भर स्टेट का पैसा फूकना

और अब चंदे का' या 'फूलवाबू कांग्रेसी नेता का अपने फूफा के यहा ठहर कर गांव की मुचालग्रस्त जनता की लिस्ट तैयार करना', कांग्रेस के अलमबरदारो की चारित्रिक और नातिवादी भूमिका को स्पष्ट करता है ।

नागार्जुन ने नारी-जीवन को अपने उपन्यासों में एक नया और अद्वितीय प्रकाश देया है । नारी-जीवन में अनमेल विवाह के कारण घटने वाली घटनाओ की विसंगतियो को आधुनिक शिक्षा के आलोक में व्याख्या कर उनका क्रांतिकारी हल प्रस्तुत किया है । नारी-जीवन में 'वैधव्य' सबसे बड़ा अभिशाप होता है जिसके बड़े असंगत परिणाम सामने आते हैं । नारी पुरुष के अभाव में निराश्रित होकर मनचाहे और अनदेखे लोगो का शिकार होती है उसे पेट भरने के लिए कितने ही गलीच और कुत्सित रास्तो पर समझौतों और समर्पणों से गुजरना पडता है नागार्जुन ने इसे 'रतिनाथ की चाची', 'नई पौध', 'कुभीपाक' और 'जमनिया का बाबा' में बड़े मार्मिक ढंग से उजागर किया । वे रतिनाथ की चाची में विधवा गौरी पर होने वाले सामाजिक अपमान और असहाय समर्पण से तिल-मिला कर 'नए समाज', 'नई पीढी' और नई चेतना को जन्म देते हैं और अनमेल विवाह को तोडकर अन्तर्जातीय विवाह, विधवा विवाह और यहां तक कि गर्भवती विधवा के विवाह को मान्यता देकर इस समस्या का क्रांतिकारी हल प्रस्तुत करते हैं । नागार्जुन का यह कदम अपने पूर्ववर्ती और समकालीन लेखको यहा तक कि प्रेमचंद से भी अधिक क्रांतिकारी है । प्रेमचंद के नारी पात्र समाज में उपेक्षा और खिलवाड़ के शिकार रहे हैं । उन्हें कभी भी सामाजिक सम्मान नहीं मिला है परन्तु नागार्जुन का यह कदम वर्गविहीन समाज की संरचना का सहज सूचक है । उन्होने विधवा समस्या का हल दकियानूसी समाज पर न छोडकर नई पीढी के चेतना संपन्न युवा वर्ग पर छोड़ा है जो कि तमाम थोथी मान्यताओ पर प्रहार कर एक नये भारत के नये समाज की अभूतपूर्व रचना की बुनियाद डालते है । नागार्जुन ने विधवा समस्या का हल उनके पुनर्विवाह में ही माना है ।

नागार्जुन के नारी पात्र भी आधुनिक चेतना से संपन्न हैं । वे सामाजिक विमंगतियो से ही नहीं, अपितु राजनीतिक समस्याओ से भी मंचर्ष करते हैं । 'बलचनमा' में फूदन मिसर की विधवा और मुसम्मात तोरी अमान, विधवा चाची गौरी, 'वहण के बेटे' की मधुरी जमीदार और सरकार की असंगति नीतियों के खिलाफ जमकर मोर्चा लेती है । बलचनमा में फूदन मिसर की विधवा का फसल कटवा कर घर ले आना, चाची का तारा-चरण को 'किसान सभा' के लिए स्वयं के ओढ़ने तक का कंबल चंदे में देना, और मधुरी का मछुओ की समस्याओं के संबंध में सीना तानकर गिरफ्तारी देना, आधुनिक नारी की प्रगतिशील भूमिका को नागार्जुन ने ग्रामीण जीवन में प्रस्तुत कर नारी-चेतना के विकास का दरवाजा खोला है । यही नहीं 'मधुरी' तो उनका ऐसा पात्र है जो समाज की जर्जर मान्यता पर कि 'पति परमेश्वर होता है' थूकती है और अपने सुसराल वालों के अमानवीय व्यवहार को ठुकराती हुई अपने पिता खुरखुन के यहां लड़के की तरह स्वाभिमान का जीवन बिताती है ।

एक और बात जो नागार्जुन के उपन्यासों में देखने को मिलती है यह है उनके नारी मंगठन की । नागार्जुन के नारी पात्र ईर्ष्या, दाह, जलन आदि के मनोवैज्ञानिक शिकार

नहीं हैं। वे विगुह रूप में आधुनिक चेतना सम्पन्न हैं जो कि अपने वर्ग की शोषित और पीड़ित महिलाओं को अपने परिवार का सदस्य बना-बनाकर सहायता करती हैं। उन्हें स्वाभिमान और सामाजिक सम्मान देकर उनके चरित्र की रक्षा करती हैं। 'उपतारा' में कामेश्वर की भाभी, और 'कुम्भीपाक' में कम्पाउण्डर की बीबी निर्मला एवं प्रोफेसर सदानंद की पत्नी रंजना की भूमिका इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय है। नागार्जुन चाहते हैं कि यही सम्मान हर शोषित और पीड़ित नारी को नारी के द्वारा दिया जाए जिसमें उसके सामाजिक अस्तित्व की रक्षा हो सके।

नागार्जुन ने निम्नवर्गीय पात्रों में नवीन चेतना का गंचार किया है। आजादी के बाद बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति में नागार्जुन ने उनके स्वाभिमान और सामाजिक सम्मान के लिए मध्यम का नेतृत्व किया है। किसान-गमा और मछुआ-मंघ जैसे सगठनों के माध्यम से उनकी मांगें पूरे दलित और शोषित वर्ग की मांगों के माय समवेत स्वर में मुद्रित हुई हैं। स्वयं नागार्जुन किसी साम-सोम अथवा आश्रय के कायल नहीं रहे इसीलिए उन्होंने अपने इन पारिवारिक पात्रों को हक की लड़ाई लड़ने की बारम्बार शिक्षा दी है, उसे एक मंजिल तक पहुंचाया भी। ग्रामीण जीवन में बलचनमा खुरखुन, मोहन मांझी, आदि के माध्यम से उन्होंने शोषित वर्ग को ऊपर उठाने का पूरा प्रयास किया है।

सरकारी कर्मचारियों की भी ग्रामीण जीवन में शोषक की भूमिका रही है। वे कर्मचारी प्रायः दो प्रकार के कर्मचारी हैं। एक वे जो सरकार से वेतन पाते हैं और दूसरे वे जो धनी वर्ग के लोगों के महा निजी तौर पर कारिन्दा आदि रहकर काम करते हैं। सरकारी कर्मचारियों की माया का कोई ठिकाना नहीं। आज की कार्यपालिका राजनीति से इतनी दबी हुई, इतनी प्रभावित है कि उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न-चिन्ह गहराने लगा है। ब्रिटिश शासन की पुलिस और आज की पुलिस के चरित्र में कोई अन्तर नहीं आया। अनपढ़ जनता को उल्टे-सीधे जालों में फंसाकर गांवों के धनिकों में मिलकर उनके यहाँ आग लगवाना, बहन-बेटियों की अम्मत लूटना, बेइज्जत करना, अग-भंग करके उन्हें जीवित लाश बना देना उनका आज का कर्तव्य-सा बन गया है। नागार्जुन ने इस तरह के जुल्मों की भी फहरावत अपने उपन्यासों में दी है। उनका 'अभिनंदन' उपन्यास तो राजनेताओं, कर्मचारियों और सत्ता से चिपके लोगों के भ्रष्ट आचरणों, काला-बाजारियों और तस्करों का प्रामाणिक दस्तावेज है। सत्ता के इर्द-गिर्द मडराने वाले चापलूस नागार्जुन के व्यंग्य-चाणो का निशाना बने हुए हैं।

परन्तु नागार्जुन के उपन्यासों में कई चीजें देखने को नहीं मिली हैं वे हैं सांप्रदायिकता की भावना, कृषि विकास का औद्योगिक स्वरूप और औद्योगिक मजदूर की समस्या। यद्यपि नागार्जुन ने अपनी कविताओं में इन तीनों पर विस्तार से लिखा है उनके जीवन और उनके शोषण के सूत्रों को पकड़ा है। परन्तु उपन्यास के क्षेत्र में यह राष्ट्रीय सदम अछूता है। उन्होंने इसके बारे में अपने उपन्यासों में कहीं भी टिप्पणी नहीं की है।

साम्प्रदायिक समस्या जो कि आज के भारत के कोने-कोने में विप की तरह फैलती

जा रही है। इसकी लपेट में देश और उसकी अखण्डता फंस चुकी है। ऐसी स्थिति में नागार्जुन के उपन्यासों में कही भी इस विप-बेल का संदर्भ न होना अखरता है। जिस तरह से उन्होंने अन्य राष्ट्रीय और ज्वलंत समस्याओं, उनकी विद्रूपताओं को जन-जीवन के सामने उजागर कर उनकी बखिया उधेड़ी है उनके निराकरण को दिशा-निर्देश किया है ठीक उसी तरह से इस समस्या का भी वे निदान प्रस्तुत करते तो और ही उत्तम होता। यद्यपि उनके यहां हिंदू और मुसलमान, स्वर्ण और अवर्ण सभी पात्र हैं परन्तु वे सांप्रदायिक द्वेष से ग्रसित नहीं हैं। परन्तु आज के इस चुनावी चक्रव्यूह में सांप्रदायिकता जातिवाद, क्षेत्रवाद जिसके मुख्य द्वार हैं नागार्जुन इन पर भी अपने व्यंग्य-वाणों की बीछार कर ध्वस्त करते तो अच्छा होता।

दूसरे, नागार्जुन किसान समस्या को केवल भूमि से ही जोड़कर देखते हैं उनके किसानों का पूरा-पूरा संघर्ष केवल जमीन प्राप्त करने तक जुड़ा हुआ है। आधुनिक कृषि विकास और कृषि के औद्योगीकरण पर बाबा मोन हैं। कृषि का यंत्रीकरण जिस ढंग से हमें उनके समानधर्मा फणीश्वरनाथ रेणु में मिलता है उस ढंग से नागार्जुन में नहीं। वैज्ञानिक उपकरणों, सिंचाई के साधनों, उन्नतशील बीजों आदि का प्रयोग हमें 'मैला आंचल' में मिला है लेकिन नागार्जुन में उसके दर्शन नहीं होते।

एक और बात जो कि नागार्जुन के उपन्यासों से अछूती रह गई है वह है औद्योगिक मजदूरों की समस्या। यद्यपि नागार्जुन कविता में इन विषयों पर बराबर लिखते रहे हैं लेकिन उनके उपन्यास साहित्य में यह चर्चा एक भाव के रूप में दृष्टिगोचर होती है। पूजापति, कारखानेदार, मिल-मालिक आदि शोषकों के खूनी जबड़ों में फसे हुए निरीह मजदूरों के घुटे हुए दम की आवाज उपन्यास साहित्य में नहीं है। मात्र 'जमनिया का बाबा' उपन्यास में जेल के कैदियों की चर्चा भर में ये मजदूर शामिल हुए हैं अन्यत्र नहीं। नागार्जुन का उपन्यासों के लेखन में पूरा ध्यान समाज और उसकी विसंगतियों तथा राजनीति और उसकी भूमिका पर रहा है। हां, उनकी कविता में इन तमाम मंदर्भों की ध्याख्या प्रस्तुत है।

अतः हम देखते हैं कि नागार्जुन के उपन्यासों में ग्रामीण जीवन के तमाम सन्दर्भ राष्ट्रीय चिन्तनधारा से जुड़े रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राष्ट्र और समाज की विसंगतियों का नवीन हत प्रस्तुत किया है। उनके उपन्यास मनोरंजन और समय काटने के लिए नहीं अपितु सोचने-समझने और कुछ कर-गुजरने के लिए हैं। वे अपने पुष्ट विचारों के अकेले लेखक हैं जिन्होंने वर्गविहीन समाज की बुनियाद रखी है जो कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने साहित्यकार के दायित्व का पूर्णरूपेण निर्वाह किया है।

इन्हीं रचना-मंदर्भों का प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम अध्याय में बाबा नागार्जुन के उपन्यासों की पूर्व-पीठिका के अन्तर्गत ऐतिहासिक अध्ययन है। क्योंकि आलोचना के क्षेत्र में इन ग्रामीण जीवन सम्बन्धी उपन्यासों को क्षेत्रवाद और अंचल विशेष की परिधि से सीमित कर उनके मूल्यांकन की परिपाटी बराबर चली आ रही है। परन्तु वस्तुस्थिति इससे नितात भिन्न है। इस अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये उपन्यास न

तो किसी क्षेत्र में घिरे हैं और न किमी अचल में बल्कि उनका राष्ट्रीय परिवेश है। नागार्जुन का आचलिक दृष्टिकोण राष्ट्र की धारा से मंपकृत है। भारत में होने वाले औद्योगिक परिवर्तन में, राष्ट्रीय आन्दोलनों में, मुधारवादी जन नायकों के प्रयत्नों में शहर ही नहीं गांव भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हैं। औद्योगिक क्रान्ति में भारत के गांवों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव नए रूपों में आया है तो राष्ट्रीय आन्दोलनों में देहात के व्यक्ति ने बड़ी तादाद में भाग लेकर अधिकार-बोध सीखा है। अतः देहाती जीवन में आने वाली इस नवीन चेतना में नागार्जुन के उपन्यासों के कथानक को जोड़ने का प्रयास किया गया है।

द्वितीय अध्याय में नागार्जुन को साहित्यकार बनाने वाले परिवेश का अध्ययन है। बचपन से ही अभाव और गरीबी में पले नागार्जुन का जीवन मंचपों से भरा हुआ रहा है। परन्तु लेखक अपने विद्यार्थी जीवन से ही व्यवस्था विरोधी रहा, यह अत्याचार, जुल्म और सामाजिक अंधविश्वासों को नकारता रहा है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं। स्वयं उच्चवर्गीय ब्राह्मण होते हुए उन्होंने कभी भी न तो पण्डित होने का दावा किया है और न वे ब्राह्मणवाद के पोषक रहे हैं। उल्टे उन्होंने इस वर्ग की डोग नीलाओं का उपहास ही किया है। उन्हें निम्नवर्ग के लोगों, गरीबों, मजदूरों, शोषित महिलाओं से बेहद स्नेह है। उन्होंने इन्हे सामाजिक सम्मान देकर वर्गविहीन समाज की स्थापना अपने उपन्यासों में की है। स्वभाव में अति सरल और मंचपों की आग में तपे हुए व्यक्तित्व के धनी इस लेखक के विचारों में इनके अनुभवों का महत्त्वपूर्ण योग है। बचपन से ही देहात का भ्रमण, देश-विदेश की यात्राएं, विभिन्न भाषाओं के ज्ञान आदि के माध्यम से इन्होंने आम आदमी को बड़े निकट में देखा है और वे उसी के साथ जुड़ते गये हैं। स्वाभिमानी और आत्म-सम्मानो नागार्जुन कभी भी लाभ-लोभ या आश्रय के लिए नहीं झुके अपितु उसे ठुकराया है। इस अध्याय में उनके जीवन के इन्ही विधायक तत्वों के आलोक में उनकी विचार-धारा को समझने का प्रयाग है।

तीसरे अध्याय में नागार्जुन के उपन्यासों में चित्रित सामाजिक संघर्ष को प्रस्तुत किया है। आज के भौतिकवादी युग में मूल्यों का विखराव जिस तेजी के साथ हो रहा है, पारिवारिक जीवन में व्यक्तिवादी भावना दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। नई और पुरानी पीढ़ी में बढ़ते हुए अन्तर में तनाव देहानों में अब खुलकर देखने को मिल रहे हैं। धनाभाव में व्यक्ति का परिवेश से कटना, सिमटना उसके व्यक्तित्व को वीना बना रहा है। इस तरह के वातावरण में देहाती जीवन के अन्तर्गत नागार्जुन ने अपनी औपन्यासिक कृतियों में नवीन दिशा दी है। सामाजिक विसंगतियों और विद्रूपताओं से संघर्ष करते हुए नागार्जुन एक निश्चित स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ उनके अपने समाज का सपना साकार होता है।

चतुर्थ अध्याय उनके उपन्यासों में चित्रित राजनीति संघर्ष से सम्बन्धित है, जिसमें देहाती जीवन में स्वतंत्रता के बाद चुनावी राजनीति, जमींदार की पैतरेबाजी, उमरता हुआ भूस्वामी वर्ग और अवसरवादी नेताओं के झंमे में पिस्तता हुआ गरीब किसान और

मजदूर है जो अब अपने अधिकार के लिए संगठित हो रहा है। भारतीय स्वतन्त्रता का स्वरूप जो कि इन्ही चंद लोगों की चौपालों पर देखने को मिलता है, नागार्जुन उसे हर घर का अधिकार मानते हैं। इस आध्याय में उनके इसी अधिकार-बोध का अध्ययन है।

पुस्तक में यह देखने का बराबर प्रयास किया गया है कि नागार्जुन की औपन्यासिक कृतियां राष्ट्रीय सदमों से जुड़ी हैं। नागार्जुन गरीब और शोषित बहुसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि लेखक हैं, उनके अधिकारों के हिमायती हैं। अपनी कृतियों में उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्रान्ति के माध्यम से स्वस्थ समाज की बुनियाद डाली है। पुस्तक में इस दिशा में बराबर सोचा गया और विनम्र प्रयत्न किया गया है ताकि इस अध्ययन से नागार्जुन की कृतियों को समझने में एक दिशा मिले। फिर भी मेरे अध्ययन की एक सीमा रही है। अतः भूलों का होना संभव है, सुझावों का स्वागत होगा।

इस कार्य को मैं पूरा कर सका यह श्रेय मेरे गुरु एवं अभिभावक डॉ० कुवरपाल सिंह रोडर, हिन्दी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को है। आपने मेरे विद्यार्थी जीवन से ही मुझ पर कृपा की है उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। आदरणीया डॉ० नमिता सिंह चर्चित जनवादी कहानी लेखिका का मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने एक रचनाकार चिंतक के रूप में मुझे दिशा-निर्देश किया है। मेरे मित्र डॉ० कृष्णगोपाल शर्मा का मुझे सहयोग मिला है उन्हें धन्यवाद। मेरी पत्नी सविता ने इस पुस्तक के लिखने में बहुत सहयोग दिया है उन्हें मात्र धन्यवाद देना तो औपचारिक है। धरती प्रकाशन, बीकानेर को धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है कि पुस्तक जल्दी प्रकाशित हो सके।

केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के निदेशक प्रो० बालगोविन्द मिश्र का आभारी हूँ जिनसे समय-समय पर पुस्तक सम्बन्धी विचार-विमर्श होता रहा है। बाबा नागार्जुन के सम्मुख मैं विनत हूँ।

केंद्रीय हिन्दी संस्थान
आगरा-282005

—रामवीर सिंह

नागार्जुन के उपन्यासों में
सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष

नागार्जुन के उपन्यासों की पूर्व-पीठिका

प्रायः यह देखने को मिलता है कि कोई भी लेखक अथवा रचनाकार यदि स्पष्टवक्ता है या व्यवस्था से नामंजूर नहीं रखता है तो निश्चित ही उपेक्षा का भागीदार बनता रहता है। उसे उसके मौजूदा परिवेश में कभी भी मूल्यांकित नहीं किया जाता। उल्टे उस पर दुराग्रही, उग्रवादी, विद्रोही और अराजक जैसे विशेषण जोड़कर देखने की प्रवृत्ति मिलती रही है। बाबा नागार्जुन इसके सटीक उदाहरण हैं। उनका नाम आलोचना जगत में कहीं मनमौजी, कहीं फक्कड़, कहीं उठा-पटक करने वाला और कहीं आंचलिक लेखक आदि के रूप में जाना जाता रहा है। यह हिन्दी-जगत का दुर्भाग्य ही है कि नागार्जुन सरीखे सशक्त और सच्चे साहित्यकार की लेखकीय रुझान से सदैव कतराकर आलोचकों ने उन्हें व्याख्यायित करने की कोशिश की। इसीलिए उनके मूल्यांकन में मनगढ़त बातों को अधिक फिट किया गया है इस सम्बन्ध में सबसे अधिक पीड़ादायक बात तो यह होती है कि अध्येता सामान्यतः दूसरों के आलोचनात्मक ग्रन्थ पढ़कर ही उसी के आलोक में उसे देखता है। लेखक के मूल ग्रन्थ को न पढ़ने अथवा पढ़कर न समझने की यह दिशाहीनता समूचे चिन्तन-जगत को प्रभावित कर देती है और विचारों का सही संदर्भ सदैव असंप्रेषित ही रह जाता है।

—नागार्जुन उपन्यास-जगत में आंचलिक लेखक के नाम से जाने जाते हैं और क्षेत्र विशेष की भाषा, बोली, शब्द योजना, गीतात्मकता आदि के साथ उनकी कृतियां विन्यस्त की जाती रही हैं। लेकिन हिन्दी में आंचलिकता का दौर 1955 के बाद शुरू होता है जबकि नागार्जुन के दो सशक्त उपन्यास 'रतिनाथ की चाची' और 'बलचनमा' इस दौर से पहले ही लिखे जा चुके थे। अतः नागार्जुन की कृतियां और वे स्वयं किसी मतवाद या आग्रह के शिकार नहीं रहे। उनका अपना स्वतंत्र चिन्तन है। वे जनता के लेखक हैं, आम आदमी उनके कथानकों का नायक हैं। वे उन लाखों-लाख देहातियों को, मजदूरों को, बालगुलामों को, गरीबी और कर्ज से टूटे हुए भूखे-नगों को,

प्रतिनिधित्व देते हैं जो बहुमध्यम होने हुए भी अल्पसंख्यक हैं, जुवानदार होते हुए भी बेजुवान हैं, शक्तिशाली होने हुए भी शक्तिहीन हैं और श्रमशील होते हुए भी भ्रष्ट रह रहे हैं।

प्रेमचन्द के बाद नागार्जुन हिंदी साहित्य में अकेले लेखक हैं जिन्होंने गोप और शोषित, दानी और दलित, भूमिहीन और भूमिहीन, शिक्षित और अशिक्षित, शहर और देहात के सम्बन्धों की विशद व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने देहात में पैदा होने वाले मजदूर के जन्म से लेकर मृत्यु तक के पड़ावों को स्वयं पास जाकर देखा है इसीलिए उनकी समस्त कृतियाँ देहाती जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज बन गई हैं। इसीलिए गंदमों की विविधता के कारण आलोचक बन्धु उनके लेखकीय परिवेश से अपरिचित रहे हैं इसलिए नागार्जुन का लेखन उनका अनुमान बन गया है। यही नहीं सामन की ओर से अपने मयार्य-बोध और उसकी अभिव्यक्ति के कारण इस लेखक को शासकीय व्यवस्था का कोप-भाजन भी बनना पड़ जाता है। उनकी जेल, नजरबन्दी, रचनाओं की जल्दी आदि सभी कुछ होने रहे हैं। डॉ० कृवरपालगिह ने इस तरह के प्रतिबद्ध लेखकों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए दुराग्रहवादियों पर सीधे चोट की है—

“वास्तव में बदतर्ती हुई ग्रामीण व्यवस्था पर लिखे गए उपन्यासों को ‘आंचलिक’ उपन्यास कहकर उनका महत्त्व कम किया जाता रहा और उम वास्तविकता पर परदा डालने का प्रयास किया गया जिसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। इन उपन्यासों ने देश के तीन-चौथाई भाग में हो रहे गंभीर परिवर्तनों की ओर उपन्यास के पाठकों और आलोचकों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया था परन्तु उन्हें किसी अचल विषय की परिस्थितियाँ और समस्याएँ कहकर नकार दिया गया..... ग्राम्य-व्यवस्था पर गंभीर और महत्त्वपूर्ण रचनाएँ देने वाले लेखकों को ‘आंचलिक लेखक’ कहकर उन्हें द्वितीय श्रेणी के लेखकों की पंक्ति में धकेल दिया।” (हिन्दी उपन्यास: सामाजिक चेतना, 1976, पृ० 156)

परन्तु नागार्जुन अपने व्यक्तित्व के अकेले लेखक हैं जिन्होंने कभी न शासन की परवाह की न साहित्यिक आलोचकों की। एक समर्पित लेखक के नाते उनकी वैचारिकता पर कोई असर नहीं पड़ा है। वे किसी लाभ-लोभ या आतंक के सामने झुके नहीं। उनका भावबोध तमाम यातनाएं भोगने के बावजूद और अधिक् निखरता गया और अपने लेखन में उन्होंने शासकीय अन्याय, अत्याचार और सामाजिक विदमता के खिलाफ, आतिकारी पात्रों को स्थान दिया। उन्हें दिशा दी।

अतः आवश्यक है कि इस अनुभवी लेखक के उपन्यासों के रचना-सन्दर्भों को, उनकी पृष्ठभूमि को राष्ट्रीय परिवेश में समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं इतिहास जैसी अन्य ज्ञान विधाओं के माध्यम से देखना अनिवार्य है जिससे उनकी कृतियों के निष्कर्ष वैज्ञानिक कसौटी पर उतारे जा सकें।

भारत की अर्थव्यवस्था

अठारवी शताब्दी की औद्योगिक क्रांति की शक्ति ने भारत के दृष्टिकोण को बदल दिया था। मानव-सभ्यता के विकास में भारत का यह पहला सोपान था जिसमें मनुष्य के महयोगी होने के साथ-साथ उसे हड़प जाने की नीयत बराबर प्रयत्नशील थी। नए-नए आविष्कारों से उसके सोचने-समझने के तौर-तरीकों में बहुत बड़े प्रश्न-चिह्न खड़े हो गए और मनुष्य की अपनी अस्मिता गुम होने का भय पैदा हो गया।

इस क्षेत्र में आगे आने वाला पहला देश इंग्लैंड था। जिमने मशीनी दुनिया को जन्म दिया। सूत के कातने, बुनने तथा यातायात के साधनों के आविष्कारों से इस देश ने अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय पहली बार दुनिया को दिया। इसने पहली बार हाथ के काम को मशीन में बदल कर नई पूँजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया। मशीनों के आविष्कारों ने जहाँ उसकी उत्पादन क्षमता को आगे बढ़ाया वहीं उसकी व्यावसायिक वृत्ति भी उठ खड़ी हुई। कम समय में बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन की छपत, उत्पादन के लिए कच्चा माल, उद्योगों में लगी हुई भारी पूँजी की सुरक्षा के लिए मुनाफा आदि ने इसे धीरे-धीरे विश्व में बिखेर दिया और यह प्रतिस्पर्धा के रूप में व्यावसायिक कंपनियों के माध्यम से विश्व के कोने-कोने में पहुँचने लगा, भारत में विशुद्ध व्यवसाय की दृष्टि से आने वाली पहली और सशक्त व्यावसायिक कंपनी ईस्ट इण्डिया कंपनी थी।

अपने प्रारंभिक चरण में ब्रिटेन के इस औद्योगीकरण की भूमिका व्यावसायिक रही जिसके अन्तर्गत उसे शुरू-शुरू में प्रतियोगितारमक कठिनाई का सामना करना पड़ा। अतः इसे जमाने के लिए उन्होंने शासकीय हथकड़ें भी धपनाए। इस दुहरी चाल में इस देश की पूँजीवादी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति काम कर रही थी। भारत के कपड़ा उद्योग के बारे में इस बात का पक्का प्रमाण मिलता है। भारत का कपड़ा विश्व के बाजारों में सर्वोत्तम माना जाता था। सुन्दर, टिकाऊ और आकर्षक भारतीय कपड़े की विश्व में अतुलनीय विशेषता थी। यह बात नवविकसित तकनीक वाले अंग्रेज कपड़ा व्यापारियों को न पसंद थी। अतः उन्होंने अपने प्रभुत्व से ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर उसकी खरीद-फरोख्त पर इंग्लैंड में पाबंदी लगवा दी, साथ ही भारतीय बाजार को उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया—

“पहले ज्यादा शुल्क लगाकर और फिर कानून बनाकर उन्होंने भारतीय कपड़े को ब्रिटेन के बाजार से निकाला फिर योरोप और अन्य देशों के बाजार से और आखिर में भारत के अन्दर उसका पट्टा बँटा दिया। भारत के बाजार पर ब्रिटिश पूँजीपतियों के कपड़ानो का बना कपड़ा छा गया। (अयोध्यासिंह: भारत का मुक्ति संग्राम,

1977, पृ० 9)

इंग्लैंड ने विश्व को एक नई महाजनी सभ्यता भी दी जिसने अपने वर्गीय के लिए हर आवश्यक कदम तेजी और सत्ती के साथ उठाया। इस

औद्योगिक क्रांति का आगे चलकर बड़ा भयानक परिणाम निकला। क्योंकि भारत विश्व में अपार खनिज संपदा सम्पन्न और उपजाऊ भूमि के कारण 'सोने की चिटिया' कहलाता था, अपने सामुदायिक और म्यावलम्बी सामाजिक स्तर के कारण उमकी तमाम जरूरतें अपने में संपूर्ण थी और यहाँ कच्चा माल - लोहा, कपास, पटमन, रेशम, जस्ता, चमड़ा आदि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले में कई गुना अधिक था। इसलिए अपने चार्टरों, मागपत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट को मजबूत दिया जाता हुआ यह व्यावसायिक कंपनी भारत के उद्योगों पर छाते लगी।

इधर भारत का प्रशासन केन्द्रीयमत्ता के अभाव में ढीला-डाला चल रहा था। देशी नरेशों और नवाबों की आपसी टकराव ने यहाँ की आन्तरिक राजनीति को छिन्न-भिन्न कर रखा था। भारत की इस राजनीतिक परिस्थिति का कंपनी ने भरपूर फायदा उठाया। वह यहाँ की फूट और ब्रिटेन की पार्लियामेंट की रजामती के बीच अपना बहु-मुद्दी विकास करने में लगी रही। यद्यपि भारत में योरप के अन्य देशों की व्यावसायिक कंपनियाँ भी थी परन्तु वे इग्नैड की ईस्ट इण्डिया कंपनी के मुकाबले में अक्षय्य थी। अतः ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी के कर्मचारियों की दिन-रात की दौड़-धूप भारत की आन्तरिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने लगी और उसने अपनी कूटनीति के कारण भारतीय शासन को पहली पछाड़ सन् 17०7 में बंगाल में प्लासी के मैदान में दी और सत्ता परिवर्तन करके भारतीय प्रशासन में पहली बार हस्तक्षेप किया।

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी ने भारत में साम्राज्यवादी नीति और पूँजीवादी प्रवृत्ति की मिली-जुली भूमिका में काम करना प्रारंभ कर दिया राजनीतिक सत्ता हथियाने और अपना व्यापार बढ़ाने में उसके बहुउद्देशीय आयाम जुड़ते चले गए। शक्ति और सत्ता अर्जित करने के लिए उसने देशी राजा और नवाबों को एक-एक करके धीरे-धीरे गिराना शुरू किया तो दूसरी ओर अपनी व्यापारिक उन्नति के लिए उन्होंने भारत के विश्व में सर्वोत्तम कुटीर उद्योग-धन्धों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। भारत की इस विनाश-लीला में ब्रिटेन की औद्योगिक क्षमता दिनों-दिन बढ़ने लगी। भारत की 'लूट' से उन्हें कई गुना फायदा होने लगा। 'लूट' इतने व्यापक स्तर पर थी जिससे ब्रिटेन का औद्योगिक स्वरूप जगमगा उठा था। यही नहीं बस एडम्स ने तो अपनी पुस्तक 'दिलों ऑफ, सिविलाइजेशन एण्ड डिके' में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में भारतीय पूँजी की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है—

"प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई और इसके बाद अभूतपूर्व तेजी से बहुत सारे परिवर्तन हुए। 1760 में तेज चलने वाली दरकी-भरनी का आविष्कार हुआ और लोहा पिघलाने के जलावन के रूप में लकड़ी के बदले कोयले का इस्तेमाल हुआ। 1761 में हारमोयस ने सूत कातने वाली मशीन का आविष्कार किया, 1776 में क्राम्पटन ने एक ही साथ कई सूत कातने और उन्हें बटने वाली मशीन, 1782 में कार्टराइट ने मशीन से चलने वाले करघे का पेटेंट कराया, और इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि 1768 में जेम्सवाट ने भाप से चलने वाले इंजिन को पूरा कर लिया..... भारतीय धन के अन्तरागम के पूर्व और तत्पश्चात् वाणिज्यिक शाप और विश्वास के बिना (ब्रिटेन के

औद्योगिककरण के लिए आवश्यक) शक्ति वहा उपलब्ध नहीं थी अगर वाट पचास साल पहले हुआ होता तो निश्चय ही वह और उसका आविष्कार नष्ट हो गए होते। सम्भवतः सृष्टि के प्रारंभ से आज तक कहीं भी पूजा लगाने पर इतना फायदा नहीं हुआ है जितना भारत की सूट से ब्रिटेन को हुआ है।" (ए० आर० देसाई : भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ० 64-65 से उद्धृत)

इस तरह ब्रिटेन का औद्योगिक विकास और भारत की हस्तशिल्पकला का ह्रास दोनों बड़ी तेजी से साथ-साथ चलने लगे। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के माल पर बाहर जाने के लिए प्रतिबन्ध, अन्धाधुन्ध टैक्स और चुगियां लगाकर विश्व की अद्वितीय भारतीय हस्तकला का विनाश अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की आड़ लेकर कर दिया। भारतीय उद्योग के विनाश पर होरेस विल्मन ने दुःख प्रकट करते हुए लिखा है—

"भारत के साथ सूती माल के व्यापार का इतिहास एक दुःखद प्रसंग है। इससे पता चलता है कि जिम देश पर भारत आश्रित हो चुका था उसने भारत के साथ कौसा अन्याय किया ... यदि प्रतिरोधक कर और कानून नहीं होते तो पेजली और मैनचेस्टर की मिलें शुरु में ही बंद हो जाती, और भाप की ताकत से भी उन्हें फिर चला पाना सम्भव नहीं होता। भारतीय निर्माण उद्योग की बलि चढ़ाकर ही ब्रिटिश उद्योगों की मूर्ति की गई... ब्रिटिश उद्योगपतियों ने राजनीतिक प्रभुता और अनीति की मदद से अपने भारतीय प्रतियोगियों को दबाए रखा और अन्ततोगत्वा उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया यद्यपि बराबर की लड़ाई में वे (ब्रिटिश उद्योग) टिक नहीं पाते।" (वही, पृष्ठ 65-66 से उद्धृत)

अतः ब्रिटेन की औद्योगिक नीति ने भारत के औद्योगिक ढांचे को बर्बाद कर दिया। इसके परिणामस्वरूप बेकारी और भुखमरी का सिलसिला प्रारंभ हुआ। भारतीय मजदूर बेकार होते गए। उनकी आर्थिक स्थिति दिन-पर-दिन बिगड़ती चली गई। और वे पूरी तरह अंग्रेजी सरकार और उसके कर्मचारियों पर आश्रित हो गए। भारतीय मजदूर को इस मजबूरी का अंग्रेजों ने खूब फायदा उठाया। उन्होंने भारतीय मजदूर का शोषण करने में हर तरह के शासकीय हथकण्डे, यातनाएँ, दुर्व्यवहार आदि से उसे बंध दिया जिमसे उसके सामाजिक परिवेश का अस्तित्व खतरे में गिरता गया। यह पूरा-का-पूरा आर्थिक बदलाव भारत के सामाजिक स्तर को तहस-नहस करता चला गया। क्योंकि कुटीर उद्योग-धन्धे अधिकतर देहात में थे। गांव के लोग अपनी तमाम जरूरतें इसी व्यवसाय से पूरी करते थे परन्तु मशीनी व्यवधान ने इस 'सामुदायिक' व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर डाला। भारत ब्रिटेन की मिल्कियत में आता गया—

"ब्रिटेन और अन्य देशों की मशीनों से बनी सस्ती वस्तुओं की भारत में जो बाढ़ आई, वह ग्रामीण शिल्प के ह्रास का मूल कारण था। रेलवे और बसों की मदद से हर सामान आसानी से गांवों में पहुंचने लगा।" (वही, पृष्ठ 74)

रेल और बसों से गांव को यातायात की सुविधाओं से जोड़ा जाने लगा। यह रेल भारतीयों को सुविधा देने के लिए नहीं अपितु अंग्रेजों को अपना दुहरा हल निकालने के

लिए भारत में लाई गई थी। एक तो भारत के अन्दर से कच्चा मान समुद्र के किनारे चार्न बन्दरगाहों तक पहुँचाना आवश्यक था। दूसरे, इसका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व था। भारतीय विद्रोहियों को दूर-दूर कोनों में रेल मार्ग से शीघ्रता से दवाने में अंग्रेजों को अन्य यातायात के साधनों की अपेक्षा रेल अधिक सुविधाजनक थी। रेलवे के निर्माण की आवश्यकता पर तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी (1848-56) ने लिखा था—

“उसके बनने में भारत को जो व्यावसायिक और सामाजिक लाभ होंगे, उनका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता... इंग्लैंड रूई का पुरजोर आह्वान कर रहा है जिसे भारत कुछ हद तक पैदा कर रहा है और काफी बढ़िया तथा प्रचुर मात्रा में रूई पैदा करेगा, अगर दूर के स्थानों के बन्दरगाहों तक जहाँ से जहाँजों पर लादकर वह भेजी जा सके सिर्फ उसे पहुँचा देने के साधनों की उचित व्यवस्था कर दी जाए। व्यापार की सुविधाओं की प्रत्येक वृद्धि के साथ जैसाकि हम लोगों ने देखा है, योरोप में बने माल की भाग में वृद्धि भारत के सबसे दूर के बाजार में हुई है... भूमण्डल के इस तरह के हिस्से में नए बाजार हमारे लिए ऐसी हालातों में खुल रहे हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी की दूरदर्शिता भी उनके भविष्य की सीमा गणना नहीं कर सकती।” (अयोध्यासिंह भारत का मुक्ति संग्राम, 1577, पृष्ठ 10-11 से उद्धृत।)

कार्ल मार्क्स ने भारत में रेलों के आगमन पर लिखा था—

“यै जानता है कि अंग्रेज उद्योगपति केवल इसलिए भारत में रेलें बिछाना चाहते हैं कि वे रुई और अन्य कच्चा मान अपने कारखानों के लिए कम खर्च पर प्राप्त कर सकें।” (न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून के 8 अगस्त 1853 के अंक में प्रकाशित “भारत में ब्रिटिश राज के भावी परिणाम” शीर्षक लेख कार्ल मार्क्स-फेडरिक एंजिलम—संकलित रचनाएँ, भा० 1)।

इस तरह पश्चिमी औद्योगिक प्रान्ति ने भारत के आर्थिक ढाँचे को तोड़कर उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। पूरा भारत इंग्लैंडवासियों के इस औद्योगिक शिकंजे में फँसकर अपनी अस्मिता खो बैठा। भारत के परंपरागत सभी उद्योग-धन्धे नष्ट हो गए। मजदूर कारीगर और बुटीर उद्योगों पर आधित अन्य शिल्पकार बड़ी तादाद में बेरोजगारी की समस्या में जूझने लगे मजदूरन उन्हें बधुआ मजदूरी का आश्रय लेना पडा जिसके परिणामस्वरूप उनकी समूची भावी पीढ़ी धनी लोगों के यहाँ सदैव-सदैव के लिए गुलाम बनती गई। और वे जानवरों की तरह इधर-से-उधर भेजे जाने लगे।

भारतीय कृषि तथा जमींदारी व्यवस्था

भारत गाँवों का देश है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती रहा है। विमान परंपरागत रूप से सामुदायिक भावना में कृषि कार्य करते आए हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व पूरा देश

ग्राम-स्तर पर खेती करता था। उसकी तमाम जरूरत की चीजें गांव में ही कुटीर उद्योग-धन्धों में बनती थीं। गांव के शिल्पकार और दूसरे लोग समुदाय के रूप में खेती से जुड़े हुए थे। भारत की खेती यहां का मुख्य व्यवसाय होने के कारण अपने आप में आत्मनिर्भर थी। कार्ल मार्क्स ने इस सामुदायिक व्यवस्था पर कहा था—

“हिन्दुस्तान के वे छोटे-छोटे तथा अत्यंत प्राचीन ग्राम समुदाय (समाज) जिनमें से कुछ आज तक कायम हैं, जमीन पर सामूहिक स्वामित्व, खेती तथा दस्तकारी के मिलाप और एक ऐसे श्रम विभाजन पर आधारित हैं जो कभी नहीं बदलता, और जो जब कभी एक नया ग्राम समुदाय आरंभ किया जाता है तो पहले से बनी-बनाई और तैयार योजना के रूप में काम में आता है। सी से लेकर कई हजार एकड़ तक के रकबे में फैले हुए इन ग्राम समुदायों (समाजों) में से प्रत्येक एक गठी हुई इकाई होता है। जो अपनी जरूरत की सभी चीजें पैदा कर लेती है। पैदावार का मुख्य भाग सीधे तौर पर समुदाय के ही उपयोग में आता है, और वह माल का रूप धारण नहीं करता... हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में इन समुदायों (समाजों) का विधान (गठन) अलग-अलग ढंग का है। जिनका सबसे सरल विधान (गठन) है, उन समुदायों में जमीन को सब मिलाकर जोतते हैं और पैदावार सब सदस्यों के बीच बांट ली जाती है। इसके साथ-साथ हर कुटुंब में सहायक धन्धों के तौर पर कताई और बुनाई होती है।... इन आत्म-निर्भर ग्राम समुदायों (समाजों) में पुनः प्रकट होते रहते हैं और जब अकस्मात् बरबाद हो जाते हैं तो उसी स्थान पर और नाम से फिर खड़े हो जाते हैं। उत्पादन का संगठन बहुत ही सरल ढंग का होता है। उसकी यह सरलता ही एशियाई समाजों की अपरिवर्तनशीलता की कुजी है, उस अपरिवर्तनशीलता की जिसके बिरुद्ध विपरीत एशियाई राज्य सदा विगड़ते और बनते रहते हैं और राजवंशों में होने वाले परिवर्तन तो मानो कभी रुकते ही नहीं। राजनीति के आकाश में जो तूफानी वादल उठते हैं वे समाज के आर्थिक तत्वों के ढांचे को नहीं छू पाते।” (पूजी, खण्ड-1, प्रगति प्रकाशन, मास्को, पृ० 404)

भारत के आत्म-निर्भर गांवों की यह विशिष्टता जग-जाहिर थी। वह अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति अपने सामुदायिक कार्य विभाजन द्वारा करते थे। शासन ने भी इनके कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। इनकी अपनी अर्थव्यवस्था पारंपरिक थी जोकि समाज के साथ लगी चली आ रही थी। ए० आर० देसाई ने इस व्यवस्था के बारे में लिखा है—

“राजा किसी प्रकार का हो, दयालु या क्रूर, परोपकारी या निरंकुश, हिन्दू या बौद्ध या मुस्लिम—कभी यह कोशिश नहीं हुई कि ग्राम समुदाय को जमीन से वंचित किया जाए या जमींदारों का कोई वर्ग स्थापित किया जाय यह इस बात का प्रमाण है कि जमीन को कभी राजा की सम्पत्ति नहीं समझा गया। ग्राम समुदाय ही गांव की सम्पत्ति का वास्तविक अधिकारी था। शहंशाह या राज्य का सालाना फसल के अंश मात्र पर ही अधिकार था। दूसरी तरफ किसी खास किसान का भी जमीन पर कोई निजी हक नहीं था। प्राक्-ब्रिटिश भारत में भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत स्वत्व नहीं था।” (भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ० 30-31)

इस प्रकार की कृषि व्यवस्था का स्वरूप सामूहिक था जिसमें मध्यम परिवार और मजदूराघादी दृष्टिकोण के आधार पर सहयोग की भावना बलवती थी। व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए अब तक कोई जगह नहीं थी।

परन्तु ईस्ट इण्डिया कंपनी की भारत विजय के बाद सबसे पहली कुदृष्टि भारत की इस सामुदायिक कृषि व्यवस्था पर ही पड़ी। उसने सर्वप्रथम इसके सामुदायिक रूपों को तोड़कर उसे इकाइयों के रूप में बांट दिया। सन् 1793 में लार्ड कार्नवालिस ने जो कि उस समय भारत का गवर्नर-जनरल था। कंपनी के आर्थिक और प्रशासनिक स्वरूप को मजबूत करने के लिए उसने किसान और सरकार के बीच स्थायी बन्दोबस्त के अनुसार जमींदारों के नए वर्ग का सृजन किया। ये जमींदार अपनी-अपनी जमींदारी के स्वतंत्र मालिक बना दिये गए और उनसे 'कर' के रूप में मालगुजारी की एक मुश्त-वार्षिक राशि नियत कर दी गई। ये भारतीय जमींदार अब सरकार की बजाय स्वयं किमानों से लगान वसूल करने के अधिकारी बन गए। इस तरह कंपनी सरकार की मालगुजारी की आय सदा के लिए निश्चित हो गई और जमींदार लोग जमीन छिनने और अधिकार भंग होने के डर से कंपनी के बफादार अधिकारी के रूप में अंग्रेजों से भी अधिक भारतीय जनता को मुस्तैदी दिखाने लगे।

इस प्रवन्ध से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जमींदार निरंकुश होकर उनसे मनमाना लगान वसूल करते थे। उनकी फसली हानत को उन्होंने कभी नहीं देखा। फसल चाहे अच्छी हुई हो अथवा खराब, अकाल पड़ा हो अथवा सूखा या बाढ़ से फसल नष्ट हो गई हो जमींदार को इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। वह लगान वसूल करते और कंपनी का बफादार होने में किसानों के साथ बेहद सख्ती से पेश आता था। उसके व्यवहार में भारतीय मानवता नष्ट हो गई। जमींदार की कारगुजारियां एक वर्ग-चरित्र में परिवर्तित हो गईं। जमींदारी व्यवस्था लागू होने के कारणों पर ए० आर० देसाई ने लिखा है—

“भारत की पुरानी भूमि व्यवस्था पर अंग्रेजों ने ही पहली गहरी चोट की। उन्हें खासकर तीन बातों से जमींदारी प्रथा लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक, ईस्ट इण्डिया कंपनी जमीन के बन्दोबस्त की न्यायिक एवं आर्थिक धारणाएँ ही अपना सकती थी। इंग्लैंड का आर्थिक अतीत भारत से मूलतः भिन्न था। अंग्रेजी जमींदारी प्रथा जमीन के व्यक्तिगत स्वामित्व की परंपरा और भावना में जन्मी और फली-फूली थी, जिसके लिए भारत के आर्थिक इतिहास में कोई मिसाल नहीं थी। दो, प्रशासकीय दृष्टि से ब्रिटिश शासन के शुरू के दिनों में लाखों छोटे किमानों की अपेक्षा कुछेक हजार जमींदारों से लगान की वसुली आसान और आर्थिक दृष्टि से लाभजनक थी। तीन, मजबूत अंग्रेजी राज को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से, देश में सामाजिक समर्थन की आवश्यकता थी। ऐसी आशा स्वाभाविक थी कि यह जमींदारों का नया वर्ग जो ब्रिटिश शासन के चलते ही जन्मा-बना, अवश्य ही इस शासन की मदद करेगा।” (वही, पृष्ठ 31)

यह जमींदारी प्रथा भारतीय अर्थव्यवस्था के बिस्तुन्न विपरीत थी। किसान और

सरकार के बीच यह जमींदारों का नया मध्यस्थ वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक-दम नया और अजूबा था। अंग्रेज इन्हें 'लेण्डनॉर्ड्स' के नाम से जानते थे। ये जमींदार किसान की जोत में आने वाली जमीन की बिना पैमाइश किए, प्राकृतिक प्रकोपो को बिना देखे उनसे चबंतरता से लगान वसूल करते थे। अतः इस व्यवस्था के बड़े भयंकर परिणाम निकले, क्योंकि जमींदार कभी भी किसान की खुशहाल फमल के लिए प्रयत्न नहीं करता था। फसल अच्छी हो या बुरी उसे इससे कोई सरोकार नहीं। उपयुक्त सिंचाई आदि के साधन न होने में किसान अधिक पैदावार लेने में अक्षम रहा। परन्तु सरकार को वह बंधी-बध्दाई रकम देने को बाध्य था। अतः किसान प्रतिवर्ष अच्छी फमल के लालच में जी-तोड़ मेहनत करने पर भी कभी चैन से नहीं रह सका। वह गरीबी, कर्ज और कमजोरी की लपेट में इन्हीं जमींदारों के यहाँ गुलामी करने के लिए बाध्य होता चला गया। दूसरे, एक महत्वपूर्ण बात यह और थी कि जमींदारों ने भी अपनी शान और शोकांत बनाये रखने के लिए और किसानों को आतंकित करने के लिए पटवारी, कारिन्दे और जिलेदार नियुक्त कर रखे थे। ये कारिन्दे और जिलेदार किसानों को लगान वसूल करते समय बहुत तंग करते थे। उनका सार्वजनिक अपमान, पिटाई और बहन-बेटी की इज्जत से खुले-आम खिलवाड़ की इनकी आदत बन गई थी। साइमन रिपोर्ट में इनके बारे में कहा गया है—

“कुछ जिलों में उपमामंतीकरण इस आश्चर्यजनक सीमा तक पहुंच गया है कि सबसे ऊपर जमींदार और सबसे नीचे काश्तकार के बीच पचास से भी अधिक मध्यस्थ स्वार्थ विद्यमान हैं।” (साइमन कमिशन रिपोर्ट, जिल्द प्रथम, पृ० 340) ए० आर० देसाई ने इसी शोषण को एक कथा का रूप देकर प्रस्तुत किया है—

“फलस्वरूप खेती करने वाले किसान एक अनुक्रमिक श्रेणी शृंखला की अन्तिम निम्नतम कड़ी हैं और उन्हें लगान वसूल करने वाले गैर काश्तकार लोगों की बहुत बड़ी फौज का भार संभालना पड़ा है। अलिफ-लैला में नाविक सिन्दबाद की पीठ पर जो समुद्री बूढ़ा सवार हुआ था, वैसे बहुत सारे बूढ़े भारतीय किसान की पीठ पर सवार थे। किसान को इन सारे लोगो को दिए जाने वाले सामान का दुर्बल असह्य भार होना था।” (भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ० 54)

इन जमींदारों ने कभी भी किसानों की बदतर हालत के लिए प्रयत्न नहीं किया उल्टे उन्हें चूस-चूसकर मनमाना लगान वसूल कर पंगु कर दिया। किसानों से अधिकाधिक लगान वसूल करना ही उनका उद्देश्य बना रहा। अतः किसानों की दशा गिरती चली गई। इस शोषण का मूल कारण यह था कि भारतीय जमींदार अंग्रेजों द्वारा खरीदे हुए खिलौने थे, जिन्हें वे अपनी मर्जी के मुताबिक अपने इशारों पर नचाते रहते थे। इसलिए जमींदार अंग्रेजों को खुश रखने में कोई कसर बाकी नहीं, छोड़ते थे। उनके सम्मान में वे सिर झुकाये ही रहते थे। जो जमींदार अंग्रेजों का विरोध करता था, जैसा कि 1827 में भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम में हुआ उसे अंग्रेजों ने समूल उखाड़ दिया और उनकी जगह नये जमींदार इस तरह के लिखित आदेश के साथ बहाल किये गए कि वे अंग्रेजों के देश-भक्त बने रहेंगे—

“तल्लुकदारों को यह जमींदारी इनाम-स्वरूप मिली थी, इसलिए उन्हें जो प्रमाण-पत्र दिये गए थे, उनमें यह भी लिखा गया कि यह वर्णित भू-भाग इन्हें और इनके उत्तराधिकारियों को सदैव के लिए दे दिये गए। उनके साथ यही शर्त थी कि राजभक्त बने रहेंगे और भूमि की उपज का आधा सरकार को मालगुजागी देने रहेंगे।” (आर० आर० मोर्य : उत्तर प्रदेश भूमि विधिया, 1976 पृ० 11)

इस तरह इस शोषण की लम्बी शृंखला में किसान शोषित के रूप में बढ़ता गया उसका कर्ज और गरीबी उमकी मतान को विरामत में मिलती गई तो दूसरी ओर जमींदारों की सन्तान को अधिकार और संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में। हर्षदेव मालवीय ने इस शोषणपरक लगानबंदी के बारे में लिखा है—

“देश में लगान की दर उत्पादन की 34 से 75 प्रतिशत तक थी।” (लेण्ट रिपोर्ट्स इन इण्डिया, 1955, पृ० 450) इस आर्थिक तंगी में किसान, जमींदार और अन्य प्रशासनिक वर्ग की अनियमितताओं के साथ-साथ सेठ, साहूकार, महाजन आदि के कर्ज में भी डूबता चला गया। अपना और अपनी मतान का पेट भरने के लिए उसने अनचाहे-अनजाने कदमों पर कितने ही समझौते किये, जिससे उसकी रीढ़ कभी भी सीधी नहीं हुई।

यह लगान बन्दोबस्ती भारत में एक जमीं नहीं थी। क्षेत्र विशेष और वहाँ की आबोहवा को देखकर ही अंग्रेजों ने इस तरह की व्यवस्था स्थान-भेद के कारण की थी। स्थायी बन्दोबस्त ब्रिटिश-भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रान्तों में था।

रैयतवाड़ी प्रथा

भूमि-सुधार के नाम पर अंग्रेजों ने देश की कृषि-व्यवस्था को कई रूपों में बाँटा था। स्थायी बन्दोबस्त जिसमें जमींदार काममें किये गए थे यह व्यवस्था पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में लागू की गयी। लेकिन कुछ भागों में उन्होंने किसानों की निजी मिल्कियत के आधार पर उन्हें सीधा-सीधा जमीन का मालिक बनाया। किसान अपनी जोत का स्वयं अधिकारी था। वह एक बधी-बधाई निश्चित रकम सरकार के खजाने में जमा करता था। इस प्रथा को रैयतवाड़ी प्रथा के नाम से जाना गया।

रैयतवाड़ी प्रथा में किसान और सरकार के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। किसान को अपनी जमीन को बेचने, खरीदने, गिरवी रखने और उसे भेंट में देने का पूरा अधिकार था। इस प्रथा को लागू करने के पीछे जमींदारी प्रथा की कुछ भूलें थीं। अतः सर टामस मनरो ने जो उम समय मद्रास का गवर्नर था यह रैयतवाड़ी सिस्टम प्रारंभ किया—

“उमके अनुसार यह प्रथा परंपरागत मगत थी, इसलिए जब वह मद्रास का गवर्नर था उसने 1820 में उम प्रान्त में इस व्यवस्था की शुरुआत की और उसके बहुत बड़े

भाग में इसे लागू किया गया। याद में रैयतवाड़ी प्रथा दूसरे प्रान्तों में भी लागू हुई। यह प्रथा बम्बई, सिंध, बरार, मद्रास, आगाम और कुछ और इलाकों में भी। कुल मिला कर ब्रिटिश भारतीय भूभाग के 51 प्रतिशत भाग में प्रचलित थी।" (ए० आर० देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ० 32)

परन्तु यह अंग्रेजों का दृष्टिकोण नितान्त ध्रामक था कि रैयतवाड़ी प्रथा भारतीय परंपरा के अनुकूल है। सत्य इसके ठीक विपरीत था—

"रैयतवाड़ी प्रथा भारतीय परिपाटियों के अधिक नजदीक समझी गई और इसलिए उसका समर्थन किया गया। लेकिन वस्तुतः इसके अनुसार भी जमीन का निजी बन्दोबस्त किया गया और भूमि-कर फसल के बढ़ने जमीन को आधार बनाकर तय किया गया। इस प्रथा ने भारतीय संस्थाओं का धँसे ही हनन किया जैसे जमींदार प्रथा ने।" (रजनीपामदत्त : आज का भारत, पृ० 213)

अतः इस नई व्यवस्था में खड़ी जमीन को आधार मानकर लगान की वसूली सरकार द्वारा की जाती थी। फसल कमी और वित्तनी तथा कितने भू-भाग पर हुई है। इससे सरकार को कोई गरोज़ार नहीं था। इस तरह की अनदेखी व्यवस्था का बड़ा घातक परिणाम निकला। एक तो किसान सामुदायिक उत्तरदायित्व में कटा दूसरे वह मुमीबत और परेशानी में अकेला भागीदार हुआ। यद्यपि उसके और सरकार के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था फिर भी इस तरह की मुकम्मिल लगानबन्दी उसके माफिक नहीं थी। क्योंकि प्राकृतिक प्रकोपों, अकाल, अनावृत्ति, अतिवृष्टि आदि के कारण उसकी नष्ट हुई फसल पर कोई लगान की छूट नहीं थी अतः वह कर्ज लेकर ही अपनी जान छुड़ा पाता था। इस व्यवस्था ने सूदगोर महाजन, साहूकार और व्याज खाने वाले लोगों को भी पैदा किया और किसान सरकार और सूदखोरों के बीच अकेला कराह-कराहकर पिसता रहा—

"किसानों ने पैसा चूमने के लिए ये साहूकार कानूनी तरीकों के अलावा जाल-साजी में भी काम लेते थे, जैसे मूल में अधिक का शर्तनामा लिखवाना, गलत हिसाब रखना इत्यादि। वे किसान की गरीबी और उसके अज्ञान का भी फायदा उठाते थे। अपनी अनभिज्ञता के कारण किसान को जाल-साजी का पता नहीं लग पाता था, और इस तरह वह कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाता था।" (ए० आर० देसाई : भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ० 48)

किसान और महाजन की स्थिति पर रायल कमीशन ने भी अपनी यही रिपोर्ट प्रस्तुत की थी—

"भारतीय किसान प्रायः लाभ और प्रतिफल के लिए नहीं, बरन जीवन निर्वाह के लिए खटता था। भूमि की अति संकुलता और जीवन निर्वाह ने वैकल्पिक साधनों एवं अपनी दुर्दशा से बचने के उपायों की कमी—इन सबके कारण कहीं भी, किसी भी शर्त पर फसल उगाने को किसान लाचार था। खाद्य सामग्री के लिए उसे जमीन की जरूरत है और जमीन के लिए उसे महाजन की मिन्नत चिरोरी करनी पड़ती है। यद्यपि जितनी उसकी चल-अचल संपत्ति है उससे अधिक उस पर महाजन का ऋण है, जहां उसकी

जमीन महाजन के हाथ में चली गई है, यहां किसी भी कायदे-कानून से उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, कायदेकार का कोई भी कानून उसकी रक्षा नहीं कर सकता।” (वही, पृ० 49)

इस तरह भारतीय किसान किसी भी तरह सुखी नहीं था। उसे कानूनन सरकार के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का हक तो था लेकिन वहां तक उसके पहुंचने की सामर्थ्य अब उसमें नहीं रह गई थी। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने कभी भी उसकी दयनीय स्थिति की परवाह नहीं की और न कभी उसकी स्थिति से सरकार को परिचित कराया उल्टे, मछली और जब्ती से लगान वमूल कर सरकार को किसानों में परामुख बना दिया। इस तिहरे शोषण में किसान टूटता चला गया।

क्योंकि औद्योगिक क्रांति से उसके तमाम कुटीर उद्योग-धंधे बर्बाद हो गये थे। वह अपने हाथ की दस्तकारी छिन जाने के कारण खेती पर मजबूरन आश्रित हुआ लेकिन खेती की इस जमींदारी और रयतवाडी प्रथा ने उनका कई रूपों में रक्त चूसा और उसे बेजान कर दिया, उसकी सामाजिक शक्ति के साथ-साथ शारीरिक शक्ति का भी ह्याम होता चला गया और वह गुलामो जैसी जिन्दगी जीने के लिए मजबूर हो गया। उसके लिए इस जलते भाड़ में कहीं भी ठंडक नहीं मिली। और धीरे-धीरे वह कृपि दास, खेतिहर मजदूर और सर्वहारा के वर्गों में वंटता गया। और उसकी पीठ पर जमींदार, सेठ, महाजन, मूदखोर, सरकारी अमला फैला और बड़े-बड़े भू-स्वामी बैठते गए जिसके परिणाम स्वरूप वह कभी भी उठ न सका।

राष्ट्रीय आंदोलन और उसका चरित्र

सन् 1757 की बलाइव की प्लासी के मैदान की फतह ने अंग्रेजों के मनसूबों को बदल दिया। अंग्रेज इंग्लैंड से मात्र व्यापारी के रूप में भारत में आए थे परन्तु यहाँ की परिस्थितियों ने उन्हें शासक बना दिया। यहाँ की रुग्ण और कमजोर शासन व्यवस्था ने उनके आगे बढ़ने के तमाम द्वार खोल दिए। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से यहाँ के नरेशों और नवाबों को आपस में भिड़ा-भिड़ाकर शक्तिहीन कर दिया और 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रान्तों में कर वसूलने को पहला शासकीय अधिकार प्राप्त किया। धीरे-धीरे यहाँ के नवाबों की अमलदारी में सीधा दखल देते हुए उन्हें पराजित कर वे दक्षिण और पूर्वी भारत में एक नई राज शक्ति के रूप में उभरे। राजनीतिक स्तर पर उन्होंने यहाँ के राजा और नवाबों को अपने मातहत कर लिया। और धीरे-धीरे वे यहाँ के आन्तरिक प्रशासन अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे।

क्योंकि उन्होंने जमींदारी प्रथा, रयतवाडी प्रथा आदि आर्थिक कार्यक्रम लागू करके भारतीय विमान और उनके बीच मीरुड़ों मध्यम्य पैदा किए थे। ऐसा उन्होंने प्रशासन

को गति देने के लिए नहीं किया अपितु अपने को जनता से सीधे टकराव से बचाकर भारतीयों द्वारा भारतीयों का ही शोषण कराया और स्वयं बिना किसी परेशानी के नवाबों और जमींदारों को अपनी कउपुतली बनाकर नचाते रहे। इस दुहरे-तिहरे शोषण से भारतीय किसान तग आ गया था। कर्ज और गुलामी से उसकी कमर टूट गई थी। उसके कुटीर उद्योग-धंधों के विनाश से उसकी परंपरा का अंत तो हुआ ही दूसरे उसे इस नई आर्थिक लगानबंदी की व्यवस्था ने ग्रसना प्रारंभ कर दिया।

इधर कम्पनी शासन के साथ-साथ उनकी ईसाई मिशनरियां भारत के सामाजिक स्वरूप को विघटित करने लगीं। धर्म-परिवर्तन और उससे मिलने वाले शासकीय लाभ-लौभ ने उनके सामाजिक जीवन को भी खतरे में डाल दिया। अप्रैल 1850 का 'लेक्स लोकी' कानून लाई डलहौजी ने भारी विरोध के बावजूद लागू किया था। इस पर उदारवादी अंग्रेजों ने विरोध प्रकट किया था और भारतीय जनजीवन के उसे विपरीत बताकर उसके भयंकर परिणामों की भी भविष्यवाणी इस कानून के स्वरूप को देखकर ही की गई थी। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले पत्र 'इंगलिशमैन' ने 15 अप्रैल, 1850 वाले अंक में इस कानून की तीव्र भर्त्सना करते हुए लिखा था—

"यह नोट रखना बेहतर होगा कि 11 अप्रैल, 1850 का दिन भारत से अंग्रेजों को निकाल बाहर करने का पहला वैधानिक कदम होगा।" (अयोध्यासिंह : भारत का भुक्ति संग्राम, पृ० 34 से उद्धृत)

इधर अंग्रेजों की हडप नीति ने भारतीय देशी सामंतों को उनके गोद लेने की प्रथा समाप्त कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाने से उन्हें असंतुष्ट कर दिया। अंग्रेजों की इस साम्राज्यवादी नीति का बड़ा घातक परिणाम निकला। सतारा, नागपुर, शासी, संमलपुर, जंतपुर आदि अनेक रियासतें अपने इस पुश्तैनी हक से वंचित किए जाने पर वे इस शासन से रुष्ट हो गईं। इस तरह अंग्रेजों के खिलाफ पहला संघर्ष का वातावरण 1857 में बना जिसका मूल उद्देश्य भारत से अंग्रेजी शासन का अंत था—

"भारत पर ब्रिटेन के निरंकुश शासन के कारण औद्योगिक बुरुजुवाजी को भारत का अनियंत्रित औद्योगिक विकास करने में दिक्कत हो रही थी। राज्य व्यवस्था के प्रमुख पदों पर अंग्रेजों के एकाधिकार के कारण, शिक्षित वर्ग के लोगों को नौकरियां प्राप्त करने की अपनी न्यायसंगत आकांक्षा की पूर्ति में दिक्कत हो रही थी। धरती के बेटे किसान यह देखते थे कि अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई भू-राजस्व व्यवस्था उनकी बढ़ती हुई गरीबी का कारण थी। सर्वहारा मजदूर वर्ग के लोग देखते थे कि यह विदेशी अप्रजा-तांत्रिक शासन व्यवस्था उन्हें अपनी हालत सुधारने और जिस मजदूरी तंत्र में उनका शोषण हो रहा था उसे बदलने के लिए आवश्यक वर्ग-संघर्ष को विकसित करने से रोक रही थी।" (ए० आर० देसाई : भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ० 246)

अतः इन सबका परिणाम 1857 का महाविद्रोह हुआ। जिसमें राजपरानों से लेकर सामान्य जनता ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ने का संकल्प लिया था। परन्तु अपनी आंतरिक कमजोरियों से यह सफल नहीं हुआ यह दूसरी बात थी। इस विद्रोह को साम्प्रदायिक और सिपाही विद्रोह कहकर असलियत को छुपाने की अंग्रेजी सरकार की

नीयत थी परन्तु ऐसा नहीं था। यह सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम भारतवासियों की मूल चेतना से जुड़ा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन् सत्तावन की क्रांति को आकस्मिक घटना न मानते हुए सैकड़ों वर्षों के क्षोभ और असन्तोष को इसका मूल कारण बताया था—

“देश-भर में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा असन्तोष और गुस्सा था।” (विश्व इतिहास की शलक, 1962, पृ० 576)

लेकिन इसमें सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह थी कि यह असंगठित विद्रोह था। इस विद्रोह में कुछ नए जमींदारों, ताल्लुकेदारों और नवार्थों ने भी साथ नहीं दिया उल्टे ब्रिटिश शासन की हर तरह से इस विद्रोह को दबाने में मदद की थी।

1857 के बाद देश ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिकार में चला गया। अब तक कंपनी के अधिकार का भारत अब ब्रिटेन की महारानी के अधीन हो गया। परन्तु यह परिवर्तन मात्र भारतीयों को झांसा था। इस परिवर्तन में अंग्रेजों की शोषण नीति में कोई अंतर नहीं आया था उल्टे भारत की जनता पर अविश्वास, दमन और बर्बरता का व्यवहार किया गया। देश की प्रत्येक गतिविधि अब इस शासन में नजरबंद थी।

क्योंकि कुछ देशी नरेशों ने अंग्रेजों का साथ दिया था तथा कुछेक की रियासतों को अंग्रेजी सरकार ने अपने राज्य में नहीं मिलाया था इसलिए वे अंग्रेजों के और अधिक वफादार बन गए। और जनता पर जुल्म का दौर और अधिक तेज हो गया। परन्तु जनता अब उठ खड़ी हुई थी, उसने सशस्त्र संग्राम से 1857 में अंग्रेजों को जड़े हिला दी थी। अतः वे अब पूर्ण स्वतंत्रता के जन-संघर्ष के माध्यम से पुनः आन्दोलित हुए—

“देश में इस नयी नीति का महत्वपूर्ण परिणाम निकला। जब कालक्रम से देशी रियासतों के लोग अपनी दमनात्मक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के प्रति जागरूक हुए और रजवाड़ों के निरकुश शासन के विरुद्ध प्रतिनिधि सरकार और अन्य जनतात्रिक भागों के लिए संगठित होने लगे तब उन्हें अनिवार्यतः ब्रिटिश शासन से भी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन रजवाड़ों की रक्षा के लिए बचनबद्ध थी। इस तरह रियासतों की जनता का संघर्ष ब्रिटिश भारत की जनता के स्वतंत्रता संग्राम के साथ एक स्रोत में मिल गया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध समस्त भारतीय जनता के संयुक्त अखिल भारतीय आन्दोलन का जन्म हुआ।” (ए० आर० देसाई: भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ० 25)

1857 के बाद देश में नई जागृति पैदा होने लगी। जिस तरह लार्ड डलहौजी ने 1857 की क्रांति के लिए अपनी हड़पनीति को लागू किया था ठीक उसी तरह भारत के पुनर्जागरण के लिए लार्डनिटिन के काले कारनामों-1877 के वेहद खर्चिले, और दिल्ली दरबार का उस समय आयोजन जब देश में भयकर दुर्भिक्ष पड़ रहा था, 1878 के वनविप्लव प्रेस एक्ट, जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर अकुश लगाने के लिए ही जारी किया गया था, के कारण जन-असन्तोष बेकाबू हो गया और 1857 से बड़े और भयानक विस्फोट की स्थिति बन गई।

परन्तु यह भारतीय जन-क्रान्तियों का प्रारम्भ से ही दुर्भाग्य रहा है कि अपार जन-

शक्ति और उत्साह होने पर भी वे कभी अपना संपूर्ण लक्ष्य नहीं पा सकी क्योंकि उन्हें स्वार्थी नेतृत्वों के कारण सदैव मार खानी पड़ी है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े जाने वाले संग्रामों में भी यही हुआ।

अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता में जन-असंतोष बढ़ रहा था। उसी समय ए० ओ० ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने इस स्थिति को बड़ी गम्भीरता से लिया। उसने इस जन-असंतोष को शान्त करने के लिए मीठी मार का हथियार 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' 1885 में बना कर इस्तेमाल किया। अंग्रेजों के लिए यह सुरक्षा कपाट के समान साबित हुआ। क्योंकि रोजाना के विद्रोह और जन-असंतोष से बचने के लिए साल में एक या दो बार शालीनता के साथ बिना किसी उत्तेजना के भारतीय अपनी मांगे और कठिनाइयाँ शासन के समक्ष इस मंच से रख सकें।

'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना से आन्दोलन की दिशा ही दूसरी ओर मुड़ गई। क्योंकि इस संस्था में बड़े धरो, पूजापतियों, उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को लिया गया था जिनमें डब्लू० सी० बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फीरोज शाह मेहता, गोपालकृष्ण गोखले आदि थे। इन लोगों ने अपने उदारतावादी दृष्टिकोण से अंग्रेजों का सहयोग ही किया। 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' भारतवासियों की कितनी हितसाधिका थी यह उसके पहले सम्मेलन 28 दिसम्बर, 1885 में ह्यूम द्वारा दिए गए भाषण से साफ जाहिर हो रहा था। कांग्रेस के महासचिव होने के नाते उनके समापन भाषण के भाव दृष्टव्य हैं—

“बड़ी प्रसन्नता के साथ इस भार को ग्रहण करते हुए ह्यूम ने ब्रिटिश साम्राज्यी विक्टोरिया की बड़ी प्रशंसा की, और कहा कि सब उपस्थित लोग महारानी को बहुत प्यारे हैं और वे सब लोग महारानी के बच्चे हैं। ऐसी महामहिमामयी राजराजेश्वरी का जय-जयकार उन्हें आरम्भ में ही करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुस्त आए। फिर अपने को राजराजेश्वरी के जूतों के फीते खोलने के भी अयोग्य बताते हुए ह्यूम ने उनका जय-जयकार सिर्फ तीन बार नहीं, तीन का तीन बार और अगर संभव हो तो उसका भी तीन बार करने का प्रस्ताव रखा। उपस्थित लोगों ने भारत-भूमि का नहीं, स्वदेश का नहीं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रतीक महारानी विक्टोरिया का बारबार जय-जयकार किया और अपने-अपने घर चले गए।” (अयोध्यासिंह : भारत का मुक्ति संग्राम, पृ० 128-129) अयोध्यासिंह ने इसके प्रारम्भिक स्वरूप पर बड़ी सटीक टिप्पणी की है इसी स्थान पर आगे कहते हैं—

“इस तरह राष्ट्रीय आन्दोलन में कांग्रेस का जन्म साम्राज्यवादियों के हस्तक्षेप से हुआ और साम्राज्यवाद के सबसे बड़े प्रतीक के जूतों के फीते खोलने के योग्य बनने में भी अपना बड़ा सौभाग्य देखने वाले, उपनिवेशवादियों की भारत सरकार के दसियों वर्ष तक विश्वस्त सेवक एलन आर्कटोबियन ह्यूम कांग्रेस के जनक बने। कांग्रेस राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि भारतीय क्रान्ति को रोकने का अस्त्र बनने के लिए पैदा की गई।” (वही, पृ० 129)

और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि कांग्रेस में ब्रिटिश सरकार की जी-हुजूरी करने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। कांग्रेस के उदारवादी नेता जो कि कांग्रेस के कर्णधार

थे उन्होंने भारत की जमीन से न जुड़कर ब्रिटेन की जमीन से जुड़ना अधिक सम्मानजनक समझा वे जमींदारों और नवाबों से भी ज्यादा अपने को बफादार बताने की कोशिश में सम्मेलनों में बड़े-बड़े भाषण देने लगे। 1899 में कांग्रेस के लगनरू अधिवेशन के अध्यक्ष रमेशचन्द्र दत्त ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट कहा था—

“शिक्षित भारत ने अपने को ब्रिटिश राज के साथ व्यवहारतः एकाकार बना लिया है, वह ब्रिटिश राज को हमेशा बनाए रखना चाहता है और ब्रिटिश राज के प्रति बफादार है, इसलिए कि ब्रिटिश राज को जारी रखकर शिक्षित भारत अधिकांश स्वायत्त प्रान्त और पृथ्वी के आधुनिक राष्ट्रों के बीच स्थान प्राप्त करना चाहता है। इन्हीं को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है और इन्हीं के लिए हमारा प्रयास है।” (इंग्लिशमैन मैगज़ीन कांग्रेस 1899 की रिपोर्ट, अध्यक्षीय भाषण) इसी तरह का विचार 1892 में मुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अभिव्यक्त किया था—

“हम एक महान और स्वतंत्र साम्राज्य के नागरिक हैं और दुनिया के अब तक के सर्वोत्तम सविधान की छाया हमारे सिर पर है। अंग्रेजों के अधिकार हमारे अधिकार हैं और उनकी सुविधाएं हमारी सुविधाएं हैं उनका संविधान हमारा सविधान है।” (रजनीपाम दत्त इण्डिया टुडे, 1970, पृ० 322) और 1902 में अपने अध्यक्षीय भाषण में इस महानुभाव ने ब्रिटिश सरकार की जमकर कचरोरी की थी—

“हमारी इससे ज्यादा आकांक्षा नहीं कि हमें स्वायत्त शासित राज्यों के महान संघ में शामिल किया जाए जिसकी पवित्र माता इंग्लैंड है। हम पहले से ही काफी बफादार हैं, और ब्रिटेन के साथ हमारा काफी गहरा सम्बन्ध है। लेकिन हम ब्रिटिश राज के स्थायित्व के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के महान संघ में स्पाई रूप से शामिल किए जाने के लिए चिंतित और उत्सुक हैं।” (अयोध्यासिंह, भारत का मुक्ति संग्राम, पृ० 154 पर उद्धृत)

लेकिन इससे कहीं ज्यादा अंग्रेजी सरकार परस्त मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां थे जो तहेदिल से उनके शोषण और दमन को आदर के साथ देखते थे। यद्यपि वे कांग्रेस के विरोधी थे परन्तु उन्होंने भी भारतीय जनजीवन में अंग्रेजों से मिलने वाली सुविधाओं के पीछे कभी भी जुड़ने का प्रयास नहीं किया वे उल्टे मुसलमानों को कांग्रेस और जन-आन्दोलनों से अलग रखकर अंग्रेजों का स्वामिभक्त बनाना चाहते थे—

“बिलशक खुद सरकार हिन्दुस्तान की जनता की तरक्की के लिए फिरकमंद है। अगर मौजूदा हालात को ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत के वक़्त की हालात से मिला कर देखा जाए तो वह तरक्की, जो ब्रिटिश हुकूमत ने हिन्दुस्तान की जनता को दी है, देखकर सचभूच ताज्जुब होता है। सरकार अब भी उनकी तरक्की और ज्यादा करने को उसी तरह तैयार है। वह जो कुछ तरक्की उचित समझती है दे रही है और देती रहेगी।— 1857 की वगावत ने—हिन्दुस्तान की तरक्की सौ साल पीछे धकेल दी थी। अगर वगावत न हुई होती तो हमारे फौजी मिजाज के सैकड़ों नौजवान बालटियर होते, आर्म एक्ट पास न किया जाता, हममें से बहुत से फौज में कप्तान और कर्नल और जनरल होते और हमने सरकार से कहा होता—अपने यूरोपीय अफसरों और ब्रिटिश सिपाहियों को नरकील मत दीजिए। देखिए हम और हम अकेले गरहद से आये बड़े और रुसियों

को व्यावहारिक सत्रक देगे कि आगे कैसे बढा जाता है और कैसे लडा जाता है।" (डॉ० मुहम्मद शान राइटिंग्स एण्ड स्पीच आफ सर सैयद अहमद खां, 1972, पृ० 104)

इस तरह सर सैयद और उनके समर्थक घोर अंग्रेज समर्थक एव सप्रदायवादी थे। वे अंग्रेजों को पुश रखकर अधिक-से-अधिक सुविधाएं और लाभ लेने के लिए प्रयत्न-शील थे। उनके इन्ही कारनामों के लिए उन्हें 'सर' की उपाधि बरूशी गई थी।

कांग्रेस की उदार और ब्रिटिश संसदपरस्त नीतियों के कारण उसमे से एक बहुत बड़ा वर्ग गरम दल के नाम मे जिन्हे राष्ट्रवादी माना जाता है अलग हो गया। लाला लाजपत राय इस ग्रुप के अगुआ बने उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा—

"अंग्रेज भीख मांगने से जितनी घृणा करता है उससे ज्यादा किसी अन्य बात से नहीं। मैं समझता हूँ कि भिखमंगा घृणा का ही पात्र है। अतः अंग्रेजो को यह दिखाना हमारा कर्तव्य है कि हम इतना समझने लगे है कि हम सब भिखारी नहीं है और हम ऐसे साम्राज्य की प्रजा हैं जिसमे लोग उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सघर्ष कर रहे है जो प्राकृतिक नियम के अनुसार उनका अधिकार है।

इस तरह कांग्रेस के अन्दर भी देशवासियों का ऐसा ग्रुप तैयार हो गया जो अंग्रेजो को अब अधिक दिन तक पर्दाशत नहीं कर सकता था। इसका केन्द्र पंजाब था यद्यपि इन पर शासन द्वारा जुर्माना, सजा आदि की गई फिर भी वे जी-हुजूरी के लिए उदारवादियों की तरह तैयार नहीं हुए। बाल गंगाधर तिलक का मराठी पत्र 'केसरी' और लाला लाजपत राय का अंग्रेजी दैनिक 'पंजाबी' अपने लेखों से जनता मे चेतना का संचार करने लगे।

इधर 1915 मे गांधीजी ने कांग्रेस में प्रवेश किया। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज काफी संकट में थे। यहां के आन्दोलनकारियों ने भी उन्हें काफी तंग कर रखा था। इस समय उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कि उन्हें सहायता करे। भारत के जन-आन्दोलनों को शान्त रखे। सयोग से राजनीतिक पटल पर गांधीजी का उदय ऐसा ही हुआ। उन्होंने अंग्रेजो की इस युद्ध में भरपूर सहायता की। उन्हें ओप्ट्य सहायुभूति के आधार पर यह लालच दिया गया था कि युद्ध समाप्त होने पर उन्हें स्वराज्य मिल जाएगा। अतः उन्होंने भी अपनी बफादारी अंग्रेजो के लिए प्रस्तुत की—

"बिना किसी शर्त के और पूरे हृदय से अंग्रेजी सरकार से (लड़ाई जीतने मे) सहयोग करना हमें जितना शीघ्र अपने लक्ष्य के समीप पहुंचा देगा उतना अन्य कोई उपाय नहीं" इसे मैं एक सम्माननीय महत्वाकांक्षा मानता हूँ कि हम साम्राज्य के लिए लडकर अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त करें" साम्राज्य की सहायता न करना राष्ट्रीय आत्महत्या के समान है।" (इन्द्र विद्यावाचस्पति : भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, पृ० 146-147)

परन्तु 19.8 मे युद्ध के बाद कांग्रेसियों को इस सेवा के बदले मे कगेड़ों का कर्ज और जलियावाला बाग का हत्याकांड मिला जिसने समूचे विश्व को दहला दिया। विश्व युद्ध पर हुए खर्च से अंग्रेजो की नैकनीयती साफ झलकती है—

"ब्रिटेन को दी गई इन भेंटों और फौज पर किए गए इतने अधिक खर्च का नतीजा

यह हुआ कि हिन्दुस्तान पर कर्ज डबोढे में ज्यादा ही गया और 1923 तक लगभग दूना हो गया। इण्डियन नैज़िरलेटिव असोसियनी (केन्द्रीय विधान सभा) में वित्त मंत्री मर वेमिल ब्लैकट के बयानव्य के अनुसार यह कर्ज जो 31 मार्च, 1914 को 411 करोड़ रुपये था, बढ़कर 31 मार्च, 1923 को 781 करोड़ रुपये हो गया।" (अधोघ्यासिंह : वही, पृ० 365 पर उद्धृत)

यह था साम्राज्यवादियों का तोहफा जोकि वधश्रीम के रूप में गांधी और उनके अनुयायियों को मिला था। अतः कांग्रेस अभी तक देश को ही राम्ने पर ले जाने में पूरी तरह असफल रही वह मदैव अंग्रेजों के इशारे पर नाचने वाली संस्था ही बनकर काम कर रही थी। यह सब असफल नेतृत्व का फल ही था—

"जब सारी दुनिया में आति की लहर फैली हुई थी और पराधीन देशों की जनता आगे बढ़कर साम्राज्य सुटेरो पर दार कर रही थी, भारतीय जनता भी राष्ट्रीय मुक्ति की आन्ति का राम्ना अपना रही थी। उगे एक आन्तिकारी नेतृत्व की आवश्यकता थी उसे लेनिन जैसे एक आन्तिकारी नेता की जरूरत थी। गांधी समेत कांग्रेस के नेता ऐसा नेतृत्व देने में घुरी तरह असफल रहे। अपने व्यवहार में उन्होंने दिया दिया कि वे आन्तिकारी नहीं महज गुधारवादी है।" (वही, पृ० 415)

अतः कांग्रेस प्रारंभ में लेकर अन्त तक समझौतापरम्त, नेतृत्व में दुतमुत्तपन और अवसरवादी चालों के कारण देश में कोई मम्मानजनक कार्यक्रम प्रम्तुत नहीं कर रही थी। इसकी ही प्रतिक्रिया स्वरूप देश में मशस्त्र आन्तिकारी उभर कर सामने आने लगे। दूसरी ओर 'किमान सभा' और 'मजदूर यूनियन' अपने-अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के पिट्टू और दलाल पूजीपति और जमींदारों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। क्योंकि कांग्रेस में प्रतिनिधित्व सुविधाभोगी उच्चवर्ग का ही था। इसलिये स्वार्थों की लपेट में 1935 तक आते-आते कांग्रेस पूरी तरह जमींदारों और पूजीपतियों के कब्जे में आ गई थी। अतः यह वर्ग अपने स्वार्थों की पूति के लिए आन्दोलन को सदैव अपने ढग से चला रहा था। इससे उसके दो कार्य पूरे होते थे। एक तो रवय उसकी सामाजिक स्थिति तो सुदृढ़ थी ही दूसरे राजनीतिक मंच पर वह इसलिए आना चाहता था कि स्वतंत्रता के वाद भी उसका वहा शेयर उमें मिले जितने उसकी शान और संपत्ति हर स्थिति में सुरक्षित बनी रहे।

परन्तु सशस्त्र आन्तिकारियों ने वलिदान किया, फासी दी, कालापानी महा परन्तु स्वार्थान्ध होकर वे राष्ट्रीय मंच पर नहीं आए। सच्चे माइने में स्वतंत्रता प्राप्ति में उनके वलिदानों का महत्वपूर्ण योगदान था। उनका उद्देश्य था कि भारत सम्मान के साथ स्वतंत्र हो परन्तु उन तमाम सुविधाभोगियों ने उनके इस सपने पर पानी फेर दिया और भारत को सन्धे जनसंघर्षों और जनान्दोलनों के बाद 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समझौता के आधार पर स्वतंत्रता मिली। परन्तु यह स्वतंत्रता दूसरे ही प्रकार से अर्जित की गई। और देश को आजादी मिलने के तुरन्त बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बयानव्य दिया—

"आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। एक क्षण ऐसा आता है, जो इतिहास में बहुत ही कम आता है जब

हम पुराने युग में नये युग में कदम रखते हैं जब एक युग खत्म होता और तब एक राष्ट्र की अरसे से दबी आत्मा बोल उठती है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उसमें भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की सौगन्ध लेते हैं।" (आर० शी० मन्जुमदार : हिस्ट्री ऑफ़ दी फ्रीडम मूवमेंट इन इण्डिया, भा० 3, पृ० 818)

इस तरह भारत आजाद हुआ। इस मिली हुई आजादी और उसके हिस्सेदारों पर अयोध्यासिंह की टिप्पणी सारगर्भित है—

"इस तरह भारत की क्रांति का एक अध्याय अर्थात् साम्राज्यवाद के विरुद्ध देश के सब वर्गों के संयुक्त मोर्चे का अध्याय समाप्त हो गया, बुर्जुआ वर्ग ने सत्तारूढ़ होकर भारतीय क्रांति को आगे बढ़ाने की जगह उसकी पीठ में छुरी भौंकने का रास्ता अपनाया... यह रास्ता अपनाकर बुर्जुआ वर्ग ने साम्राज्यवादी पूँजी की रक्षा और उसके साथ साझेदारी का सामंजस्य-जमींदार वर्ग के साथ समझौता और उससे राजसत्ता में छोटा हिस्सेदार बनाने का रास्ता अपनाया। उसने राजसत्ता के तन्त्र का इस्तेमान मजदूरों, किसानों, मध्यवर्ग आदि की शक्तियों को ध्वस्त करने में किया।" (भारत का मुक्ति संग्राम, पृ० 786)

इस तरह लंशी परंपरा और संघर्षों के परिणाम स्वरूप आजादी प्राप्त हुई। और भारतीय जनता को उससे आशा बंधी कि यह उसकी सरकार है, उसके देश और देशवासियों की सरकार है। अथ दमन और अत्याचार का अध्याय समाप्त होकर शान्ति और प्रगति का शीगणेश वह और उसके सहयोगी करेंगे। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश और देश के अन्य प्रदेशों में सबसे बड़ी पार्टी के नाम पर कई सरकारें गत्ता में रही हैं। लेकिन आज तक यह स्वतंत्रता 38 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी देश को न तो कोई व्यवस्थित कार्यक्रम दे सकी है और न उसकी प्रगति के लिए कोई ठोस कदम ही उठा सकी है। चुनाव और जनतंत्र के नाम पर हर पाँचवे वर्ष बड़े जोर-शोर का हल्ला होता है। गांधी-नेहरू के नाम अपने काले कारनामों छिपाने के लिए खूब उछाले जाते हैं परन्तु चुनाव के जीत जाने के बाद ब्रातानुकूलित कमरों में जाकर उन्हें गहरी नींद आने लगती है बायदे और कार्यक्रम एवं विकास की बातें उन्हें सपने में भी याद नहीं आती।

बड़े-बड़े पूँजीपति और जमींदार एवं सामंत राष्ट्रीय दलों से अपना रिश्ता जोड़े हुए हैं। प्रत्येक मंत्री उनके साथ बैठता है अथवा उन्हीं का रिश्तेदार अथवा परिवार का सदस्य होता है। उसी की छत्रछाया में बैंक मॉकेट और तस्करी का धन्धा खूब जम रहा है। 1950 से अब तक के राजनीतिक फलक पर पार्टियों का इन्हीं कमजोरियों और सत्तापरस्ती के कारण कई बार विभाजन हो चुका है। व्यक्तिगत स्वार्थों के टकराव ने देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सुधारों के नाम पर मंत्री और सांसद, विधायक मात्र अपने परिवार का भला करते हैं। ऊँची-ऊँची नौकरियों और लाभ के पदों पर योग्य और अयोग्य का ध्यान न रखकर रिश्तेदारी और जातिवाद का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। सरकार की ओर से मिलने वाली अकूत धनराशि केवल कांग्रेसों पर ही खर्च की जाती है और फर्जी विकास दिखाकर उद्घाटन और समापन के नाटक

पूरे किये जा रहे हैं। किसानों और मजदूरों को सरकारी तौर पर मिलने वाली कृषि सहायता को बढ़ा भूस्वामी हड़पकर अपने उद्योगों और लाभ के कामों में ले रहा है। कृषि विकास के नाम पर वी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० जैसे ब्लॉक स्तर के अधिकारी क्षेत्रीय राजनीति के शिकजे में फंसकर नेतागिरी करने लगते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो शासक दल उन्हें स्थानांतरित अथवा रिपोर्ट कर उनकी पदोन्नति में रुकावट डाल देगा।

हरिजनों की रहनुमाई करने वाली सरकार आज भी उनके आरक्षित पदों को पूरा नहीं कर पाई है। किसी-किसी विभाग में तो उनकी संख्या नहीं के बराबर है। गांव और कस्बों में वे आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक की तरह जीवन जी रहे हैं। युवा सगठनों ने समाज में शासन से मिलकर बहुत ही लज्जाजनक स्थिति पैदा की है। शासन की छाया में वे उससे या उससे सम्बन्धित सगठन के पदस्थ होने के नाते सफेद कूर्त-पाजामा में हर समय आखों पर चश्मा लगाये अनैतिक कार्यों में संलग्न हैं। अतः आजादी के बाद भी सही नेतृत्व न होने के कारण देश को वस्तुनिष्ठ प्रशासन अभी तक नहीं मिला है। अशिक्षित जनता उसे गांधी, नेहरू के बहाव में अवसर चुन तो देती है परन्तु उसके दुःख-दर्द की चिंता कभी भी शासक दल को नहीं रही है। 'बहुत-सी समस्याएँ हैं' इस तरह की घिसी-पिटी बातों से मात्र जनता का मन-बहलाव किया जाता है। उसकी मूलभूत कठिनाई को जानते हुए भी अनदेखा ही किया जाता है।

सुधारवादी सामाजिक आंदोलन

भारत में सामाजिक स्तर की बड़ी पेचीदी भूमिका रही है। काम के आधार पर बाटा गया मानव-समुदाय धीरे-धीरे जाति में परिवर्तित होकर समाज में रूढ़ि-भ्रस्त होता गया और उसने एक नयी व्यवस्था का पोषण किया। इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत छूत-अछूत, अवर्ण-सवर्ण, स्वामी-सेवक जैसे अनुभाग सामाजिक संरचना के अंग बनते चले गए। इस व्यवस्था का समाज के अन्दर बहुत बुरा अमर पड़ा। सभी बातों में सवर्ण और अवर्ण का भेद इतना गहराता गया कि निम्न वर्गों की अस्मिता केवल सवर्णों के इशारे पर जीवित रहने लगी। निम्न वर्ग के लोगों को समाज की उन तमाम सुख-सुविधाओं से वंचित किया गया जिन्हें उच्च वर्ग के लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते थे। यहाँ तक कि उनके रहने तक के लिए सभ्य समाज से दूर गांव के किसी एक कोने पर या बस्ती से दूर उन्हें बसाया जाने लगा था। यद्यपि इन निम्न वर्गों की दशा सुधारने में समय-समय पर कुछ समाज-सुधारकों, सतों और लोक-नायकों ने प्रयत्न किए परन्तु वे सब सतही तौर पर थे। कोई ठोस कार्यक्रम न होने के कारण यह सब क्षेत्रीय और वैयक्तिक स्तर तक ही सीमित रह गया। डॉ० अम्बेडकर ने उच्चवर्ग और निम्न-वर्ग के वैषम्य को स्पष्ट करते हुए कहा था—

“हिन्दुस्तान देश माने केवल विपमता का आश्रय स्थान है। हिन्दू समाज उसकी एक मीनार है और एक-एक जाति उसकी एक-एक मंजिल है। लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि इस मीनार में सीढ़ी नहीं लगी है। एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए उसमें मार्ग नहीं रखा गया है। इस मंजिल में जो जन्मे, उसी मंजिल में बह मरे। नीचे की मंजिल में जन्मा व्यक्ति चाहे वह कितना भी लायक क्यों न हो, उसे ऊपर वाली मंजिल में प्रवेश नहीं और ऊपर की मंजिल में जन्मा व्यक्ति चाहे कितना भी नालायक क्यों न हो, उसे नीचे की मंजिल पर ढकेलने का साहस भी किसी में नहीं।” (धनंजय कीर्. विश्वभूषण डॉ० वावासाहेब अम्बेडकर, 19:0, पृ० 21)

परन्तु आधुनिक युग में विशेष रूप में 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से छूत-अछूत, नारी शिक्षा, मूर्तिपूजा, विधवा, दहेज, अनमेल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा आदि के बारे में बड़े व्यापक रूप में बुद्धिजीवियों और चिंतकों का इस ओर ध्यान गया। सामाजिक कुरीतियों पर आधुनिक काल में संगठनात्मक रूप में चोट की गई और सुधारवादी आन्दोलन समाज को एक नई दिशा देने के लिए बड़ी तेजी से चलने लगे—

“भारत में मध्ययुगीन कार्य के विरोध में धर्म-सुधार आन्दोलन का जन्म हुआ, क्योंकि मध्ययुगीन धर्म जाति जैसी संस्थाओं का पोषण करते थे, जो देश में नए अर्थ-तंत्र के विकास और भारतीय जनता की राष्ट्रीय एकता के रास्ते में जबरदस्त रुकावटें पैदा करती थी। बहुदेववाद आत्मा का हनन करने वाले निरर्थक धार्मिक कर्मकाण्ड, धार्मिक रूढ़ियों आदि के विरुद्ध भी संघर्ष हुए, क्योंकि ये जनता की आलोचनात्मक बौद्धिक शक्ति को कमजोर करती थी। यह धर्म-सुधार आन्दोलन तथ्यतः राष्ट्रीय थे, लेकिन रूपतः धार्मिक।” (ए० आर० देगाई : भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ० 229)

इस तरह पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इन समस्याओं का सुधार संगठन के रूप में किया जाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अछूत जो सदियों से अस्पृश्य माना जाता रहा उसे बराबरी का हक और उठना-बैठना देने के लिए जगह-जगह से बुद्धिजीवियों और समाज-सुधारकों ने सामूहिक प्रयास किए और स्वयं को समर्पित कर समाज में परोपकार की भावना की नींव डाली। नारी जिसे मात्र घर की चहारदीवारी में बंद करके उसके सामाजिक जीवन का शोषण जो युगों-युगों से चलता आ रहा था आधुनिक काल में अब उसके ऊपर प्रश्नचिह्न लगने लगा। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से उसे स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता मिली। विधवा जो कि समाज में जीवित लाश की तरह अपना अस्तित्व रखती थी नारी जीवन की सबसे अधिक और सबसे बड़ी विसंगति थी। नारी की इच्छा और सलाह की परवाह किए बिना आदर्श और नैतिकता के नाम पर पुरुष-वर्ग ने उसके शरीर से खिलवाड़ करने के लिए अनमेल वर से विवाह की योजना के अनुसार उसका खूब शोषण किया। परन्तु आज स्थिति बदली है। आधुनिक शिक्षा और जीविका के साधनों ने उसे सामाजिक सम्मान देकर पुरुष के बराबर ला खड़ा किया है। सुधारवादी आन्दोलनों से उसे अपने संगठन का एक आधार मिला है। इन समाज-सुधार आन्दोलनों

में 'ब्रह्म समाज', 'आर्य समाज', 'प्रार्थना समाज', 'रामकृष्ण मिशन', 'असीमद आन्दोलन' आदि की प्रमुख भूमिका रही है।

ब्रह्म-समाज

आधुनिक भारतीय समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाला पहला गुधारवादी आन्दोलन ब्रह्म-समाज था जिसे आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक राजा राममोहन राय ने सन् 1828 में प्रारंभ किया। यद्यपि राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण बहुत उदार था। वे इस्लाम के सिद्धान्तों, सूफियों के रहस्यवाद, ईसाई धर्म की नैतिक शिक्षा आदि में बहुत विश्वास करते थे। वे धर्म के मामले में तर्कों को प्रधानता देते थे। उन्होंने बुद्धिवादी दृष्टिकोण में कार्य की व्याख्या प्रस्तुत की। वे मदैव अनावश्यक व्यक्ति अथवा वस्तुओं को सामान्य में विशेष बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मदैव यह विचार बना रहा कि व्यक्ति को स्वयं बिना किसी दिग्गजे और पुरोहित के माध्यम के बिना स्वयं धर्मशास्त्रों का पाठ करना चाहिए और किसी सिद्धान्त को अंधानुकरण न कर उसकी तर्क-संगत पुष्टि अनिवार्य है। जो तर्कों के माध्यम में खण्डित हो अथवा उगमें किसी भी प्रकार का सार न हो उसे निःसंकोच छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मदैव से हिन्दू समाज पर हिन्दू धर्म की रुढ़िवादी और अंधविश्वासी परम्पराओं का नियंत्रण था। अतः उन्होंने धर्म-मुधार के साथ-साथ समाज-मुधार को भी अपने मुधारवादी उद्देश्यों में शामिल कर लिया।

ब्रह्म-समाज ने सबसे पहली चोट भारत के दक्षिणानुशी समाज की जाति-व्यवस्था पर की। उन्होंने जाति-व्यवस्था का घोर विरोध किया और उसे राष्ट्र-विरोधी अमानुषिक घोषित करते हुए एक मणवत आन्दोलन की शुरुआत की। ब्रह्म-समाज ने 'मती प्रथा' और 'वाल विवाह' के विरुद्ध संघर्ष किया और विधवाओं के पुनर्विवाह और स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों का समर्थन किया। यह मुधारवादी आन्दोलन आधुनिक शिक्षा का प्रबल समर्थक था। इसने पहली बार नारी स्वतन्त्रता की आवाज उठाई और उसे स्वावलम्बी बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा को अनिवार्य किया। ब्रह्म समाज केवल धर्म की सीधियों में ही नहीं घुमडता रहा उसकी राष्ट्रीय कार्यो पर भी गहरी नजर थी सरकार के दमन के खिलाफ उसने जनमत तैयार किया—

"ब्रह्म-समाज राष्ट्रवादी आन्दोलन का अग्रणी था। राष्ट्रीय आन्दोलन जो मुधार आन्दोलन के तौर पर शुरू हुआ और जिसका उद्देश्य था सत्तावादी कार्य के विरुद्ध बोल से व्यक्ति को मुक्त करना, सत्तावादी धर्म जो व्यक्ति की पहल शक्ति का गला घोट देता था और व्यक्ति एवं जनमानस को जडवत बना देता था। ब्रह्म-समाज ने व्यक्ति स्वातन्त्र्य, राष्ट्रीय ऐक्य और सहकर्मण एव सामाजिक संस्थाओं और सम्बन्धों के प्रजा-तन्त्रीकरण के सिद्धान्तों को घोषित कर भारतीय जनता के लिए नए युग का सृजन किया। भारतीय जनता के राष्ट्रीय जागरण की यह पहली संगठित अभिव्यक्ति थी।" (वही, पृ० 231)

यह आन्दोलन बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बड़े जोरों से चला और समाज में बड़े

क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रकाश में आए। जनता दम आन्दोलन के प्रति बहुत आकर्षित हुई।

प्रार्थना-समाज

1867 में केशवचंद्र सेन, गोविन्द रानाडे, रामकृष्ण भण्डारकर आदि ने बम्बई (महाराष्ट्र) में प्रार्थना-समाज की स्थापना की। दक्षिण भारत में इस सामाजिक आंदोलन ने काफी उल्लेखनीय कार्य किया। यद्यपि दम समाज के जाति-पाति तोड़ने, अछूतों की दशा सुधारने, स्त्रियों को सम्मान और समता का दर्जा देने, विधवा विवाह कराने, अनायालय गोलने, विधवाश्रम चलाने आदि प्रमुख कार्यक्रम ब्रह्म-समाज से काफी मिलते-जुलते थे फिर भी जन्टिंग एम० जी० रानाडे आदि ने अपने वैयक्तिक प्रयासों से समाज में एक चेतना लाने का प्रातिकारी कार्य किया। प्रार्थना-समाज ने समाजोत्थान के लिए दक्षिण भारत में विशिष्ट भूमिका निभाई।

आर्य-समाज

1875 में दयानन्द सारस्वती ने आर्य-समाज की स्थापना की। उन्होंने हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज की कुरीतियों और अन्धविश्वासों का बहुत ही प्रभावशाली दम से विरोध किया। यह आन्दोलन ब्रह्म-समाज एवं प्रार्थना-समाज से दूसरे ही तरह का था। इस आन्दोलन ने अतीत की सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से वर्तमान की व्याख्या प्रस्तुत की। आधुनिक पतन का कारण उन्होंने 'वेद' के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना माना है।

यह समाज जाति-व्यवस्था को जन्म से मानने का घोर विरोधी रहा है। यह 'वेदों' द्वारा शुद्धिकरण के सिद्धान्त पर बल देता है। 'आर्य-समाज' सामाजिक और शैक्षिक मामलों में स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों का समर्थक रहा है। उन्होंने स्त्री की देवी और सृष्टिमिणी के स्वरूप में मानकर उसकी शोषित प्रकृति में मुक्ति का जिहाद छेड़ा।

'आर्य-समाज' ने विदेशी शासन का जमकर विरोध किया। उससे सघर्ष करने के लिए उन्होंने जनता में आन्दोलनात्मक रुख अपनाया—

"इसने लोगों में शिक्षा का प्रसार किया। जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग आदि के विभेदों के बावजूद मानव मात्र की एकता के सिद्धान्त का उद्घोष किया। गुलाम देश की प्रजा होने के नाते उनमें अनिवार्यतः जो हीन भावना घर कर गई थी, उसे समाप्त करने की भी 'आर्य-समाज' ने काफी कोशिश की थी।" एक जमाने में तो 'आर्य-समाज' सरकार दमन नीति का मुख्य लक्ष्य था। इसमें शायद ही कोई आश्चर्य की बात है कि जब 1907 में वाद की उथल-पुथल की जाय करने 'लन्दन टाइम्स' की ओर से सर विलेटा इन शिरिल भारत आया तो उसने आर्य-समाज को इंग्लैंड और राज्य सत्ता के लिए बहुत ही खतरनाक बतलाया।" (वही, पृ० 233)

‘आर्य-समाज’ के मुख्य ग्रन्थ ‘सत्यार्थ प्रकाश’ का प्रामाणिक सम्करण 1883 में प्रकाशित हुआ। ‘आर्य-समाज’ की राष्ट्रवादी भूमिका प्रारंभ से रही है। यह आर्य-संस्कृति के सिवाय दूसरी संस्कृति को स्वीकार करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। दयानन्द सरस्वती ने कहा था—

“कोई कितना ही कहे, परन्तु स्वदेशीय राज्य सर्वोपरि होता है—विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन यह समुदाय नहीं हो सकता।” (इन्द्र विद्यावाचस्पति : भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, पृ० 23)

आर्य-समाज की विचारधारा पर बहुत से गुरुकुल एवं स्कूल और कालिजों की स्थापना हुई। स्त्री-शिक्षा के लिए कन्या गुरुकुल आदि खुले। इस आन्दोलन का प्रचार उत्तरी भारत में बड़े जोरों से किया गया और यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ। आज भी भजन, कीर्तन और प्रवचनों के माध्यम में दोग, आडम्बर आदि का इस धर्म के अनुयायी जमकर खण्डन कर रहे हैं।

रामकृष्ण मिशन

स्वामी विवेकानन्द ने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर उनके आदर्शों और शिष्याओं को समाज में प्रसारित करने के लिए ‘रामकृष्ण मिशन’ की स्थापना 196 में की। इन्होंने आत्म-चिन्तन और आत्म-विश्लेषण के माध्यम से समाज को अच्चे और बुरे मार्गों की पहचान करने का आग्रह किया। यह मिशन ‘मानव’ को केन्द्र में रखकर चलता था। इस धर्म का दृष्टिकोण बहुत ही उदारवादी था। विभिन्न कार्यों और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को भी इसमें प्रवेश पाने की खुली छूट थी। आज भी इस समाज की ओर में पाठशालाएँ, चिकित्सालय, पुस्तकालय, वाचनालय आदि उपयोगी संस्थाएँ निर्धन और अमहाय लोगों के लिए चलाई जाती हैं। अशिक्षा को दूर करना इस मिशन का परम लक्ष्य था।

थियोसॉफिकल सोसायटी

देशी सामाजिक समस्याओं के साथ-साथ भारत में कुछ विदेशी समाज-सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आन्दोलन चलाए। इन आन्दोलनों में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में न्यूयार्क में हुई। इसकी स्थापना करने वाले कर्नल मील अल्काट और मैडम ब्लावट्स्की थीं। ये दोनों 1879 में भारत में आये और उन्होंने मद्रास के निकट अड्चार को अपनी सोसाइटी का केन्द्र बनाया। 1893 में श्रीमती एनी बेसेन्ट ने इस सोसाइटी में सम्मिलित होकर भारत के उत्थान के लिए अपना बहुमूल्य योग दिया।

इस आन्दोलन का भारतीय सदस्यों में यहाँ की जनता के लिए इसलिए महत्त्व है कि यह गैर-भारतीयों द्वारा भारतीयों की दशा सुधारने में पहला रचनात्मक कार्य करता था। इस धर्म ने हिन्दू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और उनके पुनर्जन्मवाद को स्वीकार किया।

इसने जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, प्रजाति और यौन भेद आदि से ऊपर उठकर विश्व-बन्धुत्व का संदेश दिया। इस समाज की सबसे बड़ी लोकप्रियता का कारण सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना था—किसी धर्म-विशेष के प्रति आप्रह अथवा दुराग्रह रखना इस सोसाइटी में नहीं था। समाज के नैतिक उत्थान के लिए उसकी असंगतियों को दूर करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था।

इनके अलावा कुछ राजनेता भी समाज की कुरीतियों का खण्डन कर समाज को एक नए रास्ते पर ला रहे थे। विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, तिलक और गांधी जैसे नेता सामाजिक असमानता के बारे में निरन्तर सोचते थे। समाज के इस वैषम्य को उन्होंने राष्ट्रव्यापी मानकर उसे राजनीतिक आन्दोलनों की रूपरेखा में शामिल किया। डॉ० अम्बेडकर ने हरिजनों के उत्थान के लिए बड़ा संघर्ष किया और उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए राजनीतिक प्रथम की जोरदार बकालत की। अछूतों को सामाजिक और राजनीतिक सम्मान के लिए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान उन्हीं के प्रयासों का मुपरिणाम है।

इस तरह इन तमाम समाज-सुधारों का असर भारतीय जनता पर पड़ रहा था। कार्य-प्रचारक जनता के निकट पहुंचकर उन्हें उनकी स्थिति में परिचित कराते थे। अतः लोक-जीवन में इन सुधारवादी आंदोलनों का व्यापक प्रभाव पड़ा। लोग इनके क्रान्तिकारी विचारों को स्वीकार कर उन्हें अमल में लाने लगे।

स्वतंत्र भारत में जमींदारी उन्मूलन और ग्रामांचल

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय नेताओं ने देश के विकास के लिए योजनावद्ध कार्यक्रम निर्धारित किए जिसमें कृषि को सर्वोच्च वरीयता दी गई थी। किसानों और मजदूरों को सामंतों और जमींदारों के शोषण से मुक्त करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही 'जमींदारी उन्मूलन' इसी आशय के साथ किया गया। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषक और मजदूर की जिन्दगी को सुधार लाने का पहला शासकीय प्रयास था—

“भारतीय कृषि और भूमि व्यवस्था के पुनरुद्धार की दशा में लागत उपजीवी जमींदार और जागीरदार वर्ग के अधिकारों और आधिपत्य को किसी हद तक सीमित करा कर कृषि विकास की पूर्ण स्थिति या पैदा की।” (डॉ० पूरन चंद जोशी : भारतीय ग्राम सांस्थानिक परिवर्तन और आर्थिक विकास, 1966, पृ० 44)

वास्तव में किसानों की जमींदारों के चंगुल से निकालने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने की दिशा में यह सरकार का राजनीतिक प्रयास था—

“जमींदारी उन्मूलन का एक आधार आर्थिक कारण ही नहीं राजनीतिक भी था। और वह था जमींदार और जनता के बीच सदैव से चला आया संघर्ष। उसी के परिणाम-

स्वरूप जमींदारी उन्मूलन हुआ।" (डॉ० रामविहारी सिंह तोमर : ग्रामीण समाज-शास्त्र, पृ० 413)

सदियों से चली आ रही इस परम्परा का अन्त सैद्धांतिक तौर पर हो गया परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह आज भी तनाव का कारण बना हुआ है। अंग्रेजों द्वारा पैदा किया गया यह वर्ग उनके साथ रहकर शोषण, अन्याय और बेईमानी की तमाम हरकतों से परिचित था। उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी तमाम समझ शोषण और बदनीयत को समझने में ही लगाई थी। अतः इस वर्ग की नस-नस में कुटिलता का खून दौड़ रहा था।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस वर्ग की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका महज इसीलिए थी कि वह सामाजिक सम्मान के साथ-साथ राजनीतिक सम्मान भी अर्जित करे। इसी लिए इसने क्रांतिकारी या गरमदलीय अथवा किसानों और मजदूरों के किसी भी मगठन का सहयोग नहीं किया था। उसने सहयोग किया था कांग्रेस का। पूरे जोर से जेल जाने, मार खाने, सजा भुगतने, नजरबन्द रहने के विदेशी जुल्म उठाने महज इसलिए सहन किए थे कि स्वतंत्रता के बाद भी राजनीतिक स्थिति में वह साझीदार होगा। उसके वर्गीय स्वार्थों का हित साधन होगा। और यही नहीं वह शिक्षित होने के बलवृत्त पर शासकीय हस्तक्षेप भी करेगा। और वास्तव में हुआ भी यही। उसने आजादी के बाद अपने और अपने वर्ग का ही भला किया। आज जनता के दुःख-दर्द की आवाज उसने कभी नहीं सुनी।

'जमींदारी उन्मूलन' यद्यपि उनके हाथ से जाता हुआ स्वामित्व था फिर भी उन्होंने उसमें तीन-पाच लपाकर चल-अचल संपत्ति के नाम पर ब्राह्म-बगीचे, तालाब, चरागाह आदि की आड़ में हजारों एकड़ की जमीन अपने बालिग-नाबालिग परिवारी सदस्यों के नाम लिखाकर उसकी तो सुरक्षा की ही साथ में सरकार की ओर से मुआवजे के लिए कानून पाम करा लिये।

इस शासकीय संरक्षण एवं अपने अधिकार के माध्यम से उसने पुनः देहात में अपने दरबार कायम किए हैं। खेती को उद्योग के रूप में इस्तेमाल कर उत्पादन के माधनों पर फिर से कब्जा करके उसने बड़े भूस्वामी और पूँजीपति की मिट्टी-जुली भूमिका का प्रदर्शन किया है। डेनियल थर्नर ने इस सत्य को अपनी पुस्तक में स्पष्ट करते हुए लिखा है—

"विहार में जमींदारी उन्मूलन के बाद भी पाच सौ या सात सौ ही नहीं एक हजार एकड़ की जमींदारियाँ साधारणतः हैं। इस रूप में अरब में भी जमींदारों के पाम काफी जमीन है।" (एप्रारियन प्रास्पेक्ट इन इण्डिया, 1956, पृ० 34)

जमींदारी उन्मूलन ने भारत के गाँवों में एक अजूबा वातावरण पैदा कर दिया। यह व्यवस्था हुई तो आम जनता को सहूलियत देने के लिए थी लेकिन इसका दुष्परिणाम ही सामने आया। सरकार में उन्हीं जमींदारों के नाते-रिश्तेदार थे, सरकारी कार्यालयों और ऊँचे-ऊँचे आहूदों पर इन्हीं के मर्बन्धी थे। अतः कानून के छोटे में छंद में हाथी निकालने की बात इन्हीं लोगों ने मिट्ट कर दिखाई।

जमींदारी उन्मूलन मस्ये पहलें बिहार प्रांत की सरकार ने 1950 में लागू कर दिया था और विशेष बिल के माध्यम में जमींदारों की कुल आय की उमें ठेकर 20 गुनी रकम तक उन्हें मुवा बर्ग के रूप में देने का वचन भी सरकार ने अपने इन छुटभइयों को दिया । उत्तर प्रदेश सरकार ने जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिए ध्यापक कदम उठाए । परन्तु धान्ताक जमींदारों ने कानूनी शरण लेकर काफी दिनों तक न्यायालयों में पैसों के बन्ध पर अपीलें टोताते रहे और जानबूझकर अगाकानी करते हुए चगतें समय शोषण और जमीन बेचने की प्रशिया शुरू कर दी । चुपके से जमीन कम कीमत में बेचकर वे राकम बटोरते रहे । 'जो गये सो हाथ' वाला गिद्वान्त अन्त में काम आ रहा था । परन्तु न्यायालय में अधीन चारिज होती गई और उनकी अमलदारी उठनी गई । परन्तु वे चोरी-छिने आज भी नाम बदल-बदल कर बड़ी काशत वाले किमान बने हुए हैं—

“उत्तर प्रदेश में 58 प्रतिशत भूमिधर पुराने जमींदार हैं ।” (वलजीत मिह, नेवस्ट स्टेप इन विनेज इण्डिया, पृ० 75)

मध्य प्रदेश में इजारेदारी, राजस्थान में जागीरदारी और बिस्तेदारी जैसी भूमि-व्यवस्था सर्वेधी प्रधाए किसानों से लगान बमूलने के लिए थी । स्वतन्त्रता के प्रथम आनोरु में उन्हें भी समाप्त कर दिया गया और वहां भी उत्तर प्रदेश जैसे भूमिधर किमानों की तरह धानेदार किमान ऐनी के सच्चे मातिक बने । इम तरह जम्मू और कश्मीर प्रांत को छोड़कर सभी राज्यों में यह प्रथा उठा ली गई । जम्मू कश्मीर में बटाईदारी प्रथा थी और वे बटाईदार आजादी में गिरगिट की तरह रग बदलकर भारत अधिचून कश्मीर में दल विशेष से जुड़ गए और सत्ता का भरपूर प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी इम परम्परावादी व्यवस्था को बनाए रखा और आज भी हिन्दुस्तान-पाकिस्तान वाली राजनीति पर उनकी धन में बशी बज रही है । इम व्यवस्था को देखते हुए वलजीतमिह ने स्पष्ट कहा था—

“भूमि सुधारों ने स्पष्टतः कृषि व्यवस्था में कोई संस्थानत परिवर्तन नहीं हुआ ।” (वही, पृ० 75)

जैसाकि पहलें कहा जा चुका है कि जमींदार सैकड़ों वर्षों में बिना ताज के बादशाह थे । उन्होंने अपनी जमींदारी के अमल में किसानों का जमकर शोषण किया था । वे आसानी से अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोट सकते थे । अधिकार और हुकूमत की लालसा मरते दम तक माय थी । अतः पहलें तो उन्होंने जमींदारी प्रथा उठने की भनक सुनते ही फाजिल जमीन बेचकर काफी सम्पत्ति इकट्ठी कर ली थी । दूसरे उमके मुआवजे के रूप में मिलने वाली राशि से उमने खेती का औद्योगीकरण प्रारंभ कर दिया जिससे उसके यहां प्रत्यक्ष न मही परेक्ष रूप से लक्ष्मी बनवाम बन गया ।

जमींदारी उन्मूलन से अच्छाई कम बुराई ज्यादा सामने आई है क्योंकि जमींदार ने फाजिल जमीन को खाते-पीते नवधनाढ्य को बेचा था । और शक्ति और पुराने रोबदाव से किमान को डरा धमकाकर उमने उमसे जमीन की बेदखली ले ली थी । इसलिए इसने गाव में एक नए 'बड़े भूस्वामी' को पैदा किया जो कि देहाती जीवन में सबसे अधिक

पानक मिद्ध हो रहा है।

“देहात में एक ऐसे वर्ग का विकास हुआ है जिसका चरित्र कई दृष्टियों से नया है। इस नए उभरे हुए वर्ग में भूस्वामियों और पूजीपति दोनों के सम्मिलित गुण दृष्टिगोचर होते हैं। जिसमें पुराने जमींदार की कुटिलता और पूजीपति वर्ग की चतुराई और निर्ममता का सम्मिश्रण है।” (डॉ० कुवरपालसिंह: हिन्दी उपन्यास : सामाजिक चेतना, पृ० 155)

अतः देहात में अब इस आगे-पीछे की दौड़ में तनाव की स्थिति बन गई है। बड़े किसानों और मजदूरों में सीधा मघर्ष एक नए अलगाव की मानसिकता को बनाता जा रहा है। ‘मी और मेरा’ के बीच गाव का दायरा अब सिमटकर ‘चौपाल’ के रूप में रह गया है। मजदूर दिन-पर-दिन महंगाई और कर्ज में डूब रहा है। दूसरे बड़ा भू-स्वामी और जमींदार शिक्षित और धनवान होने के कारण शासन द्वारा प्रदत्त कृषि-सुधार के नाम पर तमाम सुविधाएँ, छूट और रियायतें लेकर दिन-पर-दिन सम्पन्न होता जा रहा है।

सरकार ने खेती की दशा सुधारने के लिए राज्य, जिला और ब्लाक स्तर के कार्यों को लागू किया। ‘हरित-क्रान्ति’ ‘सघन कृषि’ जैसे कार्यक्रम खेती की हालत को सुधारने के लिए ही अपनाए गए हैं। चक्रवर्ती उन्ही में से एक कार्यक्रम है। चक्रवर्ती को लागू करने का उद्देश्य किसान के बिखरे हुए खेतों को एक जगह करना, उत्पादक और अनुत्पादक जमीन को अलग-अलग मेड़वन्दी से विभाजित करना था। यह किसानों के लिए बड़ा लाभकर कार्यक्रम था क्योंकि इससे किसान का थम और समय की बचत होती थी दूसरे वह खेती-बाड़ी को बिखरे हुए खेत होने के कारण देखभाल भी नहीं कर पाता था। दूसरे वह खेती के बिखराव के कारण ही सिंचाई आदि के माध्यमों का समुचित उपयोग नहीं कर पाता था। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम को प्रत्येक प्रान्त में लागू किया गया। परन्तु यह कार्यक्रम ग्राम-प्रधानों, पटवारियों और सी० ओ० आदि के भ्रष्ट आचरणों और लालची वृत्ति के कारण सफल नहीं हो पा रहा है। रिश्वत लेकर भले-बुरे चक्र काटना, अच्छी जमीन को बड़े किसानों और खराब जमीन को गरीबों को देना, घूस लेकर ‘जमीन की मालियत’ के नाम पर किसानों को टगना आदि भ्रष्ट चाल-चलन के कारण यह कृषि-विक्रम कार्य उपयोगी होते हुए भी नहीं चल पा रहा है। इस कार्यक्रम में सरकार का दुलमुल रवैया, सरकारी अफसरों की रिश्वती भूमिका ने अशिक्षित किसानों का खूब शोषण किया। यद्यपि कृषि-विकास योजनाओं के अन्तर्गत सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में हरित-क्रान्ति, सहकारी खेती, आदि कार्यक्रम लागू किए हैं परन्तु उनका लाभ किसानों को भरपूर नहीं मिला। हरित-क्रान्ति के अन्तर्गत नए-नए मंकर-बीजों के प्रयोग, रासायनिक खाद और सिंचाई के साधनों में निर्युत नल-कूपों की व्यवस्था से देश की खाद्य समस्या को मुलजानने का प्रयास किया। उन्नतशील बीज, उन्नतशील कृषि-यन्त्र, ट्रैक्टर, मेस्टन हल, शेर आदि के माध्यम से थम और समय की बचत करके अधिक पैदावार लेने की योजना रही है। सहकारी खेती के लिए को-ऑपरेटिव सोसाइटी और को-ऑपरेटिव सीड स्टोर जैसे सहकारी प्रावधान सरकार की ओर से जिनमें आपम में मिल-जुलकर सहयोग में लेती करना था।

परन्तु यह सब कार्यक्रम मात्र दिखाने के रहे क्योंकि उनके पीछे कड़ा सरकारी सरक्षण नहीं था। इन सब कार्यक्रमों से एक पूजीवादी व्यवस्था को ही बढ़ावा मिला है। परतन्त्र भारत में गरीब किसान का शोषण गिने-चुने लोग करते थे परन्तु आजाद भारत में उसे सुबह घर की दहलीज से निकलकर शाम को लौटने के वक्त तक न जाने कितने समझौते, कितनी गिड़गिड़ाहट और कितने भले-बुरे शब्द मुनने पड़ते हैं इसे स्वयं वह गरीब भी अपनी गरीबी के कारण सहता-मुनता अनदेखी करता है। वही कभी कर्ज से मुक्ति के लिए गांव से शहर और कल-कारखानों में आकर शरण लेता है और वापस लौटकर जब वह तीज-त्योहारों पर घर जाता है, तो फिर वही महाजन सूदखोर और बड़ा भूस्वामी घेरकर बैठा रहता है। उससे आज फिर कर्ज में बेगार लेने की प्रवृत्ति पनपती जा रही है।

इस तरह नागार्जुन ने इस समूचे राष्ट्रीयफलक को अपने उपन्यासों की कथा-वस्तु में लिया है। अंग्रेजी शासन, जमींदारी व्यवस्था, गरीब किसान और मजदूर का शोषण आजादी के बाद बदलते हुए भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप की कथा में सजोकर पाठक को अपने आचलिक परिवेश से जुड़ने का कारण स्पष्ट किया है जिसे अगले शीर्षक में स्पष्ट किया गया है—

नागार्जुन की सोद्देश्य आंचलिक संपृक्तता

औद्योगिक क्रान्ति के बाद भारत के कृषि और कुटीर उद्योग-धन्धों के विनाश से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शोषण की नीति से भारतीय ग्रामीण जीवन पर गहरा आघात लगा। इसी की प्रतिक्रिया में देहाती समुदाय ने स्वतन्त्रता की लड़ाई में बलिदानी भूमिका निभाई थी। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उसके सारे सपने बिखर गए। उससे विदेशों की गुलामी तो टूटी परन्तु देश वालों ने उसे फिर से गुलाम बनाना शुरू कर दिया। स्वतन्त्रता के बाद भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार उसके लिए सफेद हाथी की तरह सन्नित हुए। पंचवर्षीय योजनाओं से मिलने वाले तमाम लाभ उसके क्षेत्र के बड़े-बड़े बाबू भाई भी लेते रहे हैं। जमींदारी तो टूट गई परन्तु हक की जमीन उस किसान को नहीं मिली जो वर्षों से गुलाम की तरह खून-पसीना एक करता हुआ दिन-रात की परवाह किये बिना मेहनत में लगा रहा। क्षेत्रीय एम० एल० ए० और एम० पी० उसके वर्ग की समस्याएं विधान भवन तथा संसद में न रखकर उन सेठों और पूंजीपतियों का भला करने में लग गए जिनसे उन्होंने जारों के चन्दे चुनाव के समय आपसी लेन-देन के समझौते में लिये थे। बेचारा किसान मजदूर इस पैसे के खेल में तमाशा बनकर रह गया। उसकी दुःखदकहानी को किमी ने नहीं सुना।

अतः इस पूरे बड़े पैमाने पर हुए व्यापक परिवर्तन का प्रभाव ग्रामीण जीवन पर पड़ा। गांव का किसान आज फिर अपनी वैयक्तिक अस्मिता के लिए मंघपों के रास्ते पर

आने लगा है। वह अपनी इज्जत-आवरू और राजनीतिक एवं सामाजिक सम्मान के लिए फिर बलिदानी भूमिका निभा रहा है। इसी परिवर्तन का विभिन्न स्तरों पर स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी-साहित्य में विशेष रूप से उपन्यास साहित्य में लिया गया है। ग्रामीण जीवन में होने वाले भूमि-सम्बन्धी राजनीति सम्बन्धी एवं समाज-सम्बन्धी परिवर्तनों को इन उपन्यासों ने अपनी कथा-वस्तु के रूप में सीधा-सीधा ग्रहण किया है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हिन्दी-साहित्य की आलोचना का यह दुर्भाग्य रहा है कि वह नेबिलवारी रही है। इन ग्रामीण जीवन-सम्बन्धी उपन्यासों पर उसकी कृपा 'आचलिक उपन्यास' कहकर हुई और इनके माथ शैली पक्ष को लेकर उनकी व्याख्या प्रस्तुत की जाती रही है। डॉ० कुवरपालसिंह ने आलोचना की इस चौखटबन्दी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा है—

“वाम्भव में बदलती हुई ग्रामीण व्यवस्था पर लिखे गए उपन्यासों के 'आचलिक' उपन्यास का उनका महत्व कम किया जाता रहा है। और इस वास्तविकता पर परदा डालने का प्रयास किया गया जिसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। इन उपन्यासों ने तीन-चौथाई भाग में हो रहे गम्भीर परिवर्तनों की ओर उपन्यासों के पाठकों और आलोचकों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया था परन्तु इन्हें किसी अंचल विशेष की परिस्थितियाँ और समस्याएँ कहकर नकार दिया गया।” (वही, पृ० 156)

वास्तव में आज का दृष्टिकोण केवल विज्ञापन का शिकार हो रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में मृत्यु को ओछे तर्कों से दवाने की लम्बी परम्परा रही है। परन्तु जागृक लेखकों ने इस आचलिकता को सीद्देश्य ग्रहण किया है। उन्होंने अपनी कृतियों में इस बात की पुष्टि भी की है। उदाहरण के लिए फणीश्वरनाथ रेणु के 'मैला आचल' उपन्यास के प्रथम संस्करण की भूमिका में दिए गए वक्तव्य को देखा जा सकता है—

“यह है 'मैला आचल' एक आचलिक उपन्यास। कथांचल है पूर्णिया। पूर्णिया विहार राज्य का एक जिला है... इसके हिसै के एक ही गाँव की पिछडे गाँवों का प्रतीक मानकर इस किताब का क्या क्षेत्र बनाया है! इसमें फूल भी है शूल भी, धूल भी है गुलाब भी, कीचड़ भी है चन्दन भी, सुन्दरता भी है कुरूपता भी, मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया।” (फणीश्वरनाथ रेणु - मैला आचल, प्र० सं० की भूमिका में)

डॉ० शिवप्रसादसिंह ने अपने उपन्यास 'अलग-अलग वीतरणों' में इसी ग्रामीण-जीवन की परिभाषा उन्होंने वहाँ की जमीन में जोड़कर दी है—

“माय कोई आदमी है कि उमका कुछ होता रहेगा। अरे भाई यह तो छेमा है। कभी उषडता है कभी गडता है। कभी बुरे दिन आते है कभी अच्छे दिन आते हैं।... असनी चीज तो धरती है... धरती ही मज-मुछ होती है। विबिन बाबू ! उसके बिना आदमो का मुजर नहीं।” (संस्करण बर्द 1967, पृ० 687)

वाम्भव में हिन्दी-साहित्य का आचलिक जीवन की ओर धुमाव गोद्देश्य रहा है। कविता के क्षेत्र में भी यही प्रवृत्ति हमें महज रूप में दिखाई देती थी। भगवतीचरण वर्मा की 'भैसापाड़ी', रामधारीसिंह दिनकर की 'वन फूलों की ओर', गुमिथानन्दन पंत की

'ग्राम्या' आदि इसी सृज झुकाव का परिणाम है। डॉ० विजयेन्द्र स्नातक ने इसी सोद्देश्य आंचलिकता पर 'साप्ताहिक हिन्दुमान' में लिखा था—

“आंचलिक उपन्यास राष्ट्रीय भावना के उपन्यास है। उनके द्वारा विशाल देश, अनेक भूखण्डों की चेतना का बोध होता है और समग्र रूप में एक व्यापक राष्ट्रीय-भावना खड़ी होती है।” (अंक दिनांक 15-3-1964, पृ० 25)

इसलिए ग्रामीण अंचल की ओर रचनाकार नागार्जुन का यह रुझान यकायक नहीं रहा है। इसके पीछे एक लम्बी ऐतिहासिक परम्परा है जैसाकि हम पीछे कह चुके हैं। औद्योगिक क्रान्ति ने विश्व के कोने-कोने को झकझोर कर रख दिया था। भारत का उन पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और यही नहीं औद्योगिक क्रान्ति को सफल बनाने में कच्चे मान की आपूर्ति करने में भारत विश्व में सबसे पहला देश था जिसने प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थों को दिया। अतः उन्होंने यहाँ के संसाधनों का ग. आई में अध्ययन कर उनको अपने हितों में प्रयोग करने का भरपूर प्रयोग किया। इसके लिए यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों ने लाभ लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया जिससे धातु-निर्मात्र गाव वाला देशी-विदेशी पूजा और शासन का गुलाम बना—

“भारत पर अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता का स्वतः इतना अधिक महत्व नहीं जितना कि इस बात का कि उन्होंने इस सत्ता का खास ढंग से इस्तेमाल किया जिसका भारतीय समाज पर गम्भीर आर्थिक प्रभाव पड़ा।” (ए० आर० देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृ० 25)

इस तरह उन्होंने कृषि-प्रधान देश भारत के गांवों को नष्ट किया और लगभग डेढ़ सौ साल के भीतर जिस प्रकार से देश खोखला कर दिया यह बात घटनाओं के रूप में इतिहास और राजनीतिशास्त्र में देखने को मिलती है लेकिन प्रभावित रूप में माहित्य के अन्तर्गत विस्तार से देखा जा सकता है।

कहना न होगा कि नागार्जुन के उपन्यासों के विश्लेषण का यह आप्रह् निरन्तर बना रहा है कि उन्हें भारतीय भूमि से भूमि की समस्याओं से जोड़कर विश्लेषित किया जाये। परन्तु इस दिशा में सिवाय यने हुए फामूले जोड़ने के और कुछ नहीं हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी की गांव की जीवन-सम्बन्धी टिप्पणी इन उपन्यासों को और अधिक अनिर्वाय बना देती है—

“कला गांवों में पनपती है, शहरों में नहीं। हम पकवान खाकर रसोइयों पर प्रसन्न होते हैं—काश, किसान पर रीझते तो कितना अच्छा होता। जिस समय सिर पर से पानी बहता हो, गले में साप सोने न दे रहा हो, बदन पर चिथड़ा लिपटा हो, पास में पावती—पर्वत-पुत्री खड़ा पसीना पांछ रही हो, जब उस गरीब के मस्तक पर झुके तभी उस कला की सच्ची पूजा है—शंकर पूजा है। वह किसान ही हमारा शंकर है। साप टैक्स है—निथड़े गरीबी है—।” (नया जीवन, मई 1955, पृ० 48)

इस तरह आंचलिक उपन्यास अपने अन्दर विशिष्ट अंचल की उन तमाम आस्थाओं और विश्वासों को समेटता है जिससे नवीनता का पुनः परिचय मिलता चले। डॉ० वेचन का तर्क इसी सोद्देश्य आंचलिकता को और अधिक रचनाकारों के सन्दर्भ में पुष्ट

करता है—

“यह आचलिक मसलों हम वही देखते हैं जहाँ लेखक का मुख्य उद्देश्य कुछ दूसरा ही होता है और उसकी पूर्ति के लिए वह आचलिक विशिष्टताओं का चित्रण करता है... प्रधान उद्देश्य नवीन सामाजिक पृष्ठभूमि में उठते-उभरते हुए नए मानव, आर्थिक सामाजिक संघर्ष एवं जीवन का चित्रण करना है। ऐसे उपन्यासों की सृष्टि का श्रेय नागार्जुन और रेणु जैसे लेखकों को दिया जाना चाहिए।” (आधुनिक हिंदी कथा-साहित्य और चरित्र-चित्रण, पृ० 185)

वास्तव में नागार्जुन ने अपने सभी उपन्यासों में गांव में घटने वाली तमाम सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं को बड़े विस्तार से महज इसलिए लिया है कि उनका भी अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व है। आचलिकता उनके लिए एक प्रचार का माध्यम न होकर एक विशिष्ट उद्देश्य की प्रेरक है। नागार्जुन ने अपने समूचे लेखन में इस बात का सफल निर्वाह किया है।

नागार्जुन की जीवन-यात्रा और वैचारिक संकल्प

स्वतन्त्रता के बाद के लेखकों और कवियों में नागार्जुन प्रथम पंक्ति के कवि-लेखक है। नागार्जुन ने अपने समूह लेखन में चाहे वह कविता हो अथवा उपन्यास चाहे वह मैथिली रचना हो या संस्कृत या हिन्दी, आम आदमी के दुःख-दर्द, दैनिक पीडा और करुण क्रन्दन में उभरते हुए आक्रोश को अभिव्यक्त किया है। उनका समूचा चिन्तन-जगत् उन लाखों-लाख मूकचेहरों में भरा हुआ है जो जुवान रखते हुए भी बेजुवान हैं, शक्ति सम्पन्न होते हुए भी शक्तिहीन हैं, बहुमंशुक होते हुए भी अलमंशुक हैं तथा दिन-रात कमाते हुए भी मूछे और नगे रहकर जिन्दगी पूरी कर रहे हैं।

नागार्जुन का तादात्म्य दम तरह के समाज से यकायक नहीं हुआ। जीवन के पड़ावों, मोड़ों, चौरस्तों-चौराहों और धूल भरी गली-गलियारों में प्रविष्ट होने पर ही यह उन्हें हासिल हुआ है जिसे उन्होंने अपनी शब्द-राशि के माध्यम से सच्चे साहित्यकार के रूप में जन-मानस के निकट रखा है। उनके लेखन के प्रारम्भ से लेकर अब तक के तमाम वैचारिक घरातल उनके जन्म से लेकर अब तक के अनुभवों से संचित रूप है। अतः उनके जीवन पर भी दृष्टि डाल लेना अनिवार्य है—

जन्म : नागार्जुन की जन्म-तिथि का ठीक-ठीक पता स्वयं नागार्जुन को भी नहीं मालूम है। क्योंकि मां के बहुत पहले ही स्वर्गवासी होने तथा पिता की घनघोर लापरवाही ने उनके भविष्य तक को खतरे में डाल दिया था। कवि की जन्म-तिथि के बारे में यों मान लिया गया है कि 1911 के जून मास की कोई तिथि (ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा) नागार्जुन की जन्म-तिथि है। स्वयं कवि को अपनी जन्म-तिथि के सम्बन्ध में सन्देह है क्योंकि तिथि और वर्ष का लिखित आधार उपलब्ध नहीं है। इतना निश्चित है कि जेठ का महीना था जैसाकि उनकी नानी से उन्हें मालूम हुआ। (डॉ० प्रकाशचन्द्र भट्ट : नागार्जुन जीवन और साहित्य 1974, पृ० 17)

नागार्जुन का जन्म उनकी ननिहाल सतलखा, पोस्ट मधुवनी, जिला दरभंगा में

हुआ था। परन्तु स्कूली शिक्षा में उनके पिता की जन्म-भूमि तरीनी ही रही।

नागार्जुन अपने पिता की छठवीं सन्तान है।¹ उनसे पूर्व पैदा होने वाले तमाम शिशु चलते वनं। इसके जन्म से पूर्व इनके पिता गोकुलनाथ मिसिर ने वैद्यनाथ धाम (देवघर, जिला सथाल परगना) जाकर एक महीने का अनुष्ठान किया था। अतः इनका जन्म का नाम बाबा वैद्यनाथ के नाम पर ही रखा गया। परन्तु बाद में अशुभ होने के डर के कारण उन्हें परिवार के लोग 'ढक्कन' कहने लगे—

“परिवार की बूढ़ी महिलाओं को चिन्ता हुई कि इतना अच्छा नाम रहेगा तो लड़के को अशुभ होगा, इसी से उन लोगों ने 'ढक्कन' नाम रखा जिससे यह भासित हो कि यह लड़का चार दिनों के लिए आया है और मा-बाप को ठगकर चला जाएगा।” (वही, पृ० 17)

नागार्जुन के पिता गोकुलनाथ मिसिर थे जोकि प्रारम्भ से ही बेहद आलसी, परिवार के प्रति घोर उदासीन तबीयत के थे। उन्होंने कभी भी परिवार के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं समझा। वे सदैव इधर-उधर ही रहे। कम पढ़े-लिखे और रूढ़िवादी होने के कारण वे सदैव अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे।

नागार्जुन की माता का नाम उमा देवी था। वे सीधी-सादी सरल स्वभाव की थी। अघेड उम्र में उनके देहावसान से बालक नागार्जुन मातृ-प्रेम से सदैव के लिए वंचित हो गया। पिता श्री ने कभी उनके दुःख-दरद की पूछी नहीं। अतः ये प्रारम्भिक जीवन की दो महान् घटनाएँ ही उनके व्यक्तित्व में उभरकर आईं जिनके द्वारा आज लेखक अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर बैठकर अपने दिल की घुड़ी खोल रहा है।

कटु-अनुभवों की शुरुआत

नागार्जुन जब चार ही वर्ष के थे तभी इनकी माता उमा देवी का देहान्त हो गया था। नागार्जुन अपनी मा के देहान्त का कारण अपने पिता द्वारा की गई घोर उपेक्षा का कारण मानते हैं। पिता द्वारा दी गई मा को प्रताड़ना से नागार्जुन का बाल-मन मन-ही-मन मुलग उठा था। इस मातृ-विछोह की ज्वाला की चिनगारिया उन्होंने 1947 में 'रतिनाथ की चाची' में फेंकी है। माता-पिता के दाम्पत्य-जीवन पर उन्होंने ऐसा कसकर लिखा है जो अन्यत्र दुर्लभ है—

“रतिनाथ को अपनी मा याद नहीं है। थोड़ा-मा आभास मात्र है। वह गौरश्याम थी। उसे दमा का रोग था। बस यही रत्ती को याद है। मा का चेहरा कैसा था। कपाट छोटा, आँखें न छोटी न बड़ी। नाक नुकीली नहीं थी। माँ का प्रसंग छिड़ते ही एक

1. डॉ० प्रकाशचन्द्रमट्ट ने इन्हें पाचवीं सन्तान कहा है, डॉ० विजय बहादुर मिश्र ने अपनी पुस्तक 'नागार्जुन और उनका रचना-संसार' में नागार्जुन को छठी सन्तान बताया है।

भयानक दृश्य उस लडके की आँखों के आगे नाच जाता था। वह नहीं चाहता था कि इस तरह का अप्रिय और भयानक दृश्य उसे याद आये। किन्तु सिर्फ आँखें मूढ़ लेने से ही कोई बात मन में न आए ऐसा तो कहीं हुआ नहीं।

क्या थी वह बात यही कि रतिनाथ की बीमार मा बिस्तरे पर लेटी पड़ी है और जयनाथ रुद्र रूप धरकर बेचारी की छाती पर बैठा है। हाथ में कुल्हाड़ी है और वह अपनी स्त्री की गर्दन रेतता जा रहा है। वह घिघिया रही है, लेकिन कोई भी इस नरमेघ में हस्तक्षेप करने वाला वहाँ मौजूद नहीं है—मां घिघियाती है। साढ़े तीन साल के अबोध रती ने यह दृश्य देखकर दम साध लिया है। घर के कोने में बैठा हुआ वह कनखी से रह-रहकर अपनी मां और बाप को देख लेता है...

मां की स्मृति के साथ वह भयानक चित्र रती की आँखों के आगे आ जाता है। पिता के रुद्र स्वभाव के प्रति इस बालक के हृदय में प्रतिहिंसा की आग कभी-कभी मुलग उठती है। तभी माँहो और चड़ी आँखों से वह बाप की ओर धूरता है। जिसको सदैव चाची से घुल-घुलकर बातें करते पाया है, उसी का अपनी मा के प्रति नृशंस और रुद्र-व्यवहार रतिनाथ की समझ से परे की बात थी। वह चार साल का था, तभी मा मरी थी। मा के बाद चाची ने ही उसकी देखभाल की है। क्रोधी स्वभाव के इस पिता से चाची ही उसे बचाती आई है।—पिता के प्रति उसकी भक्ति या श्रद्धा बिल्कुल दिखावटी थी।” (रतिनाथ की चाची, पृ० 31-32)

नागार्जुन के बालजीवन की यह घटना उन्हें आज भी तिलमिता कर रख देती है। पत्नी के प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाला पिता संतान के प्रति कभी भी सहानुभूति नहीं रखता यह नागार्जुन ने पहली बार अपने साथ घटी घटना से जाना। ‘रतिनाथ की चाची’ पर उनके पिताजी ने किस कदर डाँटा था—डॉ० शिवकुमार मिश्र ने उन्हीं के शब्दों में कहा है—

“सामने नागाजी (नागार्जुन) का शिशु चेहरा। पीछे एक अर्धेड़ पुरुष की प्रौढ़ मुखाकृति...अगले ही क्षण चेहरे पर क्रोध का तनाव...होंठ कांप रहे हैं। (मैं तेरा हाथ काट लूँगा ! क्या अट-संट लिख मारा है तूने ? बाप की बुराई कौन करता है ?)

“मगर मैंने झूठ थोड़े लिखा है। मेरी चाची से आपका क्या रिश्ता था ? उस रोज दोपहर की उमस में अन्दर लेटी हुई मेरी मां का गला कुल्हाड़ी से किसने काटना चाहा था।...कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मां को और मेरे पाच भाई-बहनों को किसकी उपेक्षा का शिकार होकर दम तोड़ना पड़ा था ?

“चोप ! जीम खीच लूँगा !—जानता नहीं, मैं कितनों की पसलियाँ तोड़ चुका हूँ। रोब के मारे गाँव के युवक मुझे ‘गुफ’ कहकर पुकारते हैं !” (साहित्य और सामाजिक सन्दर्भ, 1977, पृ०. 121)

माता और पिता के ध्यार से कौसो दूर बालक नागार्जुन ने बचपन में ही नारी जीवन की उपेक्षा और वैधव्य के साथ होने वाली खिलवाड़ से नष्ट होते हुए भविष्य को देखा था। उसने जाना था कि उसके पिता सरीसे हजारों कामुक, लालची और लंपट नारी के सतीत्व को सुरक्षित नहीं रहने देते। गौरी जैसी अनेको विधवा चाचियाँ अंधेरी-

उजेली अमावस-पूर्णिमा की रातों में इन निशाचरों की काम-पिपासा का शिकार होकर अनैतिक गर्भ ढोती, गिराती, जीवन-भर जीवित लाश बनी रहती है। उनकी इसी चेतना ने उन्हें झकझोर कर रग्न दिया। अतः वे इन समाज श्वानों के चंगुल से निरीह विधवाओं का 'उग्रतारा' में इसीलिए पुनर्विवाह कराते हैं, 'दुख मोचन' में अन्तर्जातीय विवाह कराते हैं एव पति आदि के कठोर अनुशासन पर विधवा को स्वतन्त्र निर्णय के लिए घर से बाहर मनचाहे पति के साथ 'अभिनन्दन' में विदा करते हैं तथा नारी समाज को सगठित कर शोषित नारियों की नारी समाज द्वारा कुभीपाक में इसीलिए सहायता कराते हैं कि यह लम्पट समुदाय फिर कभी इस तरह का व्यवहार न कर सके।

'जमनिया का बाबा' में बाबा अभयानन्द की पिटाई की एक और घटना नागार्जुन के साथ जब घटी। तब से धर्म मठों में होने वाले अत्याचार, ढोंग और आडम्बर को सहन नहीं कर सके। वे जमनिया के मठ पर व्याप्त अंधविश्वास का विरोध करते हैं। इस विरोध पर उनकी भ्रष्ट साधुओं से तकरार होता है। वे चुप नहीं रहते। गोरखपुर के मजिस्ट्रेट से जाकर वहाँ के मठाधीश की दुर्गति करा देते हैं। 'आयने के सामने' में नागार्जुन ने लिखा है—

...तुमने मुझे पिटवाया था। मैंने तुम्हें दो वर्ष जेल की सजा करवाई थी। तुम्हारी जटा तीस हाथ लम्बी थी। गोरखपुर के पारसी मजिस्ट्रेट ने तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद पहला काम यही किया कि जटा मुड़वा दी...इलाके में तुम्हारे ढोंग की तूती बोलती थी—नागा बाबा ने बुलहवा के बाबा की माया को पंक्चर कर दिया मवाहो ने अदालत में कहा था—“वह व्यक्ति मूलतः 'तुमही' का रहने वाला मुसलमान है और भागकर नेपाल चला गया था। वहाँ से साधु बनकर लौटा...काले चेहरे की लाल आँखें बार-बार मुझे घूर रही हैं।”

“इस आपबीती सत्य घटना से प्रेरित हो लेखक ने बाबा के मुसलमान होने, नेपाल भाग जाने, वहाँ से आकर साधु के रूप में मठ चलाने, मठ को व्यभिचार, अबोध जनता के शोषण और राष्ट्र-विरोधी कार्यों का अड्डा बना लेने की घटनाओं के रहस्य से परिचित कराने हेतु इमरतिया (जमनिया का बाबा) उपन्यास लिखा है।” (प्रकाशचन्द्र भट्ट : नागार्जुन जीवन और साहित्य, पृ० 212)

नागार्जुन बनारस में पढ़ते थे। वह समय इनके जीवन का उपा काल था। उस समय का वातावरण ही इन्हे स्वाभिमान और रुढ़िभंजक बनाता चला गया है। वह अकेला अपने रास्ते का राही बना और अपने प्रारम्भिक जीवन में अपने आगामी भविष्य का संकेत दे दिया। बनारस एक ओर तो संस्कृत का, पूजा, पाठ, पण्डो, पुरोहितों का शहर था तो दूसरी ओर मालवीय जी जैसा समाज-सुधारक वही था। नागार्जुन ने इन दोनों क्षितिजों से अपने अर्थ की बातें अजित की। इन्हीं दिनों की दो और घटनाएँ उसके जीवन को और अधिक विद्रोही और संघर्षशील बनाती गईं। एक घटना इस तरह है—

“दरभंग महारानी लक्ष्मीश्वरी की देखरेख में एक छात्रावास और धर्मशाला संचालित होती थी जिसमें ऊपर की मंजिल में संस्कृत विद्यालय के छात्र और निचली

मंजिल में यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था थी। मैथिल तीर्थ यात्री अकसर इमी धर्मशाला के कमरों में ठहरते थे। एक दिन छात्र वैद्यनाथ ने देखा कि तीर्थयात्रियों का दल तो जा चुका है किन्तु एक कोठरी की कुण्डी बाहर में लगी हुई है और मोहड़ी से कुछ पीशा बद्गूरत मवाद रिस रहा है। बद्बू अलग से आ रही है। भयानक बद्बू के वावजूद किमी का भी ध्यान उधर नहीं जा रहा है। वैद्यनाथ चुपके-से गये तो दरवाजा खोलकर देखा कि कोई बुढ़िया मरी पड़ी है और बद्बू उसी की नगी अकड़ी हुई सड़ती लाश से आ रही है। पहले तो वे चुपचाप चादर से उसे ढंक आये फिर अपने एक विश्वस्त नेपाली सहपाठी को इसके लिए तैयार कर लिया कि यह इस अपरिचित और लावारिस शव के अन्तिम संस्कार में उनकी मदद करे। काम काफी टेढ़ा था और टेट में घेला तक नहीं। फिर भी लाश को एक निजी पिछोरी (औढ़ने की चादर) में गठरी की तरह बांधकर दोनों ने चुपचाप श्मशान घाट पहुंचा दिया। वैद्यनाथ अपने साथी को वही छोड़ रानी के दरबार में हाजिर हुए। काफी पूछताछ के बाद रानी लक्ष्मीवती के दो आदमी आए और शवदाह की व्यवस्था करके चले गए। दाह-क्रिया स्वयं वैद्यनाथ ने की। इस घटना का पता जब छात्रावास के अन्य साथियों से काशी की स्वनामधन्य पण्डित मण्डली को चला तो वैद्यनाथ पर तरह-तरह के लांछन लगाए गए। चाण्डाल तक कहा गया। वैद्यनाथ को इससे विचलित होने का कोई कारण नहीं था। उन्हें यह होश तब तक ही चुका था कि सेवा ही संस्कृति का सार है।" (डॉ० विजयबहादुर सिंह : नागार्जुन और उनका रचना संसार, 1982, पृ० 18-19)

एक बार बनारस में ही रहकर बनारस और इलाहाबाद की यात्रा के दौरान उन्होंने एक जूता गांठने वाले मोची के यहां सब-कुछ जानकर, देखकर पानी पिया था, गुड़ खाया था।

इस तरह नागार्जुन ने अपने प्रारम्भिक जीवन में ही पूत के पाव पालने में दिखा दिए। उन्होंने समाज की विद्रूपताओं को घुसकर देखा है, उनसे टक्कर लेकर उनकी जड़ें उखाड़ फेंकी हैं। गरीब, दलित, शोषित समाज के प्रति उनकी हमदर्दी दिन-पर-दिन बढ़ती गई। वे उसी वर्ग के होते चले गए।

शिक्षा एवं संपर्क

जिस पिता ने कभी दाम्पत्य जीवन का सार ही न समझा हो, दिन-रात घर में क्लेश और कोप का वातावरण बना रहा हो वहा संतान की परवरिश और उसके भविष्य की आशाएं निश्चित रूप से अंधकार में ही तिरोहित हो जाती हैं। नागार्जुन के साथ भी उनके पिता ने ऐसा करने में कोई कोर कसर न उठा रखी थी। पिता गोकुलनाथ सदैव आलसी, मंद बुद्धि और नागार्जुन के ही शब्दों में 'मूर्ख' थे अतः उन्होंने कभी भी बाल

पटरी पर नागार्जुन को मिर रगड़वाते रहे। शिक्षा के समय में वे सदैव कहा करते—
 “संत-मंत में लड़का पढ़कर तैयार हो जायेगा, अपनी तो एक कौड़ी भी नहीं लगेगी।
 उल्टे पढ़ाई के दिनों में भी चाहेगा तो हमारी मदद करता रहेगा।” और वास्तव में
 हुआ भी यही, नागार्जुन संस्कृत विद्यालयों में पढ़ते रहे। बड़े श्रीमंतों के यहां नौ दुर्गा के
 दिनों में बड़ो पाठ कराकर पिता को अठारह आने देते रहे। अपनी शिक्षा के बारे में और
 पिता के अभिभावकीय व्यवहार पर उन्होंने ‘रतिनाथ की चाची’ में लिखा है। लोअर
 प्राइमरी से अपर प्राइमरी की शिक्षा का खर्च चार-पांच रुपये जानकर उनके पिताश्री
 की यह अमृतवाणी दर्शनीय है—

“नहीं कभी नहीं, यह नहीं हो सकता। प्रातः स्मरणीय नील—माधव उपाध्याय
 का वशधर म्लेच्छ भापा पड़ेगा। उसी दिन घरती उलट जायेगी और आसमान से
 अंगारे बरसने लगेंगे। वकील-बालस्टर बनकर प्याज, लहसुन और अण्डा नहीं खाना है
 रत्ती को, उसे तो अपने पूर्वजों की कीर्ति-रक्षा करनी है... बस, एक फटा-कटा अमर-कोप
 कहीं से उठा लाये और बेटे के हाथों में धमाते हुए कहा - क्या करना है, अंग्रेजी पढ़कर
 क्रिस्तान बनना है। लो, यह अमर-कोप ! जिम दिन यह कण्ठस्थ हो जायेगा, उस दिन
 तीनों लोक तुम्हारे लिए हस्तामलक हो जायेंगे।” (रतिनाथ की चाची, पृ० 35-36)

यह थी वच्चे के भाग्य-विधाता पिता की दारिद्र्यदिली जिमने नागार्जुन को कभी
 भी बचपन में प्रोत्साहन नहीं दिया, उसमें कभी भी आत्मविश्वास पनपने नहीं दिया और
 वह संस्कृत के ‘टोलो’ में अपनी शिक्षा के सोपान पूरे करता रहा—

“शिक्षा संस्कृत शाला में, पैतृक विद्या-निधि जो भी घर में पाई। बाद में नागार्जुन
 ने किसी अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का मुह नहीं देखा। कोई परीक्षा पास नहीं
 की। जिन्दगी की खुली पुस्तक से कबीर की तरह ‘आख की देखी’ सीखा। और वही
 ईमानदारी से लिखा।” (डॉ० प्रभाकर माचवे : नागार्जुन, 1977, पृ० 4)

बनारस में शिक्षाध्ययन करते समय उनका सम्पर्क मालवीय जी से हो चुका था। वे
 प्रेमचन्द से भेंट कर चुके थे। तथा पंडित बलदेव मिश्र से गांधीवादी विचारों से प्रभावित
 हो चुके थे। तथा बनारस में ही रहकर ‘आर्य समाज’ से उन्होंने छुआछूत का भेदभाव
 न मानने एवं स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने जैसी क्रांतिकारी बातें सीखीं। इन्हीं बातों
 का असर उन पर दिन-पर-दिन गहराता चला जा रहा था। उनके भावी चिन्तन में यह
 तमाम पड़ाव सामग्री का कार्य कर रहे थे।

शास्त्री की परीक्षा देने के बाद नागार्जुन कलकत्ता की ओर निकल गए। वहां पर
 वे संस्कृत कॉलेज से प्राकृत भाषा का विशेष अध्ययन करना चाहते थे। पर-तु कॉलेज के
 प्रिंसिपल एस० एन० दास गुप्ता का भारी दबदबा था। बंगाल में लोग उन्हें बाघा
 (टाइगर) प्रिंसिपल कहा करते थे। यह बाघा प्रिंसिपल साक्षात्कार के माध्यम से
 विद्यार्थियों की भर्ती करते थे। नागार्जुन को अपनी संस्कृत भाषा पर पूरा भरोसा था।

“उन्होंने उनके एक चपरासी को चार आने घूस देकर अपनी संस्कृत कविता उधर
 पहुंचा दी और खुद आकर बलास-रूम के एक कोने में बैठ गए। इण्टरधूप के समय
 प्रिंसिपल महोदय यह कागज हाथ में झुलाते हुए आये—‘एइटा कार रचना ? के लिखे

चे ? के ? आमि देखि तो ?' चोर पकड़ा गया के अन्दाज में उन्होंने कहा— 'धरे गेलो सर ! धरे गे लो' और घोषणा की— 'आर तोमर परीक्खा होवे न । एइ होले' ।" (डॉ० विजय बहादुर सिंह : नागार्जुन और उनका रचना संसार, पृ० 21-22)

नागार्जुन का कवि मन बहुत पहले से ही कुहकने लगा था । उनकी कविता उन्हें आगे लाने के लिए काफी मदद करती थी । बंगाल में इसी के बलवृत्ते पर कालिज में प्रवेश हो पाया । वही रहकर नागार्जुन ने बंगला भाषा सीखी । नागार्जुन पर यही 'ब्राह्म समाज' के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव पडा । नारी को आधुनिक शिक्षा देने की प्रेरणा नागार्जुन ने यही से प्राप्त की । इस प्रकार नागार्जुन अपने विद्यार्थी जीवन में ही विचारों से सम्पन्न होते गए और उन्हें अमली जामा देने के लिए कविताएं घड़ल्ले से रची जाने लगीं । उनका अध्ययन का अन्तिम दौर लंका में कोलम्बो शहर में पूरा हुआ ।

गृहस्थ-संन्यास और पुनः गृहस्थ

नागार्जुन का विवाह उन्नीस वर्ष की उम्र में हरिपुर गांव के सम्पन्न परिवार की बेटी अपराजिता देवी के साथ हुआ । अपराजिता धनी मां-बाप की इकलौती बेटी थी । परन्तु वे कुशल गृहिणी थी । नागार्जुन उन्हें प्यार से 'अपू' कहा करते थे—

"क्या बात करती हो अपू ! तुम तो मेरी सहर्षमिणी हो, ठेठ सनातन अर्धांगिनी श्रीमती अपराजिता देवी । हमारी अपनी देहाती जायदाद और घर-आगन की मालकिन ।" (डॉ० शिवकुमार मिश्र : साहित्य और सामाजिक सन्दर्भ, पृ० 122)

सन् 1933 में गौना हो जाने के दो-तीन महीने बाद ही नागार्जुन देश-देहात के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए घर से निकल पड़े । घर पर पिताजी से कभी बनती नहीं थी । अतः परिचित सत्य से अपरिचित सत्य की तलाश ने लेखक को चैन से नहीं बैठने दिया । अपने पिता के व्यवहार से वे अन्दर-ही-अन्दर सुलगते रहते थे । अतः पत्नी के साथ इस समय द्विरागमन पर मुश्किल से तीन-चार महीने ही रहकर अपना झोला-झंडा उठाते हुए 1934 में घर की देहरी को पार कर दिया । नागार्जुन के असली जीवन की शुरुआत यही से होती है ।

नागार्जुन घर से निकलने पर काठियावाड (गुजरात), अबोहर आदि स्थानों पर चलते गए । काठियावाड में उन्होंने जैन मुनियों को प्राकृत पढ़ाई । लेकिन उठाऊ प्रवृत्ति ने उन्हें वहा नहीं जमने दिया । वे पंजाब पहुंचे और वहा स्वामी केशवानन्द के साथ कुछ दिन रहे और भासिक पत्र 'दीपक' का संपादन किया । यही रहकर इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की बात सोची और बुद्ध की प्रामाणिक वाणी देखने की लालसा से उन्होंने 'महाबोध्या सोमाइटी कलकत्ता' को पत्र लिखा । जवाबी पत्र में श्रीलंका का हवाला था, देखकर नागार्जुन की बाँछें खिल गईं । वे अंगोछा फटकारते हुए उठ खड़े हुए । स्वामी

केशवानन्द के समझाने पर भी वे "आगे की पढ़ाई भी देश के ही काम आवेगी। आप यही तो चाहते हैं कि आदमी पढ़-लिखकर देश के काम आवे और पढ़ लूगा तो और काम आऊंगा" कहते हुए निकल पड़े। पास में पैस नहीं। गरीबी और दरिद्रता उनके साथ थैली की तरह सदैव लटकती रही। स्वामी केशवानन्द ने कुछ पैसे दिये थे, मद्रास पहुंचते ही एक गिरहकट ले उड़ा। लंका प्रवास ने नागार्जुन को बौद्ध भिक्षु बनाया और यही उनका नामकरण 'नागार्जुन' हुआ जो हिन्दी के अपने ढंग का अकेला साहित्यकार है। सन्यासी होने पर ही नागार्जुन ने सिर मुड़ाकर लंका में बौद्ध धर्म में प्रवेश पाया—

"यों तो भिक्षु विरादरी वैद्यनाथ जी को काफी सम्मान देती थी। पर जब माथ-साथ उठने-बैठने का सवाल आता तो उसे नीचे आसन पर बिठाया जाता क्योंकि वह गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी जो नहीं था। एक स्वाभिमानी भारतीय पण्डित को यह बात अकसर खलती रहती थी और उसे यह भी तो मालूम था कि बौद्ध भिक्षु दुर्द्धबल और पांडित्य में उसकी बराबरी के नहीं हैं। आपस में यह चर्चा कभी-कभी हो भी जाती थी पर सन्यासी बेचारे वैद्यनाथ को बराबरी का आसन दे ही कैसे सकते थे। जब तक कि वह खुद सन्यास ग्रहण न कर ले। आखिर एक दिन वैद्यनाथ ने तय किया कि जब तक 'विद्यालकार परिवेण' में रहना है—सन्यास ले लेने में ही हीनता-ग्रन्थि से मुक्ति मिल सकेगी। आचार्य वैद्यनाथ को अपनी इच्छा का भिक्षु नाम जब चुन लेने की स्वतन्त्रता मिली तो उन्होंने विख्यात दार्शनिक 'नागार्जुन' का नाम अपने लिए चुना।" (डॉ० विजय वहादुर सिंह : नागार्जुन और उनका रचना संसार, पृ० 23)

यही केलानिया में 'विद्यालकार परिवेण' विद्यालय में राहुल सांकृत्यायन, भद्रन्त आनन्द कौशल्यायन, आचार्य जगदीश आदि ने बौद्ध शिक्षा ग्रहण की थी, उनकी शृंखला में अब नागार्जुन भी शामिल हो गए। यहाँ रहकर उन्होंने अंग्रेजी भी सीख ली। नागार्जुन के विचारों में यहाँ रहकर क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा था। वे वामपथी चिंतन में रुचि लेने लगे थे जो कि अधिकारियों का पक्षपाती था। इधर बौद्ध-दर्शन का समता-समानता वाला सिद्धांत उन्हें समाज की अमंगलियों को ध्वस्त करने में अमोघ शक्ति दे रहा था। वे अब देश और समाज की दशा-दिशा पर नजर टिकाये हुए थे। और प्रतीक्षा अबसर की थी कि इन्हीं दिनों बिहार में किसान आंदोलन शुरू हो गया। स्वामी सहजानन्द इस आंदोलन को गति प्रदान कर रहे थे। नागार्जुन को उन्होंने पत्र लिखा—

"वहाँ मुद्दों के चक्कर में क्यों पड़े हो? आओ और जनता के लिए काम करो।" (वही, पृ० 23)

नागार्जुन यह सुनकर भारत लौटे और 'किसान आंदोलन' में सक्रियता दिखाने लगे। उनकी कविताओं का क्रम साथ-साथ चल रहा था। नागार्जुन की पहली गिरफ्तारी ३१ अक्टूबर १९३८ में हुई। डॉ० प्रभाकर माचवे ने इनकी गिरफ्तारी के बारे में लिखा है—

"नागार्जुन भारत लौटे सन् '३८ के मध्य में। अमधारी (बिहार) के अत्याचारी भूस्वामी के खिलाफ राहुल सांकृत्यायन ने नेतृत्व किया। उसके भिक्षु-जैसे मुंडित सिर पर

साठी पड़ी। "नागार्जुन को किसानों के आंदोलन के लिए पकड़ लिया गया। छपरा और हजारीबाग जेल में दस महीने जेल में रहना पड़ा।" (नागार्जुन, पृ० 5)

नागार्जुन का इधर सम्पर्क सूत्र कई महत्वपूर्ण लोगों में जुड़ा। समाजवादी चिंतक कार्यान्वयन और प्रयामानन्दन मिश्र से उनकी भेंट होने लगी। इसी बीच उनका पत्र-व्यवहार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस में हुआ। क्रांतिकारी आदर्श उनके जीवन को और अधिक शक्ति के रंग में रंगने लगे। दूसरी बार जब वे द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भूमिगत थे इनकी गिरफ्तारी हुई और भागलपुर की जेल में आठ महीने रहना पड़ा। यही भागलपुर की जेल में पता लगने पर इनके पिता गोकुलनाथ आ पहुँचे। उन्होंने रोते हुए जेलर से कहा—

"यह लड़का वर्षों में भागा हुआ है। बुढ़ापे में हमें सता ही रहा है पर एक बछिया की पीठ में छुरा घोंपकर बाबाजी बना घूमता है। इस कसाई को जब आप जेल में रिहा करने वाले हों तब तार देखकर मुझे बुलवा लेंगे, हम चार जने मिलकर आवेंगे और इसे पकड़कर घर ले जायेंगे।" (डॉ० प्रकाशचन्द्र भट्ट : नागार्जुन जीवन और साहित्य, पृ० 25)

और वास्तव में हुआ भी यही—

"सचमुच ही दुबारा जेल के फाटक पर हाजिर होकर पिता ने नागार्जुन को अपनी हिरामत में ले लिया।" (वही, पृ० 25)

जेल के इस छुटकारे पर वे गृहस्थ आश्रम में पुनः प्रविष्ट हुए। समाज में बड़ा बावैला मचा। 'संन्यासी के बाद गृहस्थ' होने पर उनके ऊपर तरह-तरह के नाँछन और व्यंग्यवाण पड़ने लगे।

"एक तो संन्यास से वापस आया और दूसरा समुद्र पार कर गया, तीसरी बात कि बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। बौद्ध तो आधा मुसलमान होता है—आधा ईसाई। वे गाय भी खाते हैं और मूअर भी। यह लड़का ब्राह्मणों के समाज में फिर से वापस लिया ही नहीं जा सकता।" (वही, पृ० 26)

परन्तु गाँव में युवक दल ने नागार्जुन को जमा कर छोड़ा अब वे गृहस्थी का भार उठाने के लिए तैयार हो गए। परन्तु उनका जन-सामान्य से सम्पर्क नहीं छूटा। वे अपने पिताथी को सुश रखने के लिए 'बुद्धवर क्लिप' जैसी छोटी-छोटी वित्तविया छपवाकर रेलों, शहरों में धूम-धूमकर बेचते रहे। पैसों की रेजगारी आती रही।

विद्रोही प्रवृत्ति—जेल-यात्राएं और साहित्य-सृजन

नागार्जुन को शोषण, अन्याय और असमानता से लड़ने की लत बचपन से ही पड़ गई थी। इस आदत ने उन्हें कहीं भी र्चन से नहीं बँठने दिया। उनका मँथिली का नाम 'यात्री' इस लत के साथ बड़ा मेल खाता है। बचपन से ही फतकड धुमकडी ने उन्हें

दुनिया-देहान का ऐसा चम्का लगाया कि वे वही भी दो दिन चैन में नहीं बिता सकते ।

नागार्जुन का झुकाव सदैव से ही जन-संघर्ष की ओर रहा । उनकी पहली गिरफ्तारी इसी सम्बन्ध में हजारीबाग सेन्ट्रल जेल में हुई । यहाँ वे दस महीने तक कैद में रहे । अपरराध था कि बिहार के अमबारी के अत्याचारी भूस्वामी के खिलाफ शोषित-पीड़ित किसानों का साथ । परन्तु नागार्जुन इस गिरफ्तारी से और अधिक उत्साहित हुए और जेल में छूटकर वे राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने लगे ।

नागार्जुन इधर सुभाषचंद्र बोस जैसे जुझारू नेताओं के संघर्ष में आ रहे थे अतः उन्होंने अपना संघर्ष का रास्ता दृढ़ निकाला था । द्वितीय महायुद्ध में कांग्रेस की नीतियों में दरार पड़ रही थी । नागार्जुन कांग्रेस से बिल्कुल सहमत नहीं थे । उन्होंने सम्मानी आजादी के लिए सुभाषचंद्र बोस की नीति का अनुसरण किया । वे समाजवादी और वामपथी विचारों की ओर थे । ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग न दिया जाए—इस तरह का गुट-विरोधी आन्दोलन पटना में बिहार के अन्तर्गत फारबंद ब्याक के लोग कर रहे थे । नागार्जुन ने इस आन्दोलन में आगे बढ़कर हिम्मा लिया । उन्होंने इस आन्दोलन को तेज करने में विशिष्ट भूमिका निभाई । वे देहात से किसानों से दाल, चावल वसूलते थे और कार्यकर्ताओं को आकर खिलाते थे । उन्होंने असहयोग के रूप में एक पम्पलेट भी निकाला था—“न एक भाई न एक पाई” (अर्थात् ब्रिटिश सरकार की द्वितीय विद्रोह-युद्ध में कोई भी मदद नहीं की जायेगी, एक आदमी तक भारत की ओर से न जाये, एक पैसा तक अंग्रेजों को न दिया जाये) । (डॉ० विजयबहादुर सिंह : नागार्जुन और उनका रचना संसार, पृ० 24) इस तरह के पम्पलेट ने जनता में छलबली पैदा कर दी । परिणामस्वरूप अंग्रेजी शासन की नजर इन पर पड़ी । नागार्जुन भूमिगत हुए परन्तु पकड़े गये और आठ महीने भागलपुर जेल में कैद काटी । यही से नागार्जुन कांग्रेस और विदेशी शासन के खिलाफ जमकर लिखने लगे । वे जन आन्दोलनों को भड़काने के लिए कविताएँ लिख-लिखकर रेलों, बसों आदि पब्लिक समूहों में सुनाते । उनके ‘रतिनाथ की चाची’ और ‘बलचनमा’ में यही 1936 से 1948 तक की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है । उभरते हुए किसान आन्दोलन, कांग्रेस की हुल-मुल नीति, पूँजीपति और कांग्रेस सामंत और साम्राज्यवादियों का गठबन्धन उन्होंने खूब उजागर किया है । नागार्जुन को कांग्रेस की नीतियों से नेताओं से सदैव नफरत रही लेकिन वे गांधीजी की व्यक्तिगत स्तर पर बहुत मानते थे । उन्होंने ‘बाबा बटेसरनाथ’ में लिखा है—

“आजादी के लिए जो समझदारी पहले थोड़े-से पढ़े-लिखे लोगों तक सीमित थी, उसे गांधी जी आम पब्लिक तक ले आये । यही उनकी सबसे बड़ी खूबी में मानता हूँ ।” (पृ० 85)

और उनकी हत्या पर विलंबितकर उन्होंने “तर्पण कविता ‘युग धारा’ में लिखी थी—

“जिम बरंर ने

कल किया, तुम्हारा गून पिता

वह नहीं मराठा, हिन्दू है

वह नहीं मूर्ख या पागल है

वह प्रहरी है स्थिर स्वार्थी का

वह जागरूक, वह मावधान

वह मानवता का महा शत्रु***

वह मनुष्यत्व के पूर्ण चद्र का सर्वप्राप्ती महाराहु ।”

लेकिन वे कांग्रेसी शैलों में कभी पुश नहीं रहे। उनकी ‘बलचनमा’ में की गई भविष्यवाणी “यह जो दस-दस पांच-पांच आदमी कुर्ता, धोती, टोपी पहनकर गले में माला डाले चढ़उआ बकरे की तरह नामक बनाने जाते थे सो मुझे बाबू लोगो का एक खिलवाड़ ही लगता था।” सच्ची निकली। इस बात का प्राकट्य उन्होंने आजादी के मिलने के तुरन्त बाद ‘हंस’ (जून 1949) में छपी कविता से कर दिया—

“राम राज्य में अवकी रावण मंगा होकर नाचा है

मूरत शकल यही है विल्कुल बदला केवल ढांचा है।

नेताओं की नीयत बदली फिर तो अपने ही हाथों

भारत माता के गालों पर कस कर पड़ा तमाचा है।”

जेल जाने का सिलसिला और विद्रोही सत बाधा नागार्जुन की अभी तक बनी हुई है। आपातकाल में उन्होंने इन्दिरा सरकार की घोर भर्त्सना की थी और जे० पी० मूवमेंट में इसी कारण उन्हें जेल यात्रा करनी पडी। इन्दिरा गांधी की तानाशाही पर उन्होंने ‘क्या हुआ आपको?’ शीर्षक कविता से प्रहार किया था—

“आपकी चाल-ढाल देख-देख लोग हैं। दंग

हुकूमती नशे का कैसा चढ़ा रंग

छात्रों के खून का चस्का लगा आपको

काले चिकने माल का मस्का लगा आपको

किसी ने टोका तो ठस्का लगा आपको

फूल से भी हल्का

समझ लिया आपने

हत्या के पाप को

इन्द्र जी, इन्द्र जी क्या हुआ आपको

सत्ता की मस्ती में भूल गई वाप को।”

नागार्जुन का यह विद्रोही स्वभाव आज तक बना हुआ है। वे जहां कहीं भी कभी देखते हैं उनके व्यंग्य की तलवार लपलपाकर उसके ऊपर गिरती है। डॉ० विजयवहादुर सिंह ने उनकी इसी प्रवृत्ति पर कहा है—

“यह भी मजेदार है कि जब कांग्रेसी सरकार को नागार्जुन आड़े हाथों लेने लगते हैं तो वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों की बाँछें खिल जाती है। किन्तु यही कवि जब

उनकी दबी-डकी सीवन उधेड़ने लगता है तो उन्हें काफ़ी उदृण्ड और खतरनाक जान पड़ने लगता है। "इसलिए कोई भी इसमें खुश नहीं है न दक्षिणपंथ न वामपंथ। यह किसी का है ही नहीं।" (नागार्जुन और उनका रचना संसार, पृ० 36)

अपनी इसी फक्कड़ आदत पर उन्होंने जे०पी० के आन्दोलन को घाद में "मैं रण्डियों और भड्डों के कोठे पर पहुँच गया था" कहकर लताड़ दिया था। इस तरह बाबा नागार्जुन की संपूर्ण जीवन यात्रा बड़ी सघर्षशील रही है। इस यात्रा का उनके जीवन और साहित्य में बड़ा योगदान है। उनकी ममस्त रचनाएँ चाहे वह गद्य हो अथवा पद्य सभी रास्ते के अनुभवों से प्रसूत हैं। अन्य लेखकों और रचनाकारों की तरह उनका साहित्य काँफ़ी-हाउस अथवा हिल स्टेशनों की नकली जमीन से पैदा नहीं हुआ है। इसी यथार्थ ज्ञान से उनका विद्रोह कही आक्रोश और कही व्यंग्य में बदलता रहता है। डॉ० नामवरसिंह ने उनकी इस प्रवृत्ति को बताते हुए लिखा है—

"नागार्जुन की यह वर्ग-प्रतिहिंसा कवि में व्यंग्यो के रूप में प्रकट हुई है : और बिना हिचक के कहा जा सकता है कि कबीर के बाद हिंदी में नागार्जुन ने बड़ा दूसरा व्यंग्यकार पैदा ही नहीं हुआ।" (आलोचना, अंक 56-57, पृ० 2)

नागार्जुन प्रारम्भ में 'वैद्यनाथ' नाम से संस्कृत में लिखते थे। 'यात्री' नाम में मैथिली से हिंदी में आते समय उन्होंने कहा था—

"मैथिली मा है, मगर उससे पेट नहीं भरता। हिंदी से पेट भरता है इसीलिए उसे अपना कलेजा मोचकर चढ़ा देता हूँ।" (जीवकात—'लहर' नागार्जुन विशेषांक, नवम्बर 1970, पृ०, 36)

इस प्रकार नागार्जुन का पूरा साहित्य कविता और उपन्यास उनकी जीवन यात्राओं के अनुभवों से अटे पड़े हैं। निम्न वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग उनके लेखन के नायक हैं। उत्पीड़ित और शोषित समाज उनका कथ्य है और अनुभवों की धार पर रखी हुई भाषा उनकी अपनी है।

नागार्जुन ने 'रतिनाथ की चाची' में विधवा समस्या, 'बलचनमा' में किसान और जमींदार आन्दोलन 'नई पीढ़' में अनमेल विवाह, 'बाबा बटेसरनाथ' में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और 'जमींदार उन्मूलन' में जमींदार और भूस्वामी की मिली-भगत से किसानों का शोषण, 'दुःख मोचन' में विधवा का अन्तर्जातीय विवाह, 'वर्ण के बेटे' में निम्नवर्गीय मछेरों के जमींदार के खिलाफ सगठन और निम्नवर्गीय नारी सक्रिय भूमिका, 'कुम्भीपाक' में असहाय महिलाओं की नाटकीय जीवन की दास्तान 'जमनिया का बाबा' में पण्डे पुजारियों के डोंग, 'उग्रतारा' में गर्भवती विधवा का पुनर्विवाह, 'पारी' में अनमेल वर की कहानी तथा 'अभिनंदन' (हीर जयती का अभिनव प्रकाशन) में राज-नेताओं की घुराफात-अवसरवादिता और उनकी मतानों के चाल-चलन का व्योरा प्रस्तुत किया है।

कविता के क्षेत्र में तो उन्होंने सामाजिक चित्रण को बखूबी पेश किया है। समा-कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश उनकी कविताओं में मुखर हो उठा है। 'युग धारा', 'सतरंगे पंखों वाली', 'प्यासी पथराई आंखें', 'खिचड़ी विप्लव देखा

हमने', 'हजार-हजार वांछों वाली' आदि अनेक कविताएं और संग्रह हैं। कुछ अप्राप्य रचनाएं भी नागार्जुन ने लिखी तो कुछ शासन का कोपभाजन बनकर इधर-उधर हो गईं। नागार्जुन का कविता-बोध तात्कालिक समस्याओं पर होता है।

इस तरह नागार्जुन ने अपने जीवन में समाज की खुली किताब से सीखा। सामाजिक विसंगतियों से उनके मन में विद्रोह और आक्रोश उभरा है, दलित और शोपित के प्रति उनके हृदय में करुणा और दया का भाव जागृत हुआ है तो शोपक और अत्याचारी के प्रति उनके मन में घृणा और व्यग्य ने जन्म लिया है। उन्होंने अपने नायक को अपने परिवार का बनाकर उसे वीरान जंगल में अथवा जैसा का तैसा नहीं छोड़ा उसे सहानुभूति दी, दिशा-निर्देश दिया है। इसी के लिए आज भी उनके कंधे पर एक अदृढ़ धैर्य लटका रहता है। बीमार होते हुए भी वे अपने इन निम्नवर्गीय शोपित और पीड़ित समाज के सदस्यों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं।

नागार्जुन की वैचारिकता

स्वातंत्र्योत्तर भारत के गांवों की बोली—बनी पहनाव-उढाव, खान-पान, रहन-सहन, सोचने-समझने के तौर-तरीकों, कीचड़ और रपटीले रास्तों, भूखे और नगे लोगो पीसे के पीछे मरते और भगते बेईमानों, साप की तरह केचुली बदलते महानुभावो, देश-प्रेम का ढोंग करने वाले आदमी की शबल में भेड़ियो, धर्म की आड़ में काम-विपासा शान्त करने वाले पाखण्डियो-चुगलखोरो, अधिकार के लिए लडने-मरने वाले किसानो, मजदूरों, समाज से टक्कर लेती विधवाओं, जर्जर थोथी सामाजिक मान्यताओं को तोडते हुए नौजवानो, ढोंग और आडंबरों पर पलने वाले ब्राह्मणो, सूद दर सूद की लपेट में घिसटते गरीबों, जमींदारों के शोषण से आजिज निरीह किसानों की पहली बार रंगीन तस्वीर नागार्जुन ने अपने उपन्यासो में उतारी है। हिंदी साहित्य को यह उनकी अनुपम भेंट है। यह भेंट वैचारिक धरातल को सजाने के लिए नहीं बल्कि उसे चौकाने के लिए है जिसे हर बार देखकर नवीन वैचारिक उन्मेष होता है, समाज में कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। नागार्जुन ने अपनी इस तस्वीर को मिथिला और बिहार के अंचलो में रंगा जरूर है परन्तु उसके तमाम रंग राष्ट्रीय रंग हैं। भारत का समूचा मानचित्र देहाती तस्वीर से स्पष्ट झलकता है।

नागार्जुन की उपन्यास यात्रा 1948 (रतिनाथ की चाची) से लेकर 1979 ('अभिनंदन' हीरक जयती का अभिनव संस्करण) तक है। उनके हिंदी में ग्यारह उपन्यास हैं। इस समूची उपन्यास यात्रा में उनकी अपनी सहानुभूति दबे, पिसे, शोपित, दलित, कर्ज और गुलामी में डूबे सामान्य पात्रों के साथ रही है और उनके उपन्यासों के मुख्य नायक के रूप में इन्ही वर्गों के पात्रों का चयन हुआ है। वे तिलमिला उठते हैं जब कभी उनके इन लड़ते और कुनबैती पात्रों पर अत्याचार होने लगता है। और यही नहीं अपनी

साधारण और गरम धरती के माध्यम में अपने पापों की बर्तनी को ठंडा बना देने है कि पात्र पाठक का अपना मनगढ़ भगा जाता है। साथ ही दृष्टव्य है कि नागार्जुन कर्त्रे और गुलामी में परेमान मजदूर, गरीब जनता के दुःख-दर्द की बड़ी महगई और गभीरता में गेते है। उन्हे ज्ञान है कि गरीब और मजदूर की अस्मिता उनके धरती पेट में जुड़ी हुई है उसे भरने के लिए यह जिनकी परिस्थितियों में विद्यमान है जिनके कष्ट और दुःख सहना है। यह वर्णनानीक है। पेट की रिक्तता उंगे उंगे जीवन के अन्त तक अनेको समझौते में सौदती चयती है।

नागार्जुन का मधुषा उपन्यास जगत गरीब और निरीह जनता के ऊपर होने वाले शोषण का जगत है उन्होंने अपने लेखन में अपने निजी अनुभव के आधार पर समाज की विषमताओं का चित्रण किया है। अपने उपन्यासों में उन्होंने किमी भी अतिरिक्त और कल्पित पात्र को कोई भी स्थान नहीं दिया और न ही उन्होंने कथानक में कल्पना के पथ फेंकाकर अन्य पात्रों की भांति उद्योग भरने की कोशिश की है—

“नागार्जुन ने अपने कथा साहित्य में श्रम समाज का चित्रण किया है वह उनका देखा-भाला है। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण किया है। गरीब धरती से लेकर धरती भेंट लेने वाले मंत्रिगण और पानी छूने से लेकर ‘महम्मद जीर्णामंत्र’ के पाठ तक सबके वर्णन उनके कथा-साहित्य में सुगम हैं।” (डॉ० प्रहलादचन्द्र भट्ट : नागार्जुन जीवन और साहित्य, 1974, पृ० 24)

इस प्रकार हम देखते हैं कि नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में बड़ी सूझ-बूझ के साथ अपने अनुभव को उकेरा है। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए हम उसकी लेखनीय वैचारिकता को निम्नलिखित शीर्षकों में रख सकते हैं—

(क) यथार्थ चित्रण

नागार्जुन की समस्त औपन्यासिक कृतियां उनके देगे-भाले जीवन और समाज के ऊपर आधारित हैं। उपन्यासों में उन्होंने कथानक की प्रामाणिकता को यथार्थ के चित्रण के माध्यम में परिपुष्ट किया है। डॉ० रामदरश मिश्र ने उनके यथार्थवादी मुकाम की भूरि-भूरि सराहना की है—

“ये जन-सामान्य की आर्थिक विषमता, पीडा, अभाव, अपमान, संघर्ष को यथार्थ-वादी दृष्टि से उभारते हैं साथ-ही-साथ नयी चेतना के आलोक में बनते नए मूल्यों और संबंधों को भी उभारते हैं। लेखक पुराने सम्बन्धों, मूल्यों और स्थितियों की विभीषिका को चित्रण करता हुआ सर्वत्र उसमें उभरती दरारों को अनावृत करता है तथा नए क्षितिजों की ओर संकेत करता है।” (डॉ० रामदरश मिश्र : हिंदी उपन्यास एक अंतर्गता 1968, पृ० 194)

वास्तव में नागार्जुन की कला वर्णन के क्षेत्र में अद्वितीय है। उन्होंने ग्रामीण समाज के हर वर्ग के, हर जाति के और हर व्यवसाय के साथ चलने वाले दैनिक व्यापारों को वास्तविक रूप में लिया है। उनके उपन्यासों में हमें कहीं भी अतिशयता और भावुक बहाव के दर्शन नहीं मिलते। उन्होंने वस्तुस्थिति का चित्रण बिना किसी लाग-लपेट के

प्रस्तुत किया है। उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण में किसान, जमींदार, राजनेता, गरीब, मजदूर, विधवाएं और सघर्ष करने वाले नवयुवक है जो कि अपनी प्राकृतिक भूमिका में कृतियों में स्थान रखते हैं।

नागार्जुन ने बड़े घरों के महलों को देखा है। परन्तु गरीब की झोंपड़ी से उनका रिश्ता स्थायी है। गरीबी कैसी होती है उसके कारण घर की आवासीय स्थिति में कैसी फिजा बन जाती है 'वरुण के बेटे' में खुरखुन की पारिवारिक स्थिति उदाहरण स्वरूप देखा जा सकती है जहां कि नागार्जुन ने गरीबी का चूल्हा और चौका भी देखा है।

"पुआल विछे घे कोने में, उन पर फटी-पुरानी बोरी बिछा थी एक जवान लड़की और नंग-धड़ंग बच्चे बेतरतीब सोए पड़े थे। ओढ़ना के नाम पर कथरी गुदड़ी के दो-तीन छोटे-बड़े टुकड़े उन शरीरों को जहा-तहाँ से ढक रहे थे। दूसरे कोने में चूल्हा-चौका। तीसरे में अनाज रखने के कूड़े और कुठले। चौथा कोना खाली। छप्पर के बांसों से दसियों छिन्के लटक रहे थे। मछलियां पकड़ने और फंसाने के औजार भीत की खूटियों से टंगे थे—गोंजटापो, सहत, सरंला किस्म-किस्म के डंडे। जालों की कड़ाई-बुनाई में काम आने वाले छोटे-बड़े सूए शतरंजें। जालों के अधूरे टुकड़े। घर-गिरस्ती की बाकी दसियों चीजें। यानी खुरखुन का समूचा ससार ही माना तेरह फुट लम्बे गौ फुट चौड़े घर में अटा पड़ा था। भीतें बीस साल पुरानी, फिर भी मजबूत थी।" (द्वितीय संस्करण : 1975; पृ० 11-12)

शाजकल के चारण वृत्ति वाले तथ्याकथित बुद्धिजीवी और पत्रकार मंत्रियों और शासनाधीशों के पीछे-पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। अपने सिद्धान्तों और कर्तव्यबोध को ठुकराकर वे 'अहोर्हण अहोर्ध्वनि' वाली परम्परा को जीवित बनाए हुए हैं। नागार्जुन ने ऐसे लेखकों के मंत्रियों से चिपकने, उनके अभिनन्दन ग्रन्थ छापने, हीरक जयंती मनाने के मनमूबे को अपने उपन्यास 'अभिनंदन' ('हीरक जयंती' का अभिनव प्रकाशन) में यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। उसका कथ्य बेहद प्रामाणिक है। अतः वे उन तमाम भोगे हुए जीवन के अशों को अपनी कला का आधार बनाते हैं जिनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। वे इस संदर्भ में कबीर के अनुज माने जाए तो अत्युक्ति न होगी। डॉ० विजय बहादुर सिंह ने उनकी इसी यथार्थवादी चेतना पर टिप्पणी करते हुए लिखा है—

"वे प्रायः उन्हीं अनुभव खण्डों को लेते हैं जिनके बारे में उनकी जानकारी बहुत गहरी है। इसलिए गांव और शहरों का निम्न मध्यमवर्गीय जीवन ही वे कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पढ़ी और सुनी हुई दुनिया पर उनका भरोसा कतई नहीं है। वे देखी हुई दुनिया के लेखक हैं।" (नागार्जुन और उनका रचना ससार, 1982 पृ० 82)

स्वभाव से ही घुमटू और फक्कड़ और यथार्थ की भूमिका में जीने वाले बाबा ने देश-देहात की जन-सामान्य से लेकर जन-विशेष की सामाजिकता को बड़ी निकटता से देखा है। वे अपनी प्रतिभा के धनी हैं। उनकी पंनी नजर से सामान्य-सी चीजें भी ओझल नहीं हो पाती। उन्होंने प्रत्येक वर्ग की अन्दरूनी प्रवृत्ति को पहचाना है।

नागार्जुन को राजनीति का गहरा अनुभव है। वे राजनेताओं की रग-रग से परिचित

है। स्वयं को भी समाजवादी चेतना के साथ जुड़े होने के कारण राजनीतिक जगत को खुल कर देखने और पहचानने का मौका मिला है। वे राजनेताओं की देशभक्ति की रामनामी चादर से भी परिचित हैं। और उनकी अपने परिवार की कल्याणकारी योजनाओं से भी। उन्होंने नेताओं द्वारा सामान्य जनता को दी जाने वाली ओष्ठ्य सहाय-भूति भी देखी है और उनके गला काटने वाले हथियार भी। सरकार की ओर से आम जनता को दी जाने वाली राहत में इनका कुछ प्रतिशत शेयर भी सुरक्षित है और देश के तथाकथित संचालक होने के कारण धी० आई० पी० का खिताब भी इन राजनेताओं ने अद्विष्ट्यार कर लिया है। इसे उन्होंने अपने उपन्यासों में भी बड़ी गहराई से चित्रित किया है। काव्य-जगत में तो वे अग्रणी हैं। उदाहरण के लिए 'बलचनमा' में रिलीफ फण्ड के वितरण की राजनीतिक धांधलेवाजी फूलवाबू के माध्यम से देखी जा सकती है जिसका गवाह बलचनमा है—

“रिलीफ फण्ड की ओर से भगवान जाने कितनी रकम एक गांव के लिए उन्हे मिली थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुशीजी के लड़के से जो मुझे मालूम हुआ वही तुम्हें बता देता हूँ। इससे तुम्हें इतना अंदाज जरूर होगा कि लाखों की वह रकम लोगों में किस तरह बंटी होगी। लो सुन लो भइया—

बबुअन पाठक के नाम पर	60 रु० की रकम लिखी थी	30 रु० मिले
दामो ठाकुर	40	20
मोसम्मात जानकी	30	15
तारानन्द झा	30	15
खो खाई मिसर	25	10
चतुरानन चौधरी	40	20
पचकौड़ी झा	25	10
जैबल्लभ मलिक	25	10
बमभोले झा	25	10
वचवे निसर	25	10
मनियार गोप	25	8
झकोड़ी गोप	25	8
कपिलेसर मड़र	25	8
तीरी अमात	20	6
कल्लर केवट	20	6
मुसम्मात कुंती	15	3
वहू चमार	15	3
शेखअब्दुल	25	8
करीम वक्श	15	3
मोसम्मात हमीदा	15	3

समझा भैया, बीस आदमियों के नाम सवा पाच सौ रुपये की खंरात लिखी गई

लेकिन लोगों को मिलें सिर्फ दो सौ छह रुपये।" (पृष्ठ 154-55)

यह मात्र एक नेता के साथ घटने वाली घटना नहीं है यह सत्ताधारी सियारों की परम्परा आज तक चली आ रही है। उनके द्वारा स्वयं ही इस तरह के भ्रष्ट आचरणों की भरपूर मिलती है। नागार्जुन की राजनीतिक समझ इस सम्बन्ध में बड़ी पक्की है। आज के मंत्री और मुख्यमंत्री किस तरह अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे हैं कितने प्रेम और वैशिश्लेषक वे अपनी सत्ता का प्रयोग परिवार के सुख के लिए करते हैं। यह दैनिक समाचार पत्रों में दिखाई पड़ता है।

यह तो रही राजनेताओं की खुद की बात। नागार्जुन इनके सुपुत्रों के चरित्रों को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। तस्करी करना, डकैती डालना, लड़कियां उठाना, रिश्वत लेना, चंदे के नाम पर लाखों की रकम ऐंठना इन कुलदीपों की बचपनी आदत है। जब इन आदतों को नेक और ईमानदार कर्मचारी, अधिकारी पकड़ लेते हैं तो या तो वे गरीब किसी ऐसी जगह या ऐसे विभाग में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं कि वे फिर कभी उनके रास्ते में न आयें अथवा उन्हें डरा-धमकाकर तथ्यों में उलट-फेर करवाई जाती है। 'अभिनन्दन' के माल मंत्री श्री नरपत बाबू अपने बेटे को नेपाल सीमा पर तस्करी करते हुए एकसाइज अधिकारी मि० सेन द्वारा पकड़ लिये जाने की खबर को अखबार में छपा देखकर चिंतित हैं और अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कहते हैं—

"नगेन्द्र चार घण्टे से पुलिस कस्टडी में है। आवकारी विभाग के अधिकारियों ने उसकी ट्रक जोग बनी में रोक रखी है। कहते हैं, ऊपर बीस मन तम्बाकू के पत्ते थे नीचे पचास मन गांजा... इस लड़के ने तो मुझे भारी सकट में डाल दिया है, दयाल बाबू।" (पृ० 129) इस तस्करी को फोन पर डांटकर किस तरह साधारण माल में बदला जाता है यह भी दृष्टव्य है—

"हलो...हलो...ट्रक। हल्लो...हा, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी... हां आप कौन...? मिस्टर सेन? एक्साइज सुपरिन्टेंडेंट?...हलो...हलो ट्रक कनेक्शन अभी तोड़िए नहीं...हां मिस्टर सेन? हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है कि इस ट्रक में तम्बाकू थी गांजा नहीं था। उसमें नहीं बिल्कुल नहीं साब! ट्रक में गांजे की एक भी कली नहीं...आप लोगों को घोखा हुआ है मिस्टर सेन...।" (पृ० 129-30) और बिचारे मिस्टर सेन पर उसके बरिष्ठ अधिकारी की डांट पड़ती है कि वह निन्दनीय कार्य कर रहा है। इसलिए उसे शीघ्र ही उस चहेते बेटे के ट्रक को छोड़ कर मंत्री का कृपा पात्र बनने का सर्टीफिकेट लेना चाहिए और हुआ यही कि—

"अपने आका की डाट-डपट खाकर बेचारे मिस्टर सेन को मान लेना पडा कि ट्रक में तम्बाकू ही थी, गांजा नहीं था और नगेन्द्रनारायण सिंह रात को साढ़े बारह बजे पुलिस की हाजत से छुटकारा पा गए। उनकी ट्रक सही-सलामत नेपाल-भारत सीमा के इस पार आ पहुंची।" (वही, पृ० 130)

यह रही एक मंत्री के घर की घटना। आपातकाल के दौरान से युवा वर्ग के नाम पर इन मंत्री-पुत्रों ने पूरे हिन्दुस्तान में तहलका मचा रखा है, वे शासन का अंग न होते हुए भी प्रशासन को अपनी उगली पर नचाते हैं। अधिकारियों को डरा-धमकाकर

नाजायज परमिट, टायसेस आदि लेकर अपने मन के सभी शोर पूरे करते रहते हैं। नागार्जुन की इन पर पूरी नजर है।

नागार्जुन ने सामाजिक विद्रूपताओं का वर्णन भी बड़ी कुशलता के साथ किया है। वे अनमेल विवाह, दहेज और विकीआवर जैसी धोंधी मान्यताओं की वास्तविक कम-जोरियों को समझते हैं। इन ओछी परम्पराओं में संलग्न उन तमाम ढोंगियों की उन्होंने कलई खोली है जो इस कार्य को व्यवसाय के रूप में करते चले आ रहे हैं। नारी के शरीर का व्यवसाय करने वाली चंदा बुआ पर कच्ची उमर की लड़की भुवन 'कुंभीपाक' में अपनी जिन्दगी का यथार्थ प्रस्तुत करती है—

“तीन-चार मामूली साड़ियाँ, दो ब्लाउज, रौल्ड गोल्ड के ईयररिंग और...बुआ मुझे ठगती है...यह औरत सौ चुड़ैलों की एक चुड़ैल है। जाने कितनी छोकरियों का कीमा बनाया होगा। मुझे भी तल-भुनकर खा जायेगी। हम क्या है? रकम बनाने की फँकटरी के कलपुर्जे हैं। देखे तो आँके कोई, ममता का कुआ बनकर कैसे हमदर्दी उड़ेल रही है इस वक़्त—” (द्वितीय संस्करण, पृ० 32)

भुवन द्वारा अपने को पैसे बनाने वाली फँकटरी के कल-पुर्जे बताना यह उस जगत का जीवित यथार्थ है जहाँ स्त्रियों के शरीर की अनदेखे और अनचाहे लोगों के लिए नीलामी होती है। भुवन जैसी न जाने कितनी किशोरियाँ अपने कौमार्य को पैसे के लिए मौन होकर लुटाती हैं। होटलो, डाक-बगलों, मेहमानों की दावतों में कँबरे नृत्य आदि में ऐसी ही बेबस और अर्थाभाव वाली महिलाएँ दिन-रात देखी जा सकती हैं। इसी तरह की आत्माभिव्यक्ति अनमेल विवाह पर 'पारो' उपन्यास की किशोरी नायिका करती है। अपने से उम्र में तीन गुने वृद्ध व्यक्ति के साथ उसकी विधवा मा को असहाय समझकर समाज के ठेकेदार उसे विवाहित कर देते हैं। भावुकता में पारो अपनी सुहागरात का दृश्य प्रस्तुत करती है—

“चतुर्थी की रात में दस रुपये के दस नोट मेरे आगे फैलाते हुए उन्होंने कहा था— और चाहिए तो वैसा कहिए? क्रोध से मैं जलने लगी। हे भगवान! दंड दे मगर फिर औरत बनकर इस देश में जन्म नहीं दे—दीआ। पैतालीस वर्षों का नर-पिशाच एक अबोध लड़की के सामने दस रुपये के नोट का पधार इसलिए लगावे कि—।” (प्रथम संस्करण, पृ० 50)

नागार्जुन ने अर्थाभाव में बाल-मजदूरी पर 'बलचनमा' उपन्यास में यथार्थपरक दृष्टिकोण में विस्तार से चर्चा की है जो समय सापेक्ष है। अर्थाभाव के कारण छोटे-छोटे बच्चों के मा-बाप अपनी कच्ची उम्र की सन्तान को जिनके कि खाने और खेलने के दिन हैं मजदूरी में रूपए, दो रूपए रोज में काम पर लगा देते हैं। नागार्जुन ने बलचनमा के बाल-मजदूर को बड़ी संवेदना के साथ प्रस्तुत किया है। यह माना कि बलचनमा कम उम्र का कच्चा बालक है। अभी उसके खाने-खेलने के दिन हैं परन्तु गरीबी और अर्थाभाव उससे हाइड्रोड मेहनत करवाने के लिए निरन्तर दबाव डाल रहे हैं। उसकी नाबालिगी भुखमरी और असहायता के वातावरण में बालिगी बन जाती है। चौदह वर्ष के उस बालक को एक पूरे मजदूर के रूप में ढालने का प्रयास आधुनिक आवश्यकता बनकर मजदूर के

जीवन की वास्तविकता को उजागर कर रहा है।

“उसके बाद दादी और मां की राय हुई कि मैं मालिको की किसी पट्टी में चरवाहे का काम करूं। दादी ने मना किया था। अभी छाने-खेलने के दिन हैं इसी समय जोत दोगी तो कलेजा सूख जाएगा, इस पर मां बोली थी कि अभी से पेट की फिकर नहीं करेगा तो बहतम (आदारा) हो जायेगा।” (पृ० 4)

वास्तव में मजदूर की जिन्दगी का यही सबसे बड़ा यथार्थ है। दो-जून की रोटी के लिए अपने शरीर को चाहे वह कच्चा हो अथवा पक्का मालिक के नैतिक और अनैतिक काम के लिए हाजिर रखना उसकी मजबूरी है। यह यथार्थ अकेले बलचनमा का ही नहीं आज यह रोग असाध्य रूप में शहरो और कस्बो में खूब पाया जाता है। छोटे-छोटे यच्चे जो कि अभी कपडे तक ढग में पहनना-वाधना तक नहीं जानते परन्तु उनके मां-बाप उन्हें मजदूरी कराने को बाध्य हो जाते हैं। होटलों में वर्तन साफ करना, व्यापारियों को दुकान पर इधर में उधर बोझा ढोना, रिक्शा चलाना, सड़क पर मरम्मत का काम करना अब उनकी रोजी-रोटी के लिए अनिवार्य हो गया है। सुबह में शहर और कस्बों के चौराहों पर जहां मजदूर मजदूरी करने के लिए इकट्ठे होते हैं इन अबोध यच्चो को भी उनके साथ छडे देखा जा सकता है जिन्हे मालिक लोग आधी-पौनी मजदूरी में बड़े रिरियाने पर कबूलते हैं।

धर्म मठी में होने वाले अमानवीय व्यवहारो की भी नागार्जुन ने निगरानी की है। धर्म की आड़ लेकर ढोंगी और आडम्बरी लोग अशिक्षित और भोली-भाली जनता को भटकाते हैं। धर्म के नाम पर नैतिक और अनैतिक व्यापार देवालया में खुले आम देखने को आज मिल रहे हैं। वीसवीं शताब्दी में जहां विज्ञान ने प्राकृतिक सत्ता पर प्रश्नचिह्न लगा दिये हैं वही ये अखाडे आज समाज को अन्धविश्वासों में धकेले जा रहे हैं। नागार्जुन ने अपने उपन्यास ‘जमनिया का बाबा’ में ऐसे ही ‘घ्रष्ट मठाधीश’ का चित्रण किया है।

वास्तव में नागार्जुन ने समाज के बहुविस्तृत आयामो को देखा है परन्तु बाबा नागार्जुन की यह विणेषता रही कि उसमें उन्होंने चेतना के अंकुर उगाए है, उसे एक दिशा दी है—

“नागार्जुन भारतीय समाज के उन यथार्थवादी लेखकों में से है जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दुर्वलताओं और बदनीयतों के साथ-साथ धार्मिक पाखण्डो को भी मद्देनजर रखते हैं। धर्म और राजनीति के ढोग जहां मिलकर खतरनाक होते हैं वे उसे भी उघेड़ते हैं। इस प्रकार की प्रचार-धर्मिता लेखन के लिए धर्मवत है यही पहुंचकर लेखन सामाजिक परिवर्तन का एक कारगर हथियार बन पाता है।” (डॉ० विजय वहादुर सिंह : नागार्जुन और उनका रचना संसार, 1982, पृ० 83-84)

इस प्रकार यह साफ जाहिर है कि नागार्जुन ने अपनी कृतियों में विस्तार से यथार्थ चित्रण किया है। समाज, गरीबी, मजदूरी, मजबूरी, धर्म, राजनीति आदि का वास्तविक रूप हमें उनकी कृतियों में देखने को मिलता है। नागार्जुन उन सच्चे लेखकों में है जो स्वयं अपने लेखन के साथ प्रतिबद्ध है। उनके व्यक्ति और रचनाकार में एकरूपता ही उनके यथार्थवादी चिन्तन की जननी है।

(ख) नारी-समाज का उत्थान

नागार्जुन का नारी-समाज के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रहा है। वे नारी-समाज पर होने वाले अत्याचार और शोषण के प्रति घोर विरोधी रहे हैं। उनकी दृष्टि में नारी आधुनिक समाज के उत्थान का अनिवार्य घटक है। उमकी अनुपस्थिति में वे समाज के विकास को एकांगी और अधूरा मानते हैं। अतः उन्होंने अपने उपन्यासों में ऐसे स्त्री पात्रों को लिया है जिसमें समाज का स्वस्थ विकास हो सके। नारी-जीवन में घटने वाली तमाम घटनाओं विधवा, बालविवाह, अनमेल विवाह विक्रोधावर, होटलों, पार्टियों में नारी का शरीर प्रदर्शन, आदि को नागार्जुन ने आर्थिक तंगी के साथ-साथ समाज की थोथी मान्यताओं का कारण माना है। इसीलिए वे अपने उपन्यासों में इन तमाम विद्रूपताओं को प्रदर्शित करते हुए उनके निराकरण की एक दिशा 'आधुनिक नारी' की भूमिका में देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन नारी के जीवन को ऊँचा उठा सकता है। अतः उनकी स्त्रियाँ चेतना-सम्पन्न हैं। अनपढ़ होने हुए भी उनमें एक मादंड है। वे सीना खोलकर समाज से टकरा लेती हैं। मानव समाज के चरणों पर उसे पति मानकर उमकी पंगु नैतिकता में घुट-घुटकर उन्हें जीवन बिताना स्वीकार नहीं है। लेनिन ने कहा भी था—“सभी मुक्ति आंदोलनों के अनुभवों से यह देखा गया है कि किमी क्रांति की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि उसमें औरतें किस हद तक भाग लेती हैं।” (नारी मुक्ति, 1972, पृ० 43)

नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में नारी-चेतना के विविध सोपानों को खोला है। उन्होंने अनमेल विवाह के कारण जिनमें दस-दस, पंद्रह-पंद्रह वर्ष की लड़कियों का विवाह पचास-पचास, साठ-साठ और सत्तर-सत्तर वर्ष के बुढ़ों के साथ जो कि उनसे उम्र में ठीक चार-चार पाँच-पाँच गुने बड़े होते हैं और देखने पर पति की जगह पर पिता सदृश होते हैं, वैधव्य को कई कोणों से छुआ है। वे जानते हैं कि असहाय विधवा जिसके पाम कोई साधन नहीं है वह समाज की चारदीवारी में घुट-घुटकर दम तोड़ती है। थोथी मान्यताएँ उसके पैरों में बड़ी डालकर उसके समूचे अस्तित्व को मिटा देती हैं। वैधव्य एक अभिशाप है। उनकी नारियाँ उससे बचने के लिए पुनर्विवाह करती हैं। 'अभिनन्दन' उपन्यास में मा मंत्री दाबू नरपत सिंह की छव्वीस साला बेटी जोकि बाल-विधवा हो गई थी समाज की थोथी मान्यताओं को ठुकराती हुई स्वयं निर्णय लेकर अपने इन्टर क्लास के पुराने सहपाठी के साथ चली भी जाती है।

नागार्जुन ने इस तरह के विवाह तो उन विधवाओं के कराए हैं जो बाल-विधवाएँ हैं और नि सन्तान हैं। उन्होंने नारी-समाज में इससे आगे और बढ़कर क्रांतिकारी कदम रखा है जबकि विधवा उग्रतारा का विवाह गर्भवती होते हुए भी उसके मनचाहे वर कामेश्वर से कराया है। इस कार्य को सम्पन्न कराने के लिए उन्होंने रुद्धिप्रस्त समाज की महिला का सहारा न लेकर एक चेतना-सम्पन्न महिला कामेश्वर की भाभी को लिया है जोकि उग्रतारा और कामेश्वर के विवाह को प्रसन्नता के साथ सम्पन्न कराती है। नागार्जुन की पूरी-पूरी सहानुभूति इन बेवस महिलाओं के साथ है वे विधवा नारी को

सामाजिक सम्मान दिलाने के प्रबल ममथंन हैं। डॉ० प्रकाशचन्द्र भट्ट ने नागार्जुन के इसी रुझान पर लिखा है—

“स्पष्ट है कि लेखक विधवा को विवाहित देखना चाहता है। साथ ही लेखक इन पीड़ित नारियों को पूर्ण पवित्र मानता है।” (नागार्जुन जीवन और साहित्य, पृ० 250)

नागार्जुन के नारी पात्र घर की चारदीवारी में घिरकर मनुष्य के मुहताज नहीं हैं। वे पुरुष समाज से किसी कीमत में कम नहीं हैं। जितनी कार्य धमता पुरुष में होती है उतनी ही नागार्जुन के ये स्त्रीपात्र कर दिखाते हैं। वे समाज-सुधार से लेकर राजनीति तक में बेझिझक समाज की जर्जर रूढ़ियों को तोड़ते हुए प्रवेश करती हैं! नागार्जुन के नागी पात्रों की राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका रही है। ‘वर्ण के बेटे’ की माधुरी ने आधुनिक नारी की भूमिका में सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को नयी चुनौती दी है। वह पति-धर्म की उस आदर्शवादिता को लतिया देती है जिसके अन्तर्गत यह माना जाता है कि “स्त्री के लिए पति कँसा ही हो परमेश्वर होता है।” वह समुराल में होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं करती और अपने पिता के घर चली आती है। अब माधुरी समाज को अपने जूते की नोक पर रखती है। वह अकेली रहकर अपने पिता खुरखुन का हाथ बटाती है और मेहनत-मजदूरी करके अपने पिता के साथ परिवार का निर्वाह करती है। माधुरी के हृदय में नारी-मुलभ व्यावहारिकता है। वह समाज-मेवा के लिए भी दिन-रात काम करने में संकोच नहीं करती—

“ऐसा लगता था कि खुरखुन के लिए वह लड़की नहीं है लड़का है। खाचे में मछलिया लेकर अब वह पड़ोस के गावों में बेच आती थी। देपुरा जाकर दवादारू और सौदा-वाड़ी ले आती थी। बाढ़-पीड़ितों के लिए रिलीफ का काम शुरू हुआ तो वह गढ़पोखर के सहायता-शिविरों में डट गई और इससे बाप को बेहद खुशी हुई।” (पृ० 87)

नागार्जुन ने नारी-समाज पर अपने सिद्धान्त को कहीं भी आरोपित नहीं किया है। उन्होंने नारी-वर्ग में से ही नारी-समाज पर होने वाले अत्याचारों पर प्रश्नचिह्न लगाये हैं। ‘रतिनाथ की चाची’ में गौरी चाची की माँ विधवा के अर्नैतिक गर्भ का संकेत करती हुई विधवा समाज की विद्रूपता पर प्रकाश डालती है—

“कोई क्या कर लेगा हमारा ? बिटिया को मैं ब्याज की तरह जमीन के अन्दर दबाकर नहीं रख सकती इसके चलते जो कुछ हो। जिस समाज में हजारों की तादाद में जवान विधवाएँ रहेंगी वहाँ यही सब तो होगा।” (संस्करण वर्ष 1977, पृ० 30)

इन सब कारणों के पीछे नागार्जुन ने अधिका को बहुत बड़ी भूमिका माना है। वे आधुनिक समाज में नारियों के लिए शिक्षा को अनिवार्य मानते हैं। पढ़-लिखकर स्त्री अपने पैरों पर स्वयं खड़ी होती है उसमें एक आत्म-सम्मान और आत्म-निर्भरता अपने आप पैदा होती है। वे समाज में नारी को पढ़ा-लिखा देखना चाहते हैं ‘बलचनमा’ में वे संकेत भी देते हैं कि—“जब लड़कियाँ भी लड़को की तरह पढ़ी-लिखी होने लगेंगी तभी इस मुल्क का उद्धार हीगा।” नागार्जुन ने नारी के बारे में नवीन दृष्टिकोण का परिचय दिया है। उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में इस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की है। नारी उनके लिए, माँ, बहिन, साथी और दिशादर्शिका है। वह मात्र

काम-पिपासा को शान्त करने की निरक्षरिणी नहीं। नागार्जुन नारी के सामाजिक सम्मान के प्रति सजग है। नारी-समाज पर होने वाला जुल्म उन्हें सह्य नहीं है। वे अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए अपने इन पात्रों को क्रान्ति की भूमिका में प्रस्तुत करते हैं।

(ग) शोपित वर्ग के प्रति संवेदना

नागार्जुन का लेखन उन लाखों लाख गरीब, बेपढ़े, भूखे-नगे, भूमिहीन मजदूर, कर्ज में डूबे हुए किसानों का लेखन है जो दिन-रात जाड़े-गर्मी-बरसात में मेहनत में डूबे हुए हैं परन्तु जिन्हें पेट भरने की रोटी और तन ढकने को कपड़े की कत्तल तक मुहैया नहीं होती। अपना और अपने बच्चों का पेट काट-काट कर जमींदार और साहूकार का कर्ज चुकाने में ही जिनकी जिन्दगी समाप्त हो जाती है। अच्छी चीज खाने के नाम पर सदैव उन्हें मालिक लोगों की जूटन मिलती है। दो-दो पैसे के लिए जिन्हें हर समय मालिक लोगों के घर पर हाथ फेलाकर खड़ा रहना पड़ता है। बार-बार मालिक की झिड़कियाँ और लात-धूसा खाकर जिनका जीवन आगे बढ़ता है। नागार्जुन ने यह सब खड़े होकर देखा है। प्रकाशचंद्र भट्ट ने कहा भी है—

“पीड़ितों और शोपितों के प्रति संवेदनशीलता इनकी विचारधारा का प्रधान अंग है। वे निम्नवर्ग के शोषण से क्षुब्ध हैं। जमींदारों के अत्याचार और अनाचारों का चित्रण करते समय मजदूरों और किसानों के प्रति हार्दिक सहानुभूति उन्होंने व्यवत की है।” (नागार्जुन जीवन और साहित्य, पृ० 247)

नागार्जुन ने गरीबी, शोषण और निम्नवर्ग की सामाजिकता का चित्रण ‘बलचनमा’, ‘वावा वटेसरनाथ’, ‘वरुण के वटे’, ‘दुखमोचन’ में बड़े विस्तार से सजीवता के साथ किया है। नागार्जुन ने स्पष्ट किया है कि देहाती जीवन में हाथ-पैर की मेहनत खोर-खेती से मजदूर और किसानों की किस्मत जुड़ी हुई है। उनके सारे कार्य-व्यापार ‘भूमि’ पर फल से साथ जुड़े रहते हैं। गाव का मुख्य व्यवसाय खेती होता है इसलिए मजदूर से लेकर किमान और मूदखोर महाजन से लेकर सर्वहारा तक की आशा की निगाहे धरती मा पर टिकी रहती हैं।”

नागार्जुन के शोपित पात्र निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों ही वर्गों के हैं। उन्होंने शोषण की चक्की में पिसने वाले व्यक्ति की तस्वीर अपनी कृतियों में प्रस्तुत की है जहाँ विशेष की नहीं। वह शोषण और अन्याय के किसी भी स्तर पर पक्षधर नहीं हैं। ‘बलचनमा’ में गरीबिन विधवा ब्राह्मणी फूदन मिसर की विधवा मझले मालिक की गिरहस्थनी की चक्की में पिस रही है नागार्जुन उसे भी सामने रखते हैं। वह विधवा, भालकिन के कम तौलने और ज्यादा बमूलने पर बिलबिला कर ‘बदले हुए बटखरे’ का संकेत देती है।

इस तरह नागार्जुन ने समाज के उन दवे-पिसे लोगों एवं वर्गों को लिया है जो दिन-प्रतिदिन अभाव और तंगी में जीवन-यापन कर रहे हैं। वे अपने लेखकीय समार में इन सभी को साथ लेकर उनकी समस्याओं में जुड़ रहे हैं।

(घ) प्रगतिशील चिन्तन

नागार्जुन अगमान समाज के ध्वंसक है। वे अत्याचार और शोषण को मानवता में लगा हुआ धुन कह कर पुकारते हैं इसलिए वे गरीब और मूक जनता के लेखक, ग्राम कवि, सर्वहारा के हिमायती-भावसंवादी आदि विशेषणों से वे हिन्दी-जगत में जाने जाते हैं।

वाम्त्व में नागार्जुन की कृतियों में अभिव्यक्त चेतना प्रगतिशील चिन्तन का परिणाम है। वे मानव समाज पर मानव द्वारा किये गए जुल्म को समाप्त करने में अपने लेखन की धार को निरंतर पैनी करते रहते हैं। सामाजिक असमानता उनके हृदय में फांस की तरह हर समय करकती रहती है—

“घर-परिवार, समाज और देश की जो समस्याएँ आम जनता को साल रही हैं मसलन गरीबी, भुखभरी, जमीनों का हड़प लिया जाना, अनमेल विवाह, छोटी जातियों के प्रति बड़ी जातियों की शोषणमुखी चतुराइयाँ, शूद्रों और स्त्रियों की दयनीय सामाजिक स्थिति, हिन्दुस्तानी जनता के अंधविश्वास और उनकी आड़ में पनपते ढोंगी साधु-महात्मागण, अनायाश्रमों के रूप में चलते हुए भ्रष्टाचार के अड्डे, नेताओं की स्वार्थ-परायणता और उच्च वर्ग के हितों का संरक्षण, नकली समाजवाद, चितकबरा विकास, भ्रष्ट और पतनोन्मुखी गांधीवाद, जन-विरोधी बुद्धि-चातुर्य आदि न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि वाले साहित्यकार के लिए विचारणीय हैं। एक मच्चे देश-प्रेमी लेखक के लिए ये बातें कितनी पीडादायक हैं, इसे पढकर ही जाना जा सकता है। उनके जीवन अनुभव का यही यथार्थ है जो बार-बार उन्हें कलम यामें रहने को मजबूर करता है।” (डॉ० विजय बहादुर सिंह: नागार्जुन का रचना मसार, पृ० 81-82)

नागार्जुन का साहित्य सम्बन्ध अनुभव और गभीर चिन्तन का परिणाम है। उनकी राजनीतिक और सामाजिक समझ बड़ी पैनी है। वे गाँव और देहात के पक्षधर लेखक हैं। इसलिए उनकी कृतियाँ अति साधारण हैं। उन्होंने सामान्य से विशेष की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट किया है। उनकी इस साधारणता में कर्ज और गुलामी से जूझने वाले नागरिक हैं जोकि परिवेश और परिस्थितियों को जीते हुए मर रहे हैं, मरते हुए भी उठ रहे हैं। ‘मधुरेश’ का यह कथन उनके इसी हलान का संकेत है—

“नागार्जुन की सबसे बड़ी उपलब्धि ही यह है कि उन्होंने साधारण जनता के अति साधारण परिवेश में से ही संघर्ष के मुद्दों की तलाश की। और उसमें उस श्रान्तिकारी चेतना की ज्योति जगाई जिसका इस पूरे दौर के साहित्य में बड़ा करुण प्रभाव दिखाई देता है।” (आलोचना, नवांक-22, 1977, पृ० 54)

नागार्जुन की इस साधारणता के कला क्षेत्र विहार अंचल के रामपुरा, बरहमपुरा सितल पट्टी, मलाही गोढयारी, शुभंकर पुर, तरकुलवा, रूप डली, सुन्दरपुर मढ़िया आदि हैं जो कि उनके कथानायकों के चेतना केंद्र रहे हैं। इन गाँवों में कहीं कर्ज पर गुलामी से पिस्तते मजदूर हैं तो कहीं दौलत की भूख मिटाने वाले लपकोर जमींदार हैं। कहीं राजनीति को आमदनी का जरिया बनाने वाले जन नेता हैं तो कहीं

आदर्शवाद और नैतिकता की थोथी जजीरो में कसी बीमियों विधवाएँ अपने भाग्य को कोस रही हैं। अतः इन सब घटित व्यापारों को उन्होंने एक संवेदनशील रचनाकार होने के नाते बड़े विस्तार में लिया है। इसी संवेदना के कारण उनके पात्र पाठक के बहुत अधिक निकट आ जाते हैं। और 'बलचनमा' में तो यह संवेदनात्मक नैकट्य इतना है कि नायक पाठक की कसम खा-खाकर अपनी कहानी कहने लगता है—

“शाही फकीरों की लीला अपरम्पार होती है। यह औडर तुम पर अगर डर जाए तो कमम तुम्हारी एकैस पुरुखा का उद्धार कर देगे।” (पृ० 107) अपनी इसी संवेदनशीलता के कारण वे विशाल कवि हृदय भी हैं। आनंदप्रकाश ने उनकी इन संवेदनशीलता पर टिप्पणी करते हुए कहा है—

“लेखन में जितना राजनीतिक और समाज-सापेक्ष होना संभव है, नागार्जुन ने उस सीमा बिन्दु को बार-बार छुआ है। इसके अतिरिक्त वर्तमान दौर की जनवादी राजनीति के विभिन्न स्तरों की परस्पर टकराहट को भी एक संवेदनशील रचनाकार की भाँति उन्होंने अपने लेखन के विभिन्न स्तरों पर निरंतर ग्रहण किया है और उस पूरी प्रक्रिया को अपनी रचना में प्रायः सही उद्घाटित किया है।” (युग परिबोध, सयुक्ततांक सितंबर 77-जनवरी 78, पृ० 1)

नागार्जुन वर्गीय चेतना के लेखक हैं। उनकी रचनाओं में वर्ग शत्रु और वर्ग मित्र आसानी से देखे जा सकते हैं। अपने सहज और सधे हुए लेखन के कारण उन्होंने पाठक को कहीं भी भटकने का अवसर नहीं दिया। उनकी तमाम औपन्यासिक कृतियों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चेतना के स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। उन्होंने किसान और जमींदार, मजदूर और मालिक, पूजापति और सर्वहारा, पति और पत्नी, मठ और महंत के आपसी रिश्तों पर तनावों को बड़ी गहराई से लिया है। उन्होंने असमान व्यवहार के कारण ही अपने जुझारु और संघर्षशील पात्रों को आगे किया है।

जमींदार और किसान के बनते-बिगड़ते सम्बन्ध नागार्जुन ने गाँव में जाकर खुद देखे हैं। जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार अपनी प्रभुता को बनाए रखने के लिए फाजिल जमीन, बाग़ पोखर और चरागाहों को चुपके-चुपके नीलाम करा रहा है। इसके लिए नागार्जुन के किसान कान में तेल डालकर नहीं बैठे रहते हैं। वे जमींदार की इस ओछी नीयत का मुकाबला एक संगठन के माध्यम से करते हैं। वे अपने जैसे अनेकों शोषितों को साथ लेकर आगे आते हैं। आज वे अकेले दबे हुए किसान नहीं हैं उनके साथ एक चेतना संपन्न वर्ग भी है जो उन्हें सैद्धान्तिक समर्थन भी देता है। 'बलचनमा' में यह पूरे गाँव के जालिम जमींदार सादुल्लाखा के अत्याचार के खिलाफ 'किसान सभा' का उद्घोष जमींदारों के अस्तित्व को मिटाने की शुरुआत में एक सशक्त कदम है। नागार्जुन की इसी विचारधारा को समाजवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। वे शोषितों का साथ देते हैं उन्हें सीख देते हैं कि अधिकार के लिए लड़ना उनका कर्तव्य है। सब ममान हैं कोई किसी को दबाकर नहीं रख सकता। और यदि ऐसा होता है तो उसके खिलाफ उममें अपनी आवाज उठानी होगी, अन्य शोषित भी उमका साथ इकट्ठे होकर देगे।

‘वरुण के बेटे’ उपन्यास में नागार्जुन ने इसी समाजवादी चिंतन पर सघर्ष का खेल उन मछेरो के बीच खेला है जिनकी रोजी-रोटी को जमींदार अपने बाधी पजों से छीन कर स्वयं निगल जाना चाहता है। मोहन मांझी और मधुरी जैसे नायक और स्त्री पात्र मछेरो की जिन्दगी को एक नया मोड़ देते हैं। वे अपना ‘मछुआ मघ’ बनाकर अपनी जीविका की तमाम समस्याओं को दृढ़तापूर्वक सुलझाते हैं। ये मलाही गोढियारी गांव के मछेरे वास्तव में नागार्जुन के आत्मिय हैं। बाबा नागार्जुन इनके हक के लिए बचन हैं। डॉ० कुंवरपाल सिंह की मछेरो की समस्या और जन-चेतना पर अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी मछेरो के सामाजिक पक्ष का उद्घाटन है जहां से उनके सघर्ष के सूत्र विकसित हो रहे हैं—

“मलाही गोढियारी के छोटे से ग्रामांचल की ये समस्याएं महान भारत की समस्याएं हैं जिनमें भूमि-व्यवस्था, आर्थिक-व्यवस्था और राजनीति भी सश्लिष्ट है। समस्याएं और अवरोध किस प्रकार जन-चेतना को जन्म देते हैं। इसका यथार्थ चित्रण तो इस उपन्यास में है ही, साथ ही शोषण से भरपूर समाज के साधन के रूप में समाजवादी समाज व्यवस्था के सुन्दर रूप को भी लेखक ने प्रस्तुत किया है। लेखक कहीं से भी निराश और कूटित नहीं है और न केवल हवाई कल्पनाओं के रूमानी ताने-बाने बुनता है। वह वैज्ञानिक समाजवाद में आस्था व्यक्त करता है।” (हिन्दी उपन्यास सामाजिक चेतना, पृ० 166)

किसानों और मजदूरों के ऊपर होने वाले अमानुषिक व्यवहार और यातनाओं का नागार्जुन डटकर मुकाबला करते हैं। नागार्जुन सगठन को महत्व देते हैं जो वर्गीय चेतना का प्रमुख आधार होता है। ऊँच-नीच का भेद-भाव उनके यहां नहीं है। उन्होंने वर्गीय समाज को महत्ता पर जोर दिया है। डॉ० सुपमा धवन ने उनके इस चिंतन को समाजवादी चेतना का प्रौढ़ रूप माना है—

नागार्जुन की कथाकृतियां समाजवादी उपन्यास की श्रेणी में विन्यस्त की जाती हैं, परन्तु वे मार्क्सवादी सिद्धान्तों के प्रचार के बोझ से दबी हुई नहीं हैं। लेखक ने अपनी रचनाओं में सीधे लोक जीवन से इसे ग्रहण किया है और मिथिला भूमि के वासियों को सजीव रूप दिया है—नागार्जुन ने एक ओर मार्क्सवादी सिद्धान्तों को आत्मसात किया हुआ है और दूसरी ओर देहाती जीवन का उनको गहरा व्यक्तिगत अनुभव है तथा उससे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए वे यथार्थ के क्रांतिकारी पक्ष को पहचानते हैं तथा जीवन की उन शक्तियों को उभारते हैं। जिनसे समाज में विषमता दूर होगी, रूढ़ियों का नाश होगा और मानव का विकास होगा।” (हिन्दी उपन्यास, 1961, पृ० 302)

इस प्रकार नागार्जुन का वैचारिक दृष्टिकोण गांव और देहात के बीच विकास को उभारने और उठाने की ओर है। उन्होंने वर्गविहीन समाज की कल्पना भारत के दूर बसने वाले गांवों में की है। निम्न और आर्थिक दृष्टि में हेय समझे जाने वाले लोगों को उन्होंने सार्वजनिक सम्मान का पात्र बनाया है। वैचारिक धरातल को मजबूत करने के लिए उपेक्षित गांव की समस्याओं को सुलझा कर उन्हें दिशा प्रदान की है। नागार्जुन निम्न वर्ग के हिमायती हैं यह उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों में साफ झलकता है।

3

नागार्जुन के उपन्यासों में सामाजिक संघर्ष

आज का दैनिक जीवन भौतिक आवश्यकताओं की जकड में दिन-पर-दिन कसता जा रहा है। सीमा और सामर्थ्य दोनों ही अपनी-अपनी परिधि को विस्तार दे रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई और मुद्रा-स्फीति से विकासशील भारत की समाज-व्यवस्था दिन-पर-दिन चरम-प्राती जा रही है। शहरों में जहाँ पड़े-लिखे बेरोजगार नई असामाजिकता को जन्म दे रहे हैं तो गाव में अब भी अशिक्षा अपने डैने फैलाकर उसे संकीर्णता में कसती जा रही है। श्रम का महत्व दिनों-दिन गिरता जा रहा है। बेकारी मुरझा के मुख की तरह आकार-हीन होकर समाज में नई-नई विद्रूपताओं को जन्म दे रही है। सयुक्त परिवार का विखराव और अकेले छोटे परिवार की कुण्ठा ने व्यक्ति को बीना बना दिया है। गाव के मजदूर का शहर की ओर पलायन, छोटे-छोटे बच्चों का कारखानों में काम करना, रिकशा चलाना, बेलदारी करना, बोझा ढोना आदि उनके स्वास्थ्य में तो हानिकारक हैं ही साथ-ही-साथ उससे नई पीढ़ी की पंगुता भी स्पष्ट होती जा रही है। हरिजनो, आदिवासियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम तो बने हैं लेकिन उनके कार्यान्वयन का स्वरूप आये दिन दैनिक पत्रों में उनके ऊपर होने वाले जुल्मों, जिनमें जिन्दा जलाना, महिलाओं के साथ बलात्कार, मंदिर-प्रवेश पर हरिजनो की हत्या तथा घरों की लूट आदि से बिना किसी नागा हुए देखा जा सकता है।

आज भी आजाद भारत में मजदूरों का एक बहुत बड़ा भाग बहुआ मजदूरों के रूप में जी रहा है। बड़े-बड़े लोगों के यहाँ गुलामी करने वाले ये निरीह चुनाव के समय पर ही दस-दस और बीस-बीस परिवारों की संख्या में मुक्ति पाते हैं। इनके भाग्य का फैसला भी मंसद के चौधरियों के साथ जुड़ा हुआ है।

खेती और कल-कारखानों में एक ओर उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन उसका लाभ बड़े आदमियों वाले एक विशिष्ट वर्ग को ही मिल रहा है। सरकारी सुविधाओं और रियायतों का पूरा-पूरा लाभ उच्च वर्ग ने प्रत्यक्ष रूप से उठाया है। डॉ० कुंवरपाल सिंह ने इस वर्ग की भूमिका पर लिखा है—

“इस आधुनिकीकरण के फलस्वरूप देहातों में एक ऐसे वर्ग का विकास हुआ है

जिसका चरित्र कई दृष्टियों से नया है। इस नए उभरे वर्ग में भूस्वामियों और पूँजीपति दोनों के सम्मिलित गुण दृष्टिगोचर होने हैं जिनमें पुराने जमींदार की कुटिलता, पूँजीपति वर्ग की चतुराई और निर्ममता का मिश्रण है। अपना काम निकालने में मिद्धहस्त यह वर्ग देश की राजनीति और सम-सामयिक जीवन को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है।' (हिन्दी उपन्यास सामाजिक चेतना, पृ० 155)

आज कल यदि गरीब के घर में दूजापा हुआ है तो वह गरीबी का ही हुआ है। बड़ती हुई मंहगाई ने उसके चलने के घुटने और सोने की कमर दोनों तोड़ दिये हैं। अतः वह दिन-रात मंहगाई की मार में विनविलाता हुआ हर रोज सड़क के चौराहों पर, फुटपाथों पर, पथराई आखें लिये देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद की यह टिप्पणी विचारणीय है जिसमें बड़ती हुई अमीरी और गरीबी को रेखांकित किया है—

“अगर कृषि वर्ष 1973-74 को लेकर इस बड़ोत्तरी के असर का मोटा हिसाब-किताब किया जाए तो यह ज्ञान होगा कि बड़े जमींदारों को एक हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का फायदा हुआ होगा। इसी तरह का भारी फायदा आटा मिल-मालकों थोक ध्यापारियों को हुआ था। दूसरी ओर, आम लोगों को गेहूँ या चावल खरीदते वक़्त, सरकारी वितरण प्रणाली से ही और खुले बाजार में भी बड़ी हुई कीमते चुकानी पड़ती थी। इसलिए यह कदम भी अमीरों को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बनाने का एक साधन ही साबित हुआ।” (ममकालीन भारत 1981, पृ० 97-98)

इस टूटन और घुटन के शीघ्र झूलता हुआ गाँव भी आज एक नए समाज की सर्चना कर रहा है। नागरिक जीवन से दूर अपनी ही सीमा और सामर्थ्य में पलने वाले देहाती अचल बक्की, कुछ कर गुजरने को छटपटाती मानसिकता को जन्म दे रहे हैं जिसमें उनके मन में अधिकार बोध की ज्वाला उठ रही है। गाँव की स्थिति आज भिन्न रूप में दिखाई दे रही है। जमींदार, भूस्वामी, मूदखोर, महाजन, नेता आदि अपनी कम तादाद में होते हुए भी एक बहुत बड़े मेहनतकश वर्ग को दिग्भ्रमित करने पर तुले हैं तो दूसरी ओर निम्न वर्ग प्रगतिशील विचारधारा का सहारा लेकर संघर्ष के माध्यम से स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए कृतसंकल्प है—

“मूल्यों का मूल्यों से पारस्परिक संघर्ष इस नवीन दृष्टि का द्योतक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परस्पर विरोधी मूल्य एक-दूसरे में टकरा-टकरा कर टूट रहे हैं। और कहीं तोड़ रहे हैं।’ (डॉ० ज्ञानचन्द्र गुप्त : म्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्रामचेतना, पृ० 89)

औद्योगिक क्रांति ने ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संगठन को झवझोर कर तोड़ दिया था। आधुनिकता की नरकली दौड़ में यहाँ की तमाम पारंपरिक मान्यताएं पिछड़ गईं। नवीन समाज-व्यवस्था के अस्तित्व में आने के कारण भारत के देहाती जीवन में एक नया संघर्ष का वातावरण बनता चला जा रहा है। तेजी से उभरते हुए व्यक्तिवाद ने पुराने मूल्यों पर प्रश्न-चिह्न लगा कर नयी वर्गीय भावना को अस्तित्व में ला दिया है—

“भय और आशंका से पीड़ित समाज में मानव-मूल्यों और स्वास्थ्य सामाजिक विकास की अपेक्षा करना सम्भव नहीं है। इसी कारण हमारे औद्योगिक नगरों में एक धक्का मात्र मस्कृति विकसित और पल्लवित हुई है। इस व्यवस्था में व्यक्ति को चिड़िया की आँख रूपी अपनी प्रगति और केवल स्वयं का स्वार्थ ही दिखाई देते हैं, और उमी को वेधने का वह जीवन भर प्रयास करता रहा है। फलस्वरूप उस पेड़ के संपूर्ण परिवेश और वातावरण से विलकुल बेचकर व्यक्ति और समाज का सामान्य संतुलन और व्यवहार गड़बड़ा गया है।” (डॉ० कुंवरपाल सिंह : हिन्दी उपन्यास सामाजिक चेतना, पृ० 152)

इस समूचे नवनिर्मित समाज में, ग्रामीण जीवन भी घुरी तरह फंस गया है। नागरिक जीवन का यह व्यक्तिवादी और स्वार्थी मंत्रामक रोग देहांत को अपनी लपेट में लेकर उसके तमाम बुनियादी विश्वासों को उखाड़ रहा है। उममें इस असमानता से जनित परिस्थितियाँ अनपढ़ कहे जाने वाले देहाती को टकराव का रास्ता मियाँ रही है—

“दूसरे रूप में शहरी मूल्य गाँव में प्रविष्ट हो रहे हैं। गाँव समाज में रहकर भी व्यक्ति अकेलापन अनुभव करता है। नैतिकता टूट रही है। ईमानदारी और सत्य के बदले वेईसानी और झूठ गाँव में प्रवेश कर रहा है। संभ्रान्त, कुंठाएँ, घुटन धीरे-धीरे ग्रामीण परिवेश का सामाजिक अंग बन रही है। भौतिकता, जीवन की सामूहिकता को तोड़ गाँव को एवं संयुक्त परिवारों को विघटित कर रही है। जीवन की सामाजिक इकाई का व्यक्तित्व खंडित हो रहा है।” (डॉ० ज्ञानचन्द्र गुप्त : स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना, पृ० 91)

इस विघटते हुए सामाजिक असंतुलन में ग्रामीण समाज के अन्तर्गत जन-चेतना भी बड़ी तेजी से घट रही है। अपने अधिकार और हक के लिए देहात के मजदूर और किसान ने, परिवार की शोषित महिला ने, पूँजापति के मातहत सर्वहारा ने, सूदखोर के खिलाफ गरीब ने अपना सिर उठा लिया है। अतः इस बदलते हुए ग्रामीण जीवन के संघर्ष के स्वरूप को नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनकी प्रत्येक उपन्यासिक कृति अनेको सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का प्रमाण है। नागार्जुन के उपन्यासों में आधुनिक ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्तरों पर संघर्ष और टकराव, टूटन और बिखराव के स्वर मुनाई पड़ते हैं जो निम्नवत हैं—

आधुनिक जीवन का यथार्थ और नैतिकता के बिखरते मानदंड

स्वतंत्रता के बाद भारत के गाँव के जीवन-स्तर का स्वरूप अपने परंपरागत समुदायवादी दृष्टिकोण से अलग होता जा रहा है। आज के गाँव का प्रत्येक व्यक्ति तत्काल सच में

जो रहा है। समाज के तमाम आदर्श और नैतिकताएं उसके लिए मात्र गिलीना बनकर रह गई हैं। उसके समक्ष वह है और उसके स्वयं के बनाए हुए आदर्श हैं और इससे इतर कुछ भी नहीं—

“उसके सामने प्रतिष्ठित सम्य एयं स्वोद्धृत नैतिक मानदण्ड झूठे पड़ गए हैं। और न केवल समाज के प्रति धरन् म्वयं अपने प्रति विद्रोह करने के लिए आकुल है, प्रयत्नशील हैं। उसके लिए हर संदर्भ अर्थहीन हो गए हैं और सारी नैतिक मान्यताएं, बर्तक सारी की सारी आचार-संहिताएं ग्योपली एवं जर्जर पड़ गई हैं। जितना ही वह सार्थक अर्थ प्राप्त करने की चेष्टा करता है उसमें व्यर्थता-बोध गहराता जा रहा है और वह अममर्थ होता जा रहा है।” (डा० मुरेण सिन्हा : हिन्दी उपन्यास, 1972, पृ० 135)

इसी अममर्थता को समर्थ बनाने के लिए वह दिन-रात अपने से जूझ रहा है। यह अपने सफर का अकेला राही है। इसलिए वह रास्ता और लक्ष्य स्वयं तलाश करने के लिए व्याकुल है। ‘उप्रतारा’ उपन्यास में नागार्जुन ने इस अपने को जीवित रखने वाले आधुनिक जीवन यथार्थ के मुद्दे का संकेत कर दिया है—

“देहात में रहना है तो गुण्डा बनो कामेश्वर ! गुण्डो से दोस्ती करो, उन्हें पिलाओ पिलाओ। तुम उनका काम करो वे भी तुम्हारा काम करेंगे...।” (पृ० 103)

इसी उपन्यास में भूदान आन्दोलन में मिली जमीन पर वेदखली के कारण संघर्ष ने दूसरा रूप प्रस्तुत किया है कठोर मेहनत से ऊमर और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर जिम व्यक्ति ने अपने खाने योग्य बनाया उसे गांव के जमींदार द्वारा दान में देकर हड़पना नीचता और बेईमानी का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। परन्तु वह व्यक्ति जिसे यह जमीन दान में मिली थी इस अन्याय के प्रति गड़ासा उठा लेता है और उसको जेल हो जाती है परन्तु अन्याय को फिर भी सहने के लिए तैयार नहीं है। सिपाही भभीषन सिंह के मुह से यह सत्य स्पष्ट होता है—

“इस अघेड़ को कैदी भभीषन सिंह बहुत मानते थे। जमीन की वेदखली के खिलाफ उसने जमकर सड़ाई लड़ी थी। भूदान में मिली ऊबड़-खाबड़ जंगली जमीन को उसने खेती के लायक बना लिया तो पुराने भूदानी की सार टपकने लगी। फिर से कही रहीं जमीन देकर वे उससे अच्छी जमीन छीनना चाहते थे। मार-पीट हुई गड़ासा चल गया। भूदानी बाबू के आदमियों में से एक को इतना गहरा घाव लगा कि अस्पताल पहुंचते-पहुंचते बेचारे के प्राण पघेरू उड़ गये। मुकदमा चला, इसे नौ वर्ष की सजा हुई।” (वही पृ० 24)

अतः सच्चे अर्थों में आज के जमाने में व्यक्ति का समूचा अस्तित्व उसके संघर्ष के जीवन पर ही टिका है। अपने परिवेश में रहने के लिए भी उसे अपने ही परिवेश को अनुकूल बनाना पड़ रहा है। प्रतिकूलता की स्थिति में वह तिलमिलाकर व्यवस्था पर चोट करता है। उसे तोड़ता है और उसके इन जर्जर सूत्रों को बखेर कर नए समाज की शुरुआत में बुनावट डालता है। ग्रामावल के उपन्यास आज इसे रेखांकित कर रहे हैं। व्यक्ति के इस बड़े और छोटेपन की भूमिका उसके आगामी भविष्य अथवा निकट भविष्य की संरचना है। डा० ज्ञानचंद्र गुप्ता ने इसको नई परिस्थितियों का प्रसव कहा है—

“स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास ने गांव और मनुष्य दोनों को यथायं परिवेश में तटस्थ दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। परम्पराओं के विरोध एवं मूल्यों के अवमूल्यन से ग्राम गंधी परिवेश में नैतिकता की नयी स्थितियों ने जन्म लिया है।” (स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना, पृ० 95)

क्योंकि यह वातावरण परिस्थितियों की नयी देन है। अतः उसे स्वीकार करने में व्यक्ति को देर लग रही है। यही देर उसके जीवन में संघर्ष के द्वार का रास्ता खोलती है। बढ़ते हुए मुद्रास्फीति के सकट, ढहते हुए आर्थिक सोपान और बिगड़ते हुए सामाजिक मूल्य उसके लिए करवट के रूप में हैं जो कि कुछ राहून के रूप में इधर से उधर होने का अहसास कराते हैं। आधुनिक सामाजिकता का स्वरूप व्यक्ति के आकार-प्रकार को घटाने-बढ़ाने में अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रहा है। वे तमाम मूल्य जिनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने संघर्ष किया था आज उन्हें तोड़ने के लिए कर रहा है। यह यकायक ही नहीं अपितु एक परंपरा का चरण है जो कि अब आगे आ चुका है।

आजकल झूठ, बेईमानी, बेलिहाजी, भ्रष्टाचार, शोषण, दमन, यौनाचार आदि बदलती हुई नैतिकता के मानदण्ड हैं। सच्चाई और ईमानदारी ने इस युग में आकर अपनी परिभाषा बदल दी है। नागार्जुन ने इन सबका कारण अर्ध प्रभूत माना है। यह सत्य भी है कि जिनके पास धन होता है, दौलत होती है उसमें बड़ा राजा आजकल कोई नहीं है। वह जो कुछ भी करता है वह पुण्य का काम मान लिया जाता है। अर्थात्‌व में ही नैतिकता की नयी परिभाषा ‘बलचनमा’ उपन्यास में बलचनमा दे रहा है—

“गरीबी नरक है भइया नरक। चावल के चार दाने छीटकर बहेलिया जैसे चिड़ियों को फसाता है उसी तरह से दौलत वाले गरजमंद औरतो को फंसा मारते हैं। उनके पास धन भी होता है और अकल भी होती है। अपरंपार है उनकी लोला। बड़े खानदान का आवारा से आवारा आदमी पड़ितों और पुरोहितों से भलमनसाहत का फतवा पा जाता है।” (पृ० 65)

बलचनमा ने इन लोगों का घर-द्वार देखा है। उनकी हर चाल बलचनमा को ज्ञात है कि ऊट किस करवट से बैठ रहा है। बड़े लोगों के आज के विश्वास और उनकी नीयत के बारे में उसका वेवाक कथन सत्य विशेष का ही प्राकट्य है—

“लुच्चे होते हैं ये लोग। असूल तहसील का काम गुमस्ता बराहिल के हवाले सेबा-टहल का काम बहिया खवास के हवाले, बाकी बचे बेटा नाती, भाई-भतीजा, मार-मर-बेटा सो बँडे-बँडे हास पीटेंगे, शतरज खेजेंगे, शहर जाकर सिनेमा देख आपेगे, बेकार मन शैतान का घर। खानपान और आराम की कमी नहीं, काज करेगे नहीं किसी की लडकी सपानी हुई नहीं कि निशाना साधने लग जाते हैं। यह नहीं कि बहन-बेटी सबकी बराबर होती है। अपनी इज्जत आवरुं संभालोगे तो दूसरे का भी भला होगा। मगर भइया, जिनके पास दौलत होती है वह निपट अंधे होते हैं, अपना-पराया कुछ नहीं सुनता।” (वही, पृ० 64)

परन्तु बलचनमा ने इन्हीं दौलत वालों से टक्कर ली है। मामूली खेतिहर मजदूर अपनी बहन रेवनी के साथ मल्ले मालिक द्वारा किए गये बलात्कार पर फुफकार उठता

है। वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य की परवाह किए बिना उस जालिम की कमीनी हरकत का बदला लेने के लिए बेताब है—

“मैंने मन-ही-मन अपनी ओर से पक्का कर लिया कि कैंद काटूंगा, फासी चढ़ूंगा, गांव से उजड़ जाऊंगा मगर इस शैतान के आगे सपने में भी सिर नहीं झुकाऊंगा... बेशक मैं गरीब हूँ। तेरे पास अपार संपदा है, कुल है, खानदान है, थाप-दादे का नाम है, अडोस-पड़ोस की पहचान है, जिला-जवार में मान है और मेरे पास कुछ नहीं है। मगर आखिरी दम तक मैं तेरे खिनाफ डटा रहूंगा। अपनी सारी ताकत को तेरे विरोध में लगा दूंगा। मां और बहिन को जहर दे दूंगा। लेकिन उन्हें तू अपनी रखैल बनाने का सपना कभी पूरा न कर सकेगा।” (वही, पृ० 81-82)

‘रतिनाथ की चाची’ उपन्यास के अंतर्गत भी सुशीला नाम की विधवा ऐसे ही धनी सेठ की नीयत के बारे में जयनाथ को बताती है। जोकि बाहर से विधवाश्रम के संरक्षक होने का दिखावा कर शोपित नारी का अभिभावक होने का स्वांग करता है फिर भी उसकी नजर उनकी सूनी कलाइयों पर टिकी रहती है—

“एक बार पचगंगा घाट पर बैठे-बैठे सुशीला ने कहा—वहता पानी ही धार कहलाता है। देखो सुबह-शाम हजारों आदमी नहाने आते हैं मगर तुम जिम जाति में, जिस समाज में पैदा हुए हो, वह जिन्दा नहीं मुर्दा धार है। वह शाडन है।... उस धनी सज्जन का नाम मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती जिसका हृदय हम विधवाओं के प्रति करुणामय है। इतना करुणामय कि तीन-तीन विवाहिताएं पांच-पांच रखेलिया रहते हुए भी चूड़ियों से सूनी कलाई की ओर लज्जाई निगाह से देखा करता है। ताड़ी पीने वाले को तुमने अवश्य देखा होगा मेरा भी वही हाल है। मैं प्रज्वलित अग्निकुंड हूँ, जो जितनी ही स्निग्ध समिधाएं पाता है, उतना ही निर्धूम उतना ही निप्पुर होता जाता है... मेरे जितने मित्र बनते हैं उतनी बार मैं चूड़िया पहनती हूँ और फोड़ती हूँ।” (पृ० 48)

इस तरह जीवन के बहुआपामी संदर्भों की नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में आधुनिक व्याख्या की है। उन्होंने वर्तमान सत्य के सूत्रों को स्पष्ट करने का सोद्देश्य प्रयास किया है।

सामाजिक मूल्य संघर्ष और उनकी नवीन स्थिति

नागार्जुन ने आधुनिक समाज की विसंगतियों को देखा है। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच बढ़ते जाने वाले फासले आज के युग में जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं वह उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सामंजस्य, आपसी सहयोग, सदाचरण आदि समाज के वे मानदण्ड हैं। जिन पर पूरी समाज व्यवस्था टिकी हुई है। परन्तु आजकल के वैज्ञानिक युग में इन्हे टूटते जाने का बार-बार उल्लेख किया है। सारा समाज जिस अनुकरण की दौड़ में अपने अस्तित्व की पहचान खोये दे रहा है नागार्जुन ने उसे बड़ी निकटता

में देखा है। यह मंत्रामरु रोग गांव के सरल वातावरण में भी अपने पंगु फैलाकर उभे प्रसे जा रहा है। मानवीय रिश्ते आपसी तनाव के कारण धुंधले होते जा रहे हैं। पिता-पुत्र, पिता-पुत्री, मा-बेटा, मा-बेटी, पति-पत्नी आदि की ममरसता आज मंगुलत परिवार के विघटन के कारण नीरस हो गई है। घोषा, बेईमानी, फरेव, छत्र-कपट और अन्य अनेक घुराइया स्वार्थ के प्रवल होने के कारण ग्रामीण मानव को निगलती जा रही हैं। परन्तु इन्हीं सामाजिक मूल्यों में विग्रसव आने के कारण देहान में तनाव और मंचपं का वातावरण तैयार हो रहा है। एक दूसरे को धकियाकर अपनी स्वार्थपूति अथवा स्वतंत्र जीने की कामना लेकर आगे बढ़ने का मकलप गाधे टूट है—

“गाव में भी परंपरागत समाज-व्यवस्था से मूल्य निरर्थक प्रतीत होने लगे हैं। अतः अब व्यक्तित्व परंपरागत मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों को आत्मसात करने लगा है। इस नव मूल्य परिग्रहण की प्रक्रिया में व्यक्ति के लिए सघर्ष एक आवश्यकता बन गया है। वस्तुतः यह समाज से नहीं बरन् मूल्यों का परंपरागत मूल्यों से मंचपं है। इस मूल्य सघर्ष में युमानुकूल मूल्य व्यक्ति का पूर्ण समर्थन पाकर स्थान बनाते जा रहे हैं।” (हेमन्द् पानेरी : आलोचना, जुलाई-मिम्बर 1972, पृ० 60)

अब तो स्थिति यहा तक पहुच गई है कि पवित्र शारीरिक रिश्ते भी आधुनिक मूल्य बोध के कारण निरर्थक हो गए हैं। बेलिहाजी और बेअदबी हर घर में प्रवेश पाकर उसे अपनी गिरफ्त में लेने को उतारू है। अतः पारिवारिक सम्बन्धों के तनावों ने नयी सामाजिकता की ओर इशारा किया है जो अब तक देखने को नहीं मिला था।

ग्रामीण जीवन में पति और पत्नी का रिश्ता जो कि कुशल दाम्पत्य जीवन के आधार पर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण आदर्शवादी भूमिका निभाता था। परन्तु आधुनिक शिक्षा ने उसके सामजस्य में गुण-दोष का भाव पैदा कर दिया है। पति पक्ष का पत्नी के प्रति अविश्वाम और कठोर शासन उसे उससे टूटने, अलग होने अथवा अपनी स्वतंत्र अस्मिता बनाए रखने पर मजबूर किए दे रहा है। आज की नारी वह दबी हुई और गुलाम नहीं है जो कि लात और जूते छाकर अपना सिर नीचा किए पति के पैरों में स्वर्भ की कल्पना करती रहे। उसे अपने में स्वतंत्र और मनुष्य के बराबर जीने का हक है। वह उस हक को लेने के लिए आगे बढ़ रही है। ‘वरुण के बेटे’ की मधुरी ऐसी ही पत्नी है जोकि वर पक्ष से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर अपने मा-बाप के यहा जीवन वित्ताने का सकल्प ले लेती है। उसका यह मंचकल्प यकायक और पूर्वं नियोजित न होकर बल्कि एक प्रतीक्षा का परिणाम है जोकि नारी-जीवन पर घटने वाले अत्याचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप आया है। मधुरी के इस क्रान्तिकारी कदम ने आधुनिक महिला जगत के लिए नया द्वार खोला है। पिटना, लात, जूते, उसको आदर्श नारी का खिताब लेना स्वीकार्य नहीं है वह स्वाभिमान की जिन्दगी वित्ताने के लिए एक दिन ऐतिहासिक निर्णय लेकर पितृगृह में चली आती है—

“अब वह कभी उस नशाखोर बुड्ढे की लात बर्दाश्त करने नहीं जायेगी... फिर से शादी कर लेगी किसी दिलेर नेकचलन और मेहनतकश जवान से... और बगैर मर्द के कोई औरत अकेली जिन्दगी नहीं गुजार सकती है क्या ?” (वरुण के बेटे, पृ० 109)

बिना पति के जीवन बिताने का यह निर्णय वास्तव में समाज में नारी के लिए चुनौती है जिसे एक अनपढ़ नारी ने अपने स्वाभिमान और आत्म-मर्यादा के लिए स्वीकार किया है।

इसी तरह उग्रतारा भी अपने पति भभीखन सिंह से मन का मेल न होने के कारण पति और पत्नी के सम्बन्ध को तोड़ लेती है। यद्यपि वह प्रारम्भ में तो आदर्श पत्नी की भूमिका निभा कर सिपाही भभीखन सिंह को अभिभूत कर देती है परन्तु उसके मन में पति और पत्नी की कल्पना हर दिन हर रात कचोटती रहती है वह मात्र परिस्थितियों से अस्थायी मेल करती है—

“वह सब मुन लेगी। एक बार भी जुबान नहीं खोलेगी इत्मीनान से पराबड़ पोती रड़ेगी, आलू तलती रहेगी, सिपाही जी प्याज नहीं खाते हैं। उसने भी प्याज छोड़ रखा है। सिपाही जी मास-मछली का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते, उसने भी मास-मछली को अपने चित्त से उतार दिया है। सिपाही जी को सूजी का हलवा अच्छा लगता है उसको भी सूजी का हलवा अच्छा लगने लगा है। सिपाही जी को पीले रंग में रंगा हुआ कपड़ा पसंद है, उसको भी वही पसंद है... उगनी में उनको धर्मपत्नी के सारे लच्छन मिल रहे थे। यह दूसरी बात थी कि सिपाही जी में उगनी को ‘घर वाला’ तो जरूर मिल रहा था पति नहीं मिल रहा था।” (उग्रतारा, पृ० 46)

उसी पति की तलाश में वह तमाम दायी मान्यताओं को ठुकराती हुई अपने मन-चाहे युवक कामेश्वर सिंह के साथ गर्भवती होते हुए भी चल देती है। उसका अपने पति भभीखन सिंह के यहां से चला आना कामेश्वर के घर में निन्दा का विषय नहीं बनता। उल्टे कामेश्वर की भांभी उसके इस कदम की सराहना करती है और उग्रतारा की मांग में कामेश्वर के हाथों सिंदूर डलवा कर उसके स्वस्थ दाम्पत्य जीवन की कामना करती हुई आशीर्वाचन कहती है—

“सिंदूर-भरी कटोरी सामने रखकर भाभी बोली आज यह विधि पूरी होगी। मैं पुरोहित हू। लो, चुटकी में सिंदूर लो और उग्रतारा की सीध भर दो बाबू! उठो... कामेश्वर ने चुपचाप भाभी की आज्ञा का पालन किया। दोनों ने उठकर भाभी को बारी-बारी से प्रणाम किया अच्छी तरह पैर छूकर भाभी ने आशीर्ष दी दीर्घायुभव! सौभाग्य-वती भव! दाहिना हाथ उगनी और कामेश्वर की पीठ पर फिरता रहा।” (वही, पृ० 96)

यह रुग्ण दाम्पत्य जीवन को तोड़कर नए और स्वस्थ दाम्पत्य जीवन की शुरुआत पहली और ऐतिहासिक है। गर्भवती विधवा को जोकि किसी अन्य मर्द के साथ कल तक शरीर संपर्क करती रही यह जान-बूझ कर भी कामेश्वर उसे स्वीकार करता है। नागार्जुन समाज को उन रुग्ण परंपराओं को तोड़कर समाज के नव निर्माण की शुरुआत करते हैं—

“आज एक ऐसी घटना घटी थी, जिसकी कल्पना का आभास तक उगनी को नहीं था। आज एक पुरुष ने गभिणी नारी के सीमत में सिंदूर भरा था! धोखे में नहीं जान-बूझकर। उनके होशोहवास दुस्त थे, विवेक सजग था आवेग या आवेश चेतना पर

हाथी नहीं था। सभी बातें उमे मानूम थी।" (वही, पृ० 97)

सगता है यह उपयुक्त कथन नागार्जुन स्वयं अपनी सफाई देने में बह रहे हैं क्योंकि यह ऐतिहासिक शुरुआत अभी तक अनदेखी और अनुमनी थी। वास्तव में आज तेजा से मूल्यों की गिरावट और उमके साथ ही नवीन मूल्यों को स्थापना अपनी आवश्यकता को घोषित करती चली जा रही है। नागार्जुन इस भावी निर्माण के प्रति अपनी प्रगति-शील विचारधारा के साथ चल रहे हैं। असामान्य स्थितियों को गमूल नष्ट करते हुए वे स्वामिमान और आत्म-मर्यादा को अधिक महत्व देकर देहाती जीवन को भी नवीन दिशा देने का उनका प्रयाम है।

'रतिनाथ की चाची' में मा (गौरी) और पुत्र (उमानाथ) तथा राम (गौरी) और पुत्र बधू (कमल मुग्गी) के व्यक्तिवादी संघर्ष को दिखाया गया है। यह उमानाथ पिछड़ी हुई परम्पराओं को मानने वाला, दूरगं के बहकाने और समझाने के कारण वर्तमान यथायं को समझ पाने में अगमयं है। वह विधवा जीवन से बिल्कुल अपरिचित है कि उमको मा ने कितनी परेशानी उठाकर उमे पढाया-लिखाया है। लेकिन मा को अनैतिक गर्भ रह जाने के कारण वह उसकी सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन नहीं करता अपितु मां को लानों में मारता चला आता है—

"इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टी में कनक स्थापना (नवरात्रि के आरम्भ का दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) दो रोज पहले उमानाथ घर पहुंचा, पर थोड़ी ही देर बाद अपनी मां के सम्बन्ध में सारी बात जब उसे मालूम हुई तो ग्लानि और शोभ के मारे उसका दिमाग फटने लगा "उमानाथ फुफकारता हुआ अपने आंगन में आया और मा का झोंटा पकड़ लिया। वह बेचारी इस आकस्मिक आक्रमण से चकित थी ही कि इसी बीच लड़के ने उसकी पीठ पर आठ-दम लात गदागद जमा दिए।" (पृ० 77)

उमानाथ को मा के वैधव्य से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। वह विधवा समाज की मुसीबतों और असामाजिक स्थिति को बड़े-बड़े शहरों की रोगनी में नहीं देख पाता। उमके विचारों में नौकरी पर पहुंच जाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं है। वह अपनी मा को जोकि चर्खा चलाकर अपना मन और दिन काट लेती है गांव में आकर लताड़ देता है—

"मा की आंखें सजल हो आईं, आहत वेदना का वह प्रतीक—आमू—सड़के ने देखना नहीं चाहा, उलटे कड़ककर कहता चला गया कि चर्खा चलाकर तूने दुनिया-भर को बतला दिया। उमानाथ आबारा है। कलकत्ता में खुद तो मोज मारता है और घर पर मां जुलाहिन हुई जा रही है। धवरदार! अब कभी चर्खा छुआ तो हाथ काट लूंगा।" (वही, पृ० 146)

इस आधुनिक सुपुत्र उमानाथ के इस चरित्र पर डॉ० ज्ञानचन्द्र गुप्त ने दो-टुक बातें कही—

"बेटे महाराज ने कलकत्ते में नौकरी क्या की मानो अफसर ही बन गए हो। मां को सहारा देने के स्थान पर चलते समय उसे झिड़कियां देते हैं।" (स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना, पृ० 106)

यह तो रहा पुराणपथी सुपुत्र का व्यवहार। पुत्रवधू इसमें भी चार कदम आगे है जोकि संयुक्त परिवार की दीवार को अपने वाग्वाणों से ढहाती है। विधवा गौरी ने बीसियों वर्षों से यह आशा की थी कि उसके उमानाथ की बहू बड़ी अच्छी, नेक, सास-सेविका और कुलशीला होगी। परन्तु इस नयी पीढ़ी की सदस्या ने सब पर पानो फेर दिया। उमानाथ मां की सेवा करवाने के बजाय उसे और आरामतलब होने का पाठ पढ़ाये चला जा रहा है। वह चाची की एक नहीं सुनती। उल्टे उसकी शिकायत अपने पति में करती है—

“घर के काम में तो कुछ देती नहीं, मगर लड़की विदाई के समय पचास जाने कहां से निकाले? कितनी लम्बी है तुम्हारी मा की आंत?” (रतिनाथ की चाची, पृ० 154)

इसी पारिवारिक टूटन में, इसी आपसी संघर्ष-भरे घर में रतिनाथ की बहुत ही चेतना संपन्न भूमिका है जोकि अपना चारित्रिक विशेषताओं में इस पारिवारिक संघर्ष को दूसरी दिशा दे रही है। रतिनाथ यद्यपि चाची की सगी संतान नहीं है फिर भी यह उसके मगे बेटे उमानाथ से वीम गुना बेहतर है। वह कही भी चाची के स्वाभिमान के खिलाफ एक भी शब्द बचपन में ही सुनने को तैयार नहीं है। उसे ज्ञात है कि चाची अनैतिक गर्भ से है और उसका सामाजिक बहिष्कार हो चुका है परन्तु फिर भी वह अकेला पूरे गांव से टकराने को तैयार है—

“रस्ती को चाची का यह एख पसन्द नहीं आया। वह सोचता जो एक सुनायेगा हम उसे दस मुना देंगे। जो आग नहीं देगी उसके चूल्हे पर पेशाब कर दूंगा।” (वही, पृ० 14)

और चाची भी मरते समय यही घसीयत करती है कि उसे अपनी कोख से उत्पन्न पुत्र से कोई सुख और आनन्द नहीं यह रतिनाथ उनके अन्तिम संस्कार का भागीदार हो—

“आज चाची ने भगवान से प्रार्थना की कि उसका अन्तिम संस्कार रतिनाथ के हाथों ही हो। पुत्र को जब मां से इतनी घृणा है तो यह अप्रिय कार्य उसे न करना पड़े।” (वही, पृ० 150)

इस प्रकार आधुनिक पारिवारिक संघर्ष व्यक्ति की नयी मानसिकता बना देने में सफल होता जा रहा है। आपस के खूनी रिश्ते आपस में टकराकर संघर्ष के माध्यम से नयी सामाजिकता का सृजन करते जा रहे हैं। व्यक्ति एक से हटकर दूसरे के साथ जुड़ रहा है। यह उसकी नयी समय के द्वारा कराई गई शुरुआत है जिसे आधुनिक पीढ़ी ने अपनी चेतना के साथ पकड़ा है। उसे अपने जीवन के आधारों में शामिल कर अपनी अलग दुनिया कायम की है। नागार्जुन ने इस परिवर्तन को सफलता के साथ पाठक के सामने प्रस्तुत किया।

नवीन दाम्पत्य जीवन और आधुनिक नारी

भारतीय जीवन में विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति नारी के साथ अथवा नारी व्यक्ति के साथ सामाजिक प्रतिबन्धों, समझौतों एवं परम्पराओं के अनुसार जीवन-भर एक-दूसरे के पूरक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। लेकिन आज विवाह की भूमिका में पवित्रता की जगह व्यावसायिकता का प्रभाव बढ़ गया है। इसी के परिणामस्वरूप बाल विवाह, विधवा-समस्या, अनमेल विवाह, विकीर्ण-वर, दहेज आदि कुरीतियों ने समाज को अपनी पकड़ में कसा है। आज यह रोग असाध्य है। शिक्षित और अशिक्षित परिवारों में दहेज के कारण इस पवित्र बन्धन में दरार पड़ती जा रही है। दहेज के अभाव में सैकड़ों सुन्दर और शिक्षित महिलाएँ वरपक्ष का कोपभाजन बनती हैं। पर्याप्त मात्रा में धन-सम्पत्ति न होने के कारण कन्यापक्ष अपनी पुत्री को योग्य वर नहीं दिला पाते और यही कारण है कि उनमें अधिकांश बाल-विवाह का शिकार होती हैं तो कहीं वेमेल वर के साथ उनका दाम्पत्य सूत्र बाध दिया जाता है।

परन्तु आज आजाद भारत के संविधान में नारी को संरक्षण दिया है। उसे पुरुष के समान ही जीवन-यापन करने के सुखद दाम्पत्य जीवन चलाने के लिए अधिकार मिले हैं। इसीलिए अब वह आज से सौ साल पहले वाली नारी नहीं है जो कि दब-पिटकर अपना दाम्पत्य किस्मत के नाम पर खींचती रहे। गाँव और शहर में उसके ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए कानूनी प्रतिबन्ध के साथ-साथ सामाजिक संगठन भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। दूसरे, उसके लिए रोजी और रोटी के समुचित साधन उपलब्ध हो जाने के कारण उसमें एक आत्म-सम्मान की भावना ने जन्म लिया है। वह अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने जीवन का निर्वाह कर सकती है—

“वाद के वर्षों में विशेष रूप से स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद स्त्री और पुरुष को वैधानिक रूप से समान अधिकार मिल जाने पर तथा नारी-शिक्षा का द्रुत गति से प्रसार होने पर सामान्य नारी पिछले युग की नारी से अधिक सचेत है, अधिक आत्म-विश्वासी है और नारी के प्रति किये जाने वाले अन्याय को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। इसलिए वह नारी संगठन के सभी उपाय कर रही है। कानून बन गया है कि एक पुरुष एक ही पत्नी रख सकता है। इसमें नारी स्वयं को अधिक सुरक्षित समझने लगी है। साथ ही हिन्दू कोड बिल के अनुसार तलाक की सुविधा पति-पत्नी दोनों को प्राप्त हो जाने से एक-दूसरे के अन्याय या अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने का दोनों को अवसर मिल गया है। अतः पत्नी अब न तो अत्याचार सहने को तैयार है और न ही अपनी उपेक्षा सहती है। अन्तर्राष्ट्रीय जान ने उसे कार्य-क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया है।” (डॉ० हेमराज निर्मम : हिन्दी उपन्यासों में मध्य वर्ग, 1978, पृ० 92-93)

लेकिन रूढ़िवादी समाज में आज भी वैवाहिक पद्धति के नाम पर आदर्श और नैतिकता की दुहाई दे-देकर इस वर्ग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समाज चाहे कितना ही आधुनिक और प्रगतिशील विचारों का क्यों न हो अपनी दकियानूसी प्रवृत्ति

के कारण ही वह पुरानी मान्यताओं को नकारने के लिए तैयार नहीं है। परिणामस्वरूप समाज में अवांछित वातावरण, म्वच्छन्द यौन भावना, वैधव्य, अनैतिक गर्भ, तलाक जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और वही समाज में संघर्ष की भूमिका प्रारम्भ होती है जिसके आगे पनपने में संघर्ष अथवा दबे रहने में संश्रान्त जैसे मनोरोग विकसित होने लगते हैं। अतः देहात भी अब इस आग की लपट की चपेट में आ गए हैं। वहाँ कहीं संघर्ष है तो कहीं घुटन, कहीं स्वाभिमान है तो कहीं कुण्ठित जीवन वाले दाम्पत्य अपनी स्थिति में हैं।

नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में इस पारिवारिक संघर्ष को एक दिशा देकर आगे बढ़ाया है। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि नागार्जुन यथा स्थितिवादी नहीं है। समाज की अनियमितताएँ और अत्याचार उन्हें निरन्तर कलम धामने को मजबूर किये रहते हैं वे स्वयं मैदान में उतरते हैं। दुहरे व्यक्तित्व का धनी यह औघड़ इस पारिवारिक विद्रूपता को उजागर करता हुआ उस पर तीखी मार देकर एक नये समाज का निर्माण करता है जो उपन्यास साहित्य में अब तक सम्भव नहीं था। उन्होंने बाल-विवाह, बेमेल विवाह, वैधव्य, दहेज आदि के ऊपर उनकी विमंगलियों को सामने लाकर पाठक और पात्रों को स्वस्थ और आधुनिक शोषण भुक्त विचारधारा दी है जोकि समता-समानता के लिए एक संघर्ष के रूप में उभरकर मानव-समाज के समक्ष आती है।

नागार्जुन ने बाल-विवाह और उसके परिणाम के ऊपर काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। समाज की इस कुप्रथा ने कितनी ही अबोध और कच्ची उम्र की बालिकाओं को अपने अन्दर भीचकर उन्हें समय से पहले ही समाप्त कर दिया। 'पारो' उपन्यास की नायिका का करुण अंत इसी समाज की निकम्मी प्रथा के कारण घुट-घुटकर हो गया है। वह अबोध वाला शारीरिक दृष्टि से इतनी सक्षम नहीं है कि अपने पितातुल्य पैतालीस वर्षीय प्रौढ़ के साथ सहवास कर सके। लेकिन समाज का दकियानूसी वर्ग आदर्शवादिता के नाम पर मेल और बेमेल की स्थिति को न देखकर वह सड़की को भार समझता है। ऐसी स्थिति में लड़की या तो स्वयं को मार लेती है अथवा पति महोदय के स्वर्गवासी हो जाने पर वह जीवन-भर लाश की तरह सड़ती रहती है। इस तरह के संयोग पर नागार्जुन ने व्यंग्य करते हुए लिखा है—

“मगर जिसे कुछ भी कहने का हक नहीं है उसके लिए जैसा पैतीस वर्षों का बर बैसा ही पैतालीस वर्षों का। लंगड़ा रहे या अंधा, लूला रहे या काना, कोढ़ी रहे या पगला, बूढ़ा हो या प्रौढ़—पति साक्षात् परमेश्वर होता है, यही शिधा तो अपने यहाँ छुटपने से ही औरतों को मिलती है।” (पारो, पृ० 41)

कन्यापक्ष में कन्या की स्थिति बढ़े तनाव का कारण होती है। वह मां-बाप, भाई-भाभी सभी के लिए ऐसा भार-सदृश है जोकि तीन कुलों के ऊपर सदैव सवार रहता है। विवाह होने के बाद उसकी तमाम औपचारिकताएँ यदि पूरी नहीं की जाती तो वरपक्ष में अनावश्यक तनाव आने लगता है।

बाल-विवाह से पीड़ित पार्वती अपनी नारी बनने की भूमिका पर और बेमेल पति

के साथ गुजरने वाले क्षणों की स्मृति को अपने ममेरे भाई विरजू ने दकियानूसी-समाज की परम्परा पर समतमाती हुई कहती है—

“जिन्हें आप लोग चौधरी कहते हैं उनसे मेरा सम्बन्ध ही क्या है? पति-पत्नी का सम्बन्ध? नहीं, हरगिज नहीं... मुन लीजिये, सब चतुर्थी की रात में दस रुपये के दस नोट मेरे आगे फँलाते हुए उन्हींने कहा था और चाहिए तो वैसा कहिए? श्रेय से मैं जलने लगी। हे भगवान! लाख दण्ड दे मगर फिर औरत बनाकर इस देश में जन्म नहीं दे... छी आ। पैनालीस वर्षों का यह नर-पिशाच एक अबोध लड़की के सामने दस रूपयों के नोट का पधार इसलिए लगावे कि...” (वही, पृ० 50)

नारी की दयनीय स्थिति में नागार्जुन परिचित हैं। वे जानते हैं कि जानवरों की तरह नारी की नीलामी अनमेल घर के लिए दकियानूसी अभिभावक घन और स्वार्थ-पूर्ति के लिए बेझिझक करते हैं। वे अपने जीवन पर दिन-रात नैतिकता और धादर्श के नाम पर आसू बहा-बहाकर अपने वैवाहिक जीवन को पानी में आग की तरह मानती है।

अनमेल विवाह पारो के लिए पानी में आग की तरह ही है। वह बचपन की एक कहानी को अपने वैवाहिक जीवन में जोड़ती हुई अपने पिता-तुल्य पति पर आसू बहाती है—

“जोर-जबर्दस्ती कोई किसी के शरीर पर ही केवल कर सकता है, मन पर कर्तई नहीं। वैसे आप ही कहिए कि जहाँ पचास वर्ष के घर की पत्नी पन्द्रह साल की होती हो वहाँ सोमनस्य कैसे सम्भव है? बहुत छोटी ही थी मैं जब भाभी के मुह से एक कहानी सुनी थी। उसमें हुआ यह था कि किमी पोखरे में आग लग गयी। उन दिनों यह बात अजीब लगती थी। पर अब अच्छी तरह समझती हूँ कि कैसे आग लगती है पानी में...” (वही, पृ० 82)

इस अनमेल विवाह की परिणति होती है उम अबोध की मृत्यु। वह कच्ची उम्र में गर्भवती होकर शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण एक लड़की को जन्म देकर परलोक-वासिनी हो जाती है—

“पारो के लड़का हुआ है, अपने, मगर वह बचेगी नहीं... पिताजी को मड़र इतना कह पाये। पोसी ने बुला भेजा था मेरे छोटे भाई को। गया मगर मैं ही... कहां मालूम था कि पारो का दाह-संस्कार मुझे ही करना पड़ेगा। ओह! जब तक केरबनिया पहुँचू, तब तक पारो को लोगों ने घर में बाहर लाकर रख दिया था। मैंने जब उस चिर-परिचित आंगन में पैर रखा तो देखा... तुलसी चौरा के पाम मृत पारो उत्तान पड़ी है।” (वही, पृ० 93) और वह कुछ ही दिनों का जन्मा हुआ शिशु जीवन-पर्यंत मां और बाप के स्नेह के लिए तड़पता रहेगा।

‘रतिनाथ की चाची’ के अन्तर्गत तो इस अनमेल विवाह ने कहर ढा दिया है। तरकुलवा में ब्राह्मणों के खानदान में, संस्कृत की नैतिकताओं पर ढोंग पालने वाला शुभंकरपुर का नीलमाधव का घर गौरी के नारी-जीवन का अभिशाप बनकर आता है।

उमका अभाव-अभियोगप्रस्त जीवन इमी अनमेल घर के साथ विवाह होने के

कारण है। नैतिकता और आदर्श के नाम पर गौरी जैसी अनेक स्त्रियाँ अपने जीवन प दिन-रात आँसू बहाती रहती हैं। गौरी अपने अनमेल वर की स्थिति को बताती हुई कहती हैं—

“गाड़ी चली जा रही थी, ढचर-ढचर। गौरी उसी पर लेंटी पड़ी थी। आकाश से चाँद अमृत बरसा रहा था। हीले-हीले हवा चल रही थी। तारों को एक-दूसरे से दूर देखकर फिर उसे एक बार अपने एकाकी जीवन का ख्याल आया। स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री। एक-दूसरे के पूरक हैं। एक-दूसरे से रहित कुछ नहीं है... इसके बाद गौरी को वह व्यक्ति याद आया जिसके हाथ में आज से चाईस साल पहले वैदिक जी ने यह हाथ थाम दिया था। फिर उसे अपना अभाव-अभियोगग्रस्त वह दाम्पत्य जीवन याद आया जो इसी गाड़ी की भाँति ढचर-ढचर कुछ दिनों जैसे-तैसे चलता रहा—इस गाड़ी के भी दो बेल बराबर नहीं हैं, उनकी भी जोड़ी ऐसी ही विषम थी।” (पृ० 60-61)

यह वैधव्य नारी को समाज के अनगिनत मोड़ों से गुजारता है जिसमें उसका चरित्र और उसका जीवन गल-गलकर नष्ट होता रहता है। वह जब तक मर नहीं जाती, साश की तरह मड़ती रहती है।

‘उग्रतारा’ के अन्तर्गत भी निपाही भभीखन सिंह उगनी से तीन गुना बड़े हैं। उग्रतारा अपने दाम्पत्य जीवन के महवाम को उग्र के बड़े फासले के कारण बलात्कार कहती है। विवाह-पद्धति पर चोट करता हुआ उसका आत्ममर्घर्ष इस तथ्य को प्रकट करता है—

“यह भी बलात्कार ही था। ठीक है, भभीखन सिंह ने वैदिक विधियों से शादी की थी। ठीक है आधे घण्टे तक अग्नि में आहुतियाँ डाली गई थी। ठीक है, हवन के धुएँ ने बहुते की आँखें आनन्द के आमुओं से गीली कर दी थी। ठीक है, तोला-भर सिंदूर मांग के बीचो-बीच कई दिनों तक जमा रहा। सब-कुछ ठीक है लेकिन स्त्री-पुरुष के बीच उग्र का बड़ा फासला किम तरह मखौल उड़ा रहा था विवाह के संस्कारों का। बाबू भभीखन सिंह को कानूनी तौर पर इस बलात्कार का हक हासिल हुआ। अब उगनी उनकी संतान को अपने लहू से पुष्ट बनायेगी।” (पृ० 41-42)

यह सब आर्थिक विषमताओं और अशिक्षा का परिणाम है। अर्थाभाव के कारण ही इन सुकुमारियों का जीवन नष्ट होता है। कन्या पक्ष वाले अनमेल वर से सिकड़ो की रकम लेते हैं और उन्हें उपहार में फूल-सी कन्याओं को आदर्श पत्नी के रूप में देकर अपने को निहाल करते हैं। ‘रतिनाथ की चाची’ का भोला पण्डित, ‘नयी पीध’ का खोखा पण्डित और ‘पारो’ का खूब ज्ञा इसी तरह के व्यवसाय में दक्ष हैं। वे कन्याओं को जानवरों की तरह बेचकर उनसे मोटी रकम लेते हुए बृद्ध वर को ‘सूर्यवंशी’ शीलागार ‘कन्दर्प कुमार’ बताकर विवाह के नाम पर उनका जियह ही करते हैं। ‘नयी पीध’ के खोखा पण्डित के इस सरल व्यवसाय का व्यौरा निम्नवत् है—

“यही कारण था कि रामेसरी को छोड़ बाकी छहों बेटियाँ खोखा पण्डित ने बेच डाली थी—

महेसरी से उन्हे 1100 रु० मिले थे ।

भुवनेसरी से 800 रु० मिले थे ।

गनेसरी से 700 रु० मिले थे ।

गुजेसरी से 1100 रु० मिले थे ।

वानेसरी से 900 रु० मिले थे ।

घनेसरी से 900 रु० मिले थे । और अब विसेसरी का नम्बर था । फसल तैयार खड़ी थी । कटने भर का विलम्ब था !” (पृ० 7)

आखिर में इस पन्द्रह वर्षोंया अबोध बालिका को भी सत्तर वर्ष का वर मिथिलांचल की दूल्हों की पेंठ ‘सौरठ’ से नौ सौ रुपये में तय होकर चला आ रहा है । विसेसरी को पता चलता है तो उसके बदन में काटे खून नहीं रहता—

“विसेसरी बेखबर नहीं थी । उसे अच्छी तरह मालूम था कि नाना आज रात एक कसाई को ला रहे हैं, घूमघाम से अपनी नतनी या जिवह करायेगे” जब से उसने बूढ़े दूल्हे की बात सुनी है तब से उसकी कलेजी भुन रही है । अब तक अपनी बेचनी को वह जब्त किए हुए थी, इसके बाद धीरज ने जवाब दे दिया । तन-मन की समूची ताकत बटोरकर उसने पैरो को लड़खड़ाने से बचा लिया, यही क्या कम था ?..... वह अपने आप में जूझने लगी कि बूढ़े भर भी आसू गिरने नहीं पाये ।” (वही, पृ० 25)

और इस नारी के शरीर विक्रय का परिणाम रतिनाथ की चाची गौरी का वैधव्य, उग्रतारा का गृहत्याग, पारो की अन्त्येष्टि होता है । खोखा पण्डित की लड़किया भी दिन-रात अपने मा-बाप को कोसती रहती है—

“सभी बहिनें मां-बाप को सराप दिया करती थी । कोई गूंगे के पल्ले पड़ी थी तो कोई बौड़म के पल्ले । कोई तीन जिला पार फेंक दी गई थी तो कोई पांच सौ कोस पर । उनमें से चार को भाग्य ने वैधव्य के बीहड़ जंगल में डाल दिया था । एक पगली हो गई थी, एक को उसके आदमखोर पति ने किरासन तेल की मदद से जलाकर खाक कर डाला था ।” (वही, पृ० 6)

इस तरह के वातावरण ने ही नागार्जुन की चेतना को झकझोर दिया है । उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की इस विभीषिका पर गहरे चिन्तन से विचार किया है । उन्होंने वैधव्य को पुनर्विवाह में परिणत कर नारी समाज को यातनाएं झेलने से बचाया है । इस माइने में नागार्जुन अपने समशील और सूक्ष्मवर्ती उपन्यास लेखकों से पृथक् भूमिका निभाते हैं । प्रेमचंद की तरह उनकी विधवाएं अपने भाग्य की दुहाई देकर सेवासन का निर्माण नहीं करती वे समाज से संघर्ष करती हैं । वह अपने मन के अनुसार जीवन यापन कर अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करती हैं । उन्हें समाज की यह छिछली, निकम्मी और दक्रियानूसी प्रथा स्वीकार्य नहीं है । ‘वरुण के बेटे’ की मधुरी अपने जीवित पति को उसकी यातनाओं से तंग आकर छोड़ती हुई उस नयी महिला के आगमन का संकेत देती है जो ऐतिहासिक है और ‘पति परमेश्वर होता है’ जैसी घोषी मान्यता को ठुकराकर उसके जीवन का अपनी-अपनी इच्छानुसार रास्ता तय करती है—

“नही, अब वह कभी उस नशा-खोर बुड्ढे की लात-बात वर्दाशत करने नहीं जायेगी
 “फिर से शादी कर लेगी किसी दिलेर, नेकचलन और मेहनतकश जवान से” और
 वगैर मर्द के कोई औरत अकेली जिन्दगी नहीं गुजार सकती है क्या?” (पृ० 109)

‘नई पीघ’ में इस अनमेल विवाह को ठुकराने के लिए नागार्जुन गांव के पढ़े-
 लिखे नवयुवकों को सामने लाते हैं। वे पुरानी पीढी की इस कुत्सित बात को सुनते ही
 चौक पड़ते हैं—

“पन्द्रह साल की विसेसरी साठ वर्ष के चतुरानन चौधरी को ब्याही जाने वाली
 थी। दिगम्बर ने यह खबर सुनी तो उमे ऐसा लगा कि किसी ने भर-भर कलछी खोलता
 हुआ कड़ुआ तेल बारी-बारी से उसके दोनों कानों में डाल दिया है।” (पृ० 14)

गांव का युवक समुदाय इस दाम्पत्य वधन पर आक्रोश व्यक्त करता है। वह इस
 विवाह को किसी भी कीमत पर सम्पन्न होने देने में नहीं है। यह पहली बार ग्रामीण
 चेतना नागार्जुन के ही उपन्यास ‘नई पीघ’ में अभिव्यक्त हुई है जिसमें इस कुप्रथा की
 जड़ों को हिला दिया है। विवाह स्थल पर दिगम्बर, माहे आदि अपने सभी सगी-साथियों
 को लेकर मारामारी पर उतर आते हैं। दिगम्बर ललकारता हुआ कहता है—

“बच्चन बाबू, यह बाबू साहेब जितनी देर लगायेंगे अशांति उतनी ही बढ़ेगी।
 आप यह गाठ बांध लीजिए कि गांव का एक-एक नौजवान पिटते-पिटते बिछ जायेगा
 मगर यह ब्याह नहीं होने देगा— लाज-शरम को धोकर यही पी गए हैं तो क्या हम भी
 बेहया हो जाएं—विसेसरी जैसी तो इनकी नतनी-पोती होगी—यह अभी सीधे नहीं
 मानेंगे तो बाघबूध कर और खटोले पर ठोककर इन्हें कल तक सोराठ पहुंचा दिया
 जायेगा, इन्हीं के खिलाफ कल नौजवानों का हम एक जुलूस निकालेंगे। समझ क्या
 रखा है इन्होंने आखिर? (वही, पृ० 60-61)

इस तरह उस साठ साला महावर का गांव से ये चेतना सम्पन्न युवक बहिष्कार
 कर विसेसरी का विवाह उसके समवस्यक वर वाचस्पति पाठक से कराते हैं जो कि
 दहेजविहीन, आडम्बररहित निहायत सादगी से सम्पन्न होता है। विसेसरी अपनी मन-
 पसंद वर को पाकर आत्म-संतोष करती है—

“तब विसेसरी ने जी-भर अपने दूल्हे को देखा। गेहुंआ सूरत का वह तरुण सौन्दर्य
 छोकरी को बड़ा मोहक लग रहा था—भरी-भरी सी पीठ, गोल-गोल बाहे, पुष्ट और
 मासल कंधे, गोल माथा, काले-काले भंवरो से बाल—” (वही, पृ० 140)

यह आजाद भारत के युवक संघर्ष का परिणाम है जिसने चालाक चौधरियों को
 नयी चुनौती देकर उनकी सारी चौधराहट मिट्टी में मिला दी है। यह आधुनिक भारत
 की सच्ची नई पीघ है जिसने ठूठों को श्रीहीन कर दिया है। डॉ० एन० रवीन्द्रनाथ
 ने इसे युवा वर्ग के संघर्ष का सुफल कहा है—

“उपन्यास में इस समस्या का समाधान नई और पुरानी पीढी के सश्रिय संघर्ष में
 नई पीढी की विजय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।” (माक्सवाद और हिन्दी उपन्यास,
 1979, पृ० 240)

इस अनमेल वर की प्रथा के पीछे आर्थिक कारण है। दहेज उमी का परिणाम है।

कन्यापक्ष को अपना आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों को अच्छा घर और अच्छा वर तलाश करने में कठिनाई होती है। इसी कारण उसे उम्र भर अनमेल वर के बन्धन के अभिशाप को भुगतना पड़ता है। परिवार में अशांति का सबसे बड़ा यही कारण है। 'पारो' उपन्यास में इसका संकेत नागार्जुन ने किया है—

“मगर उससे क्या ? ब्याही लड़की जब तक सुसराल न चली जाए, उसके मा-बाप के लिए कुछ-न-कुछ परेशानी रहती ही है। कोजागरा (शादी के पहले साल आश्विन पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार) के भर-दोर में कमी हुई तो समधी-समधिनी का राज। जड़काले में भड़कदार रैपट या शाल न देने से दामाद मुँह फुलाकर तुम्हा कर लेगे। बात-बात में उनके रूठने का डर।” (पृ० 40)

‘उग्रतारा’ उपन्यास के नायक कामेश्वर सिंह और नायिका उग्रतारा ने तो समाज को एक और नई दिशा से परिचित कराया है। कामेश्वर आज के समाज का वह आधुनिक व्यक्ति है जो गर्भवती विधवा को अपनी पत्नी बनाने में संकोच नहीं करता उसे संपूर्ण स्थिति का ज्ञान होते हुए भी अपना ऐतिहासिक चरण आज के समाज के अगले सौपान पर रख देता है। कामेश्वर के माध्यम से नागार्जुन सीख देते हैं कि जब पचास-पचास साठ-साठ साल के वृद्ध चार-चार पांच-पांच सतानों के पिता अपनी धूम-धाम से शादियां करते हैं तो अनचाहे वर को छोड़ने का नारी को भी पूरा अधिकार है। वह अपने मन के माफिक युवक के साथ रहने में कदम उठा ले तो कोई अचम्भा नहीं होना चाहिए। कामेश्वर उस नए आगामी समाज का सदस्य है जो इस तरह विवाहित और गर्भवती महिला को भी अपनी पत्नी बना लेने में उसे बराबरी का दर्जा देता है—

“आज एक पुरुष ने गर्भिणी नारी के सीमंत में सिंदूर भरा था। धोखे में नहीं जानबूझकर। उसके हीशो-ह्वास दुरुस्त थे, विवेक सजग था, आवेग या आवेश चेतना पर हावी नहीं था। सभी बातें उसे मालूम थी।” (पृ० 97)

नागार्जुन इस अन्तर्जातीय विवाह की एक और क्रान्तिकारी शुरुआत करते हैं। वे जातिवाद के धिनौने घेरे को तोड़ कर उसमें नवीन चेतना का संचार करते हैं। निम्न वर्ग के लोगों के साथ बैठना, खाना, रहना जातिवाद को समाप्त करने में इतना सफल और कारगर नहीं है जितना कि अन्तर्जातीय विवाह। यद्यपि यह भारतीय पृष्ठभूमि में अभी इतना सफल नहीं हो रहा है और देहाती जीवन में तो यह और भी मुश्किल है। परन्तु फिर भी नागार्जुन यह सब जानते हुए भी इसकी शुरुआत चाहते हैं। आज नहीं तो कल अन्तर्जातीय विवाह जातिवाद को निर्मूल करने में सफल सिद्ध होगा।

नागार्जुन के अन्तर्जातीय विवाह में सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि इसमें भावुकता नहीं है। उसमें प्रेमी और प्रेमिका का क्षणिक आवेश नहीं है। वे जानते हैं कि यह भावुकता और क्षणिक आवेश अस्थाई होते हैं। प्रारंभ में इनका मानसिक दबाव इतना भारी और भयंकर होता है कि व्यक्ति की चेतना को दबा देता है। लेकिन धीरे-धीरे यह जब शान्त होता है तो परिवार में कलह और सम्बन्धों के बिखराव की स्थिति आती है। परन्तु नागार्जुन पारिवारिक बिखराव में नहीं अपितु जुड़ाव में विश्वास करते हैं। उसके अन्तर्जातीय वैवाहिक निर्णय परिस्थितियों को देन होते हैं। जीवन की विमर्गतियों

में जूझकर ही वे नया मार्ग अपनाते हैं। 'बलचनमा' की जय मंगला का दर्जी के लड़के के साथ चला जाना, 'अभिनन्दन' की मृदुला का अपने इन्टर कथा के साथी के साथ निर्वाह के लिए गृहत्याग उसी श्रृंखला का परिणाम है। नागार्जुन के स्त्री और पुरुष दोनों जंचे हुए होते हैं। 'बलचनमा' में लहेरिया गंज का मुसलमान दर्जी और बाल-विधवा जयमंगला वर्णों से एक-दूसरे पर नजर रखकर ही एक-दूसरे के साथी होते हैं—

“लहेरिया गंज का एक नौजवान दर्जी हवेली के सारे कपड़े सीता था। गठीला और खूबसूरत मुसलमान। उसका मामा मधुबनी बाजार में सिलाई की दूकान किए हुए था। बूढ़े मालिक उसी से अपने कपड़े सिलवाते थे। हुनर सीखकर जब भाजा तैयार हुआ तो जनानी कपड़ों का नाप लेने के लिए हवेली के अन्दर आने-जाने लगा।—नया दर्जी, सिलाई बड़ी अच्छी करता था, छोटा था तभी से मालिकाइन उसे जानती थी। तो बैठक में ही अलग एक कोठरी के अन्दर दर्जी को सिलाई करने का हुकुम मिला। चार-चार, छः-छः रोज दो-तीन बार वह मालिक के यहाँ रह चुका था। मशीन आती थी और जाती थी। दर्जी को मजूरी भी मिलती थी, खाना भी मिलता था और नाश्ता-पानी भी—इसी बीच दोनों की नजरें चार हो गईं। दो दिलों ने मिलने का अपना रास्ता भी निकाल लिया। बाहर किसी को कुछ मालूम नहीं, अन्दर-अन्दर कड़ाही में गुड़ पगता रहा। अबकी बार दर्जी रफू करने के बहाने यो ही आया, मशीन लाने की फिर जरूरत ही क्या थी? दो दिन रहके रात को गायब हो गया, जय मंगला भी गायब थी।” (पृ० 174)

‘अभिनन्दन’ की विधवा मृदुला भी इसी तरह की स्त्रीपात्र है जो कि नामी-गिरामी अपार सम्पत्ति और सम्मान वाले माल मन्त्री पिता थी नरपत सिंह के धन को ठुकराकर अपने दाम्पत्य जीवन के लिए अपने पुराने प्रेमी के साथ चली जाती है—

“कोठी के पिछवाड़े होकर नौकरों के क्वार्टर के बगल से वह निकली। हाथ में चमड़े का छोटा-सा सूटकेस था। सड़क के किनारे बिजली की धीमी रोशनी में मृदुला प्रगट हुई तो नीम की झुटपुटी छांह में से साइकिल सवार एक युवक आगे बढ़ आया सूटकेस की उसने आगे लटका लिया। मृदुला पीछे कैरियर पर बैठ गई।” (पृ० 132-33) जाते समय उसने एक पत्र भी पिता के नाम छोड़ा था जिसे नागार्जुन सरीखे साहित्यकार ने अपने पाठकों को ईमानदारी के साथ दिखाया।

“पिताजी

इस कोठी में यह मेरी आखिरी रात है अब कभी मैं आपसे मिल नहीं सकूंगी... मैं सदा के लिए आपसे बिछड़ रही हूँ...”

प्रान्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं जिसे आपके आशीर्वादों से वंचित होना पड़ा हो। सांड-सम्मेलन से लेकर साधु-सम्मेलन तक का उद्घाटन आपने किया है। अनाथालय, विधवालय, बहरो गूगो का स्कूल, पिंजरापोल, वानप्रस्थ आश्रम—जाने कितनी संस्थाओं को आपकी मदद मिलती रहती है। ‘महिला मंगल समाज’ तो खैर आपका अपना शिशु है। दसियों युवतियों ने आपकी छत्र-छाया में वैधव्य के अभिशाप से छुटकारा पाया है।

लेकिन मैं ? मेरी तरफ क्या कभी आपने ध्यान दिया ? बवार की अगली पूनम को मैं छब्वीरा की हो जाऊंगी। अठारह की उम्र में मेरी शादी हुई। शादी के छह महीने बाद ही हवाई दुर्घटना में उनका देहागत हो गया। इन्टर के बाद आपने मेरी पढ़ाई छोड़ा दी। एक बूढ़े पण्डित जी रखे गए। जिनसे मुझे गीता, रामायण, उपनिषद, वैदान्त आदि पढ़ना पड़ता था—

गत वर्ष तक मुझे आखिर मा की ममता प्राप्त थी पिछले दिनों मेरी नकेल आपने चाची जी को थमा दी। मा वह माधवी की हो सकती है, मेरे लिए तो चुड़ैल से बदतर है यह औरत—।

भाई-भाभी को अपनी पडी रहती है, उन पर जब आपका ही कोई बग नहीं चलता तो मैं भला किस खेत की मूली हूँ।

इन्टर का एक मेरा साथी बम्बई में रहता है। हम बीच-बीच में मिलते रहे हैं। एक मिल में वह टेक्नीकल एक्सपर्ट है, छः सौ पाता है—वह आया हुआ है मैं उसी के साथ जा रही हूँ। विजय-दशमी के शुभ अवसर पर हमारी शादी होगी। आपकी हीरक जयन्ती हुई, मेरी यह ताम्र जयन्ती ही सही।

आपकी
मदुला”

नागार्जुन इस नवीन सामाजिक शुरुआत को और आगे बढ़ाते हैं। उनकी नारिया मध्यकालीन बोधवाली ‘मोहेन नारि नारि के रूप’ न होकर एक समाज-मेविका के रूप में सामने आती हैं। वे अपने वर्ग पर होने वाले जुल्म और तन शोषण से परिचित हैं। इसलिए शोषित और पीडित नारी को वे अपनी गोदी में लेकर संरक्षण देती हैं। उसे गन्दी और गलीब जिन्दगी से निकालकर स्वस्थ और आधुनिक समाज के वातावरण में जीने के लिए सहर्ष प्रस्तुत करती हैं। ‘उग्रतारा’ में कामेश्वर की भाभी इस आदर्श को प्रस्तुत करती हैं—गर्भवती उग्रतारा की मांग में भुवनेश्वरी अकेले ढंग की आधुनिक भाभी हैं जो कि अपने देवर कामेश्वर के हाथों समाज से टक्कर लेती हुई सिद्धर डलवाती हैं। वह जलन, ईर्ष्या और सामाजिक दुराग्रह की जगह उन्हें मुंह भर-भरकर आशीर्वाद देती हैं। वह समाज और रंगे सियारों पर अपनी नारी सत्ता को प्रदर्शित करती हैं—

“लुक्के-लफंगे अपना ही मुंह काला करते हैं। हमारा-तुम्हारा मुह तो शीशे से भी ज्यादा साफ रहेगा।” (उग्रतारा, पृ० 42)

और वही महिला नए भारत के युवक को भी प्रस्तुति में लाती हुई कहती हैं—

“कामेश्वर तुम्हें लेने आया है, तुम जरूर उसके साथ चली जाओ वह तुम्हें भी स्वीकार करेगा और तुम्हारे शिष्टु को भी स्वीकार करेगा। कामेश्वर नए भारत का नया युवक है, पुराने ढंग का छिछोर नौजवान नहीं है वह—” (वही, पृ० 42)

इसी तरह कुत्सित वातावरण में रहने वाली ‘कुभीपाक’ की भुवन को कंपाउन्डर की बीबी विमला अपना सक्रिय समर्थन देती है। वह नहीं चाहती कि भुवन का अब और

शरीर विक्रय हो। वह भुवन को अपने घर में रखती हुई कहती है—

“भुवनेश्वरी की कलाई पकड़कर कपाउण्डर की बीबी ने दृढ़तापूर्वक कहा, अब तुझे कोई बेच नहीं सकता, न खरीद ही सकता है कोई। तुझ पर तो अब मेरा ही हक है। मैंने तुझे अपना दिल देकर खरीद दिया है। देखूँ कौन मेरी बहन का गला काटता है।

स्वयं कम्पाउण्डर की बीबी निर्मला ऐसे परिवार की रही है जिसने शादी-विवाह सामाजिक परंपराओं को तोड़कर अन्नर्जातीय विवाह के रूप में किया है—

“स्वस्थ-मुन्दर युवती (लड़कियों के गैर सरकारी माध्यमिक स्कूल की अध्यापिका) रुढ़ि के बाड़े से बाहर निकल कर संघर्ष की भट्टी में तिल-तिल करके तपने वाले मा-बाप की संतान। बी० ए० बी० टी०, करके दो वर्ष अध्यापन। सदानन्द से परिचय— प्रोफेसर श्री सदानन्द नाल। ब्राह्मण की लड़की और कायस्थ का लड़का—दोनों में घनिष्ठता—“इलाहाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी—” (पृ० 5) वह भुवन को अब और नारकीय जीवन नहीं बिताने देगी उसके भाई और भाभी भी समाज से संघर्ष कर एक नयी दिशा के अन्वेषक हैं। अतः भुवन को उनके पास संरक्षण के लिए पत्र लिखकर नाम बदलती हुई भेज देती है—

“भइया के चरणों में निर्मला का प्रणाम। एक अनाथ लड़की आपकी शरण में जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप और भाभी इस लड़की को अपने परिवार में शामिल कर लेंगे।

भइया, आपने बहुतों का उद्धार किया है। आपका हृदय विशाल है—मैं बचपन से ही आपके स्वभाव को जानती हूँ।

इन्दिरा नाम है, उम्र है उन्नीस की। जिला मुगेर की किसी मशहूर बस्ती में पैदा हुई थी, घराना ऊंची नाक वालों का। पन्द्रह की उम्र में शादी हुई। दूल्हा पायलट था, उसी वर्ष हवाई दुर्घटना में जान गंवा दी। इन्दिरा का फिर वही हाल हुआ, घुटी हुई तबीयत के युवकों और आदर्शहीन अघेड़ों के बीच एक विधवा तरुणी का जो हाल होता है। गर्भ चार महीने का हुआ। एक अत्याचारी रिश्तेदार डाक्टरों इलाज के बहाने इन्दिरा को आसनसोल ले गया और घमंशाला में अकेली छोड़कर खिसक गया। तब से दो वर्ष इन्दिरा के कैसे कटे हैं, यह बात धरती जानती होगी कि आसमान जानता होगा—हम-आप तो अंदाज भी नहीं लगा सकते भइया!

लड़कियों और औरतों की खरीद-बिक्री जिनका घधा था, ऐसे ही एक राक्षस के चंगुल से आपकी छोटी बहन इन्दिरा को छुड़ा लाई है झपट्टा मारकर, चील की तरह छीन लाई है—आप मेरी पीठ ठोकेंगे और भाभी मुझे इनाम देंगी।” (कुम्भीपाक, पृ० 62-63) और सदानन्द वास्तव में सदानन्द है, अपने नाम का धनी है वह। इस प्रताड़ित और शोषित महिला को पूरा सम्मान और संरक्षण दोनों पति-पत्नी की ओर से मिलता है—

“पत्र देखकर सदानन्द ने इन्दिरा की पीठ पर हाथ रखा। बोले थे, पिछली बातों को विल्कुल भूल जाना। सोचो कि फिर से जन्म हुआ है—यहां आराम से रहो, पढ़ो और लिखो। वृक्षों के साथ खेलो। बहुत सारी सहेलियां मिल जायेंगी यहां तुम्हें—और

तभी मे भाई साहब ने इन्दिरा को ममता के दायरे में समेट लिया और भाभी ? भाभी ने तो मंजीदगी और स्नेह का अनूठा परिचय दिया था पिछले कई दिनों के अन्दर । रजना ने इन्दिरा को इस तरह अपना लिया जिस तरह गंगा यमुना को धुपनाती है । पिछले जीवन के वारे में एक भी सवाल नहीं पूछा था उसने...।" (वही, पृ० 61)

नागार्जुन का यह 'कुभीपाक' उपन्यास वास्तव में नारी जीवन के अनेकों पटलुओं के संघर्ष को उद्घाटित करता है । उसमें तमाम शोषित और प्रताड़ित महिलाएं अपने बाकीय जीवन से संघर्ष करने को उतारू हैं । उपन्यास की चंपा आदर्शवादी वाक्य कहती हुई—

"मदं और औरत एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते । एक की बोली दूसरे के लिए शहद है । एक की चितवन दूसरे के लिए बिजली है । उसकी गंध इसके लिए चंद्रन है । यह छू देगी तो ठूठ से टूसे निकल आवेंगे ।" कुन्ती नारी की गुजरती हुई जिन्दगी को ध्यान में रखना वह समाज से प्रश्न करने लगती है—

"अगर ऐसी ही बात है तो क्यों औरतें बिकती हैं ? क्यों उन पर डाक बोनी जाती है ? मामूलों भूल-चूक पर औरतों को क्यों घर से निकाल देते हैं ? चंपा बहन, हम क्या अच्छे घर की अच्छी बहूएं नहीं होती ? मुझे और तुम्हें किसने बर्बाद किया ।" (पृ० 87)

वह भुवन के निर्णय का स्वागत करती हुई औरत के दलाल शर्मा को धूकती हुई कहती है—

"शाबाश भुवन, शाबाश ! उस खूसट को तुमने बड़ी सफाई से अंगूठा दिखा दिया, बलिहारी है ! शर्माजी छूब छूके ! बड़े आये वाप और चाचा बनने वाले... ! इस दुहड़े की नाक में छल्ला डालकर, भुवन तुमने अपनी ही नहीं बल्कि सभी औरतों की नाक रख ली...।" (वही, पृ० 88)

परन्तु कंपाउंडर की बीवी निर्मला में तो गजब का साहस है । उसमें समाज-मुधार और नारी के प्रति अपार संवेदना है । वह अकेली भुवन (इन्दिरा) का ही कल्याण नहीं करती अपितु चंपा जोकि नारी शोषण के अनेकों मोड़ों से गुजरती है उसके प्रति भी वह सहानुभूति रखती है । वह उनकी गलीज जिन्दगी से उसे बाहर लाना चाहती है । वह इन्दिरा को दुबारा चंपा बुआ से मिलाने की इसलिए कोशिश करती है कि इन्दिरा की सवरी हुई जिन्दगी को देखकर उसके मन में भी कुतिसत समाज के प्रति घृणा पैदा हो । वह भी अपने जीवन को इन्दिरा के समान स्वाभिमान से जिए । अतः निर्मला को चंपा से इतने नीच और असामाजिक कार्य व्यापार किये जाने पर भी घृणा नहीं होती अपितु संवेदना है—

"देखो भाभी, बुआ से मिलना इन्दिरा के लिए जरूरी नहीं है मगर इन्दिरा का मिलना बुआ के लिए जरूरी है । इन्दिरा जिम नरक से बाहर निकल आई है बुआ अब तक उसी कुभीपाक में गोते खा रही है । वह इन्दिरा को सामने देखेगी तो अपने अन्दर दुगुना साहस महसूस करेगी । दलदल से बाहर निकलने का उसका संकल्प और भी तीव्र हो उठेगा... अंधेरे में भटकता मुसाफिर यदि दूर कहीं ज्योति का आभास भी पा जाता है तो उसके पैरों में बिजली की फुर्ती आ जाती है ।" (वही, पृ० 120)

उपन्यास में दानापुर के राय साहय भी इग गलीच जिन्दगी से छुटकारा पाने के लिए नारी को समता और समानता के आधार पर उत्तम जीवन बिताने और स्वाभिमान के साथ रहने की आधुनिक बात की पुष्टि करते हैं जोकि नारी समाज के लिए अनिवार्य है। उनके समाज के उत्थान का लक्ष्य है—

“बस यही आत्म-विश्वास में स्त्रियों में देघना चाहता हूँ चम्पा ! हम बडी जात वानों ने महिनाओं को पंगु बना रघा है। जीवन का सारा रस निचोड़कर सिटी बनाकर छोड़ दिया है...श्रम, प्रज्ञा, सहयोग, विवेक और मुर्छि सभी आवश्यक हैं चम्पा! जीवन में इन पांचों का समन्वय करना होगा। पुरुषों की ही बपीती नहीं है स्त्रियो का भी नाशा है इनमें।” (वही, पृ० 130)

इग तरह नागार्जुन सहजता के साथ आधुनिक समाज की सरचना में सलग्न हैं जो कि अत्याचार और भोषण में मुक्त होकर समता और समानता के आधार पर टिका हो। डा० विजय बहादुरमिह ने उसके उपन्यासों में अभिव्यक्त इसी दृष्टिकोण को एक नये समय का संकेत माना है—

“कह सकते हैं कि नागार्जुन अधूरी दुनिया के लक्षक नहीं हैं। अतः वे न तो कोरे आदर्शवादी (कल्पनावादी) हैं और न ही कोरे यथार्थवादी। उनके उपन्यास किसी निश्चित राजनीतिक या सामाजिक चिन्ता से जन्म लेते हैं और किसी स्पष्ट इशारे के साथ घटम होते हैं। (नागार्जुन और उनका रचना गंमार, पृ० 125)

यह सच्ची बात है कि नागार्जुन ने वर्तमान पीढ़ी को अपनी कृतियों के माध्यम से इशारा किया है। वे जर्जर समाज पर प्रहार करते हैं, उसे समूचा नष्ट कर नयी व्यवस्था की आधारशिला रखना उनका उद्देश्य बनता चला जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने उपन्यासों में ‘नए समाज’ का सृजन किया है। जिसमें नए दांपत्य सूत्र नई नारी के साथ जुड़े हैं। उनके ये सूत्र जर्जर परम्पराओं को तोड़ देते हैं। नागार्जुन मुसलमान से हिन्दू युवती का विवाह कराकर अन्तर्धर्मीय सौहार्द्र कायम करते हैं; वही विधवाओं के विवाह, अन्तर्जातीय विवाह तथा ऐसी विधवाओं के विवाह भी कराते हैं जो पहले से गर्भवती हैं। उनका समाज भी इस परिवर्तन का स्वागत करता है।

यह वह स्थिति है जहां नागार्जुन प्रेमचन्द से आगे हैं। क्योंकि प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में वर्तमान पर दृष्टि रखी। उन्होंने समकालीन राजनीति के परिप्रेश्य में समाज की व्याख्या की है। परन्तु नागार्जुन ने सामाजिक अध्ययन में नूतनता का परिचय दिया है। बाल-विवाह, विधवा, दहेज, बहुपत्नी आदि जैसी समस्याएं आज भी हैं और उस समय भी थी परन्तु नागार्जुन इनकी व्याख्या आज के सन्दर्भ में वैज्ञानिक धरातल पर करते हैं। नागार्जुन प्रेमचन्द की तरह सामाजिक समस्याओं का हल ‘सुधार’ के रूप में न कर उसका स्याई बन्दोबस्त करते हैं। उदाहरण के लिए विधवा समस्या को देखा जा सकता है। प्रेमचन्द की तमाम विधवाएं अनमेल वर का शिकार हैं जोकि कम उम्र में शादी हो जाने के कारण पति की मृत्यु से जीवन-भर कष्ट और सामाजिक प्रताड़ना भुगतती हैं। उन्हें सामाजिक सम्मान और स्वावलम्बन जैसी चीज समाज से प्राप्त नहीं होती। यद्यपि प्रेमचन्द की सहानुभूति इस वर्ग से बेहद रही और स्वयं ने एक विधवा से

उसके सामाजिक सम्मान के लिए विवाह भी किया परन्तु वे उठे अपने पात्रों में सिद्धांत के तौर पर खाने में असमर्थ रहे। उनके नारी पात्रों ने भी उनकी न तो मदद ही की और न ही सहयोग दिया। प्रेमचन्द की विधवा अकेली समाज के एक कोने में सेवामदन खोलकर बैठी रही।

परन्तु नागार्जुन ने अपनी विधवाओं को सम्मान और सहयोग दिया। समाज के सामने उसे प्रतिष्ठा दो है जिसके फलस्वरूप पुरातनपंथी समाज को करारी मात देकर नवीन सामाजिक संरचना की आधारशिला रखी है। उनकी विधवाएं चेतनासंपन्न हैं। वे राजनीति में सक्रिय हिस्सा लेती हैं। वे देश और समाज के मुद्दों की पहचान जानती है। 'रतिनाथ की चाची' की गौरी यही सब समझकर किसानों के अधिकार के लिए ताराचरण को अपनी गरीबी की हालत में भी सूत कातकर चंदा देती है। वह इसे 'देश का काम है दस का काम है' मानती है। वह समाज-सेवा में सबसे आगे आने वाली महिला है। अन्य विधवा महिलाओं के जीवन का तो नागार्जुन ने क्रांतिकारी समाधान 'पुनर्विवाह' कराकर प्रस्तुत किया है। इस पुनर्विवाह में उन्होंने कई आधुनिक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो प्रेमचन्द में दृष्टिगोचर नहीं होते। नागार्जुन के पुनर्विवाह अन्त-जातीय है जैसाकि 'दुखमोचन' में कपिल और माया का है। गांव की पुरानी पीढ़ी की घनघोर खिलाफत के बाद दुखमोचन जैसा पात्र मैपिल ब्राह्मणी विधवा की शादी भूमि-हार से नित्यानन्द और टेकनाथ जैसे समाज मर्पों के रहते टमकाकोयली गांव में सरेआम कराता है। यह वह शुरुआत है जिससे वर्ग-विहीन समाज की रचना सम्भव है साथ ही एक भारतीय जीवन की इति कर उसके स्थान पर स्वस्थ विचारों का जन्म।

नागार्जुन ने इस अभिशप्त समाज का एक और क्रांतिकारी द्वार 'उग्रतारा' उपन्यास में खोला है जोकि हिन्दी उपन्यास में आज तक देखने को नहीं मिलता। उगनी जैसे बाल-विधवा जोकि जीवन के एक मोड़ पर भमीखन सिंह से गर्भवती होकर भी अपने मनचाहे वर कामेश्वर को प्राप्त कर जाती है। और कामेश्वर भी "नए भारत का युवक है, पुराने ढंग का छिछोर नौजवान नहीं" गर्भवती उगनी को बिना किसी शिक्षक और समाज की परवाह किए उसकी सूनी मांग में सिद्धर डालकर उसे धर्मपत्नी बना लेता है। नागार्जुन वैधव्य से पूरी तरह परिचित है। उसकी नारकीय जिन्दगी के गली-गलियारे उन्होंने स्वयं जाकर देखे हैं। वे नहीं चाहते, कि विधवाएं बाजार में शरीर का सीदा करके पेट भरे, वह नहीं चाहते, कि नारी-निकेतन के मालिक लोग ओप्ट्य सहानुभूति देकर उनके साथ रंगीन रतें बिताते रहें, वे नहीं चाहते कि नारी समाज में उपेक्षित और नारकीय वातावरण में रहे। इसलिए वे विधवाओं के पुनर्विवाह से कुत्सित समाज की दीवार तोड़ने का दृढ संकल्प लेते हैं।

एक और बात इस लेखक में अपने समकालीन और पूर्ववर्ती लेखकों से भिन्न है। वह है नारी संगठन की। उन्होंने नारी संगठन के माध्यम से समाज की घिनौनी कुप्रथाओं का अन्त किया है। वे नारी के ईर्ष्या, जलन, डाह जैसे परम्परावादी दृष्टिकोण के शिकार नहीं हैं। ऐसा व्यवहार करने वाली नारियों की उन्होंने बड़ी बखिया उधेड़ी है। 'रतिनाथ की चाची' की दमयंती, जनक किशोरी, शकुतना रामपुर वाली आदि की

नागार्जुन ने उनके दकियानूसी विचारों के कारण खूब खिल्ली उड़ाई है। परन्तु 'उग्रतारा' में कामेश्वर की भाभी और 'कुंभीपाक' में कम्पाउण्डर की बीबी निर्मला, प्रोफेसर सदानन्द की बीबी रंजना आदि महिलाएं स्वस्थ चित्तिका और आधुनिक विचार संपन्ना हैं। वे शोषित और समाज द्वारा प्रताड़ित 'उग्रतारा' और इन्दिरा जैसी नारियों को संरक्षण ही नहीं देतीं बल्कि उनके मनचाहे संकल्पों को पूरा कराती हैं। नागार्जुन ने यहाँ आधुनिक नारी की इस भूमिका को आधुनिक समाज के स्वस्थ विकास में आदर का स्थान दिया है।

इस तरह यह साफ जाहिर है कि नागार्जुन का सामाजिक चिन्तन अपने समकालीन और पूर्ववर्ती लेखकों से अधिक आधुनिक है। वे समाज की समस्याओं के मूल पर चोट करके आधुनिक परिवेश के अनुकूल उन्हें समूल नष्ट करते हैं, वे वर्ग-विहीन समाज के पक्षपाती हैं। उनके तमाम उठाये गए कदम इसका प्रमाण हैं।

नई और पुरानी पीढ़ी का वैचारिक संघर्ष

नागार्जुन का चिन्तन उनके गहन अनुभव का परिणाम है। आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क के कारण उन्होंने वर्तमान समाज के बदलते हुए वैचारिक परिवेश को देखा है। पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क से आधुनिक समाज का प्रारूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। आधुनिक शिक्षा ने युवा वर्ग के चिन्तन को नई दिशा देकर कुठिल मूल्यों पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। इन्हीं प्रश्नचिह्नों के कारण नई और पुरानी पीढ़ी का वैचारिक मतभेद उभरकर आ रहा है। प्रायः हर घर में बुजुर्गों को बच्चों से यह शिकायत होना देखा जा सकता है कि वह बड़ों की बात नहीं मानते और बच्चों को यह कहते और मुंह चिढ़ाते देखा जा सकता है कि अब वह जमाना लद गया जिसमें आपको एक रुपये के एक मन गेहूँ मिलते थे।

अतः इस बदलाव को नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं के अन्तर्गत नई और पुरानी पीढ़ी का वैचारिक संघर्ष माना है। वे इस वैचारिक संघर्ष में पुरानी मानसिकता की धोयी मान्यताओं को नकारने वाले नई वैचारिकता से सम्पन्न युवा वर्ग का स्वागत करते हैं। नागार्जुन के युवक पुराने समाज की उन तमाम अंध-परम्पराओं, अंधविश्वासों और अंधमान्यताओं को एक आंख से भी देखना पसन्द नहीं करते उनके लिए यह सभी निरर्थक हैं—

“समझा नहीं, हमारे गाँव में पण्डितों का बड़ा दबदबा था। राज ही उन्हीं का था... अब मगर जमाना पलटा खा रहा है। पण्डितों और मासिकों के अपने ही घराने में यह सब नहीं चलता। दादा पूरब की ओर देखता है, पोता बिल्कुल पश्चिम की ओर खड़ा मूतता है। बूढ़े-बूढ़ियाँ मरते हैं, इसटीसन पर गाड़ी में उतरते समय पोते को अगर पता लग गया तो मूड मुड़ाने के डर से सीधे पश्चिम की राह लेता है। लौटती गाड़ी से

पटना-मुजफ्फरपुर चला आता है।" (वनचनमा, पृ० 47)

अतः इन नए मूल्यों के अनुपालन में युवा वर्ग आधुनिक परिवेश के साथ है। उनके हल को भी वह नये विचारों से प्रस्तुत करता है। परन्तु समाज की व्यवस्था पर तो वृद्ध समाज का गीध साम्राज्य है। वे अपने इस अधिकार क्षेत्र में किसी के हस्तक्षेप को तो क्या दृष्टिपात को भी बुरा मानते हैं। हर बात की प्रतिष्ठा उनकी मूर्छों के बालों से संपृक्त है। इन्हीं जटिलताओं में युवा और वृद्ध मानसिकता का संघर्ष होता है क्योंकि आज का हल आज के व्यक्ति के ही हाथ में है। अतः वृद्ध मानसिकता को आधुनिक परिवेश में पछाड लगाना ही स्वाभाविक है।

नागार्जुन ने दांपत्य जीवन की अनमेल विवाह पद्धति में 'नई पीढ़' और 'दुखमोचन' उपन्यासों में वृद्ध और युवा वर्ग की मानसिकता की टकराहट को प्रस्तुत किया है। वास्तव में समाज की ये दोनों ही स्थितियाँ यही ही ज्वलंत है जिनमें नारी जीवन एक अभिगाप बन जाता है और पुरानी मानसिकता इसे यथास्थिति में रखती है। अतः इसके विप्लाव नई पीढ़ी का वैचारिक संघर्ष मुखरित हो उठता है।

नागार्जुन के 'नई पीढ़' में अनमेल विवाह के विरोध में युवा वर्ग का संगठन है जो कि खोखा पण्डित के मनमूबे पर पानी फेर देता है। खोखाई झा को अपनी कन्याओं को वृद्ध घरों के साथ बेचने का लम्बा अनुभव है। वह अब तक छह कन्याओं को बेचकर काफी रकम बटोर चुका है। और अब जीवन की अन्तिम इच्छा अपनी नतिनी त्रिसेसरी को बेचने की है। युवा वर्ग यह अच्छी तरह समझता है कि इस अनमेल विवाह का परिणाम आधुनिक युग में बड़ा ही भयानक होता है। कम उम्र की कन्या शारीरिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण अपने पितातुल्य घर के साथ सहवास में या तो अपने जीवन को समाप्त कर लेती है और नहीं तो घर महोदय दो-चार वर्ष में परलोकवासी हो जाते हैं। और फिर प्रारम्भ होता है उस बाल-विधवा का अभावो और अभियोगों का भरा हुआ जीवन जिसमें वह अपने को न जाने कहां-कहां समर्पित करती है। कहीं उसके अनैतिक गंध रह जाता है तो कहीं वह अर्थाभाव में वेश्या जैसा जीवन बिताती है। उसे महंगाई और लाचारी में न जाने कितने घरों में प्रवेश करना पड़ता है। अतः दिगम्बर माहे और दुर्गानन्दन जैसे युवक इसका जमकर विरोध करते हैं। वे अपने गांव में अब इस तरह का विवाह सम्पन्न न होने देने का वचन लेकर खोखाई झा के वृद्ध घर को गांव से भगा देते हैं। परन्तु खोखाई झा पक्का और घिसा घाघ है। वह माहे पर गालिया देता हुआ बरस पड़ता है—

"बाप चूल्हा फूंकते-फूंकते मर गया और तू हमारे घर में आग लगाने आया है... जाता है कि नहीं यहाँ से सूअर कहीं का।" (वही, पृ० 48) लेकिन माहे कब इन बन्दर घुड़कियों को मानने वाला है। वह चेतना सम्पन्न है अतः इन निरर्थक बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वह वृद्ध के भाँजे से कहता है—

"आप तो सुना है पढ़ें-लिखें है। क्यों न अपने माता-पिता को समझाते है? माठ साल की उम्र, पांच-पांच जवान बेटों के बाप...छो छो छो छो?" (वही, पृ० 49) खोखा पण्डित माहे को इन तथ्यपूर्ण बातों को सुनकर आगबबूला हो जाता है वह माहे पर अपने

पैर की जूती उतार कर मारने को फेंकता है और गालियों की बौछार प्रारम्भ हो जाती है—

“पण्डित दांत पीस-पीसकर मुंह टेढ़ा करके अनाप-सनाप बके जा रहे, दाहिने हाथ की मुष्टि मुद्रा बना-बनाकर और बाया हाथ से उसकी हत्यड़ पकड़-पकड़ के वह माहे को कह रहे थे—केला लेगा केला ? भोस और बाइनर ? अपनी मौ के...।” (वही पृ० 49)

परन्तु इस युवा वर्ग में बेहद आक्रोश है। इस अन्याय के प्रति वे इस बुद्धे पण्डित को घर के अंदर धकेल कर बन्द करके उस वृद्ध वर की हालत खराब करते हैं और उसे बिना विवाह के गांव से जबर्दस्ती विवाह मण्डप से उठाकर भगा देते हैं। और कुछ दिनों बाद विसेसरी का विवाह उसके समवयस्क चेतनासम्पन्न युवक वाचस्पति से कराकर अनमेल विवाह को समशील विवाह में बदलते हैं। गांव का वृद्ध समाज वर-वधू को आशीर्वाद देता है। और वाचस्पति तथा विसेसरी के आदर्श दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हो जाती है। और इस तरह गांव में नई पीढ़ी की नई पीघ का रोपण हो जाता है। यह वास्तव में वृद्ध समाज की धोषी और कुत्सित परंपरा पर नयी पीढ़ी का प्रहार है जिसे उसने एक ही झटके में तोड़कर फेंक दिया है—

“वाचस्पति से विसेसरी का विवाह कराकर लेखक नई पीघ की चेतना की संभावना की ओर संकेत करता है और इस प्रकार नई पीघ प्राचीन और नवीन मूल्यों का संघर्ष है।” (डॉ० नगीना जैन : आचलिकता और हिन्दी उपन्यास, 1976, पृ० 140)

‘दुखमोचन’ में भी विधवा के पुनर्विवाह को लेकर टमका कोयली के वृद्ध बड़ा बाबेला मचाते हैं। वे इसे अधर्म होने की संज्ञा देते हैं टेकनाथ और बाबू नित्यानन्द दुखमोचन द्वारा उठाये गए इस कदम के सख्त विरोधी हैं। टेकनाथ समाज के चौधरी नित्यानन्द को इसकी प्रथम सूचना देकर उनकी रात की नींद गायब कर देता है—

“गांव की नाक कट रही है, नित्या भाई, बेणी माधव की बहन का ब्याह हो रहा है फिर से।—नित्याभाई यह दुखमोचन जो न करे सारी खुराफात अकेले उसी के दिमाग की उपज है।” (पृ० 90)

दमा के मरीज वृद्ध नित्यानन्द यह सुनकर सफेद पड़ जाते हैं वे इस विधवा के पुनर्विवाह को न जाने कौन-सी दैवी आपत्ति समझते हैं। वे घायल सांप की तरह अकड़ते हुए टेकनाथ से अपने भीतर की बात स्पष्ट करते हैं—

“मैं तो बूढ़ा हूं मगर तुम लोग क्यों नहीं दुखमोचन की नाक में नकेल डालते हो ! उसे न किसी का लिहाज रह गया है, न डर। समूचा गांव उसकी मृद्वी में है।” (नई पीघ, पृ० 91)

इसके बाद टेकनाथ के साथ बैठकर नित्यानन्द के विचारों की चक्की चलाने लगती है। दुखमोचन द्वारा किया जाने वाला यह कार्य वृद्ध नित्यानन्द के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। वह अपनी अवस्था को आज खतरा मान रहे हैं—

“हे रावणेश्वर बम्भोलेनाथ, यह कैसा जमाना आया है जात-यात और धर्म-कर्म पर संकट ही संकट लड़ता चला आ रहा है—कल के छोकरे हम बूढ़ों की नाक में कौड़ी बांध

रहे हैं। चालीस-पैंतालीस की उमर के बाद सिर्फ बाल ही पकने लग जाते हैं ऐसी बात नहीं, बल्कि अपमान और तिरस्कार भी शुरू हो जाता है। घर के लड़के बात नहीं मानते हैं—अच्छा हो दुखमोचन हमारा गला घोट दे—।” (दुखमोचन पृ० 92)

अकेले नित्यानन्द ही नहीं स्वयं वेणीमाधव के ताऊ इस विधवा विवाह के खिलाफ हैं। उनके कानों में जब यह भनक पड़ती है तो वे आगबबूला हो उठते हैं गुस्से में आकर घर से छड़ी लेकर दुखमोचन की पिटाई करने लगते हैं—

“पण्डित लौटे तो गुस्से के मारे थर-थर कांप रहे थे। पानी भरा लोटा दालान के बरामदे में पटक दिया और छड़ी संभालकर अन्दर हवेली में आ गए। ताऊ तेजी से आए और दुखमोचन पर अंधाधुन्ध छड़ी चलाने लगे—चाण्डाल, पापी, विधर्मी; मुंह से यही तीन सम्बोधन निकल रहे थे।” (वही, पृ. 98)

लेकिन दुखमोचन की स्वस्थ विचारधारा और दूरदर्शिता से विधवा माया का पुनर्विवाह कपिल के साथ आर्य-समाजी पद्धति के अनुसार संपन्न होता है। वह वैधव्य को समाज की भयंकर बीमारी मान कर ही उसका निदान पुनर्विवाह में करता है।

वर्गीय संघर्ष और उसकी सामाजिक स्थिति

वर्तमान देहाती समाज अब शहर और आधुनिक शिक्षा से जुड़ जाने के कारण नए रूप में बनते जा रहे हैं। उनमें वर्गीय चेतना उत्पन्न हो रही है। आधुनिक पूजावादी सभ्यता में जाति-सत्ता वर्ग-सत्ता के रूप में, क्या शहर क्या देहात, हर जगह फैलती जा रही है। गरीब चाहे किसी भी वर्ग का हो उसका अपना एक वर्ग सर्वहारा-वर्ग है तो दूसरी ओर निम्न जाति का व्यक्ति यदि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है तो वह उच्च वर्ग में गिना जाता है। इसका असली रूप हमें उसके यहाँ सम्पन्न होने वाले रीति-रिवाजों के बीच बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। धनी वर्ग अपने तमाम सामाजिक उपक्रमों में अपने ही वर्ग के धनी व्यक्तियों को आमंत्रित करता है चाहे वे किसी जाति, किसी वंश अथवा किसी धर्म को मानने वाले हों। वह जाति के लोगों को तो मात्र लोक-सज्जा के कारण ही दो-चार की संख्या में संपर्क में लाता है। अतः यह वर्ग-सत्ता आज समाज में जहाँ एक व्यवस्था को जन्म दे रही है वही इसने संघर्ष का बीज भी बो दिया है।

आधुनिक शिक्षा के परिणामस्वरूप चेतना के प्रचार से प्रत्येक व्यक्ति इसी बीज रहकर शत्रु और मित्र के संबंधों को पहचान रहा है। वह ऊपर उठने के लिए अपने शत्रु में संघर्ष करता है तो अपने सगठन को मजबूत करने के लिए अपने मित्रों से सहयोग की अपील करता है। नागार्जुन समाजवादी चेतना के अनुयायी हैं अतः उनकी कृतियों में वर्गीय संघर्ष की भूमिका को प्राथमिकता के साथ लिया गया है।

‘बलचनमा’ उपन्यास में बलचनमा इस वर्ग-विभाजन को बड़ी महत्ता के साथ

प्रस्तुत करता हुआ अपने शोषित वर्ग और दूमरे शोषक वर्ग की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालता हुआ कहता है—

“अच्छा तो भगवान करते ही है? चार परानी का परिवार छोड़कर मेरा बाप मर गया, यह भी भगवान में ठीक किया। भूख के मारे दादी और मां आम की गुटलियों का गूदा चूर-चूर कर फांकती थी, यह भी भगवान ठीक करते थे। और मालिक लोग कनक जोर, और तुलसी फूल के पुशबूदार भात, अरहर की दाल, परवल की तरकारी, घी, दही और चटनी खाते थे मो यह भी भगवान की सीला थी।” (पृ० 16)

बलचनमा की इसी दबी चेतना को तब एक दिशा मिलती है जबकि उसकी बहिन रेबनी पर मालिक बनात्कार करते हैं। यद्यपि बलचनमा के दिन उन्ही मालिकों को जूठन से कटते हैं लेकिन वह अपनी आब्रू पर दाग लगने के कारण तिलमिला जाता है। उसकी मां उसे पहली बार संघर्ष के रास्ते पर उतारती हुई कहती है—

“बबुआ बलचन ! मर जाना लाख गुना अच्छा है मगर इज्जत का सोदा करना अच्छा नहीं।” (वही, पृ० 76) बलचनमा को अन्याय के खिलाफ वे शब्द पहली बार सुनने को मिलते हैं तो उसकी छाती बांसों उछलने लगती है और वह सीना ठोक कर सामाजिक अन्याय के खिलाफ कहता है—

“कैद काटूंगा, फांसी चढ़ूंगा, गांव से उजड़ जाऊंगा, मगर इस शैतान के आगे सपने में भी सिर नहीं झुकाऊंगा—बेशक मैं गरीब हूँ। तेरे पास अपार संपदा है, कुल है, धान-दान है, बाप-दादे का नाम है, अड़ोस-पड़ोस की पहचान है, जिला-जवार में मान है और मेरे पास कुछ नहीं है। मगर आखिरी दम तक मैं तेरे खिलाफ डटा रहूंगा। अपनी सागी ताकत तेरे विरोध में लगा दूंगा। मां और बहन को जहर दे दूंगा लेकिन उन्हें तू अपनी रखेली बनाने का सपना कभी पूरा न कर सकेगा।” (वही, पृ० 81-82)

अतः गरीब बलचनमा स्वाभिमान के लिए संघर्ष पर उतर आता है। अन्याय के खिलाफ लड़ना उसका धर्म ही हो गया—

“बलचनमा ने स्कूल में पढ़कर मानसंवाद नहीं सीखा। उसके जीवन की कटु अनुभूतियों ने उसे मानसंवाद सिखाया। वह-तपकर सोना बना। वह मालिकाइन की धमकियों में नहीं डरता। प्रलोभन उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकते।” (डॉ० कुवरपाल सिंह: हिन्दी उपन्यास सामाजिक चेतना, पृ० 100)

और वह अपने वर्गीय संगठन को मजबूत कर इस संघर्ष की मुहिम को आगे बढ़ाने में लग जाता है। उसे ज्ञात है कि इन आतताइयों के जुल्म के किले को अकेले उस जैसे असहाय और निर्धन व्यक्ति नहीं तोड़ सकते। जिस तरह स्वार्थ के लिए ये बाबू लोग एक हो जाते हैं वैसे ही वह मजदूरों को एक होने की आवश्यकता मानता है—

“जैसे अग्नेज बहादुर से सोराज लेने के लिए बाबू भइया सब एक हो रहे हैं, हल्ला-गुल्ला और झगडा झंझट मचा रहे है। उसी तरह जन बनिहार, कुली मजदूर और बहिया खवास लोगों को अपने हक के लिए बाबू भइया से लड़ना पड़ेगा।” (बलचनमा, पृ० 94-95)

बलचनमा अब जाति की नहीं वर्ग की सत्ता का हिमायती है। उसके लिए अब

समाज में दो ही वर्ग हैं शोषक और शोषित। अतः शोषक के विरुद्ध उभरना यह पहला आह्वान है जोकि उसने अपने वर्ग शत्रु को पहचान कर किया है—

“इस तरह बलचनमा पहले तो शत्रुओं की पहचान करता है और फिर लड़ाई (संघर्ष) के रण कोशल को तय करता है।” (डॉ० रमेश कुन्तल मेघ; क्योंकि समय एक शब्द है, पृष्ठ 290)

‘रतिनाथ की चाची’ में गौरी चाची किसानों की संघर्षवाहिनी के लिए मना करने पर एक कम्बल देती हुई कहती है—

“यह दस का काम है। देश का काम है। गरीबों का यज्ञ है। मेरे पास और है ही क्या, जो दूगी।” (पृ० 93)

‘दुखमोचन’ में काम करने वाली धरलू महारिया अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए असंतोष करती हैं। बढ़ती हुई मंहगाई से वे भी थस्त हैं अतः अपनी मजदूरी को वह कम समझती हैं और अधिक पगार पाने के लिए वे असंतोष व्यक्त करने का रास्ता अपना लेती हैं। इस बात को दुखमोचन की भाभी स्पष्ट करती है—

“सिर्फ पानी भरने पर एक रुपया और बरतन बासन मांजने, झाड़ू-बुहारी करने पर अठन्नी और... बबुआन शहर का हाल तो तुम्हें ही मालूम है, मगर देहात में भी अब चीज-बस्त के दर-भाव खूब ऊँचे चढ़ गए हैं... इन्होंने भी अपनी मेहनत के रेट बढ़ाने का इरादा कर लिया है।” (पृ० 76)

नागार्जुन पुजारी वर्ग पर भी दृष्टि रखते हैं। उनकी ढोंग लीला को वे अच्छी तरह पहचान कर उनके वर्ग में उनके लोग ही आपस की बातों का बयान देते हैं। कल तक जो ढोंग, आडम्बर और चमत्कार में डूबा हुआ बाबा या, जमनिया का बाबा, उपन्यास में उसके जीवन समाप्त करने की योजना वही के एक पुजारी बाबा मस्तराम द्वारा बनाई जाती है। वह बाबा की नीच प्रवृत्तियों और गन्दी आदतों से विद्रोह करता है—

“मैं देखूंगा जेल से छूटने के बाद यह बाबा किधर जाकर बैठता है। मैं देखूंगा किस तरह फिर से अपनी जटाओं के अन्दर जू पालता है, मैं देखूंगा किस तरह पाकिस्तान और चीनी जामूस इस जटाधारी के रंगीन चोगे की आड़ में पनाह पाते हैं।” (पृ० 84)

इस तरह नागार्जुन के उपन्यासों में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के भिन्न और शत्रु के रूप में वर्गों की आपसी टकराहट मिलती है। यह टकराहट एक नये निर्माण के लिए अनिवार्य होकर आयी है। अतः समाज में संघर्ष के मुद्दों की शुरुआत कई स्तरों पर है। नागार्जुन ने बड़ी वारीकी से उन्हें पकड़ा है। उन्हें एक दिशा दी है। अपने इसी चिंतन पक्ष पर नागार्जुन प्रेमचन्द की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।

धर्म का आधुनिक स्वरूप और उसकी विद्रूपताएं

धर्म से जमींदार और पूंजीपति का लगाव आजकल आत्म-शुद्धि के लिए नहीं है। उनकी

धर्मात्मा बनने की प्रवृत्ति ईश्वर प्रेरित हो यह बात नितान्त भ्रमपूर्ण है। पूजीपति मंदिर, मठ और धर्मशालाएं कई दृष्टियों से बनवा रहा है। सबसे पहला कार्य वह इस धर्म ध्वजा की आड़ में खड़े होकर सामाजिक सम्मान अर्जित करता है। इस सामाजिक सम्मान की काली छाया वह जनता पर ऐसी डालता है कि वह कुछ भी नहीं देख पाती। और मंदिर में रखे भगवान और बंठे पुजारी के साथ-साथ सेठजी के भी चरण स्पर्श किए जाते हैं। दूसरे, धर्म के नाम पर वह बड़े-बड़े काले कारनामे करता है। काला बाजारी, तस्करी, लड़कियों की खरीद-फरोख्त वहां खुले आम होती है। जिसमें महंत का सबसे अधिक प्रतिशत बंधा हुआ होता है। तीसरे, मठ-मंदिरों आदि के बनवाने से सरकार की ओर से भारी 'इन्कम टैक्स' में छूट मिलती है अतः वह अपने काले धन को मंदिर में लगाकर पुनः काले धन्धे में जुट जाता है। भारत के बड़े-बड़े पूजीपति इस बात का उदाहरण हैं। हर बड़े शहर में उनका एक मंदिर और धर्मशालाएं सिर्फ इसीलिए हैं कि वे सरकार से धर्म पर मिलने वाली तमाम सुविधाएं हासिल करें और उनका दुरुपयोग अपने उद्योगों में कर सकें। इसलिए वह मठ पर ऐसे पंडे और पुजारियों को रखते हैं जो सबसे पहले उनके घर 'प्रसाद' दें, उनकी उंगलियों पर नाच नाचें। मंदिर में भगवान की मूर्ति के साथ उनके पूर्वजों की तस्वीर दीवार पर लटकाएं।

यही स्थिति बड़े भूस्वामी और जमींदार की है। जमींदारी उन्मूलन के बाद उन्होंने फाजिल जमीन को घेरने के उद्देश्य से मठ और मंदिरों का सृजन शुरू कर दिया। गांव की हजारों एकड़ परती जमीन पर एक मठ बनाकर उस पर हर रोज रामनामी कीर्तन होते हैं। शहरों में भी यही स्थिति बनी हुई है। चौराहों पर फाजिल जमीन पर चार-चार ईंटों के नए-नए देवालय लाल ध्वजा के साथ निर्मित हो जाते हैं।

अतः आज धर्म एक नैतिक कार्य न होकर एक शक्ति के रूप में उभरा है। धर्म से जुड़कर जितना कुकर्म और शोषण किया जा सकता है वह क्षम्य है। भगवान के नाम पर किए गए सभी व्यभिचार वहां दिन-रात हो रहे हैं। भारत का शिक्षित और अशिक्षित समाज धर्मलीला में बहुत ही अंधविश्वासी है। धर्माधिकारी, मठाधीश, साधु-संत अनेक जालसाज इस धर्मभीरु समाज को आज बीसवीं शती के अन्तिम चरण में भी जहां मानव सभ्यता धरती और आकाश को मिला चुकी है झासा दिए जा रहे हैं। अपनी अमानवीय एवं निर्लज्ज करतूतों पर आध्यात्मिक दुशाला ओढ़कर इन मठाधीशों ने अपना बहुमुखी स्वाम्भ्य लाभ किया है। आशुवाद के रूप में उन्होंने दोनों हाथ जनता के सिर पर रखकर उसकी आंखों पर रख दिए हैं। जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता।

नागार्जुन ने धर्म की इस उभरती हुई शक्ति और उसके साथ जुड़े हुए शोषण के अनेकों रूपों को देखा है। नागार्जुन ने बचपन से ही देववाणी संस्कृत का अध्ययन किया है, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से मठों की आन्तरिक स्थिति को पहचाना है। इसलिए उन्होंने आधुनिक धर्म की भूमिका को भलीभांति परखा है। अतः लोगों के अंधविश्वास और परंपरागत रूढ़िगत मान्यताओं के बीच में से ही उन्होंने प्रवीण चेतना का अंकुर निकाला है। 'बलचनमा' के अन्तर्गत बाबू जशोदानंदन का पुरोहित, धर्म की व्याख्या

नितात स्वार्थ में लिप्त होकर कर रहा है। पुरोहित जी उनके यहाँ दिन-रात बँठक लगाते हैं सुरती फाक-फाक कर पेट का हाजमा दुरुस्त कर रहे हैं। वे कर्म की ध्याख्या धर्म के रूप में न कर मालिक और मजदूर के सदर्थ में करते हैं—

“जो बहिया (गुलाम) महले (स्वामी) को प्रसन्न रखता है उसके लिए स्वर्ग में अमृत की धार बहती है। अरे जसोधर बाबू, मट्टी का ठहरा शरीर गिरता है तो खाक हो जाता है। समझदार वह है जो इस चोले को पाकर कुछ कर जाता है।” (बलचनमा, पृ० 14)

धर्म के आवरण में लपेट कर कही गई यह बात कितनी विचित्र है। पण्डित जी केवल मजदूर को ही चोला पाने वाला समझ रहे हैं, उसका शरीर ही जैसे मिट्टी का है, केवल उसी के कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक का निर्णय है। बाबू जशोदानंदन और स्वयं पण्डित जी को लग रहा है कि उनका चोला दूसरा है जिसके लिए हर प्रकार के कुकर्म करने पर भी स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ प्रतीक्षित है।

वास्तव में यह पण्डित जी की अपनी बातें नहीं हैं। इसके पीछे उनकी स्वार्थ-वृत्ति जुड़ी हुई है उन्हें ज्ञात है कि बलचनमा की तरफदारी करने से उन्हें कुछ भी फल नहीं पड़ेगा, हानि ही हानि है। क्योंकि बलचनमा गरीब है उसके पास दान-दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है। उसकी रिक्त हस्तता उसे स्वयं ही भूखों मारे डाल रही है। इधर, बाबू जशोदानंदन गांव के बड़े भूस्वामी है, उनका आस-पड़ोस में नाम है। अचल सम्पत्ति के नाम पर हजारों बीघे खेत, बाग तालाब हैं और चल सम्पत्ति में हजारों का सहना तगादा, सवाया-ड्योड़ा चल रहा है? यों कहिए कि उनकी कुटिया में लक्ष्मी जी विधाम कर रही है अतः पण्डित जी को इस घर से थोड़ा नहीं बहुत कुछ प्राप्त होने की आशा हर दिन लगी रहती है। इसीलिए वे बलचनमा और उसकी विधवा दादी को धर्म का अफीमी नशा देकर स्वर्ग-नरक के दरवाजे की बात करते हैं। साथ ही विधवा को लात और जूते घाकर पवित्र होने वाली जाति बताते हैं।

आज काल जहाँ तक स्वार्थ सिद्धि हो सकती है वहाँ बड़ी दूर तक धनवान व्यक्ति धर्म के प्रति बड़ी गहरी आस्था दिखाते हैं। उसका अक्षरशः पालन करने की कोशिश स्वयं तथा बच्चों तक से होती है। राधाबाबू की वहिन उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बलचनमा के ककहरा सीखने पर उमने इसलिए आपत्ति है कि एक तो वह उनका समवर्गी न होकर नौकर है, दूसरे निम्न जाति का है, शूद्र है। अतः वह अपने बयोवृद्ध समुह से धर्म में मतनय की बात अच्छी तरह सुनकर याद रखती है—

“छोटी जानि वालो को जो एक आश्रर भी ज्ञान देता है उगका अपना तेज घटता है, और जो कोई शूद्र को मसूची पोषी पढ़ादे। उमके पितर स्वर्ग छोडकर नरक में रहने को मजबूर होते हैं।” (वही, पृ० 127)

उपन्यास में यह सामाजिक धर्म का दूसरा उद्घाटन है। यहाँ धर्म की आड़ में उच्च वर्ग की मानसिकता का परिचय है। उच्च वर्ग की यह कोशिश आजकल बड़े जाँरों में निरन्तर जारी है कि छोटा आदमी सदैव उनके नीचे दबा रहे। यद्यपि उम गरीब को शाश्वतीय मरक्षण प्राप्त है परन्तु उमका सामाजिक मरक्षण दिन-रात हो रहा है। वह बड़े

लोगों के बराबर न आ सके इसलिए उसके विकास के तमाम रास्ते रोक दिए जाते हैं। आजकल हरिजनों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों, अनुमूचित जाति एवं अनुमूचित जनजाति के लोगों को जिन्दा जनाने, घर फूक देने के पीछे यही ईर्ष्या काम कर रही है। वे उनके पास रहते हैं बड़े घर के लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। क्योंकि उनकी शान घटती है। ये गरीब हैं अच्छा या नहीं सकते, पहन नहीं सकते इसलिए उनके दरवाजे के सामने ये और इनके बच्चे भूख-नंगे घूमेंगे तो उनकी शान में बट्टा लगेगा, गरीबों के मैले कपड़ों और पसीने से नथपथ शरीर की दुर्गन्ध इनको सह्य नहीं है अतः उन्हें अपनी आंखों की दिन-रात की फिरकरी न बनाकर उखाड़ देना ही बेहतर समझते हैं। यदि वे शामकीय संरक्षण में पढ़ रहे हैं तो उन्हें नौकरियों आदि में अच्छा स्थान न मिले इसलिए वे इनके विकास के तमाम रास्ते रोके देते हैं उन्हें दिग्भ्रमित करने के लिए उनके शुभचिंतक बने भी रहते हैं।

नागार्जुन ने गांव में धर्म को कृपि के साथ जोड़कर एक बड़ी शक्ति के रूप में माना है। धर्म बाव के जमींदार का कवच के रूप में काम कर रहा है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद फाजिल जमीन को हड़पने के लिए हर हथकड़े अपनाते हुए धर्म के नाम पर यह भी भीनरी पेंतरा वह गांव में चला रहा है। यह भूस्वामी और पूजीपति एवं सामंत की मिली-जुली भूमिका का परिणाम है। नागार्जुन इस तथ्य का अनावरण अपने 'जमनिया का बाबा' में करते हैं—

“जमनिया का मठ कोई परंपरागत मठ नहीं है। आज से दस बारह वर्ष पहले वहां कुछ नहीं था, धीरान था। जमींदारी, तालुकेंदारी-प्रथा के उन्मूलन का कानून पास हुआ तो जमनिया और नखनीली के दो-तीन भूस्वामियों ने मिलकर ज्यादा-से-ज्यादा जमीन हड़पने के लिए रातों-रात 'जमनिया मठ' की स्थापना कर डाली। नारायणी नदी जहां नेपाल की तराई से नीचे उतरती है वही उत्तर प्रदेश और बिहार प्रान्त भी आपस में मिलते हैं, उस कछार भूमि से वे एक जटाधारी औषड़ बाबा को निवा लाए। जमींदारों ने उमी विचित्र व्यक्ति को अपने मठ का महन्त घोषित किया।” (पृ० 103)

सामंती समाज भी इस पुण्य काम में पीछे नहीं है। वह भी धर्म के नाम पर अपने को कुर्बान कर रहा है। शिवनगर स्टेट की महारानी की जमनिया के मठ से संपृक्तता इस वर्ग का बानगी बतौर उदाहरण है। महारानी जमनिया के मठ पर होने वाले ढोंग और आडम्बर को वहां रहकर संपन्न कराती है—

“मैं भी सत्याग्रह करूंगी। खाना तो छोड़ ही दूंगी, पानी भी नहीं लूंगी... आप समाधि पर चाहे महीने बैठें, लेकिन कम-से-कम फलाहार तो अवश्य लें। अमावस का मेला भी जमने दें। बाजार वालों से मेले की तैयारी या हवन पूजन-लगर आदि के लिए एक दाना न लिया जायेगा न एक पाई! कुल खर्चा इस बार शिवनगर स्टेट देगा, वस, अब आपकी कृपा चाहिए... वह मठ की अतिथिशाला के उस खास हिस्से में ठहराई गई थी जो श्रीमती के लिए ही तैयार हुआ था। टोकरी भर मोमबी साथ लाई थी। खुद से उन्होंने रस निकाला था।” (वही, पृ० 27)

प्रत्येक धर्ममठ से स्वार्थी लोगो का जुड़ाव स्वाभाविक होता है। पूजापति, सेठ, साहूकार, अपने कालेधन को सफेद कराने के चक्कर में धर्मध्वजा की शीतल छाया में करवटें बदलते हैं। आजकल आयकर और विक्रीकर से बचने के लिए दान-स्तीला का यह स्वांग रचाया जाता है परन्तु मठों से चढावे के तौर पर होने वाली आमदनी का कोई हिसाब-किताब नहीं होता। जमनिया के मठ से होने वाली आमदनी और लोगों की बढ़ती औकात तथा परिवार के पनपने का भण्डाफोड़ नागार्जुन औघड बाबा के आत्म-विश्लेषण से करते हैं—

“यह क्या मेरी जटाओं का ही जादू नहीं था कि भगोती ने अपनी चारों लड़कियों की शादी में लाखों रुपये खर्च किए। लालता ने अपने बेटों को डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनाया। सेठ विधीचंद की तोंद तिगुनी किस तरह हुई? ठाकुर शिवपूजन सिंह ने ट्रेक्टर कहां से खरीदा? राम जनम और सुखदेव की क्या हैसियत थी दस वर्ष पहले?”
(वही, पृ० 143)

नागार्जुन ने ‘जमनिया का बाबा’ उपन्यास में ‘आत्म-विश्लेषण’ के माध्यम से सत्त्वाई को स्वयं मठ पर तैनात योगियों और योगनियों के मुखारविन्द से ही उगलवाया है। साधु-महात्मा अपनी सिद्धई को समाज में जमाने के लिए ‘नर-बलि’ देते हैं जिसके लिए मठ पर उत्सव मनाया जाता है। नर-बलि का वह नाटक जिस ढंग से बेला गया वह बड़ा ही हृदय-विदारक है। छह महीने का शिशु असहाय महिला लक्ष्मी की गोद से इन संतों की ख्याति बढ़ाने के लिए बलि का पात्र चुना गया, मठ की योगिनी इमरतिया आत्म-विश्लेषण में सोचती है—

“बत्रार के महीने में उस वर्ष मठ के अन्दर धूमधाम से दुर्गापूजा हुई थी।...महा अष्टमी की रात में, देवी की प्रतिमा के सामने छह महीने का एक शिशु खड़ा किया गया। उसकी कमर में रेशमी वस्त्र का लाल टुकड़ा लपेटा हुआ था। गले में लाल फूलों की माला थी। माथे पर सिंदूर का टीका था, पूजा के मंडप से बाहर जोरों से बाजे बज रहे थे। नगाड़े घड़ियाल सिंगा, मादर झाल, करताल, शंख...हजारों की भीड़ थी अलग मैदान में चारों तरफ मेला और बाजार। बकरी के बच्चे की तरह आदमी के उस बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। खून के फव्वारे देवी की तरफ छोड़े गए। शिशु-मुंड को देवी के चरणों में महिषासुर के पास डाल दिया गया। पीले वस्त्रों में पुजारी जैसा दिखने वाला वह आदमी तलवार लिये खड़ा था। खून से सनी हुई तलवार पैट्रोमैक्स की रोशनी में चमक रही थी। वही पास ही में मुंडहीन शिशु—शरीर लहू में लथपथ पड़ा था। भिचे हुए प्राणों का स्पन्दन पैरो और हाथों को बीच-बीच में हिलाए दे रहा था। तलवार में उंगली छुआकर उस हत्यारे ने बाबा के ललाट में रक्त का टीका लगाया। भगोती, लालता, ठाकुर, सुखदेव, सब थे। सबके माथों पर लहू के गीले टीके लगाए गए। फिर बच्चे की देह को उस निष्ठुर आदमी ने कई टुकड़ों में काटा। फिर वे टुकड़े एक-एक करके हवन-कुण्ड में डाल दिए गए। जलते हुए मांस की दुर्गन्ध को दवाने के लिए सेरों गुग्गल, कपूर, जौ, तिल, सुपारी आदि तो आग में डाले ही गए, ऊपर से आधा टिन शुद्ध घी भी डाल दिया गया।...बाबा की सिद्धई इस तरह मारे संसार में

मगहूर हुई लाखों दिनों पर उनका चमत्कार असर डाल गया ।” (जमनिया का बाबा, पृ० 84-85)

मंदिरों में जहां मान्यता के अनुसार देव-स्थान माना जाता है श्रद्धा-सुमन अर्पित किए जाते हैं परन्तु आधुनिक मंदिर जगत का यथार्थ इनसे कोसों दूर है। आज मंदिरों पर घुले आम यौनाचार, मादक वस्तुओं का प्रयोग और तस्करी होती रहती है। धर्म में जितना ढोंग और आडम्बर होता है आज वह उतना ही अधिक ग्राह्य है। भोली जनता इन बाबाओं के इसी झांसे और भुलावे का शिकार प्रतिदिन होती रहती है। मठों पर कामग्रीटाएं संतलीला गानी जाती है। भ्रष्ट संत समाज यह खेल खेले बिना स्वस्थ और प्रसन्न नहीं रह सकता। महिलाओं को चगुल में फंसाकर सदा के लिए उनके जीवन को नरक बना देना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। देवदासिया, योगिनियां जैसी उपाधि से विभूषित होकर कुछ महिलाएं तो उनके स्वास्थ्य के लिए दवा का काम करती हैं।

जमनिया मठ पर भी बाबा, मस्तराम, भगौती, राम जनम आदि को प्रसन्न रखने के लिए गौरी, इमरतिया, जलेबिया जैसी महिलाएं चौबीस घंटे उपस्थित रहती है। इनमें से किमी की भी अनुपस्थिति असह्य है उसके स्थान पर तुरंत दूसरी की व्यवस्था आनन-फानन में हो जाती है। बाबा स्वयं इस बात को बड़े सहज ढंग से कहता है—

“इमरतिया जाएगी तो जलेबिया नहीं जाएगी। एकाध सधुआइन न रहे तो मठ उदास लगता है। भगतों की तबियत उचटी-उचटी-सी रहती है।” (वही, पृ० 17)

स्वयं भगौती जिसका कि इस मठ से जीवन-मरण का प्रश्न जुड़ा है, मठ के बारे में छपी हुई खबरों की कतरन अपने बैग में रखे हुए असलियत स्वीकार करता है—

“असंभव चमत्कारों का जाल बिछाकर दूर-दूर तक के लोगों को फासा जाता है। पिछडी जाति की बहूएं और वेदियों गुण्डों की वासना का शिकार बनाकर छोड़ दी जाती हैं...जमनिया का मठ अन्धी गद्दी नहीं है तो क्या है।” (वही पृ० 104)

मठ पर व्याप्त यौनाचार को योगिनिया भी अपने जीवन में कितनी सीमा तक उतार लेती है यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। परन्तु नागार्जुन इसका पक्का प्रमाण इमरतिया के द्वारा गौरी की मनोकामना से देते हैं—

“गौरी तो थी ही छिनाल वह साल-साल में दो-तीन मर्द बदलती थी। वह उन मर्दों का बुरी तरह पीछा करती थी जो डील-डौल के तगडे होते थे... एक बार मठ का घोड़ा गरमाया, वह बेचनी में हिन-हिना रहा था। नथुने फँला-फँलाकर हवा में से कौन-सी गन्ध खींचता था बार-बार ! घोड़े को उस बेताबी में देखा तो गौरी मुझसे बोली—मैं इमको ठण्डा कर सकती हूँ...अपनी समूची मर्दानगी यह मेरे अन्दर डाल दे तो हमेशा के लिए अघा जाए...” (वही, पृ० 88)

अपनी कामाग्नि को शांत करने में उसे आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं है। उसके लिए शारीरिक सुख प्राप्ति में अवस्था और उससे जुड़ने वाले रिफते झूठे हैं—

“कच्चा चवाने के लिए मुझे आदमी ही चाहिए...दस वर्ष का लड़का हो तो भी चलेगा, सत्तर साल का बुढ़्ढा हो तो भी चलेगा...” (वही, पृ० 89)

अतः इसी स्थिति से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह साध्वी किस प्रकार का

अनुष्ठान मठ पर करती होगी। इस भाइने मे नागार्जुन का कथ्य बड़ा ही प्रामाणिक है। वे इस कामुन समाज की बारीकियों को पाठक के सामने रखते हैं—

“नागार्जुन के उपन्यासों को पढ़ते हुए हम इसकी परीक्षा बहुत आसानी से कर सकते हैं। वे प्रायः उन्हीं अनुभव खण्डों को लेते हैं जिनके बारे में उनकी जानकारी बहुत गहरी है... पढ़ी हुई और सुनी हुई दुनिया पर उनका भरपूर कतई नहीं है। वे देखी हुई दुनिया के लेखक हैं। इसीलिए उनके चरित्र बेहद प्रामाणिक हैं।” (विजय वहादुर सिंह : नागार्जुन का रचना संसार, पृ० 82)

वर्तमान राजनीति भी मठों से सीधा संपर्क नाघे हुए है। बड़े-बड़े प्रशासक और राजनेता बाबाओं की चरणरज एव चरणामृत को प्राप्त करने के लिए दिन-रात इन नवोदित आचार्यों, भगवानों, परम हंसों, ईश्वरों और महाप्रमुखों की आराधना में लगे रहते हैं। इन बाबाओं का वर्तमान राजनीति में तो इतना दखल है कि उनके इशारे से उनके शिष्यों को बेधड़क बिना प्रतीक्षा और धर्म के मनोनुकूल पदों की प्राप्ति हो रही है। जमनिया का बाबा मे इसका सकेत साफ-साफ दिखाई दे रहा है—

“तिरंगा वाले तो मठ वालों को मिलाकर ही चलते हैं। उन्हें मदद मिलती है मठ से।” (वही, पृ० 14)

धर्म-मठों पर होने वाली तस्करी और हेराफेरी आज आम व्यवहार में आ गई है। महत् विदेशी माल को अपनी जटाओं के माध्यम से इधर-उधर कराते रहते हैं। नागार्जुन ने इस तथ्य पर बड़ी सटीक टिप्पणी की है।—

“हमारे समाज के अंदर ठौर-ठौर पर कूड़ों के अम्बार इकट्ठे हैं... इस तरह के छंटे हुए बाबा लोग वही अपना आसन जमाते हैं और रातों-रात नए-नए मठ खड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ ठाका-काठमाड़ु होकर गुप-चुप कीमती माल पहुंचाने लगते हैं... छोकरिया आती है, छैनी आते हैं उनके साथ टेपरिकार्डिंग मशीन होती है, टान्तमीटर होता है।” (जमनिया का बाबा, पृ० 139)

परन्तु नागार्जुन यथास्थितिवादी नहीं हैं। वे धर्ममठों की इस अंधी गढ़ी को ध्वस्त करने में दिन-रात अपनी लेखनी से लगे हुए हैं। उनका अभयानंद स्वामी बाबा की शासन बुला देता है। उसके तमाम अत्याचारों के कारण उसकी जेल कराता है। नागार्जुन अपने कर्कश स्वर में कहते हैं “जमनिया का मठ भारत माता की पीठ पर पक्षाघात का जहरीला फोड़ा है। इसे हम कब तक बर्दाश्त करेंगे?” इस तरह का प्रश्न-चिह्न लगाकर वह जनता में नवीन चेतना के माध्यम से अंधविश्वासों को समूल नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प है।

नागार्जुन के उपन्यासों में राजनीतिक संघर्ष

भारतीय स्वतन्त्रता लम्बे संघर्षों, बलिदानों और यातनाओं के फलस्वरूप जन जीवन के संपूर्ण सहयोग से प्राप्त हुई थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए भारत का बालिग-नाबालिग प्रत्येक व्यक्ति लडा था किसी का बेटा जेल गया था, किसी को फासी हुई थी, किसी को काला पानी और जन्म कैद; लेकिन आजादी के सपने के लिए सभी ने इसे दृढ़ विश्वास के साथ झेला और वह दिन भी देखा जबकि उनकी कुर्बानियां सफल हो गईं। आजाद भारत में स्थानीय शासन के अन्तर्गत उसने सर्वप्रथम अपनी जमीन से जुड़ने की बात देखी थी परन्तु सत्ता के स्वार्थ में वे तमाम आदर्श और मर्यादाएं उन रहनुमाओं के हाथों से जाती रही जिन्होंने यह शपथ ली थी कि देश देश वालों का होगा। गरीब मजदूर छोटा मझोला आदमी जो अपना सब कुछ त्यागकर देश प्रेम के नाम पर स्वतन्त्रता के अखाड़ों की लड़ाई में निकला था वह फिर पिछड़ गया है। धनंजय वर्मा का यह मत उस पूरी व्यवस्था का सही मूल्यांकन करता है जिसमें आजादी से पहले का सपना और बाद का निष्कर्ष विद्यमान है—

“भारतीय संदर्भ में स्वतन्त्रता पूरी तरह परिभाषित हो, इसके पहले ही उसका अबमूल्यन हो गया। जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन कहते हैं उसका मकसद राजनीतिक स्वतन्त्रता मिली और हमें स्वर्ग मिल जायेगा।”...उसके मिलते ही चौतरफा मोह भंग का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण था उसमें विदेशी पूंजीपति के बदले देशी पूंजीपति बैठ गया और विलायती गोरी नौकरशाही की जगह देशी काली नौकरशाही ने ले ली।” (कल्पना, अक-3, मार्च 1965)

इस बात की पुष्टि हमें पं० जवाहरलाल नेहरू के उस कथन से भी मिलती है। जब उन्होंने देश की आजादी का लक्ष्य स्पष्ट किया था।

“हम केवल राजनीतिक आजादी प्राप्त कर सके हैं। सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए अभी संघर्ष की आवश्यकता है।” (पं० जवाहरलाल नेहरू के भाषणों का संग्रह 1943-53, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार)

वास्तव में आजादी मिलने के बाद देश में जो संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है उसके तीन बड़े कारण हैं। प्रथम देश में चुनाव प्रणाली, द्वितीय जमींदारी उन्मूलन और तृतीय प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का देश में आना उस बात का संकेत था कि देश के शासन में प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा हो। वह भी अपने काम का उत्तरदायी बने। इस तरह उसे अच्छी सरकार बनाने और भ्रष्ट सरकार गिराने का सैद्धान्तिक अधिकार मिल गया—

जमींदारी उन्मूलन उस सामंती परंपरा का अन्त था जिसकी नींव शोषण के आधार पर टिकी थी। आज आदमी को शोषण से मुक्ति दिलाने का यह दूसरा कदम कहा जा सकता है। छोटे-बड़े जागीरदारों के शिकंजों से निकालकर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व किसान और मजदूर को बनाए रख सकने की दिशा में यह शासन का दूसरा और मुख्य सैद्धान्तिक कदम था।

स्वतन्त्र भारत की तीसरी दिशा भारतीय जनता को स्वच्छ और लोकप्रिय प्रशासन देने की थी। क्योंकि अभी तक परतन्त्र भारत में यहां की जनता ने विदेशी शासकों के अत्याचारों को झेला था और भारी यातनाएं भोगी थी। एक तरह से भारतीयों का भाग्य ही विदेशी शासन बनाता था। अतः स्वतन्त्रता मिलने पर देश में जन सामान्य के लिए न्याय बिना किसी भेदभाव और तरफदारी के मिले यह अनिवार्य था। उसकी बहुमुखी जरूरतों जैसे खेती, शिक्षा, उद्योग के योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाए गए जिससे भारत का आधुनिकीकरण हो।

लेकिन वस्तुस्थिति यह रही कि यह सब परिवर्तन एकदम नया था। देश में सामंती शासन की जगह लोकतंत्र, जमींदारों की जगह सामान्य प्रशासन तो लागू हो गया परन्तु इसका परिणाम बहुत ही कष्टदायक रहा। चूंकि सामंती और जमींदारी व्यवस्था की अवधि सौ-सौ डेढ़ सौ वर्ष की हो चुकी थी। भारतीय जनता में इनके संचालकों की जड़ें मुश्त-दर-मुश्त गहरा गई थी। अतः इतना बड़ा परिवर्तन इन सत्ता-प्रेमियों को स्वीकार नहीं हो पा रहा है। जमींदार की जमींदारी तो चली गई लेकिन उसका खिसियानापन जो गांव और देहात में रंग ला रहा है वह दूसरे ही किस्म का है अपने खोये हुए अस्तित्व के लिए उसने समकालीन राजनीति में पुनः सक्रियता दिखाई है। शासन तंत्र में जो-जान से जुट गया है। डॉ० कुवरपाल सिंह ने इस बदलते हुए वर्ग की चारित्रिक करवट पर ठीक ही कहा है।

“इस नए उभरे हुए वर्ग में भ्रूस्वामियों और पूजोपति दोनों के सम्मिलित गुण दृष्टिगोचर होते हैं, जिसमें पुराने जमींदार की कुटिलता और पूजोपति वर्ग की चतुराई और निर्ममता का सम्मिश्रण है। अपना काम निकालने में सिद्धहस्त यह वर्ग देश की राजनीति और सम-सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है।” (हिन्दी उपन्यास सामाजिक चेतना, पृ० 155)

दूसरी ओर देश का यह तीन-चौथाई वर्ग जिसने सदियों से कठोर यातनाओं का जीवन जिया है। आज उसे दिखने वाली आशा की किरण आजादी ने उसके लिए अधिकार का रास्ता तैयार कर दिया है। यह माना कि स्वतन्त्रता अब भी बड़े लोगों की चौपालों

पर पर पतारे हुए बंटी है, बड़े-बड़े बाबू लोग ही उसके भागीदार हुए लेकिन गरीब मजदूर, देहाती, अनपढ़ देव-भुनकर स्वतन्त्रता का अर्थ समझने लगे हैं। इस तरह स्वतन्त्रता के लिए देश में वर्गीय संघर्ष का नया जिहाद छिड़ रहा है। गाय बड़ी तेजी से इसी बदलाव की सपेट में आ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसका सडका आज अपने सपने को साकार करने के लिए अधिकार का प्रयोग कर रहा है।

भारत का मुख्य ध्येयसाम्य होती है। देश का बहुत बड़ा भाग अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर है। अतः आजाद भारत का झुकाव खेती के सर्वांगीण विकास की ओर हुआ। सहकारी खेती, सहकारी बीज भण्डार, दवा, खाद, हरितक्रान्ति आदि योजनाओं के माध्यम से कृषि की दशा सुधारने का बराबर प्रयत्न किया जा रहा है। जमींदारी उन्मूलन इस दशा को सुधारने का ही परिणाम रहा है। ग्लोबल और तटस्थील स्तर पर कृषि के लिए अनेक कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं।

अब तो स्थिति यह है कि कृषि आधुनिक आविष्कारों के द्वारा एक उद्योग के रूप में परिवर्तित हो रही है। अतः इस अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण अनेक विकृतियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं। डॉ० कृष्णपाल सिंह ने इस बदलती हुई व्यवस्था की विसंगति का संकेत करते हुए कहा है—

'कृषि के आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण ने ग्रामीण जीवन में भी व्यक्तिपरक दृष्टि को उभारा तथा व्यक्तिवादी जीवन-मदति को जन्म दिया। शताब्दियों पुरानी परंपरागत सामाजिक भावना समाप्त होने लगी है। हरितक्रान्ति ने निर्धनता और सम्पन्नता की दीवारें और ऊंची कर दी और इस स्थिति ने वहाँ नए तनावों और शिक्षा के प्रसार और शिक्षा सम्बन्धी व्यापक राजकीय सुविधाओं से उत्पन्न वर्ग-वेतना ने नए संघर्षों को जन्म दिया है। एक ओर शताब्दियों की अमानवीय स्थिति और शोषण को बदलने का संघर्ष है तो दूसरी ओर प्रभावशाली धनिक वर्ग और भूस्वामियों द्वारा यथा-स्थिति को बनाए रखने और वास्तविक वर्ग-संघर्ष को भ्रमित और दिशाहीन करने का भरपूर प्रयास।' (वही, पृ० 155)

ग्रामीण जीवन का सामुदायिक प्रारूप व्यापक परिवर्तन की ओर अप्रसर है। उनके रहने-साहने, सोचने-समझने के तौर-तरीके बदल रहे हैं। जो व्यक्ति कल तक आज के बारे में सोचता था वह अब बीते कल, आज और आने वाले कल की तीनों स्थितियों पर विचार कर रहा है। उसके अन्दर एक विशिष्ट नवीनता का अंकुर पैदा हो गया है जिसे आधुनिक परिस्थितियाँ हवा-मानी देकर पुष्पित और फलित कर रही हैं।

इस प्रकार हम कह सकेंगे कि स्वतन्त्रता की लड़ाई बड़ी लड़ाई थी जिसमें प्रत्येक भारतवासी ने देश के कोने-कोने से संग्राम छेड़ा था। जो जिस योग्य था हमने वसुधा ही मलिदान दिया। अतः स्वाभाविक था कि वर्गों के संघर्ष के फल में उसका भी हिस्सा हो। सत्ता के सुघट परिवर्तन के सुघट परिणय का वह भी भागीदार बने। परन्तु व्यावहारिक स्तर पर यह सब नहीं हो सका। आजादी चंद चालाक लोगों की चीपाल तक ही आई। स्वतन्त्रता के नाम पर उन समस्त सुविधाओं को वही जमींदार और पूँजी-पति वर्ग लपक कर ले गया जो समस्त जन-समुदाय के लिए थी। अपने इसी अधिकार-

बोध के लिए मजदूर और किसान को फिर संघर्षों, सभाओं और आन्दोलनों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्राम जीवन के चारों ओर फैलने वाली विभिन्न योजनाओं ने उसे सोचने के लिए बाध्य किया है। उसकी राजनीतिक चेतना पर लगातार अनेक प्रश्न घुमड़-घुमड़ कर उसे आन्दोलित कर रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन, पंचायती राज, सामंती विघटन, चुनाव, राजनीतिक दल और उनकी जातीय पद्धति, समाजवादी चेतना का विकास आदि अनेक वैचारिक मंच उसे झुछ कर-गुजले की ओर संकेत दे रहे हैं।

यद्यपि यह राजनीतिक मंघर्पे प्रेमचंद के उपन्यासों में आजादी में पहले भी चित्रित हुआ है। प्रेमचंद ने भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संघर्षों की बड़ी विशद व्याख्या प्रस्तुत की है। किसान पर जमींदार तथा उससे लगे-लिपटे लोगों की शोषण की भूमिका प्रेमचंद के उपन्यासों में देखने को मिलती है। उनके वहां सरकारी संरक्षण में पलने वाला जमींदार अपने गांव और इलाके के किसानों को अपने निजी कर्मचारियों, पटवारी, कारिन्दा आदि के माध्यम से चूस-चूस कर उन्हें बेजान कर रहा था। वह अपनी अमलदारी में शुभ और अशुभ की बिना परवाह किए जो वह ठीक समझता है डंडे के जोर से करता है। प्रेमचंद ने इसे वर्ग चरित्र कहा है जोकि प्रत्येक जमींदार को खानदानी विरासत के तौर पर हासिल है। उनके उपन्यासों में इस वर्ग की कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। धर्म और राजनीति से लेकर उसने समाज और राष्ट्र तक को अपने प्रभुत्व से प्रभावित अंग्रेज अलमवरदार उसके यहां दावतों पर आमंत्रित होते रहते हैं। डॉ० कमला गुप्ता ने प्रेमचंद के उपन्यासों में जमींदार की इसी स्थिति को बताते हुए कहा है—

“प्रेमचंद ने इस विभीषिका को बहुत स्पष्ट रूप में पहचाना है। किसानों की शोषण शक्तियां अमरबेल की तरह उनसे लिपटी हैं, जिनके पार्श्व में वह निरंतर कसता जा रहा है। जमींदारों के बावन हाथ हो जाते हैं। उनका वर्ग किसी-न-किसी बहाने किसानों को फंसाने की सामर्थ्य रखता है। पुलिस, न्यायालय, सरकारी अधिकारी कर्मचारी सभी की उन पर बड़ी कृपा होती है क्योंकि किसान की लूट में इन सभी का हाथ रहता है।” (हिन्दी उपन्यासों में सामन्तवाद, पृ० 272-73) प्रेमचंद का किसान और मजदूर जहाज के पंछी की तरह घुमड़-घुमड़ कर घुट-घुटकर न चाहते हुए भी इन्हीं रायबहादुरों और साहब बहादुरों की शरण में आता था। किसान और मजदूर को बेगार करना, खून चुसवाना ही पड़ता है क्योंकि प्रेमचंद के युग तक जनआन्दोलनों का इतना उभार नहीं था। उनके यहां स्वतंत्रता की राष्ट्रीय समस्या थी। उनके यहां किसानों और मजदूरों का शोषण इसीलिए होता है कि वे दबे रहे उन्हें जितना दबाया जाए दबाते जाना होगा। क्योंकि ये जमींदार अंग्रेजी सरकार के कवच थे। और अंग्रेजों को रूस और फ्रांस की क्रांतियों से लग चुका था कि जिस समय यह देश का बहुलाश खड़ा हो जायेगा उनके पैर दो दिन हिन्दुस्तान की जमीन पर नहीं टिके रह सकते अतः तमाम अत्याचार और शोषण महज किसानों और मजदूरों को दबाते, उन्हें शक्तिहीन करने के लिए इसीलिए किए जाते हैं जिनको हिन्दुस्तान के ये श्रीतदास

मूछो पर ताव देकर अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान सपसकर बेलीस करते रहते हैं।

दूसरे, प्रेमचंद के जमाने में किसानों का कोई इतना मजबूत संगठन नहीं था जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती और वे अपनी बेहतर हालत के लिए जमींदार के सामने जाते। यद्यपि 'गोदान' तक आते-आते प्रेमचंद अपने किसान को तो नहीं, किसान के बेटे को संघर्ष के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देते हैं परन्तु वह भी अकेला है।

लेकिन नागार्जुन के किसान और मजदूर प्रेमचंद के किसान और मजदूरों से दो कदम आगे हैं। प्रेमचंद के जमाने में जमींदारी अहर कायम था—अपनी चरम सीमा पर था परन्तु नागार्जुन के जमाने में उसकी जड़ें हिल गईं वह समूचा उखड़ गया। 'किसान-सभा' और मजदूर संगठनों से नागार्जुन के किसान और मजदूर शक्ति अर्जित करते हैं। वे जमींदार और बड़े भूस्वामी के खिलाफ सामने आकर "जमीन किसकी—जोते वोए उसकी"—और इन्कलाब जिन्दाबाद जैसे नारे लगा कर उसकी नाक में कोड़ी बांधते हैं। दूसरे नागार्जुन के किसान आजाद भारत के किसान हैं वे चेतना सम्पन्न हैं उन्होंने अपनी शक्ति का परीक्षण स्वतन्त्रता आन्दोलन में फासी, जेल, कालापानी भुगत कर देखा लिया है। उन्हें अपनी अटूट शक्ति का परिचय है तभी उनके वर्ग के बलचनमा, ताराचरण, दयानाथ, कपिल और वीरभद्र जैसे युवक सीना तान कर चलते हैं। उन्होंने बदलते हुए परिवेश से शक्ति अर्जित की है। यह चेतना-सम्पन्न युवा वर्ग जमींदार और भूस्वामी से टक्कर लेकर उनकी जालिमाना हरकतों को हमेशा-हमेशा के लिए नीचा दिखा देता है, और 'स्वाधीनता' 'शान्ति और प्रगति' जैसे सिद्धरी अक्षरों से देश के भविष्य का संकेत दे देता है।

नागार्जुन के उपन्यासों में यह राजनीतिक संघर्ष बड़ा ही विशद और व्यापक है। उन्होंने अपने उपन्यासों में स्वतन्त्रता से पूर्व और स्वतन्त्रता के बाद की परिस्थितियों के क्षितिजों का छूकर जन-आन्दोलनों और जनसंघर्षों की दिशा तय की है। जिसका विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों में अध्ययन की सुविधा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

स्वतन्त्रता संघर्ष

1857 के बाद देश में राष्ट्रीय चेतना हर घर में अपना स्थान बनाने लगी थी। "देश आजाद होना है और उसे हमें आजाद कराना है इस तरह की भावना भारत के उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम के समूचे प्रान्तों, अंचलों से व्यक्त होने लगी। अतः राष्ट्रीय भावना के देशव्यापी वातावरण का जन-जीवन से व्यापक तौर पर संपर्क जुड़ रहा था। उसमें शहर और देहात दोनों का भरपूर सहयोग था। देहात का व्यक्ति अनपढ़ होते हुए भी अपनी शारीरिक शक्ति देश के लिए जेल, यातना और संघर्ष में दे रहा था।

"स्वतन्त्रता के पूर्ववर्ती-काल में ही यदि हम अपने राष्ट्रीय वातावरण को देखें तो असहयोग-आन्दोलन, सामाजिक बहिष्कार आन्दोलन, विभिन्न सत्याग्रह, भारत छोड़ो

आन्दोलन आदि ऐसे अनेक राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के कार्यक्रम थे जिन्हें ग्रामीणों ने अपनी यथाशक्ति सहायता देकर अधिक गतिशील किया।" (डॉ० ज्ञानचन्द्र गुप्ता : स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना, पृ० 38)

इस तरह गाव का वह व्यक्ति जो कि नितान्त अपढ़ या मामूली पढ़ा-लिखा था संघर्ष की पहली पंक्ति में देश के लिए आकर खड़ा हो गया। परन्तु सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह रही कि उसका नेतृत्व मध्यवर्ग और उच्चवर्ग के लोगों के हाथ में रहा जिन्होंने आन्दोलन और संघर्ष की दिशा को सदैव विदेशी शासन के समझौते के अन्तर्गत अपने वर्ग के मुनाफे के लिए मोड़ा। उस समय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी परन्तु उसका नेतृत्व उच्चवर्ग के लोगों के हाथ में था जो कि घनघोर सुविधाभोगी थे। वे देश के युवा वर्ग पर समझौतों संशोधनों का निरंतर अकुश लगा-लगा कर उसके उत्साह को ठंडा कर अपने को नेतृत्व में महत्वपूर्ण मानने और वर्ग लाभ करने के सिवाय उन्होंने और कुछ नहीं किया।

नागार्जुन ने स्वतंत्रता आन्दोलन का अपने उपन्यास 'बलचनमा' और 'रतिनाथ की चाची' में विस्तार से उल्लेख किया है। सन् 1920 से लेकर 1936 तक पूरा का पूरा भारतीय आन्दोलन टूट-टूट कर बिखर कर इन्हीं दकियानूसी लोगों के आस-पास आता रहा और लोगों को विशेष रूप से आम जनता को यह आशा बंधी रही कि देश-हित के लिए लड़ा जाने वाला यह संग्राम आम आदमी के लिए है। परन्तु यह भ्रम था। नागार्जुन का 'बलचनमा' इसी राजनीतिक भ्रम का अनावरण करता हुआ कहता है—

"कांग्रेस के बारे में सोचने लगा कि स्वराज्य मिलने पर बाबू भइया लोग आपस में ही दही मछली बांट लेंगे। ये लोग आज मालिक बने बैठे हैं, आगे भी तरमाल वही उड़ावेंगे। हम लोगों के हिस्से सीठी ही सीठी पड़ेगी।" (पृ० 155)

मालिक लोगों की यह तरमाल उड़ाने की बात बड़े गहरे अनुभव की बात है। गहराई से देखने पर पता चलेगा कि कांग्रेस की रहनुमाई करने वाले तमाम लोग बड़े घरानों के थे। कांग्रेस में शामिल होने से उनको दुहरे फायदे थे। प्रथम, देश में नेतृत्व का दायित्व अर्थात् इज्जत और सम्मान की लालसा पूरी हो रही थी, दूसरे देश आजाद होने पर उनका तथा उनके वर्ग का बहुत बड़ा हितसाधन निश्चित था।

इधर मजदूर और आम जनता को स्वतंत्रता आन्दोलन में कई स्तरों पर मार पड़ रही थी। प्रथमतः, शासन का कोपभाजन तो वे ही रहे थे; दूसरे, स्थानीय प्रशासन के लोग जोकि विदेशी सत्ता में 'रायबहादुर, सरकार बहादुर कहलाने का जिन्हें हक शामिल था उनकी स्वार्थ-लिप्सा मजदूर को पीस रही थी, और तीसरे, उनके जोश और भविष्य को कांग्रेस का नेतृत्व समझौतों और संशोधनों आदि के माध्यम से घूमिल कर रहा था। 1936 के स्थानीय प्रशासन ने तो इस दिशा में और अधिक चार चाद लगा दिए। नागार्जुन ने इस पूरी स्थिति को 'रतिनाथ की चाची' में संकेत देकर स्पष्ट कर दिया है—

"बार-बार आगे-पीछे सोचकर कांग्रेस ने जब प्रातों के शामन में हाथ बंटाना स्वीकार कर लिया तो जनता ने युग की ओर नई आशा से देखा। मिनिस्टरी कुबूत कर लेने पर

नेताओं का उत्तरदायित्व बेहद बढ़ गया। चुनाव के समय उन्होंने जनता से बड़े-बड़े वापदे किये थे। 'मन्त्रियों ने अपनी पीठ कर दी किसानों की ओर, मुह कर दिया जमींदारों की ओर। दुनिया-भर में बदनामी फैल गई कि बिहार की कांग्रेस पर जमींदारों का असर है। जवाहरलाल तक ने यह बात खुल्लम-खुल्ला कही।' (पृ० 92)

यह बात अकेले बिहार प्रांत की न होकर समूचे भारत के अंचलों की थी बड़े घर के लोग अपने को बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं उठा रहे थे। क्योंकि यह उन्होंने संस्कारों से सीखा था।

परन्तु इधर का नौजवान अपना सब-कुछ मिटाता हुआ अपने घर-परिवार की चिन्ता किये बगैर देश को आजाद कराने पर जुटा था। वह आजादी का दीवाना, मात्र 'चिड़िया की आंख' का लक्ष्य आजादी को बनाए हुए था, परन्तु जमींदार घराने के लोग चिड़िया की आंख के साथ-साथ समूचे पेड़ और उसके आसपास के वातावरण पर भी दृष्टि रख रहे थे। 'पारो' उपन्यास के लाल भैया अपना सब-कुछ इसी आशा में दांव पर लगा रहे थे कि उन्हें केवल 'भारत मा' को आजाद कराना है—

"लाल भइया को जहां ये कोई बातें समझाने लगता तो अन्त में जीभ को कुचलते हुए कहते—पराधीन भारत मा की स्वतन्त्र करने के प्रम में यदि हम लोग ऐसी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने लगे तब तो हुआ। अपने-अपने सर्वस्व का माया-मोह छोड़ जब तक हम आप स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर जाकर नहीं खड़े होंगे, तब तक देश की यही हालत रहेगी।" (पृ० 62)

वास्तव में स्वतन्त्रता आंदोलन सबका आंदोलन था, सबके त्याग का आंदोलन था। भारतवासी तन-मन और धन से इसे सफल बनाने में, देश को आजाद कराने में प्रयत्न-शील थे। अतः उन्होंने एक सपना अपने देश के बारे में देखा था क्योंकि भारत की अधिकांश जनता गरीब और अशिक्षित थी इसलिए वह कुर्बानी तो देना जानती थी और दे रही थी परन्तु वह रणनीति से अनभिज्ञ थी, उसकी तमाम आशाएं उच्च नेतृत्व वाले बाबू लोगों के साथ जुड़ी थी। अतः अपनी भलाई की कामना वह उनकी कृपा पर ही सोच रहा था।

'बलचनमा' में यह बात बहुत साफ तरीके से नागार्जुन के प्रस्तुत की है। गरीब बलचनमा बड़े लोगों की बात सुनकर अपने देश की आजादी की कल्पना करते हुए अपनी खुशहाली पर फूला नहीं समाता। वह दिन-रात इसी कल्पना में समय गुजार देता है कि देश आजाद होने पर सबके भाग चमकेंगे—

"मैंने सोचा मेरे मुलुक से अंग्रेज बहादुर चला जायेगा, फिर यही बाबू भइया लोग अफसर बनेंगे और तब इस बाबाजी महाराज का भी उद्धार हो जायेगा। इसके हाड़ों पर मास चढ़ेगा। चेहरे पर चिकनाई आयेगी। बूढ़ा-सूया होगा, हो जाने पर पढ़-गुन तो क्या सकेगा मगर बाकी आराम सुभीता इस रसोइया को भी मिलेगा। सोराज होने पर क्या होगा? यह बात मैंने एक बार पटना में महेनबाबू से पूछा था। उन्होंने क्या जवाब दिया था भैया, क्या बताऊं? महेनबाबू ने यही कहा था कि सोराज होने पर सबके दिन लौटेंगे, सबका भाग चमकेगा। हमारा भी तुम्हारा भी।" (पृ० 9०)

लेकिन बलचनमा और उसके भाई-बांधवों का तो भाग नहीं चमका। सही मायने में भाग चमका फूलबाबू और महेनबाबू के भाई-बांधवों का उनकी जाति-विरादरी का। यह बात आज तक चली आ रही है कि जिन लोगों ने स्वतन्त्रता आंदोलन में खुलकर हिस्सा लिया था, फांसी चढ़े थे, काला पानी हुआ था, लापता हो गए थे उनके तथा उनके परिवार के नाम पर आज तक किसी ने दुःख-दर्द की बात नहीं पूछी। क्रांतिकारियों के परिवार उजड़ गए परन्तु किसी ने उनकी कभी परवाह नहीं की।

नागार्जुन ने बलचनमा में कांग्रेस और उसके वर्गीय स्वार्थों के जुड़ाव को बड़ी गहरी दृष्टि से प्रस्तुत किया है। फूलबाबू जोकि घनघोर कांग्रेसी है। मुबह में शाम तक गांधीवाद की हर बात में बांग देता है। उसे महात्मा गांधी से अपार श्रद्धा और उनके कार्यों से अपार स्नेह है। इस सबके पीछे वह घर और पढाई सब छोड़कर गांधीवाद के पीछे बैरागी हो चला है। यह उसकी सैद्धांतिक भूमिका है। परन्तु यथार्थ इससे कोसों दूर है। पता तब चलता है जबकि बलचनमा अपनी बहिन के साथ मालिक द्वारा किए गए बलात्कार की शिकायत करता है, साथ ही अपने खिलाफ मालिक द्वारा उसे झूठा फंसाने के आरोप में थाना में लिखाई गई रपट के सम्बन्ध में फूलबाबू के पास इसी आशा के साथ आता है कि उसे न्याय मिलेगा। परन्तु स्थिति इसके विपरीत है—

“मुझे यह भी भरोसा था कि फूलबाबू जब महात्मा के चेला बन गये है तो हमारे मालिक को इस जोर-जुलुम के लिए दो बात वह जरूर कहेंगे। महात्मा गांधी न बड़े लाट से डरते हैं न छोटे लाट से, न सरकार से न अमला से। गरीबों का पक्ष लेते हैं। फूलबाबू उन्हों गांधी महात्मा के चेला होकर मेरे लिए क्या इतना भी नहीं करेंगे कि अपने फूफा-फूफी को जरा समझा दें?” (बलचनमा, पृ० 92)

परन्तु यह एक गरीब की कौरी भावुकता है। उसे इसका विल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि इस घाघ की तद्वियत में कोई अन्तर नहीं है। फूलबाबू बलचनमा की बात सुनकर उससे साफ-साफ कह देते हैं। उनका आदर्श यथार्थ में बदलकर कितना सही रूप प्रस्तुत करता है—

“मगर फूलबाबू ने यह कहकर यही बात खत्म कर दी कि तुम्हारा तो आपम का झगडा है बहिया-महतो का। इसका निबटारा भी तुम्ही दोनों कर लोगे। इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं। जा-जाकर अपने मातिक के ही पैर पकड़। वह मुझे माफ कर दोगे।” (वही, पृ० 94)

यह उस कांग्रेसी का वास्तविक चरित्र है जो देश-सेवा का स्वांग दिन-रात करता है परन्तु उसके वर्ग पर जरा भी चोट आती है तो वह उसी की हमदर्दी करता है—

“उसकी लड़ाई वर्ग-हित के लिए है, वर्ग-विरोध के लिए नहीं। चाहे रेचनी जैसे कितनी ही निरोह नारियों का सतीत्व खण्डित हो, अपराधी मालिक रेचनी की जैसी माताओं को इसलिए कितना ही मारे कि उसकी हिम्मत इतनी हो गई कि उनके बलात्कार करने के विरुद्ध आवाज उठाने लगी। चाहे बलचनमा जैसे कितने ही खेतमजदूरों को उसकी बहिन के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी जीभ को मी देने के लिए जमींदारों द्वारा जेल भेजा जाता रहे। पर फूलबाबू जैसे वर्ग सहयोगी बगुलाभगत नेता कुछ

नहीं बोलेगे। यदि उनकी स्वयं की वहिन के साथ बलात्कार हुआ होता तो आकाश-पाताल एक करने को तैयार हो जाते। ऐसे वर्गीय पक्षधर भारत के कर्णधार बने और भारत की जनता के शोषण की मुहिम को और आगे बढ़ा दिया। (डॉ० कुंवरपालसिंह : हिन्दी उपन्यास सामाजिक चेतना, पृ० 160)

अतः बलचनमा की इन राष्ट्रभवतो से अश्रद्धा हो जाती है। वह दो पंक्तियों में इन सुराजियों के बारे में बड़ा सटीक निष्कर्ष देता है—

“कैसे घोसे मे मैं पड़ा हुआ था। मेरा सारा मोह क्षण-भर में फट गया। साफ-साफ दीखने लगा कि बाबू भैया लोग वही तक हमारा पक्ष लेंगे, जहाँ तक उनका अपना मतलब रहेगा...सोराजी हो गये थे तो क्या, थे तो आखिर बाबू भइया ही न ! गरीब गुरवा का दुःख ये लोग क्या जानें।” (बलचनमा, पृ० 94)

साफ जाहिर था कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई बड़ी पेचीदी लड़ाई थी। कांग्रेस का पूजीपति, सामंतों के वर्गों से अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए समझौता रहा। इन वर्गों के लोग चन्दों और नकली गिरफ्तारियों के माध्यम से स्वतन्त्रता में इसलिए भाग ले रहे थे कि उनके स्वार्थ सलामत रहे। पूजीपति वर्ग भी कांग्रेस के साथ था। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन में ‘नमक आंदोलन’ और ‘स्वदेशी आंदोलन’ के अंतर्गत इस वर्ग की बड़ी स्वार्थी भूमिका रही है। इन राष्ट्रीय आंदोलनों में वह क्योंकि भाग लेता रहा नागार्जुन ने उसे स्पष्ट किया—

“सरकार बहादुर की ओर से कानून है कि नमक सब नहीं बना सकते। गांधी महात्मा सरकार को झुकाना चाहते थे।, चाहते थे कि दो-चार बातें, उनकी मान ले सरकार। गोरी सरकार अपनी जिद पर अड़ी थी। कलकत्ता बम्बई के सेठ साहूकार भी भीतर-ही-भीतर गांधीजी का पक्ष ले रहे थे उनको साफ-साफ लौकता था कि स्वराज होने से सबसे जास्ती भलाई उन्हीं की होगी। वे देख रहे थे सरकार झुकती है तो सुराज मिलता है। सुराज मिलता है तो अधिक-से-अधिक कल-कारखाने वे खड़ा कर सकते हैं। अभी जो देश को दुहकर सारी धन-सम्पदा अंग्रेज ले जाते हैं, स्वराज्य हो जाने पर वह सब सीधे उनके खजाने में आने लगेगी—सन् तीस-बत्तीस का जमाना था, गांधीजी के हुकुम से बाबू लोग गिरफ्तार हो रहे थे।” (बलचनमा, पृ० 59)

यह वह दुतरफी मार वाला घातक समझौता कांग्रेस ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। उसे जन-हित से कितना प्यार और लगाव हो सकता है यह उन कार्यकर्ताओं, उनकी नीतियों, नीयतों से साफ-साफ ज्ञातता है। कांग्रेस की सदस्यता में बहुत बड़ी तादाद में सामंतों और जमींदारों के बेटे, धनी पूजीपति और कारखाने वाले सेठ शामिल थे, अतः वे स्वतन्त्रता की लड़ाई को इसलिए और भी जी-जान से लड़ रहे थे-लड़ा रहे थे कि दोनों तरफ से उन्हीं की चांदी है। यह उनके खुले परिणाम वाला प्रयत्न था।

क्योंकि बलचनमा सुनी हुई बात पाठक से नहीं कर रहा है। उसने कांग्रेसी आश्रम में रहकर कांग्रेसियों को खूब खिचड़ी खिलाई है उनकी जमकर तेल मालिश की है। अतः उसे उनके साथ रहने, बैठने, उठने, उनकी बातें सुनने और उनके चरित्र और कारनामे देखने को खूब मिनने है। इसलिए उनकी बातों के निष्कर्ष प्रामाणिक और तत्कालीन

राजनीतिक परिवेश पर घरे उतर रहे हैं। बाबू भइयों का नाटक उसने रात में नहीं दिन में भी खूब जी भर देखा है—

“यह जो दस-दस पांच-पाच आदमी धोती-कुर्ता टोपी पहनकर गले में माला डाले चढ़उआ (बलि वाले) बकरे की तरह नमक बनाने जाते थे सो मुझे बाबू लोगो का एक खिलवाड़ ही लगता था।” (वही, पृ० 59)

अतः कांग्रेस में अपनी इन्हीं शिथिलताओं के कारण बिखराव आता है और उसके नेतृत्व को सबसे बड़ा धक्का जब लगता है जबकि उसके अन्दर से ही कई प्रगतिशील विचारों के नेता अलग हो गये—

“कांग्रेस के सुधारवादी नेतृत्व ने राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जो गढ़ारी की थी, उससे स्वयं कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा था। उसकी सदस्य संख्या घटकर पांच लाख से कम अर्थात् 45,7000 हो गई थी।” (अयोध्यासिंह : भारत का मुक्ति संग्राम, पृ० 609)

इस तरह स्वाधीनता संघर्ष में अनेकों उलझनों और गैर जरूरी प्राथमिकताओं ने देश की जनता को सही रास्ते में लड़ने नहीं दिया। यदि देश की आजादी जिसे क्रांतिकारियों ने अपने लहू से रंग कर तैयार किया था उस रूप में होती तो देश की स्थिति आज यह नहीं होती। आज वही बाबू भइया तर माल के ग्राहक हैं। बलचनमा और उस जैसे करोड़ों लोग फिर इन्हीं लोगों के मोहताज हैं। परन्तु वह फिर भी चुप नहीं बैठने वाले। उन्हें अपना हक लेना है तो लेकर ही रहेंगे। नागार्जुन जैसा प्रगतिशील लेखक उन्हें दिलाकर छोड़ेगा। नागार्जुन के पात्रों के इस अदम्य साहस को देखते हुए यह बात सही लगती है—

“इसके अलावा एक और चीज मुझे जनता को देखकर नागार्जुन में दिखाई देती है और वह यह कि उनके यहाँ जनता सिर्फ करुणोत्पादक लाचार, असहाय, शोषित नहीं है। सामान्य जन की भयावह हालत का चित्रण करना बुरी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता में जिन्दा रहने के लिए लड़ने का माहा भी जबरदस्त है—नागार्जुन के यहाँ जनता सिर्फ करुणा तथा दया उपजाने वाली स्थिर, जड, ‘वहाँ रखी हुई चीज’ नहीं है, बल्कि इकट्ठा होती हुई, समूह बनती चलती, कभी थककर बैठती, लेकिन फिर उठकर आगे बढ़ती, हमला करती, डण्डों गोलियों के आगे नितर-बितर होती, नारे लगाती, घेराव तथा हड़ताल करती, जेल जाती और कभी-कभी जान देती जनता है।” (विष्णु खरे : आलोचना 56-57, नागार्जुन विशेषांक, पृ० 22)

अतः नागार्जुन की कृतियाँ पूर्णरूपेण समाज संपृक्तता हैं। देश में घटने वाली घटनाओं से आम जनता पर जो प्रभाव पड़ता है। उसके स्वरूप को नागार्जुन अपने लेखन में प्रथम स्थान देते हैं। उनकी समूची कृतियाँ सम-सामयिक गतिविधियों का दस्तावेज हैं। उनकी सबसे बड़ी यही प्रमाणिकता है कि पूरा ढाचा कृतियों में प्रतिबिम्बित होता है। नागार्जुन अपने विश्वान के अकेले लेखक हैं।

सम-सामयिक राजनीतिक घटनाएं

स्वतन्त्रता आंदोलनों ने जनता के दिलो-दिमाग को झकझोरकर रख दिया था; सत्याग्रह, नमक कानून, अमहमोग आंदोलन आदि में समूचा भारत परिचित हो चुका था संघर्ष की मुहिम को नेत्र करने के लिए पश्चिमी समाजवादी चिंतकों के विचार भी भारतीय जनता में अपना स्थान बना चुके थे। अतः नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में सम-सामयिक घटनाओं का उल्लेख राष्ट्रीय सन्दर्भ में किया है। स्वयं नागार्जुन भी राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं देश के स्वतन्त्रता आंदोलन में उन्होंने भी जेल काटी है, यातनाएं सही हैं इसलिए उनके लेखन में एक तल्खी है, रवानगी है। और न वे कभी आवेश का शिकार हुए हैं और न कभी भावुकता में बहकर अपने सिद्धांतों का सौदा किया है। इस तरह की पूरी छवि उनके उपन्यासों के पाठों में प्रतिफलित होती है। अतः अपने राजनीतिक अनुभवों के आधार पर उन्होंने बड़े ही प्रामाणिक निष्कर्ष दिए हैं।

स्पष्ट है कि नागार्जुन के उपन्यासों में स्वतन्त्रता से पूर्व और स्वतन्त्रता के बाद की सम-सामयिक घटनाओं का चित्रण है जिनमें उन्होंने राष्ट्रीय राजनीतिक सघर्षों के माध्यम से देहाती अंचल का सम्बन्ध स्थापित किया। यद्यपि उनके पात्र विशुद्ध देहाती हैं लेकिन नागार्जुन उन्हें किसी-न-किसी वहाने से शहरी हवा खिलाकर वस्तुस्थिति में परिचित करा देते हैं। वह स्वतन्त्रता आंदोलनकारियों की स्थिति भी बड़ी निकट से जानते हैं।

'बलचनमा' के अन्तर्गत नागार्जुन ने बलचनमा को कांग्रेसी नेता फूलबाबू के सारण्यकर उसके बर्गीय चरित्र और योजनाओं की अच्छी तरह पहचान कराई है। उसने उस सुराजियों की चाल को साध रहकर देखा है जो सदैव दुरंगी रही है। वह बरहमपुर स्थित कांग्रेसी आश्रम में सुराजी लोगों को देखता है। वहाँ के इन सफेदपोश लोगों के बारे में उसकी उचित चढ़ी ही सारगर्भित है। वह इन देश-प्रेमियों के बारे में सहजता से कहता है—

“राधा बाबू राजा खानदान के थे। पढ़ाई करते समय स्टेट का पैसा फूकते रहे और अब पब्लिक का। चन्दा आरम्भ में काफी आता था। कोई उनसे हिंसाव लेने वाला नहीं था जैसे भर्जी आई वैसे खरच किया।” (पृ० 102-103)

इन देश-प्रेमियों के दूसरे शरीर-मुखवाले ढोंग पर भी नागार्जुन ने दृष्टिपात किया है। घनघोर सुविधा भोगी वर्ग के ये रहनुमा कभी भी तकलीफ नहीं सह सकते। सेवा टहल करवाना इनके लिए किसी-न-किसी रूप में अनिवार्य है। बात-बात में गांधीवादी की दुहाई देकर शरीर लाभ करना ये कभी नहीं भूले। आश्रम में गांधीजी के घोर विरोध के बाद भी इन जमींदार पुत्रों ने नौकरों को रखा परन्तु उनका नाम बदल दिया। जिससे कि खुली तौर पर उनकी तार पर उनकी बदनामी न हो—

“महात्माजी का हुकूम नहीं था कि सोराजी लोग आश्रम में किसी को नौकर-चाकर के तौर पर रखें। फिर भी हम आश्रम में चार जने थे। कहने को वॉलटियर कह लो

सेवक कह लो, लेकिन ये तो हम नाँकर ही। एक का नाम था रूपनाल, दूसरे का नाम था छट्टू, तीसरा था मंगल, चौथा मैं था।” (वही, पृ० 112)

वास्तव में बलचनमा गाँव से शहर आने वाला अनपढ़ व्यक्ति है लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित है। वह शहर की राजनीति में गाँव का सपना देख रहा है। लोगों में समकालीन राजनीति और राजनीतिज्ञों से प्रेरणा लेकर अपने अस्तित्व की रक्षा और अधिकारों की मांग को जी-जान से पूरा कराने में संलग्न है। महात्मा गांधी के हुबम में ‘स्वदेशी आंदोलन’ को तेज करने के लिए खट्टर और चरखे का प्रचार भी बलचनमाने रसोइये का काम करते हुए देखा है।

सन् 1932 के आते-आते कांग्रेस में प्रगतिशील तत्व अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टियों का गठन विधिवत कर लिया था। नागार्जुन ने बलचनमा में दोनों के सिद्धान्तों का अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनका बलचनमा कांग्रेस के इसी चरित्र को लेकर अलग हो जाता है। बलचनमा कांग्रेस के मूलभूत सिद्धान्तों, गांधीजी के आदर्शों को कांग्रेस संगठन की चारित्रिक कमजोरी मानता है। सोशलिस्ट और कांग्रेस की मूलभूत धारणाओं का उल्लेख करते हुए वह अपने जीवन के मोड़ की ओर संकेत देता है—

“गांधी महात्मा से किस बात में सोशलिस्टों का मेल नहीं खाता है। अंग्रेजी राज न कांग्रेस चाहती है न सोशलिस्ट ही चाहते हैं। लेकिन गांधी महात्मा कल-कारखाना के खिलाफ है। वह इसके भी खिलाफ है कि सेठों, जमींदारों, राजाओं, महाराजाओं से जमीन-जायदाद और धन-सम्पदा छीन कर उसे लोगों में बाँट दिया जाये—उनका कहना है कि एक न एक दिन अंग्रेजों की मति फिर जायेगी तब के अपने आप यह मुलुक छोड़ कर चल देंगे उनको जास्ती परेशान मत करो।” (वही, पृ० 156)

दूसरी ओर वह सोशलिस्ट पार्टियों के सिद्धान्तों को भी समझता है। उसे अच्छी तरह याद है कि स्वाभिमान और आत्मविश्वास के लिए संघर्ष, कांग्रेस में न होकर सोशलिस्टों में है—

“सोशलिस्टों का क्या कहना था उनका कहना यही था कि दो-चार साधू महात्मा के गिड़गिड़ाने से अंग्रेजों का दिल नहीं बदलेगा। समूची जनता आपस के भेद-भाव भुला कर उठ खड़ी होगी तभी अंग्रेज भागेगा—लोगों को जब विश्वास हो जायेगा कि जमींदार महाजन की फाजिल धन संपदा उन्हीं में बाँट जायेगी, रोजी-रोटी का सवाल हल होगा, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई—बुढ़ापे की बेफिक्री, खान-पान और रहन-सहन का ठौर-ठिकाना—दवा-दारू, पय-पानी का इंतजाम—यह सभी के लिए सुलभ होगा, दरभंगा के महाराज हों चाहे पटना के लाट साब मुफ्त में खाना किसी को नहीं मिलेगा—सब काम करेगा, सब दाम पावेगा—नूले-अपंग, बूढ़े-बेकार सबकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ेगी, पैसे के चल पर कोई किसी को बंधुआ गुलाम नहीं बना सकेगा।” (वही, पृ० 156)

इस तरह कांग्रेसी और सोशलिस्ट विचारों से बलचनमा ने अपना रास्ता तय करने की दिशा तैयार की। वह पहली बार व्यक्ति के अस्तित्व को सोशलिस्टों के संघर्ष में

आने पर पहचानता है वह सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर अपने मन को पक्का करते हुए अपने अन्दर पैदा होने वाली भावना को अभिव्यक्त करता है—

“ठीक कहते हैं सोशलिस्ट भाई, जिसका हारफार उसको धरती। जिसका हुनर और जिसका हाथ उसी का कल कारखाना।” (वही' पृ० 156)

इस तरह बलचनमा का धीरे-धीरे मोह-भंग होता है। उसे समाजवादी विचार-धारा से उसके सिद्धान्तों में व्यावहारिक समता होने के कारण लगाव बढ़ने लगता है उसके राजनीतिक जीवन को बदलने वाली तीन नई घटनाएं भूचाल का आना, महात्मा गांधी का इलाकाई दौरा और राधा बाबू का सोशलिस्ट होना है; जिससे उसने सबक सीखा है। भूचाल के रिलीफ फंड में उसने कांग्रेसी अलमबरदार की बेईमानी को खड़े-खड़े देखा है। गांधी महात्मा के इसी चेले फूल बाबू को नमक कानून में पिटते देखा है। कांग्रेस और देशी पूजीपति के स्वदेशी आन्दोलन में गठबन्धन उसके सामने होते हैं अतः अब उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि इस बेहयाई से जीवन की सार्थकता नहीं है। वह सोशलिस्ट पार्टी का मेबर बनकर राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगता है, वह अपने लोगों को अपने वर्ग के हित और अधिकारों के लिए ग्रामीण स्तर पर एकत्रित करता है।

“बाबा बटेसरनाथ” में बाबा बटेसरनाथ जैकिमुन को स्वाधीनता सपना और उसके आन्दोलनों की घटनाएं तथा भारतीयों की होने वाली प्रतिक्रिया को बड़े विस्तार में सुनाता है। 1905 का बंग-भंग आन्दोलन, स्वदेशी आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन, आदि की पूरी फहरिश्त बाबा के पास है वह एक-एक करके जैकिमुन को मात्र इसीलिए सुना रहा है कि इस युवक के हृदय में शत्रु और मित्र पक्ष की अच्छी तरह पहचान हो सके। बाबा 1905 में बंग-भंग आन्दोलन का जिक्र करते हुए जन-आक्रोश का हवाला देते हुए कहता है—

“बंगाल के नौजवान महात्मा गांधी की असहयोग और सत्य अहिंसा की बातों में आस्था नहीं रखते थे। दुश्मनों को पछाड़ने में जितने भी तरीके हो सकते हैं वे उन्हें आजमाने के पक्ष में थे। ईस्ट इण्डिया कंपनी के जमाने से ही गोरी हुकूमत के खिलाफ बंगालियों का सशस्त्र प्रतिगोध शुरू हो गया था। कर्जन जब बड़ा लाट होकर आया तो उसने बंगाल को दो हिस्सों में बांटना चाहा। वहां की शिक्षित और अशिक्षित समूची जनता ने अंग्रेज शासकों की उस कुटिल नीति का विरोध किया। नौजवानों ने कई गोरे अफसरों को मार डाला। और क्रान्ति की एक नई परंपरा हिंदुस्तान में शुरू हुई। साम्राज्य शाही बौखला उठी तो दमन का चक्र और जोरो से चलने लगा। अंग्रेज कूटनीतिज्ञ गोखले और गांधी जैसे नेताओं की उतनी परवाह नहीं करते थे। क्रान्तिकारियों के गुप्त संगठनों की उभार तो ब्रिटिश प्रमुखों की नींदहराम किए रहती थी।” (पृ० 77-78)

देश में तेजी से बढ़ते हुए विदेशी माल की स्थिति को बाबा बटेसरनाथ बड़ी गंभीरता से कह रहा है। वह जैकिमुन को आगाह कर रहा है कि भारत में अंग्रेजों का दमन का प्रारूप मात्र शासकीय ही नहीं था आर्थिक भी था। देशी कुटीर उद्योग धन्धों के नष्ट होने और विदेशी माल की मंहगी ने भारत के प्रत्येक नागरिक की कमर तोड़ डाली थी। बर-गद बाबा इसे संवेदनात्मक भाषा में स्पष्ट कर रहा है—

“बमार जूते बनाना भूल गये थे। मोमिनो के पांच करघे थे सो अब एक ही रह गया। चीनी की आमद ने गुड़ के व्यापार को चौपट कर दिया। बटन, मुर्द, आईना, कंधी, उस्तरा और कैंची—कपड़े, खेती के औजार, बाहरी माल आ-आकर स्थानीय उद्योग-धन्धों का गला दवाने लगे। तेजी और मंदी के दो पाटों में पड़कर अनाज का एक-एक दाना कराह उठा, बेटा! अनाज का एक-एक दाना ही नहीं, गांव का एक-एक आदमी कराह उठा, बेटा! बर्तन में पानी तो पहले ही कितना आता था लेकिन छेद उसमें एक के बदले अनेक हो गये थे।” (वही, पृ० 82)

आजादी के लिए सभी नड़ रहे थे। उसमें सभी की खुशहाली का स्वप्न छिपा था। बाबा बटेश्वरनाथ रुपउली गांव के अन्दर ध्याप्त चेतना को जनसामान्य की चेतना से संपृक्त बताते हैं। और यह सच है कि आजादी की लड़ाई में जो जिस योग्य था उसने वैसा ही बलिदान किया। अजीब समां था देश को स्वतंत्र कराने का—

“बबुआ, यह कोई चोरी-छिपारी की गिरफ्तारी तो नहीं थी, यह स्वाधीनता संग्राम की गौरवमय परम्परा का एक सामान्य प्रदर्शन था। गिरफ्तार होना, जेल के अन्दर कैंद काटना, लाठियों की चोट बर्दाश्त करना, पुलिस और मिलिट्री के फौजी बूटों से कुचला जाना—इन बातों से जरा भी नहीं घबराते थे लोग। सत्याग्रह और पिकेटिंग त्योहार बन गये थे। पुलिस एक को गिरफ्तार करती तो उस एक ही जगह दस आदमी आ डटते, दस गिरफ्तार कर लिये जाते तो उन दस की जगहों पर सौ जवान खड़े हो लेते। घर वाले सत्याग्रह या पिकेटिंग के लिए जाते हुए अपने आदमी को माला पहनाकर और टीका लगाकर विदा करते, मानो वह शादी करने जा रहा है। गजब का जोश था बेटा, वह उत्साह का अपूर्व वातावरण था।” (वही, पृ० 82)

राष्ट्रीय आन्दोलन में रुपउली गांव से दयानन्द वीरभद्र आदि लोग जेल जाते हैं। बाबा उनके माध्यम से जैकिसुन को रास्ता बताना चाहते हैं। स्वतंत्रता आन्दोलन में दयानाथ की भूमिका की प्रशंसा करते हैं। लेकिन वर्तमान प्रशासन की चाल से वह व्यथित है, इन दोनों छोरों को बाबा बटेश्वर दिखाते हैं—

“थानेदार और जिला के अधिकारियों से ही छूटकर यदि मरते रहे तो भारत माता की इज्जत आवरू लुट जायेगी—किस उमंग से दयानाथ नागपुर गया था क्षण्डा सत्याग्रह में शामिल होने! किस उत्साह से उसने नमक कानून तोड़ा था। उछलता हुआ कैंसा दिन लेकर वह दोनों वार जेल के अन्दर पहुंचा था! हजारों और लाखों आदमी उसी की तरह जेल गए। सैकड़ों फासी पर झूले, हजारों के परिवार टूटे—तब जाकर यह आजादी हासिल हुई है।” (वही, पृ० 110)

परन्तु यह आजादी कैसी और किसके लिए थी। यह आजादी हर गांव के बड़े लोगों, शहर के अफसरों और खाते-पीते घराने के लोगों के लिए थी उन्हें ही चैन से रहने देने के लिए यह इतना बड़ा कांग्रेस की ओर से तमाशा हुआ था। बाबा बटेश्वर समझता है—

“आजादी! छि! आजादी मिली है हमारे उपमोहन बाबू को, कुलानन्द दास को— कांग्रेस की टिकट पर जो भी चुने गये हैं उन्हें मिली है आजादी, मिनिस्ट्रो को सो ऊंचे दर्जे की आजादी मिली है। मेकैटेरिपट के बड़े साहबों को भी आजादी से फायदा

पहुंचा है।" (वही, पृ० 110)

इन घटित घटनाओं के माध्यम से बाबा बटेसरनाथ ने रुपउली गांव की सामयिक परिस्थिति का बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन किया है। उन्होंने गांव के युव प्रतिनिधि जैकिमुन को सम्बन्धित बातों से अवगत कराकर उसे अधिकार बोध के लिए प्रेरित किया। डॉ० विजय बहादुर सिंह इस पूरे पृष्ठभूमि में संघर्ष को सूत्र की तलाश मानते हैं—

“इतिहास और राजनीति या राजनीतिक इतिहास को प्रस्तुत करते हुए लेखक नयी पीढ़ी को वह पृष्ठभूमि देना चाहता है जिसके सहारे हमारी समकालीन राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। यही वह बिन्दु है जहां वह नए युग के व्याख्याकारों के रूप में हमारे सामने हैं। सत्युग की व्याख्या करते हुए वह इतिहास के उन पक्षों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है जिन पर अब तक निगाह ही नहीं थी हमारी। और फिर यह उसका कथन कि असली स्वर्ण युग (सत्युग) तो अभी आने वाला है वस्तुतः हमारी जातीय दृष्टि को अतीत से मुक्त कर भविष्य से जोड़ने का काम करती है।” (नागार्जुन और उनका रचना संसार, पृ० 122-23)

नागार्जुन भूदान आन्दोलन की नाटकीयता से भी परिचित हैं। बड़े-बड़े जमींदार और भूस्वामी निरर्थक जमीन को दान में देकर इलाके में नाम कमाकर नयी सुविधा की तलाश करते हैं। उनका नाम अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं में छपता है। परन्तु जब गरीब अपने धर्म से समतल और उपजाऊ बना लेता है तो उनकी तार उसे हड़पने के लिए भी टपकने लगती है। और इससे अधिक नीचता का काम दूसरा नहीं हो सकता। परन्तु गरीब व्यक्ति मिली हुई जमीन को आसानी से नहीं छोड़ता वह उसके लिए हथियार उठा लेता है और सशस्त्र संघर्ष करता है। ‘उग्रतारा’ उपन्यास में भभीखन सिंह को जेल के अन्तर्गत इसी प्रकार का जेली जीवन, सजा काट रहा है—

“इस अघेड़ कंदी को भभीखन सिंह बहुत मानते थे। जमीन की वेदखली के खिलाफ उसने जमकर लड़ाई लड़ी थी। भूदान में मिली हुई ऊबड़-खाबड़-जंगली जमीन को उसने खेती लायक बना लिया तो पुराने भूदानी की लार टपकने लगी। फिर से कही रहीं जमीन देकर वे उससे अच्छी जमीन छीनना चाहते थे। मारपीट हुई गडासा चल गया। भूदानी बाबू के आदमियों में से एक को इतना घाव लगा कि अस्पताल तक पहुंचते-पहुंचते बेचारे के प्राण पक्षेरू उड़ गये। मुकदमा चला इसे नौ वर्ष की सजा हुई।” (पृ० 24)

यह दुर्दशा आज तक चली आ रही है। भूमिहीनों को सरकार द्वारा दी जाने वाली जमीन का नाटक आज भी दूसरे रूप में जारी है। लोगों में असतोष से गांव में फौजदारियों का फिर एक सिलसिला शुरू हुआ है। बेचारा गरीब हर तरह से पिटा है। एक ओर गांव का खाता-पीता आदमी उसकी अस्मिता नष्ट करता है तो दूसरी ओर पुलिस का जुल्म उसे चैन से नहीं बैठने देता। भभीखनसिंह इस स्थिति की निन्दा करता है—

“वह नहीं मानेगा। जरूरत पड़ी तो फिर गडासा उठा लेगा। भला यह भी कोई कायदे की बात हुई? आपने जमीन रहीं-फहीं जानकर बिनोबा बाबा को दान कर दी

और भूदान कमेटी ने उस जमीन को जीतने के हवाले किया। गिखा-पट्टी पक्की हुई, जीतने ने हड़डी तोड़ मेहनत की और उस जमीन को सोने का टुकड़ा बना लिया। तो अब आपके मुह में लार क्यों टपकती है? यह आदत बहुत धराब है याबू साहब, रद्दी-फद्दी औरों के लिए मान-टाल अपने लिए।" (वही, पृ० 24)

इस तरह नागार्जुन ने राजनीतिक गतिविधियों से देहाती जीवन में उभरने वाले राजनीतिक संघर्ष को उसकी खास पृष्ठभूमि में पनपने दिया है। उनके पात्र अपनी सम-सामयिक घटनाओं से भी प्रेरणा लेकर अपने अधिकार और विषवास की सुरक्षा के लिए आगे आते हैं। वे अब अपनी जान पर खेलने से भी नहीं कतराते हैं। क्योंकि आगत भविष्य उन्हें अधिकार दे रहा है, अतः वे उसके लिए कसर कसकर खड़े हुए हैं।

किसान और जमींदार संघर्ष

आजादी से पहले भारत में साम्राज्यवादी अंग्रेज, पूजीपति और जमींदारों के (त्रिकोणात्मक) शोषण में जनता का निर्वाह हो रहा था। इन्हीं तीनों के मिश्र-जुले आतंक से राज के अन्दर विविध स्तरों पर नैतिकता, अनैतिकता को बढ़ावा मिल रहा था। लम्बे सघर्षों और जन-आन्दोलनों के बाद देश आजाद हुआ। साम्राज्यवादी शोषण से मुक्ति मिली परन्तु पूजीपति और जमींदार अभी वरकरार हैं।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय नेताओं ने देश के विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किये जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। किसानों और मजदूरों को सामंतों और जमींदारों के शोषण से मुक्त करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही जमींदारी उन्मूलन किया गया। वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषक और मजदूर की जिंदगी में सुधार लाने का पहला प्रयास था।

परन्तु जमींदारी उन्मूलन के बाद गांवों के अन्दर बड़ी ही विषम परिस्थिति ने जन्म ले लिया। गांव वैचारिक स्तर पर दो हिस्सों में बंटने लगे। एक ओर गांव का जमींदार और उसके कर्मचारी, दूसरी ओर किसान, खेतिहर मजदूर और नीचे दर्जे के लोग जो खेती पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपनी जीविका चला रहे थे।

यद्यपि जमींदारी उन्मूलन इकतरफा नहीं था। एक ओर उनसे मध्यस्थ सत्ता को लिया गया था तो दूसरे, उन्हें मुआवजे के रूप में शासन की ओर से लाखों रुपये की धनराशि वार्षिक आय के रूप में बिना हाथ-पैर हिलाये ही मिलने लगी। फिर भी उन्हें इतने भर में संतोष नहीं था। वर्षों से निरोह जनता का खून चूस-चूस कर उसे बेदम करने, उसके ऊपर जुल्म करने का उन्हें जो शौक लग चुका था अब यह एकाधिकार समाप्त होने पर वे तिलमिला उठे।

जमींदारी उन्मूलन के साथ-साथ सरकार ने बड़े भूस्वामियों की खेती की सीमा की भी हदबंदी कर दी थी। फिर भी बहुत सारी जमीन को बंजर, पोखर, बाग, चरागाह

आदि घोषित कर उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया था और उन्हें अपने बालिग-नाबालिग परिवारी सदस्यों के नाम लिखाकर फिर चैन की बंशी बजाने लगे। डैनियल कार्नर ने इस सत्य को अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया है—

“बिहार में जमींदारी उन्मूलन के बाद भी पाच सौ या सात सौ ही नहीं एक हजार एकड़ की जमींदारियां साधारणतः हैं। इस रूप में अब भी जमींदारों के पास काफी जमीन है।” (एप्रिलियन प्रॉस्पेक्ट इन इण्डिया, 1956, पृ० 34)

इस तरह जमींदारी उन्मूलन ने भारत के गांवों में एक अजूबा वातावरण पैदा कर दिया। यह व्यवस्था हुई तो आम जनता को सहूलियत देने के लिए थी। लेकिन इसका दुष्परिणाम ही सामने आया। सरकार में उन्हीं जमींदारों के नाते-रिश्तेदार थे, सरकारी कार्यालयों और ऊंचे-ऊंचे ओहदों पर इन्हीं के सम्बन्धी थे, अतः कानून के छोटे छेद में से हाथी निकालने की बात इन्हीं लोगों ने सिद्ध कर दी। इसलिए आज फिर गांव में संघर्ष का वातावरण बना हुआ है। छोटा-भड़ोला आदमी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। डॉ० नरेन्द्र मोहन इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

“स्वतन्त्रता-प्राप्ति महज एक घटना नहीं होती यह उस देश के लोगों की अदम्य मुक्ति कामना, संघर्ष और सामूहिक चेतना का प्रतिफल होती है। स्वतन्त्रता के पीछे एक लम्बे संघर्ष का इतिहास रहता है और यह संघर्ष उस देश की मानसिकता को एक नया अर्थ और आभास देता है।” (आजकल (मासिक), अगस्त 1972, पृ० 14)

इसलिए स्वतंत्रता के बाद दबे-पिसे लोगों में एक आत्म-विश्वास और अपने अधिकार के लिए अत्याचार के खिलाफ सिर उठाने की प्रवृत्ति का नूतन जन्म हुआ है। अतः राजनीतिक चेतना से जुड़कर ग्रामीण लोग अपने इन शोषकों के खिलाफ संगठित होकर खड़े होते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत आजादी के लिए उनसे लड़ रहे हैं। आजादी के बाद का साहित्य इसका प्रामाणिक दस्तावेज है—

“स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासकारों ने इस सर्वतोमुखी जागरण काल में गांव और समस्याओं से जुझ रहे किसानों को देखा, उनकी जिन्दगी के अभावों के ढेर, यातनाओं के संकट को अनुभव किया और संवेदनाओं के स्तर पर उन्हें अभिव्यक्ति दी। नागार्जुन के उपन्यासों ने इस क्षेत्र में पहल की है।” (डॉ० ज्ञानचन्द गुप्त : स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना, पृ० 50)

नागार्जुन ने ‘रतिनाथ की चाची’ में जमींदारों के जालिमाना कार्यों का संवेदना के स्तर पर चित्रण किया है। जमींदार वास्तव में पैदाइश से ही शोषण के नए तरीके सोधता रहता है। उसके वारिश विरासत में यही सीखते हैं, इससे इतर कुछ नहीं। अतः जमींदारी उन्मूलन के बाद अब जमींदारों के अधिकारों, उसकी सम्पत्ति आदि को सीमित किया गया तो वे तिलमिला उठे। वे अपनी सत्ता और सम्पत्ति के रख-रखाव के लिए फाजिल जमीन बेचने लगे। परन्तु किसान जिसे आजादी की रोशनी ने अधिकार का रास्ता दिखा दिया, वह खड़ा हो गया। क्योंकि वह वर्षों से उस जमीन को जोतता चला आया था उसे उसके इस पुश्तैनी हक से जानिम जमींदार कैसे वंचित कर सकता है, वह संघर्ष के लिए उतारू है—

“अभी कुछ दिन पहले उमकी जमींदारी के किसी दूसरे मौजे में किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा, रैयतों ने अपनी जोत की तीस बोधा जमीन छोड़ने से साफ इन्कार कर दिया। मालिक उसे पड़ोस के किसानों के हाथ बंदोबस्त कर देना चाहता था। जो पच्चीस वर्षों से उस जमीन को जोतते-योते और फसल काटते आ रहे थे वे सोग डट गए—इस पर हमारा हक है। तनातनी बढ़ी सरकार ने एक सौ चौवालीस दफा लगाकर जमीन को राल साफा और लम्बी साठी की अपनी निगरानी में ले लिया। किसानों ने सत्याग्रह आरम्भ किया। मालिक के लठैत और पुलिस वाले मिन गए। ऊपर कांग्रेसी मंत्रिमंडल था, नीचे धरती माता थी। सत्याग्रही पृथ्वी पुत्र जब पिटने लगे तो खून से तिरंगा लाल हो उठा। इस छोटे से महाभारत में दो कुमियों और एक ब्राह्मण की जान गई।” (वही, पृ० 107)

ताराचरण आधुनिक चेतना से सम्पन्न युवक है। वह ग्रामीण चेतना के लिए ‘आज’ पत्र को मंगाकर लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में बतलाता है। वह जमींदारों के खिलाफ गांधी में किसान-कुटी बनाता है—

“किसान संगठित होने लगे। उनका नारा था कमाने वाला खायेगा, इसके चलते जो कुछ हो।...गांव में से दो-तीन लीडर निकल आए। बलुआहा पोखर के भिंडे पर किसान-कुटी बन गई। घर-घर से मुठिया वसूल होने लगी। किसान-कुटी के लिए किसी ने लोटा दिया, किसी ने धाली दी। कुम्हार ने घड़े दिये, तौला दिया, कड़ाही दी। उमानाथ की मा ने अपना दो साल का पुराना कम्बल दे दिया।...आंदोलन की बातें इस तरह बढ़ा-चढ़ाकर राजा बहादुर के कानों में डाली गई कि वे बदहवास हो गए। बढिया-से-बढिया धनहर खेत सौ या पचास रुपये की बीधा लुटाने लगे। आख लगते क्षोपड़ी जो आवे सो हाथ। किसान वित्ता-भर भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनमें गजब का जोश था। उनके लीडर दरभंगा और पटना तक दौड़ लगा रहे थे।...सभा, जुलूस, दफा एक सौ चवालीस, गिरपतारी, सजा, जेल, भूख-हड़ताल, रिहाई—यह सिलसिला किसानों को ठण्डा नहीं कर सकता।” (वही, पृ० 92-93)

उपन्यास का ताराचरण अब जमींदार के खिलाफ खुलकर सामने आता है। वह उसके किसी भी काम में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी भूमिका से वह अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए वह सीना तानकर मालिक द्वारा बुलाई गई नाटक कम्पनी पर कहता है—

“जमाना बदल गया है, जब हम अंग्रेजों की नाक में कौड़ी बांधते हैं तो राजा बहादुर की क्या विसात? उनका दामाद खुद आकर हमें लिवा ले जाये, तब चलेंगे। अन्त में हुआ यही कि दो-एक बूढ़ों को छोड़कर और कोई नहीं गया।” (वही, पृ० 159)

यह किसान आंदोलन जन-चेतना के माथ जुड़ा हुआ था अतः किसानों और मजदूरों का बहुत बड़ा वर्ग इस आंदोलन के साथ-साथ चल रहा था।

नागार्जुन किसानों और मजदूरों के लेखक है। अतः उन्होंने किसानों और मजदूरों की समस्या को गम्भीरता से लिया है। किसानों का जमींदारों से संघर्ष उसके स्वरूप

की एक स्पष्ट स्थिति है। डॉ० एम० रवीन्द्रनाथ ने नागार्जुन के इसी झुकाव की 'रतिनाथ की चाची' में प्रशंसा की है—

“रतिनाथ की चाची' का वर्ण्य विषय भिन्न होते हुए भी विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित है, नागार्जुन ने इसमें सन् 1937-39 ई० के लगभग बिहार प्रांत में किसानों का जो सशक्त आंदोलन चला था, उसका चित्रण किया है।...उनका उद्देश्य किसानों को यह दिखा देना है कि संघर्ष में उनका सहयोग कौन करेगा और कौन-कौन प्रतिप्रियावादी शक्तियों का समर्थन करते हुए विपक्ष में खड़े होंगे। इसलिए नागार्जुन ने जयदेव जैसे समाज के कोढ़ियो तथा जिला किसान सभा के प्रमुख नेता की लालची मनोवृत्ति एवं अवसरवादिता को दिखाकर उन्हें किसान संघर्ष के हत्यारों के रूप में चित्रित किया और किसानों को ऐसे नेताओं के प्रति जागरूक रहने का आह्वान दिया।” (माक्सवाद और हिन्दी उपन्यास, पृ० 182-83)

वास्तव में नागार्जुन को कृषक वर्ग से बड़ी हमदर्दी है। दिन-रात हाड़-तोड़ मेहनत करके वह साहूकार और सेठ का पेट भरकर बचे-खुचे सड़े-गले अनाज से अपना और अपने परिवार का जानवरों की तरह भरण-पोषण करता है। इसलिए उसके शत्रु और मित्र को नागार्जुन पदों के बाहर इसीलिए नहीं रखते कि दूसरे लोग देखकर उससे प्रेरणा ले सकें, अपने ही बीच के आस्तोत के साप को देख सकें।

'बलचनमा' तो किसान और मजदूर की जिन्दगी का प्रामाणिक दस्तावेज है। वह जमींदार के यहां गुलामी करता हुआ धीरे-धीरे पिटकर, भूखा रहकर, सरक-सरककर एक दिन संघर्ष के दरवाजे पर आ खड़ा होता है—

“बलचनमा अनेक शोषण और अन्यायों को भोगता हुआ अपने लंगे, भूखे श्रम के बलबूते पर चरवाहे से बहिया (पुस्तनी गुलाम), बहिया से कांग्रेसी वालंटियर, स्वयंसेवक नौकर से खेत मजदूर, खेत मजदूर से किसान और किसान से किसान नेता बनता है। उसका ऐसा रूपांतरण सीमित जीवन के तमाम खंडांशों को भोगने के साथ-साथ ही होता है। साथ-ही-साथ वह सही और गलत सम्बन्धों की पहचान करता है। यह पहचान ही उसकी राजनीतिक-सांस्कृतिक चेतना को जन्म देती है।” (डॉ० रमेश कुसल मेघ : क्योंकि समय एक शब्द है, 1975, पृ० 281)

जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार फाजिल जमीन को अपने अधिकार में लेने की साजिश चुपके-चुपके करने लगे। खेतिहर मजदूरों और बटाइदारों से उन्होंने चोरी-छिपे अंगूठा टोप लिया। महपूरा का जमींदार खान बहादुर साहुल्लो खां आठ-दस मौजे की मालगुजारी के मालिक हैं। ठाई-सीन सौ की खुद की काश्नकारी है। इसके साथ ही हजारों बीघा जमीन मनखय लगी हुई है। लेकिन नीयत साफ न होने के कारण यह सब कुछ भी थोड़ा है। वे गरीब की दो-चार बीघे जमीन को भी आंख की किरकिरी मानने लगे और उनकी इस जीविण को हड़पने के लिए जी-तोड़ चोरी-छिपे कोशिश करने लगे। उनकी इस साजिश में कुछ किसान और शामिल हो जाते हैं। वे गरीबों का शोषण अपनी हड़पनीति से देते हैं—

“मगर खान बहादुर नहीं बंठे रहे, भीतर-ही-भीतर उनका जमींदारी दांव-पेच

वहता ही गया। गरीब किसानों की यह जमीन अपने-अपने नाम चुपचाप लिखा कौन रहे थे? बड़े-मझले किसान जो अकमर हमारी तरफ के धराहमन, मुद्दहार, शेख और सूड़ी महाजन होते हैं—यही हड़पना चाहते थे गरीबों के मुट्टी-दो मुट्टी भान को।” (बलचनमा, पृ० 162)

किसान और मजदूर इस भारतीय डलहीजी की शोषण की नीति का गोलबन्द होकर मुकाबला करते हैं। वे समाजवादी चेतना से सम्पन्न डॉ० रहमान से मिलकर अपने संघर्ष का पैतरा तैयार करते हैं। वे अच्छी तरह समझते हैं कि जमींदार बहुत बड़ा जालिम है। उसके पक्ष में बड़े-बड़े लोग हैं लेकिन फिर भी वे सामूहिक रूप से अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं। डॉ० रहमान का नेतृत्व उन्हें आशा वंधा रहा है। यह कांग्रेसी का वचन नहीं जोकि शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर अपनी ही बात से मुकर जाये। यह एक सोशलिस्ट का दिया हुआ वचन है जिसमें संघर्ष की एक विशिष्ट राजनीति है—

“उन दिनों सोशलिस्टों ने बड़ी गर्मी भी भँया! वे दो कुछ कहते उसे करने की भी कोशिश उन्हीं की ओर से होती थी। मजूरों की हड़ताल हो चाहे किसानों का आंदोलन सोशलिस्ट भाई उगमें आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे—खान बहादुर के खिलाफ लड़ाई छेड़ने का रास्ता बता दिया। किसानों का संगठन अखबारों से जमींदारों की जालिमाना हरकतों का प्रचार, कम-से-कम पचास वालंटियरों की बहाली, बीस-पच्चीस मन अनाज और सौठों रुपया, इलाके भर के किसानों की एक मीटिंग...।” (वही, पृ० 162)

अतः संघर्ष का आह्वान सामूहिक स्तर पर खेती की लड़ाई के लिए होता है। महपूरा के किसान जालिम जमींदार के खिलाफ अपना साहस बटोरकर मैदान में उतर आते हैं—

“उस जालिम जमींदार का मुकाबला अकेले तो कोई नहीं कर सकता था? उसकी पीठ पर धाने के दारोगा साहब थे, दरभंगा के कलक्टर साहब थे, इलाके भर के जमींदार, पण्डित और मौलवी सब खान बहादुर के पक्ष में थे। पश्चिम के दस लठैत जवान नेपाल के पांच खुखरी बहादुर...बड़ा ताकतवर था खान बहादुर। अकेले कौन उससे भिड़ता? लेकिन सौठों साली लाठी एक जगह ही जायें तो उसका एक भारी बोझ बन जाता है। अपनी-अपनी धरती के लिए किसान एक होने लगे...रैयत लोगों ने तय कर लिया था कि लाश गिरे तो गिरे मगर अपने खेत दूसरों के दखल में नहीं जाने देंगे।” (वही, पृ० 162-63)

किसान सभा का आयोजन डॉ० रहमान महपूरा गांव में किसान संघर्ष के लिए करते हैं। किसानों के ऊपर होने वाले जुल्म को वे सोशलिस्ट भाइयों के विचारों से स्पष्ट करते हैं—

“कांग्रेस आपका दुःख-दर्द क्या समझेगी, वह खादी पहनकर और गले में माला डालकर जमींदारों को जेल भेजने का नाटक करती है। पीछे जेल से निकले वही जमींदार कांग्रेसी आप लोगों को शांति और सन्तोष का सबक सिखाते फिरते हैं...खबरदार भाइयो...आप अकेले नहीं हैं, करोड़ों की तादाद है आपकी। आप जब उठ खड़े होंगे

और एक कण्ठ होकर हुंकार करेंगे तो जानिम जमींदारों का फलेजा दहलाने लगेगा। वे हैं ही किन्तु दात में नमक के बराबर... मंगलिन होकर एक हो जाइए। जान जाए तो जाए मगर जमीन नहीं छोड़िए और अदालत-कचहरी के इर्द-गिर्द कभी मत जाइए... धान बहादुर हो चाहे महाराज बहादुर कोई आपका हक नहीं छीन पायेगा। आप अपनी ताकत को पहचानिए। बोलिए सब मिलकर इन्कलाब।" (वही, पृ० 167-68)

महपुरा में होनेवाली इस किसान सभा ने फूम में चिनगारी का काम किया। आस-पास के गांव और किमान अपने गिरहवान में हाककर अपना अस्तित्व पहचानने लगे। आम-पास के मालिक लोग जो किसानों से अनाज का ड्योड़ा-सवामा घमराज की तरह वसूलते थे अब उनके भी पैरों की मिट्टी सरकने लगी। बलचनमा भी अपने गांव रामपुरा में महपुरा जमींदार की खिलाफत के देखा-देखी संघर्ष के लिए उठ खड़ा हुआ। बलचनमा का खेत उसकी नाबालिगी में मछिने मालिक ने अपने कसमी बाग के लिए पहले ही हड़प लिया था। अन्य छोटे-छोटे किसानों की किमनई को भी वे अब निगलने लगे थे। क्योंकि महपुरा गांव इलाके भर के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा था। गांव के तमाम लोग अब संघर्ष के लिए उत्तारू हो गए। उन्होंने तय कर लिया था कि अब और बिता-भर भी जमीन मालिकों को नहीं हड़पने दी जायेगी। और डमका बिम्फोट हुआ नब्बे बीघा जमीन पर जिस पर सैकड़ों वर्षों से गांव के तीस किसान (मुसलमान, खाला और केवट) खेती करते चले आ रहे हैं उसे मालिक के परदादा ने चानाकी से अपने नाम चढा लिया था। बीघों किसानों के नाम अचानक अदालत का सम्मन चार माल की मालगुजारी बकाया वसूल होने के कारण आ जाता है। (वही, पृ० 184) यह मछिने मालिक की बुद्धि की उपज थी। स्थिति यह थी कि किमान प्रतिवर्ष मालगुजारी चुकाते चले आ रहे थे। सम्मन से किसानों में भय का वातावरण नहीं बनता बल्कि महपुरा के गांव का समूचा दृश्य सामने आता है जिसमें किसानों और जमींदारों की फसल की छोना-झपटी में एक किमान ने जान दे दी थी। दफा एक सौ चवालीस तोड़ने पर दो-ढाई दर्जन किसानों की गिरफ्तारी होने पर भी फसल किसानों को ही मिली थी।

अतः पूरा गांव किसान सभा की सदस्यता को लेकर संघर्ष को आगे बढ़ाता है। चेतना से आत्मीय जुड़ाव होने के कारण ही मनिमर चाचा से लेकर शेख अब्दुला तक, ताराचन्द बाबू से लेकर तीरी अमात तक और फूदन मिमिर की विधवा मुसम्मात से लेकर हमीदा, कुंती आदि तक किसान सभा के इकग्निया नम्बर बन जाते हैं। यह सब मालिक लोगों के शोषण का ही परिणाम है जिनके सूद-दर-सूद के लपेटे में सारे गांव की जनता तबाह हो जाती थी। एक रुपया साल भर में डेढ़ रुपया, और एक मन धान डेढ़ मन हो जाता था। अतः वे बड़े धैर्य और साहस से काम लेते हैं। संघर्ष की रणनीति बलचनमा के नेतृत्व में तय होती है। डॉ० रहमान महपुरा से आ जाते हैं। रामपुरा के सभी किसान जमीन न छोड़ने की फसम लेते हैं और महपुरा गांव के आंदोलन की कमजोरी आदि को दुर्लक्ष करते हुए बलचनमा अपने संगठन को दृढ़ करता है—

"जमींदार और सरकारी अफसर दुरजोधन ठहरे उनको खुधिस्ठर नहीं पस्त कर सकने भीया। पिटाई पर पिटाई खाला और भेड़-बकरी की तरह पकड़ा कर जेल चले

जाना बहादुरी नहीं है। ऐसी सिधाई से पूजा तुम्हारी हो तो जमीन मुई की नोक भर भी नहीं मिलने की हां।” (वही, पृ० 185)

हडपी हुई जमीन को वापस दिलाने के लिए गांव में ‘किसान सभा’ का आयोजन करना मजदूरी और किसानों की मधपर्शीलता का परिणाम है। किसान अपने अधिकार को अच्छी तरह पहचान गए हैं। अतः वे समाजवादी नेतृत्व से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। कॉमरेड शर्मा जी के शब्द उनके कानों में गूजते रहते हैं—

“जमींदार बड़ा पपंची, बड़ा जालिम होता है। अउअल तो पहले वह तुम्हारे अन्दर आपस में फूट डालने की कोशिश करता होगा, नहीं, तुम सभी एक ओर मजबूत होकर अपनी जमीन पर डटे ही रह गए तो वह पैसे के बल में तंग करेगा, अफसरो से मिलकर वह तुम लोगों को जेल भेजने की कोशिश करेगा—मगर खबरदार अपने खेतों से न हटना—पुलिस और हाकिमों से साफ कह देना कि इन्ही खेतों को जेल बना दीजिए, हम पडे रहेगे मानेंगे नहीं—सैकड़ों आदमियों को ले जाने के लिए हजारों सिपाही और पचीसों लारियां चाहिए—फिर देखना कौन तुम लोगों को कहां ले जाता है। अगर तुमने मेरी यह बातें मान ली और डटे रहने का निश्चय कर लिया तो फिर तुम्हारे खेतों पर से तुम्हें हटाने वाली कोई ताकत इस दुनिया में नहीं है।” (वही, पृ० 169)

इसीलिए मालिक लोगों के लाख प्रलोभनों और दबावों के बावजूद भी किसानों में फूट नहीं पड सकी। वल्ली बाबू जैसे बड़े किमान भी जमींदार का साथ दे रहे थे। मालिक ने सरकारी अफसरो की छत्रछाया में मिलिटरी वालों से झगडे वाली जमीन कटवा ली।

बलचनमा को बार-बार उसके जान-माल की धमकी दी जाती है। स्वयं छोटी मलिकाइन बलचनमा की मा और पत्नी को बुलाकर सीधे-सीधे कह भी देती है— बलचनमा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो घर फुकवा दूंगी। यद्यपि बलचनमा की अब घर-गिरस्ती और अठारह महीने की बिटिया, बृद्धा मां, जवान पत्नी हैं। परन्तु वह घुसकर तमाशा देख रहा था। वह धमकियों और चुनौतियों से और अधिक उग्र हो जाता है। उसकी गतिविधियां दिनोदिन बढ़ती जाती हैं। पार्टी आश्रम में आवाजाही और सोना-वैठना बढ़ता चला गया। और अन्त में एक दिन उसकी मौत का कारण यही गांव की राजनीति में सक्रिय भाग लेना होता है। जमींदार के पालतू गुण्डे रात में उसका फल कर देते हैं। परन्तु बलचनमा अपने पीछे वसीहत के नाम पर कुछ छोडकर जाता है जो आगामी पीढ़ी का दिशा-निर्देश करते हैं—

“कमाने वाला खायेगा इसके चलते जो कुछ हो—धरती किसकी—जाते दौड़े उसकी। किसान की आजादी आममान से उतर कर नहीं आयेगी वह परगट होगी नीचे जुती धरती के भुरभुरे ढेलों को फोड़कर...” (वही, पृ० 192)

बलचनमा का यह किमान संघर्ष आजादी से पूर्व की अवस्था का है जबकि वह हर तरफ से अकेला है। आंदोलन में बड़े लोग, सरकार में जमींदार और अफसरो में बड़े घरों के बेटे हैं जोकि उस और उसकी बिरादरी के लोगों की परछाईं तक से घृणा करते हैं परन्तु बलचनमा अपने साहस और विश्वास के साथ किमान सभा का आश्रय लेकर

“और तेरी यह आजाद सरकार इन सामंती धर्मियों को ज्यादा-से-ज्यादा हरजाना देने की तिकड़म भिटा रही है। व्यक्तिगत सम्पत्ति के बाजब हकों का दायरा बेहद बढ़ाकर जमींदारी प्रथा का यह जो नकली श्राद्ध काप्रेमी लोग कर रहे हैं, क्या नतीजा निकलेगा उमका ?” (बाबा बटेसरनाथ, पृ० 33)

इसलिए जमींदार वर्ग कभी घाटे में नहीं रहा। उसके राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल होने का उद्देश्य ही यही था। यही कारण था कि उसने आन्दोलन के नाम पर विदेशी सत्ता की तमाम यातनाएं सही। और मध्यवर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों को सहज सघर्ष के लिए यह कहकर कि आजाद भारत में सबका भाग्य चमकेगा जैसे स्लोपिंग फिल्म देकर उनकी कुर्यानी देता गया। अतः सरकार बनी तो वह फिर शासक बना और उमने तमाम व्यवस्थाएं अपने घर और वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षित रखी।

जमींदार उन्मूलन में फाजिल जमीन जो कि जमींदारों के नाम बाग, चरागाह, पोखर आदि के नाम से थी अब वह सार्वजनिक करार दी गई। परन्तु जमींदार कब चुप बैठता उमकी पृनी निगाह इन्हीं उपयोग की जमीनों पर आकर टिक गई। बरगद बाबा मुनाते हैं—

“भागते भूत की लंगोटी भली। जाते-जाते ये जमींदार सार्वजनिक उपयोग की इस भूमि को भी बेचे जा रहे थे। पता है तुझे ? इम जमीन की कितनी कीमत मिली है उन्हें ? दो सौ रुपये।” (वही, पृ० 12)

अतः यह वह सिलसिला है जिसने ग्रामीणों को अपने लुटते हुए अधिकारों के प्रति सचेत किया है। वे इम जमींदार के खिलाफ सिर उठाते हैं जिसका स्वतंत्रता पूर्व बहुत भारी आतंक था। यातनाएं कितने तरह से दी जाती हैं दिन-रात उनकी अकल इसी में लगी रहती थी।

नागार्जुन के चिंतन का व्यापक फलक है। वे संघर्ष के मुद्दों का बुनियादी सूत्र तलाश करते हैं। उन्होंने किसान के शोषको की बड़ी गहराई से पहचान की है। उन्होंने किसानों के दुश्मनों की देख-देख कर फहरिस्त तैयार की है। गांव में जमींदार के साथ-साथ उभरने वाला बड़ा भूस्वामी भी छोटे किसानों और मजदूरों का घातक शत्रु है। यह ‘नया भूस्वामी’ मध्यम दर्जे की औकात को अब्बरा दर्जे की बनाने के लिए जमींदारों से सांठ-गाठ कर किसानों के शोषक के रूप में उसकी बड़ी घातक भूमिका के साथ उभरा है। बाबा बटेसरनाथ में रूपउली गांव के अन्दर जयनारायण शा और टुमाई पाठक इसी वर्ग के प्रतिनिधि हैं। बड़ा जमींदार इन्हें ही कवच के रूप में इस्तेमाल करता है इस तरह जनता के तिहरे शोषक की गति और तेज होती है। इस वर्ग की बढ़ती हुई स्थिति पर नागार्जुन ने कहा है—

“टुमाई मैट्रिक फेल कर गया तब से कहीं बाहर नहीं गया। लोगों में फूट डालकर वह नया-नया प्रपंच रचने लगा। यह व्यवसाय उमके लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध हुआ।... पिछली दफा किसानों में उभार आई और जमींदार घबरा उठे। काप्रेस वालों की पहली मिनिस्ट्री का जमाना था। मगर उस संघर्ष से ज्यादा फायदा किसने उठाया ? इसी सियार ने उस आन्दोलन का सर्वाधिक लाभ हासिल किया। सोने के

टुनाई से पाँच बीघा धर-हर-घेत सिर्फ़ ढाई-सौ नगद देकर टुनाई पाठकने राजा बहादुर से लिखवा लिये । तीन पुस्त की अपनी सारी कमाई सगावर भी ऐसी जायदाद उसकी जितनी मामूली हैसियत वाला भला कहां कर सकेगा ? ऐसा है यह जालिम जैनरायन की भी जीम अब काफी निकल आई है—चार वर्ष जमातपुर, छः वर्ष मुगलसराय और पच्चीस वर्ष इसाहाबाद रह कर जैनरायन ने रेलवे में काफी रकम बनाई । अब पेंशन क्या पा रहा है । टुनाई पाठक की भागिर्दी कर रहा है; दोनों सुखी हैं, दोनों सम्पन्न हैं, दोनों के लड़के खपपा पीट रहे हैं, पर छछूंदर का दिल पाया है गधों ने । देख ही रहा है बेटा, कैसे दुर्दगा करा रहे हैं अपनी, इनका नाम से-लेकर लोग कितना धूकते हैं—” (वही, पृ० 13)

अतः यह वर्ग जमींदारों का पिछलगू बनकर उनसे अपना मतलब निकालता रहा । ग्राम विकास की ओर इसका कोई ध्यान नहीं था । वह जमींदार के शोषण और स्वार्थ में सदैव साध रहा । बाबा बटेसरनाथ के जैनरायन और टुनाई भी उन्हीं के परिवारी हैं—

“पिछले वर्ष की बात है । जमींदारी उन्मूलन शुरू किया सरकार ने जमींदार तो पहले से ही चौकस थे । अब उन्होंने सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को चुपके-चुपके बेचना आरम्भ कर दिया । सालची कितान दो-चार दस-पांच किस गांव में नहीं होते ! टुनाई पाठक और जैनरायन सा ने राजा बहादुर से बरगद वाली यह जमीन और उधर वाली पुरानी पोखर चुपचाप बन्दोबस्त में ले ली । गांव वालों को मालूम हुआ तो वे क्रोध और घृणा से सुलगने लगे—“गांव के दो-तीन जवान थाना-अदालत कचहरी से लेकर कांग्रेस कमेटी असेम्बली, पार्लियामेंट के प्रमुखों तक दौड़-धूप करने लगे ।” (वही, पृ०, 6-7)

बाबा बटेसर इस अन्याय को संघर्ष के माध्यम से ध्वस्त करना चाहते हैं वे आगामी भविष्य का संकेत देते हुए जैकिसन से कहते हैं—

“भविष्य तैरे जैमे तरुणों के हाथों में है—आज के ये राजा बहादुर सार्वजनिक उपयोग की भूमि, पोखर, चरागाह, श्मशान बर्गरह चोरों की तरह चुपके-चुपके बेच रहे हैं । इतना बड़ा अन्याय अब दुनिया योंही बरदाश्त कर लेगी बेटा ! नहीं रे हरगिज नहीं ।” (वही, पृ० 43)

अतः बटेसर की प्रेरणा से जैकिसन और जीवनाथ आदि रुपउली के युवक जैनरायन सा और टुनाई पाठक के खिलाफ जिहाद छेड़ देते हैं । इसीलिए इन पर एक बौद्ध चमार की जिसे इन्ही हत्यारों ने मारा था झूठा मुकदमा चलाकर जेल भेज देते हैं । परन्तु उससे ग्रामीण चेतना पर कोई असर नहीं पड़ता । एक ओर उनकी जमानत की तैयारी है तो दूसरी ओर बट-वृद्ध को बचाने के लिए प्रयत्नशील युवा वर्ग तैयार हो रहा है—

“मदं चुप नहीं बैठे थे । एक तरफ़ हाजतियों की जमानत के लिए दौड़धूप जारी थी, दूसरी तरफ़, बेदखली के खिलाफ़ प्रतिरोध आन्दोलन संगठित हो रहा था । ऊपर-ऊपर मामला ठण्डा दीखता था मगर अन्दर-ही-अन्दर दोनों ओर संघर्ष की तैयारियां चालू

थी।" (वही, पृ० 113)

अन्त में दयानाथ जैनरायन और पाठक का पोखरवाली जमीन पर हल नहीं चलने देता उसमें पूरे गांव के दवे हुए लोग उसे समर्थन देते हैं। सभी लोग उसका समर्थन करते हैं—

“जोरो की आवाज आयी उसी भीड़ के अन्दर से। दयानाथ ने देखा सभी तरह के लोग हैं, इनमें पण्डित शशिनाथ ठाकुर हैं, हाजी करीम वक्श हैं, मोसम्मात झुनिया है, अहीरों की विरादरी के गोनउड़ महतो और सहदेव राउत हैं, भुट्टू पासवान हैं, विजय बहादुर सिंह सिसोदिया है, अहमदअली जोलाहा हैं। डोलिया है अचकमनि मोसम्मात हैं—कौन नहीं है।” (वही, पृ० 116-17)

इस तरह किसानों को पहली सफलता जालिम जमींदार के खिलाफ संघर्ष से मिलती है। वे पोखर को उनके चुगल से निकलवाकर गाव की सार्वजनिक सम्पत्ति बना देते हैं। वे गाव में किसान सभा और नौजवान संघ बनाकर गाव की खुशहाली बढ़ा देते हैं और गांव में रजवाघ पर नयी चेतना के रूप में बरगद का नया पौधा लाकर लगा दिया जाता है। ग्राम समाज की खुशहाली के प्रतीक के रूप में पत्ताका के ऊपर मिन्दूरी अक्षरो में—

स्वाधीनता

शान्ति

प्रगति

लिखकर किसानों का नया जीवन प्रारम्भ होता है।

‘वरुण के बेटे’ उपन्यास में मछुओं के जीवन में शान्ति की सुमधुर स्वर है। देपुरा के मैथिल जमींदार मलाही गोडियारी पर शासन करत आय है। परन्तु जमींदारी खत्म होने पर वे लगान या मालगुजारी वसूलने से पृथक कर दिये जाते हैं। परन्तु विरासत में उन्हें जो कुछ मिलता है—

“व्यक्तिगत जोत की जमीन बाग-बगीचे, कुआ, चमच्चा और पोखर, देवी-देवता के नाम चढ़ी हुई जायदाद, चरागाह, परती-परांत, नदियों के पाट और तटवर्ती भूमि जैसी कुछ अचल संपत्तियों के मामले में जमींदारी उन्मूलन कानून ने भूस्वामियों को खुली छूट दे दी। नतीजा यह हुआ कि पोखरो और चरागाहो तक को वे चुपके-चुपके बेचने लगे—आग लगेते झोंपड़ी जो निकले सो लाभ।” (पृ० 29)

क्योंकि गढ़पोखर मछुओं के मुंह का कौर है। मछली व्यवसाय से वे अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। उनका पूरा भविष्य गढ़पोखर के साथ ही जुड़ा हुआ है। मोहन मांशी की तमाम आगामी आशाएं और ग्राम विकास की योजनाएं गढ़पोखर से जुड़ी हैं वह मलाही गोडियारी में अपनी कल्पना को साकार करना चाहता है—

“मोहन मांशी के स्वप्न थे कि गढ़पोखर का जीर्णोद्धार होगा आगे चलकर और तब मलाही गोडियारी के ये ग्रामाचल मछली पालन व्यवसाय का आधुनिकतम केन्द्र हो जायेगे। वैज्ञानिक प्रणाली से यहाँ मछलियां पाली जायेंगी। पूस में लेकर जेट तक प्रतिवर्ष अच्छी-से-अच्छी मछलियां अधिक-से-अधिक परिणाम में हम निकाल सकेंगे। एक-एक

सीजन में पचास-पचास हजार रूपयों तक की आमदनी होगी। मलाही गोढ़ियारी का एक-एक परिवार गढ़पोखर की बसौलत सुखी-संपन्न हो जायेगा। विशाल जलाशय की इन कछारों में हम किस्म-किस्म के कमलों और कुजुदिल्यों की खेती करेंगे। पक्की ऊँची भिड़ो पर इकतल्ना सेनिटोरियम बनेगा फिर दूर-पास के विद्यार्थी आ-आकर यहाँ छुट्टियाँ मनाया करेंगे।" (वही, पृ० 30)

परन्तु दूर देवपुरा में बैठा जमींदार मोहन मांझी के इस सपने पर पानी फेर देता है, वह गढ़पोखर बेच कर उसकी रकम हजम कर जाता है। जब इसकी खबर मछुआ टोले में लगती है तो वे क्रोध से मुलंग उठते हैं। उनके जीवन और मरण का प्रश्न गढ़पोखर ही हल करता आया है। अतः गढ़पोखर का विकना वे कभी भी स्वीकार नहीं करते, वे संघर्ष के लिए उतारू हैं—

"यह पानी सदा से हमारा रहा है, किसी भी हालत में हम इसे छोड़ नहीं सकते। पानी और माटी न कभी बिके हैं न कभी बिकेंगे। गढ़पोखर का पानी मामूली पानी नहीं, वह तो हमारे शरीर का लहू है। जिन्दगी का निचोड़ है।" (वही, पृ० 31)

वास्तव में उनकी पूरी जिन्दगी इसी गढ़पोखर पर आधारित है। जाड़े, गरमी और बरसात तथा टिटुरती सर्दों के दिन इसी गढ़पोखर से कटते थे। मछुए अपनी रोजी पर चोट आती देखकर तिलमिला उठते हैं। वे समवेत स्वर में गढ़पोखर को न छोड़ने का निर्णय लेते हैं—

"सभी एक मत थे कि छोड़ा नहीं जाये। गढ़पोखर पर हमेशा अपना अधिकार रहा है। जमींदार जल-कर लेता था, हम देते थे। नया खरीददार दूसरे-तीसरे गाव के मछुओं को मछलियाँ निकालने का ठेका देता चलेगा और हम अपने पुश्तैनी अधिकारों से वंचित होकर फिरेंगे, भला यह भी क्या मानने की बात है।" (वही, पृ० 31-32)

इन मछेरों में गजब की चेतना है। वे अपने संघ का संबंध किसान सभा से जोड़ लेते हैं। उन्हें ज्ञात है कि मजदूर, गरीबों, शोषित किसानों का भला अब वे अपने आप ही तलाशेंगे। उन्हें अपने संगठनों के बलबूते पर ही इस भ्रष्ट समाज को गिराना है। मोहन मांझी स्वतन्त्रता आन्दोलन में कई बार जेल जा चुका है। वह संघर्ष के माध्यम से अन्याय का विरोध करना जानता है। अतः वह किसी भी कीमत पर गढ़पोखर को मछेरों के हाथ से नहीं निकलने देना चाहता। कानूनी और आधिकारिक बातें कर गढ़पोखर पर मछेरों का पुश्तैनी हक मानता है। किसान सभा का अधिवेशन बुलाकर उसके द्वारा मछेरो की पीठ पुरुता कर दी जाती है—

"एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा गढ़पोखर के तथाकथित नए मालिकों को यानी सतघरा के जमींदारों को सम्मेलन ने आगाह किया था कि वे युग की आवाज को अनसुनी न करें, मलाही गोढ़ियारी के मछुओं को गढ़पोखर से मछलियाँ निकालने के पुश्तैनी हक से वंचित करने की कोई उनकी साजिश कामयाब नहीं होगी। रोजी-रोटी के अपने साधनों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मछुए असहाय नहीं हैं, उन्हें आम किसानों और खेत-मजदूरों का सक्रिय समर्थन प्राप्त होगा।" (वही, पृ० 107)

यद्यपि जालिम जमींदार की जड़ें बड़ी गहरी थीं उसके साथ शासक दल का

पुराना नेता तथा पटना, दिल्ली और जिला केन्द्र लदेरिया सराय के बड़े अधिकारियों से भी उसकी मिलीभगत थी, पुलिस इन्स्पेक्टर और अंचलाधिकारी को उन्होंने जाकर लालच दिया था। परन्तु जन-आक्रोश के सामने सब कुछ धराशायी हो जाता है। मछरे अब आजाद भारत के मछरे हैं वे जमींदार के नाम तक से चिढ़ते हैं—

“गढ़पोखर के वास्तविक नए मालिक तो हमारी सरकार थी—जमींदारी उन्मूलन के बाद देपुरा वालो का कोई हक नहीं रह गया था गढ़पोखर पर, यह विशाल जन-सम्पत्ति अब जनता की थी।” (वही, पृ० 113-114)

वे शासन के आतंक से चिढ़ते हैं। मिलिटरी के डराने-धमकाने तक से नहीं मानते, मधुरी खुरखुन की बेटी, बेटी नहीं बेटी है। वह भी मछरो के इस संघर्ष में कूद पड़ती है। वह आगे बढ़कर गिरफ्तारी देती है परन्तु अपनी गढ़पोखर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मछुआ संगठन अब किसी की भी परवाह नहीं करेगा—

“मछुओं का संगठन तय कर चुका था कि किसी भी स्थिति में घुटने नहीं टेकेंगे। सतघरा वालों का नया प्रभुत्व गैर कानूनी है, सर्वथा गलत है, वे पोखर की सीमाओं के अन्दर उन्हें घुसने नहीं देंगे।” (वही, पृ० 114)

और पूरा-का-पूरा मछुआ संघ मधुरी के साथ गिरफ्तारी देता है—

“मधुरी ने आगे बढ़कर नकछेदी का हाथ पकड़ा और खीचती हुई बोली—काका देखते क्या हो? चलो हम टरक पर सवार हो जाएं आप ही चलकर—पल भर की देर नहीं हुई कि फुर्ती से जाकर वह पुलिस-वान पर सवार हो गई, मंगल उछलकर चढ़ गया फिर जलसर और कन्हाई।” (वही, पृ० 115)

मधुरी संघर्ष की चेतावनी देती हुई बेंच से उठकर खड़ी हो जाती है और पुलिस-वान की लटकती जजीर पकड़ कर हाथ घुमाती हुई जनक्रान्ति का नारा लगाती हुई— ‘इन्कलाव जिन्दाबाद’—मछुआ संघ जिन्दाबाद...हक की लड़ाई...जीतेंगे, जीतेंगे! गढ़पोखर हमारा है।...मजदूरों को एक दिशा देती है। डा० ‘मेघ’ उसकी इसी भूमिका को नारी चेतना का क्रान्तिकारी सोपान मानते हैं—

“वह सच्ची वरुण की बेटी है और खुरखुन के लिए तो वह लडकी न होकर लडका है—नैतिकता की जंग लगी जंजीरों को तोड़ देने के बाद उसका सामाजिक व्यक्तित्व उभरता है! वह बाढ़-पीड़ित कैम्प में लगन के साथ जन-सेवा करती है, मछुआ संघ का संगठन करती है, किसान सभा की संगठनकर्त्री है तथा सर्वाधिक साहसी होकर सबसे पहले हंसते हुए गिरफ्तार होती है।” (क्योंकि समय एक शब्द है, पृ० 301-302)

इस तरह मछुआ संगठन अपने गढ़पोखर के लिए जमींदार के सामने सिर नहीं झुकाता। वह गिड़गिड़ाकर-रिरियाकर नहीं अपितु सीना तानकर गिरफ्तार होता हुआ उस पर अपना पुश्तैनी हक कायम करता है। यह स्वतन्त्र भारत के निम्नवर्गीय समाज में आई अभूतपूर्व चेतना है। उन्होंने अपने अधिकार और साहस को पहचान कर यह कदम रखा है।

पूँजीपति और मजदूर-संघर्ष

पूँजीपति का आर्थिक स्तर मजदूर की खून-पसीने की कमाई पर फलता-फूलता है। मजदूर दिन-रात कड़ी मेहनत करके उसके कल-कारखानों और उद्योगों तथा खेतों में काम करता हुआ दो जून की रोटी के लिए हर रोज खटता रहता है। लेकिन संयोग है कि उसके साथ प्रतिदिन अमानवीय घटनाएं घटती रहती हैं। मालिक लोगों की फटकार से उसकी जिन्दगी की परिवारिश होती है। कर्ज, महंगाई और बेकारी उसकी कमर तोड़-तोड़कर उसे अधमरा कर देती है।

परन्तु स्वतन्त्रता के बाद देश में उन्हें एक वैचारिक मंच मजदूर यूनियन के नाम से मिला है। वे मालिक अथवा पूँजीपति के शासकीय हथकण्डे का मुकाबला करने के लिए अपने सगठन का सहारा लेते हैं। हड़ताल, अनशन और धरनों के माध्यम से वे अपनी मजदूरी और बेहतर हालत के अधिकार के लिए कल-कारखानेदारों से लड़ते हैं। मार्क्स और लेनिन आज उनके लिए अंधेरे में दीपक की तरह हैं जिनके माध्यम से वे अपना रास्ता तय करते हैं।

नागार्जुन ने मजदूरों के शोषण की कहानी खेत और बाजारों में अधिक दिखाई है। फर्ज और गुलामी की लपेट में लगा मजदूर गाव में बड़े भूस्वामी और जमींदार के यहाँ खटता है तथा महंगाई और बेकारी की मार खाकर वह शहर में कारखाने अथवा दुकानों पर मारा-मारा फिरता है।

गरीबी में मजदूर का जमींदार और साहूकार किस तरह गला रेत-रेत कर औकात वाले बनते हैं 'बलचनमा' में दर्शनीय है। देश-सेवा का नाटक करने वाले फूलबाबू के पिताश्री ने मजदूरों की नाक में ऐसी मकेल डाली है कि उनकी गर्दन सीधी नहीं रह पाती—

“सौ कसाई के एक कसाई, न लडके का मोह न लडकी का, न भाई का मोह न बहन का, न बाप का मोह न माया का ! हाय रुपैया ! जब देखो तब रुपैया !—खेती गृहस्थी के अलावे सूद-ब्याज पर दस-बीस हजार की बसूल-तहसील थी उनके हाथों में। आस-पास के इलाकों से दुसाध मुसहर, चमार, खतबे, पासी, चुनिया, जुलाहा लोगों की बस्तियाँ थीं। मुसीबत के मारे खेत-मजदूर, आजकल भी पेट बेचते फिरते हैं। और भइया, उन दिनों भी इनका यही हाल था। फूलबाबू के बाप इन्ही गरीबों की जमीन-जायदाद हड़प-हड़प कर औकात वाले बने थे—चार-चार, आठ-आठ, दस-दस रुपैया देकर वह ऐसे नपान नापते थे लोगों को कि मरने पर भी बेचारों को छुटकारा नहीं। छोटी जाति वाले जन-बनिहारों के पास होता ही क्या ? बहुत हुआ तो दो-चार धुर की डीह, दो-एक महुँया, एकाध बकरी-वाछी। मगर भैया, इन कसाइयों के चलते बिचारों के पास यह सब भी नहीं रह पाता। नीलाम करा लेते हैं। कुर्क हो जाती है। अदालत उनकी, हाकिम उनका, थाना दरोगा उनका, पुलिस उनकी गरीबों के लिए सिवाय लात-जूता के और है ही क्या ?” (पृ० 50-51)

खेत-मजदूर अपने मालिक के यहां खेती-किसनई का काम कर अपनी दरगुजर करते हैं। 'बलचनमा' उपन्यास के सभी मजदूर, खेत-मजदूर, भूमिहीन और कर्ज की लपेट से मारे हुए हैं। वे अपना पेट भरने के लिए मालिक लोगों की झोंड़ियों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी से लगे चले आ रहे हैं। उन्हें दिन-रात अमानवीय यातनाएं मिलते हुए भी वे उसी परिवार से संयुक्त हैं। उससे अलग हटकर रहने में उनकी दरगुजर नहीं है। बलचनमा स्वयं कहता है—

“लेकिन मैं तो सिर्फ चरवाहा ही नहीं था उनका बहिया (पुश्तनी गुलाम) भी था। मेरी हड्डी, नस-नस और रोएं-रोएं पर उनका मौहसी हक था। पोसने-पालने, सड़ाने-गलाने और मारने-पीटने का भी उन्हें पूरा हक था।” (वही, पृ० 17)

यद्यपि मजदूर, तीरी अमात, फूदन मिमिर, करीम बक्क, रामखिलोना, ऊपलाल, मोसम्मात हमीदा, शेख अब्दुल, बट्टू चमार, कुन्ती, मनीयर चाचा आदि ऐसे ही मजदूर हैं जो कि मालिक लोगों के यहां मजदूरी कर पेट भरते हैं। क्योंकि बलचनमा के गांवों में कल-कारखाने नहीं हैं इसलिए उनका जीवन खेती पर आधारित है। वे वही अपने बेहतर जिन्दगी के लिए किसान सभा का चंदा देकर जमींदारों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। उनकी असल समस्या भूमिहीनत्व है अतः वे 'जमीन किसकी जोते-बोए उसकी' चेतना के साथ आगे आते हैं।

गरीब की मजदूरी के शोषण की हर कहानी नयी होती है। वह बड़े बाबुओं और मालिकों पर बड़ा भरोसा करता है। लेकिन ये धिसे घाघ उसे मजदूरी देने के नाम पर आजकल-आजकल करते हुए अदृश्य हो जाते हैं और उधार खाकर मजदूर अपने कपड़े भी उधार में चुकता करके घर वापस आते हैं। यह बड़े-बड़े शहरो, कस्बों के ठेकेदारों की कहानी है। नागार्जुन 'वरुण के बेटे' में कोसी बांध की शोषण लीला का प्राकट्य टुन्नी नाम के मजदूर से कराते हैं। हर रोज नया ठेकेदार उसका नाम लिखता गया परन्तु मजदूरी का उसे छदाम तक नहीं मिल सका—

“भूजा फरही की पोटली बांधकर कोसी किनारे गया मैं इसलिए कि दस रोज बांध की मजदूरी करूंगा। खाना-खेवा निकालकर कम-से-कम अठारह आना, बीस आना रोज तो बचा ही लूंगा। चार-छह जून साथ के दाने चवा-चबूकर भूख को ठगता रहा, फिर उधार की खिचड़ी चलने लगी! पहली बार जिस बाबू ने नाम लिखा, वह दूसरी बार नहीं मिला। दूसरे दिन जो भाई काम लेने आये, दो रोज बाद उनका भी पता नहीं। मिट्टी काटते-ढोते बारह दिन बीत गए छदाम का भी दर्शन नहीं हुआ। उधार खाते चावल-दाल-नमक-हल्दी-मिर्च-ईंधन देने वाला दुकानदार भला क्यों छोड़ने लगा? कुदाल रख ली, टोकरा रख लिया, घोती तक उतरवा ली। कमर से गमछा लपेटे दो दिन, दो रात का भूखा मैं घर लौट आया हूँ”—इतना कहकर टुन्नी ने लम्बी सास ली और धरती छूकर दोनों कान छू लिये। (पृ० 40-41)

यह अकेले टुन्नी का आत्म-कथन और परिस्थिति नहीं है यह उस पूरे तबके का हाल है जो अपना पेट बांधकर सुबह से शाम तक बड़ी मेहनत करते हुए ठेकेदारों के मुहताज रहते हैं और उनके पल्ले छदाम भी नहीं पड़ता—

“टुन्नी की यह व्याख्या क्या जहाँ सरकारी व्यवस्था पर ध्येय करती है वहाँ ग्राम-जीवन की उन परिस्थितियों की ओर भी संकेत करती है, जिसके कारण टुन्नी जैसे अनेक ग्रामीणों को रोजी-रोटी की तलाश में घर छोड़ना पड़ता है और अनेक यातनाओं से साक्षात्कार करना पड़ता है।” (ज्ञानचन्द्र गुप्त : स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना, पृ० 170)

‘बलचनमा’ तो गरीबी, कर्ज और गुलामी की कहानी में भरा हुआ है। उपन्यास के नायक ने होश संभालने में लेकर मरने तक कर्ज की ही लपट देखी है। अर्थात् भाव के कारण मालिक लोगों की जूठन खाकर, फेरन-फारन पहनकर उसके दिन गुजरते हैं। बलचनमा की मां रिरियाती हुई इस बात को अपनी मालकिन से कहती भी है—

“आ ही का तो आसरा है; नहीं तो हम गरीब जनमते ही बच्चों को नमक न चटा दें। अरे अपना जूठन खिलाकर, अपना फेरन-फारन पहनाकर ही तो हमारा पतंपाल करती हैं—दादी ने मलिकाइन के पैर पकड़ लिये—आजसे आप इस निभागे की मां-बाप हुई गिरहयनी ! आपका जूठन खाकर इसका भाग चमकेगा।” (पृ० 5)

बलचनमा उन सैकड़ों देहाती परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधि है जहाँ कभी तन ढकने को कपड़े नसीब नहीं होते। जाड़े की हर रात इनके लिए प्रलय की सूचक होती है। गुदड़ी-कथड़ी भी उनका साथ नहीं देती। वह ठण्ड से बचने के लिए मालिक लोगों के कोल्हू पर रात बिताने के लिए चल देता है—

“गांव के बाहर जाड़े के दिनों में हर साल मालिकों का कोल्हू गड़ता। उनके यहां गन्ने की खेती कम नहीं होती। मैं अपनी छोटी बहन को लेकर रात को कोल्हू-आड़ में ही ब्रिताया करता। गन्ना खा-खाकर पेट भर लेना और भट्टी की आंच से गरमाकर सो जाना ! डेढ़-दो महीने हर साल जाड़ो में हम ऐसा ही करते।” (वही, पृ० 12-13)

गरीब और अमीर कैसे जीवित रहते हैं। एक के स्वास्थ्य सूखने पर दूसरे का हरा बना रहना स्वाभाविक है। उच्च-वर्ग वह पौधा है जिसकी जड़ें सदैव निम्न में जमी रहती हैं। वह उसे चूस-चूमकर कांटा बना देता है। बलचनमा की स्थिति पर यह सहजोक्ति उस पूरी व्यवस्था पर दृष्टिपात करती है जिसमें यह बिरवा पनपता है—

“अच्छा तो भगवान् करते ही है ? चार परानी का परिवार छोड़कर मेरा बाप मर गया, यह भी भगवान् ने ठीक ही किया। भूख के मारे दादी और मां आम की गुठलियों का गूदा चूर-चूरकर फांकती थी, यह भी भगवान् ठीक करते थे। और मालिक लोग कनकजीर और तुलसीफूल के खुशबूदार भात, अरहर की दाल, परबल की तरकारी, घी, दही, चटनी खाते थे सो यह भी भगवान् की ही लीला थी।” (वही, पृ० 16)

इस तरह के तमाम मजदूर नागार्जुन के यहां किसान समा से जुड़कर अपने अधिकारों की मांग करते हैं। वे समवेत स्वर में अपने शोषकों की भर्त्सना कर अपनी बेहतर जिंदगी के लिए आवाज उठाते हैं।

‘जमनिया का बाबा’ के अन्दर कारखानेदार पूजोपति और मजदूरों का सीधा टकराव देखने को मिलता है। चीनी के कारखाने में काम करने वाले मजदूर अपनी मांग लान शण्डे के साथ मनवाते हैं—

“लाल झण्डे वाले जिद्दी होते हैं। झण्डा उठा लेंगे तो परेशान कर देंगे, मिन्य वालों की नाक का पानी निकाल देंगे।”

जमनिया मठ का बाबा चीनी के कारखाने के इन मजदूरों के संघर्ष को दाद देता है। वह देखता है कि संघर्ष के माध्यम से यह जेल में भी अपनी मांगों सरकार तक से मनवा लेते हैं यह मजदूर-एकता का परिणाम है—

“चीनी के कारखाने में लाल झण्डा वालों ने हड़ताल कर दी है। पचास-पचपन मजदूर पकड़े गए हैं। पिछली रात बड़ी देर तक नारे लगाते रहे। जेलर से लेकर मिनिस्टर तक को मुर्दा बनाया जाता रहा। नौजवानों के गले में जोर बहुत था, जेलर को बाधिर झुकना पड़ा। हड़ताली हवालातियों की मांग जेलर को मजूर करनी पड़ी। जमात में बड़ी ताकत होती है न? और कहीं उसके पीछे पढ़े-लिखे समझदार लोगों की मूझ-बूझ भी हुई तो फिर क्या कहना।” (जमनिया का बाबा, पृ० 14)

वास्तव में मजदूर-वर्ग को स्वस्थ दिशा-संकेत चाहिए वह इन चंद मुनाफाघोरों, शोपको और ठगों की नाक में नकेल डाल दे। उसकी एकता को यदि खण्डित न किया जाए तो मजदूर के बराबर दुनिया में किसी भी वर्ग की शक्ति नहीं है। जिस दिन यह हर स्तर पर काम करना बन्द कर देगा दुनिया में वेचैनी पैदा हो जाएगी। इसलिए उसे सफल नेतृत्व की अभिलाषा है जोकि धीरे-धीरे उसके वर्ग में पनप रही है।

राजनेता और उनकी अवसरवादिता

नागार्जुन ने वर्तमान राजनीति पर बड़े ही करारे वार किए हैं। सत्ता में चिपके लोगों को उन्होंने बड़े निकट में देखा है। देश-सेवा के नाम पर ये लोग सदैव ही परिवार की सेवा करते रहे हैं। इनके लिए राष्ट्र इनकी विरादरी, प्रांत इनका परिवार और क्षेत्र इनका अपना घर बना है। आम आदमी और गरीब इनको जिस आशा में अपना मत देकर आगे भेजता है यह उसे कभी लौटकर भी नहीं देखते।

आजकल की राजनीति एक नाटक के रूप में बदल गई है वह एक ऐसा तीर्थराज प्रयाग है कि उससे जुड़ते ही सभी पाप धुल जाते हैं। जातिवाद और भाई-भतीजावाद ने इसे और अधिक लोकप्रिय बनाया है।

आजादी के पूर्व की स्थिति पर बलचनमा फूलबाबू के अमेम्बली चुनाव पर वह दिव्यनी कर्ता है जोकि ऐतिहासिक है। नागार्जुन की यह दूरदृष्टिता आज वास्तव में खरी उतरी है। जातिवाद में मिर से पैर तक डूबा हुआ फूलबाबू अमेम्बली का मेम्बर बनने के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी है। बलचनमा क्षेत्र के भविष्य के बारे में अपनी भविष्य-वाणी पहले ही कर देता है—

“फूलबाबू भी मेम्बरी के लिए खड़े होंगे, कांग्रेस इसी इनाके के नोगों से बोट चलाकर फूलबाबू को अमेम्बली का मेम्बर बनाना चाहती है।—मेम्बर बन चुकने पर

हमारे छोटी मानिकाइन के यही भतीजा बाबू मिनिस्टर हो भी जाएं तब तो हुआ। भूचाल के बाद रिलीफ फण्ड का रुग्या लेकर यह बाबूसाहब हमारी बस्ती में जैसी खैरात बांट गये थे, तीसरे साल, सो तुम्हें बता ही चुका हूं भइयन, मेरे मेम्बर से तो हमारे इलाके का बंटोदार हो जायेगा। पानी में आग लग जायेगी—।” (बलचनमा, पृ० 181)

यह वह कांग्रेसी चरित्र है जिससे कोई भी ऐय नहीं छूटा। गरीब मजदूरों का रहनुमा यह उन्ही का गला रेतता रहा।

‘कुम्भीपाक’ में मिनिस्टर के चपरासी का कथन मन्त्रियों के तमाम कुकर्मों का उद्घाटन एक ही मांस में करता है। चपरासी दिन-रात अपनी आंखों से बंगले में होने वाले अनैतिक कार्यों की जानकारी रखकर ही यह बात कहता है—

“अभी तुम बच्चा हो.....अरे इन्ही कोठियों के अन्दर तो अन्याय पनाह लेता है आकर! सरकार अभी इन्ही कोठियों और बंगलों में कैद है, उसे तुम तक पहुंचने में दस-बीस वर्ष लग जायेंगे अभी।” (पृ० 38)

नागार्जुन ने आजादी से पहले और आजादी के बाद की नेताओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने राजनीति के खिलाड़ियों की भावना को बड़े करीने से अभिव्यक्त किया है—

“15 अगस्त 1947 से पहले का वह राजनीतिक मैदान बहुत बदल गया है। दाव-पेंच बदल गए हैं। बोली बदल गई है। इशारा बदल गया है। खिलाड़ियों की नीयत बदल गई है...पहले वाला वह लक्ष्य जाने किधर ओझल हो गया? उन दिनों राजनीतिक मैदान बिल्कुल मपाट था और आज? खाइयां हैं, टीले हैं, बालू है, दलदल है, दरारें हैं, जहरीली घास है, कंटोली झाड़-झखाड़ है...महाप्रभुओं का साथ देते रहोगे तो भौतिक लाभ जरूर होगा।” (वही, पृ० 81)

नागार्जुन का ‘अभिनंदन’ उपन्यास तो आधुनिक राजनीति का प्रामाणिक दस्तावेज है। भ्रष्ट मन्त्री सत्ता से चिपकने के लिए क्या नहीं करता, भ्रष्ट मन्त्री से चिपकने के लिए चापलूस कौन-सी कसर बाकी नहीं छोड़ते यह इस उपन्यास में देखा जा सकता है। माल मन्त्री बाबू नरपतिसिंह की हीरक-जयन्ती में उन्हें अभिनंदन-पत्र भेंट करने वाली समिति के तमाम मेम्बर छटे हुए घाघ हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार करने में कोई भी कसर उठाकर नहीं छोड़ी है। सभी व्यक्ति नैतिक-अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं।

अतः आम आदमी इन सफेदपोश डाकुओं की गिरफ्त में ही है उसे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा है। ‘बाबा बटेसरनाथ’ में दयानाथ देश की आजादी और नेताओं के बारे में साफ कहता है—

“...“आजादी! छिः! आजादी मिली है हमारे उग्रमोहन बाबू को, कुलानन्द दास को... कांग्रेस की टिकट पर जो भी चुने हुए हैं उन्हें मिली है आजादी! मिनिस्टरों को तो खैर ऊबे दर्जे की आजादी मिली है।...राजनीति गरीबों और भूखों के लिए नहीं हुआ करती वह तो खाते-पीते स्थानों की चौपड़ है।” (पृ० 110-111)

इस प्रकार साफ जाहिर होता है कि राजनीति का आधार दिन-पर-दिन बदलता जा रहा है। आज की राजनीति वास्तव में ही बड़े लोगों की रखैल की तरह है। नेता लोग

जनता को भ्रम में डालने के लिए चुनावों के समय बड़े जोर-शोर में कार्यक्रम और योजनाएँ पेश करते हैं। लेकिन उनके दर्शन चुनाव जीत जाने के बाद फिर शायद कभी नहीं होते। भारतीय राजनीति पर अवसरवादिता पूरी तरह हावी है।

सरकारी कर्मचारी और उनकी सार्वजनिक भूमिका

प्रशासनिक कार्यों में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश की बेहतर प्रशासन अथवा बदतर हान्यत करने में इन लोगों का सबसे अधिक उत्तरदायित्व होता है। नेता और मन्त्री केवल अस्थायी सरकार के नियामक होते हैं। नीति-निर्धारण और कार्यान्वयन में कर्मचारियों का बड़ा योगदान होता है।

सरकारी अफसर सरकारी प्रावधानों से चुने जाते हैं। वे जनता को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए सरकार में वेतन प्राप्त करते हैं। परन्तु इनका कार्य-व्यापार बड़ा ही दिल-चस्प होता है। भ्रष्ट अधिकारी सदैव अपराधी को सजा देने के बजाय उसकी श्रुब मदद करते हैं। पुलिस हिरामत से डकैतों का भाग जाना, जेल के अन्दर से कैदियों की फरारी उनके अकर्मण्यता का ही परिणाम है। पैसे वालों की पीठ इन्हीं लोगों से भारी रहती है। गरीब और सताया हुआ व्यक्ति न्याय की तलाश में जब इनके पास पहुँचता है तो उससे लात-जूते गाली-गलौज के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। उसके अपराध को लिखना तो दूर रहा उसकी सूरत तक उन्हें देखने में बुरी लगती है। इस रहस्य के पीछे उनकी बिगड़ी हुई नीयत है। उन्हें मुफ्त का धन चाहिए, काम-विपासा शांत करने के लिए दूसरी की बह और वेटिया चाहिए।" साथ ही सव्यसाची ने पुलिस के बारे में कहा है—

"सरकारी अफसरों और पुलिस के भ्रष्ट होने से आम जनता के लिए न्याय को भी असम्भव बना दिया है। रिश्वत के अलावा पुलिस द्वारा बलात्कार की घटनाएँ भी बढ़ती जा रही हैं।" (यह सब क्यों?, 1977, पृ० 12)

यह वास्तविकता है कि दैनिक-पत्रों का मुखपृष्ठ लगभग इन्हीं रंगे सियारों के खूनी घब्रों से भरा रहता है। रेप, मर्डर, डकैतों आदि आज की पत्रकारिता में प्रमुख स्थान पर छपती है। बलचनमा में नागार्जुन ने अपनी टिप्पणियों से सरकारी कर्मचारियों की सार्वजनिक भूमिका पर प्रकाश डाला है। बालचंद्र की बहन रेवती के साथ मालिक द्वारा किया गया बलात्कार का असफल प्रयास बालचंद्र के विरोध करने पर मालिक झूठी रिपोर्ट लिखाकर पुलिस के चंगुल में फँसा देता है। बलचनमा पर चोरी का इत्जाम लगाया जाता है। वह गरीब है, पुलिस की दृष्टि में वह अपराधी है। उसकी सही बात अब थाने में नहीं सुनी जायेगी। अतः दरोगा के बारे में न्याय की आशा पर उसका यह दृष्टिकोण पुलिस व्यवस्था का सही चित्रण प्रस्तुत कर रहा है—

"दरोगा तो नहीं मानेगा। या तो घूस लेगा या फिर बात को आगे बढ़ा देगा। इससे मेरा निस्तार कैसे होगा?" (बलचनमा, पृ० 163)

यह अकेले बलचनमा की छटपटाहट नहीं है बल्कि उन लाखों-लाख देहाती गरीब और ईमानदार लोगों की छटपटाहट है जो आये दिन रोजाना बेकसूर 'जेलों में ठूस दिए जाते हैं और असली अपराधी इन सरकारी स्वानों के साथ बैठकर होटलों में हड्डियां चबाते हैं। यह दैनिक क्रम है।

अब यह सर्वमान्य सत्य है कि पुलिस थाना बड़े लोगों का ही होता है। बड़े लोगों द्वारा किया गया जुल्म उनकी सहज स्वीकृति है। वे हर तरह से उन्हीं लोगों की सुरक्षा करते हैं। नागार्जुन के महपूरा के खानबहादुर सादुल्लाखां के जुल्म में इसी पुलिस की पूरी साजिश का संकेत दिया है—

“उस जालिम जमींदार का मुकाबला अकेले तो कोई नहीं कर सकता ? उसकी पीठ पर थाने के दरोगा साहब थे, दरभंगा के कलक्टर साहब थे।”

अतः इस नौकरशाह के दरिदों के बारे में बाबा नागार्जुन की यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है—

“जमींदार और सरकारी अफसर दुरजोधन ठहरे, उनको जुधिसूठर पस्त नहीं कर सकते भइया।” (वही, पृ० 182)

‘वरुण के बेटे’ के अन्तर्गत रिश्वत और घोटाले में सरकारी कर्मचारी है जोकि लाखों का माल डकार रहे हैं। कोसी बांध पर सरकारी व्यय के दुरुपयोग पर खुरखुन कहता है—

“हे भगवान् कैंसा जमाना आयू है। पच्चीस करोड़-पचास करोड़ रुपया लगाकर पन्द्रह साल में कोसी बांध तैयार हूँगे। हजारों का माहवारी चारा पाने वाले पचामों आफिसर बहाल हुए हैं। लाखों के ठेके मिले हैं। ठेकेदारों को करोड़ों का सामान वीरपुर में भरकर अटा दिया गया है। रात-दिन हवाई जहाज कोसी इलाके में मंडराते रहते हैं। पानी की तरह रकम बहाई जा रही है... ऐसा अनर्थ तो न कभी सुना, न देखा, हे भगवान् सृष्टि के इन्हीं तौर-तरीकों में तुम्हें अपने विधातार्पण का स्वाद मिलता है ? हिंदू हितकारी समाज नहीं पेट हितकारी समाज ‘छी-छी-छी-छी...’।”

‘बाबा बटेसरनाथ’ में पुलिस दरोगा की टुनाई पाठक अपने रिश्तेदार से भी ऊंची खातिर करते हैं। दरोगा साहब का यह सम्मान वह अपने स्वार्थ के लिए करता है लेकिन दरोगा साहब भी उसकी धिकनाई पर फिसल रहे हैं—

“दरोगा साहब आये हैं इस खुशी में पाठक ने बकरा कटवाया। खूब अच्छी तरह उनको खिलाया-पिलाया, देर तक हा-हा ही-ही होती रही और बँटरी वाले रेडियो पर सता मंगेशकर का सुरीला कण्ठ रह-रहकर नहराता रहा।” (पृ० 101)


‘नई पौध’ के अन्तर्गत तो गांव का मुखिया तिरंगे झण्डे को अपनी ढाल समझता है। उसकी छाया में मुखिया के काले घड़े छिप रहे हैं—

“गांव का मुखिया चीनी और मिट्टी का तेल कण्ट्रोल रेट पर और भी समय पर कम ही लोगों को देता था। अपने मकान के सामने उसने बीस गंज लम्बी बांस गाड़ रखी थी जिमके छोर पर तिरंगा फहरा रहा था। कपड़े की परमिट में भी लाइसेंसदार मारवाड़ी से सांठ-गांठ करके मुखिया काफी कमा चुका था।” (पृ० 9)

इस तरह की कापेंसगिरी में देन का भविष्य निश्चय ही अन्वय में है। स्वयं प्रशासन के बिना उनका समाज ही कल्पना नहीं की जा सकती। प्रियतम, कायाकात्री तथा छष्ट अहमों की नारी-प्रेमण प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। 'जमनिया का बाबा' उपासना में तो नारी-प्रेमण में स्वयं के मरण की झूठ में ही बदन दिया है। भगवानुप के धर्मशर की सम्बन्ध का बाण्ट टिपान के लिए गोरी नाम की योगिनी-प्रेमिणी की जन्म है जो लगातार चार दिन और चार रात उनके साथ गुने मन तथा गुने तन में मोंनी है। इस तरह यह भी काचित घटना की दूगगा मोट दिया जाता है—

"पुत्रा की आठवीं रात में जाने बिछर में एक पगमी आई, उसकी सोद में छठ मरीने का बच्चा था। पुत्रा की नजर बधाकर उसने बच्चे को हवन-मुष्ट में टाल दिया। योगिनी तो नारी की गर्द मेंचिन बच्चे को बधाया मरी जा गया। बाबा की बड़ी टाटिण थी कि पगमी को घाने तक पहुंचा दिया जाए मेचिन अगमें ही दिन यह गारव हो गई। अब कुछ गुणों ने उन्दी बानें पंजा दी है। सरकार बहादुर से अज्ञ है कि यह जमनिया मठ के मन् बाबाजी महाराज की प्रणिष्ठा और इज्जत की ध्यान में रहे।" (पृ० 90)

यह है भारतीय प्रशासन के असमयरदारों का परित्र जिनके ऊपर नागार्जुन ने बड़ी गहरी दृष्टि रखकर उसे उद्घाटित किया है। साम्य में नामा बाबा के निष्पक्ष एक व्यवस्था को बनाने के लिए है। उनका टकराव एक नवीन ध्येना को जन्म देने के लिए है। उनका पूरा-ना-भूग धर्म-संपर्क विविष्ट प्रचार के समाज रचना के लिए है जिसमें अन्याय, भोग्य और दमन विरोधी छोटे-से-छोटे इन्फि के ऊपर न होने पावे।



नागार्जुन की नारियां पुरुषों के पीछे नहीं हैं और वे भी, रहने अपना मानने के खिलाफ भी हैं। नागार्जुन ने उनमें पुनोता भरी जावनपापन करवाया है जो ऐतिहासिक एवं भविष्य के लिए दिशामूचक है। उनकी ये देहाती नारियां 'नारी समाज' के लिए नए द्वार खोलती हैं। गौरी चाची, मधुरी, मुगम्मात हमीदा, मुसम्मात कुती, अशिक्षित होने हुए भी ये अपने निज के अस्तित्व और धर्म के हित को अच्छी तरह समझती हैं।

'वरुण के बेटे' की मधुरी तो यह नारी बनी है जिन्होंने पति सत्तात्मक समाज को लात मारकर तोड़ा है। निम्नवर्गीया होते हुए, अशिक्षित होते हुए भी उसने यह क्रांतिकारी कदम बड़े साहस के साथ उठाया है। वह आत्म-विश्वास के साथ अकेली जीती है।

नागार्जुन की यह वरुण पुत्री यद्यपि निम्न-वर्गीय है। परन्तु उसके मन में संकोच और भय का लेश-मात्र भी बिंदु नहीं है। वह स्त्री होते हुए पुरुष से आगे है। गाव में अपने मछुआरे परिवार के 'मछुआ मध' की राजनीति में वह सक्रिय भाग लेने लगी है। वह अनपढ़ है फिर भी बानों को बड़ी गम्भीरता से समझकर उनका जवाब देती है। जमींदारों द्वारा गढ़पोखर पर किए गए झूठे दावे के खिलाफ वह अपने पिता के साथ 'मछुआ मध'

का साथ देती है। वह अकेली महिला है जोकि तहकीकात के लिए आये हुए अफसरो को यह कहने पर कि "मोहन मांसी ने आखिर तुम्हे भी कम्युनिज्म का पाठ पढा ही दिया" राजनीति ही तो एक चीज थी जिसे गांव की बहू-बेटियों ने अब तक अपने पास फटकने नहीं दिया था, लेकिन तुमको देखता हूं" पर दो-टुक जवाब देती है "तो इसमें क्या हर्ज है हुजूर। जिदगी और जहान औरतो के लिए नहीं है क्या?" (पृ० 113) इस कथन के पीछे निश्चय ही नागार्जुन की वह नुलंद आवाज है जिसे वे हर नारी तक पहुंचाना चाहते हैं।

मधुरी मलाही गोडियारी गांव में गढ़पोखर के मसले को लेकर संघर्ष करती है, वह अनपढ़ होते हुए भी मछुआ का नेतृत्व करती है। पुलिस और थाना दरबार से उसे तनिक भी दहशत नहीं होती है। वह मिलट्टी की गाड़ी पर बेलीस चढ़कर गिरफ्तारी देती है। हिंदी-साहित्य में यह अपने चरित्रकी अकेली नायिका है—

"मधुरी ने आगे बढ़कर नकछेदी का हाथ पकड़ा और खीचती हुई बोली काका देखते क्या हो? चलो, हम ट्रक पर सवार हो जाएं आप ही चलकर।" (वही; पृ० 115)

फिर उसने मंगल, जलेश्वर और कनहाई को भी अलग-अलग सम्बोधित किया। पल भर की देर नहीं हुई कि फुर्ती से जाकर वह पुलिस-वान पर सवार हो गई।

मधुरी के मन में अपार उत्साह है वह खामोश मातमी वेश में नहीं बैठती। वह नारे लगाती हुई मछुआ संघ की चेतना को मुखर कर देती है—

"लेकिन मधुरी से नहीं रहा गया। वह बेच से उठकर फिर आगे आ गई और पुलिस-वान के पिछले छोर पर खड़ी हो गई। बाएं हाथ से उसने ऊपर लटकती जंजीर को धाम लिया और दाहिना हाथ घुमाकर नारे लगाने लगी लोग दुगने-चौगुने जोश में जवाबी नारे देने लगे—

'इन्कलाब जिदाबाद ! मछुआसंघ जिदाबाद' हक की लड़ाई जीतेंगे-जीतेंगे, गढ़-पोखर हमारा है, हमारा है...' (वरुण के बेटे, पृ० 119)

मधुरी ग्रामीण अंचल में अद्वितीय व्यक्तित्व वाली नारी है जिसने पढ़ी-लिखी और शिक्षित महिलाओं के लिए भी राजनीतिक दिशा दी है। डॉ० रमेश कुन्तल मेघ उसके इसी व्यक्तित्व की सराहना करते हैं—

"नैतिकता की जंग लगी जंजीरों को तोड़ देने के बाद उसका सामाजिक व्यक्तित्व उभरता है। बाढ़-पीड़ित कैम्प में लगन के साथ जनसेवा करती है, 'मछुआ संघ' का संगठन करती है, किसान सभा की संगठनकर्त्री होती है तथा सर्वाधिक साहसी होकर सबसे पहले हंसते हुए गिरफ्तार होती है... एक सामान्य मल्लाहिन के रूप में विकसित होकर वह मुक्त नारी और समाज के अधिकारों की शक्ति हो जाती है।" (क्योंकि समय एक शब्द है, 1975, पृ० 302)

'बलधनमा' के अन्दर भी निम्नवर्गीय नारियां राजनीतिक संघर्ष में विशिष्ट भूमिका निभाती हैं। रामपुरा गांव में जमींदार द्वारा किसानों की पकी फसल हड़पने पर वे तिल-मिला उठती हैं—

"इस मौके पर मुसम्मात हमीदा ने बड़ी बहादुरी दिखलाई। जिनकी यह जमीन थी

उन्हीं किसानों के यहां से दस-पन्द्रह औरतों को बुला ले गई और चार कट्ठे की तैयार फसल घान काट लाई।" (पृ० 185)

इन महिलाओं में राजनीतिक संगठन को मजबूती बनाने का भी अटूट हौसला है। वे किमान-सभा के लिए घनघोर गरीबी में भी इकन्नी से मैम्बर बन जाती हैं। मुसम्मात कुन्ती उन्हीं में से एक है—

“मुसम्मात कुन्ती ने मुना तो खुद आकर इकन्नी दे गई और रसीद ले गई, कहा था—वालो देवता के प्रसाद के लिए एक चुटकी पिसान गरीबिन का भी।” (वही, पृ० 182)

नागार्जुन ने नारी को पुरुष के साथ लाकर राजनीति में उनके सक्रिय सहयोग को स्वीकार किया है। वे चाहते हैं कि महिलाएं अपने वर्ग तक ही सीमित न रह जाएं अपितु जन-सामान्य के साथ उनका सम्पर्क बना रहे। वे देश के उत्थान तथा उसकी समस्याओं के सुलझाव में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। □□

श्री नागार्जुन के उपन्यास

पुस्तक का नाम	प्रकाशन	संस्करण	वर्ष
रतिनाथ की चाची,	यात्री प्रकाशन, पटना-6	नवीन संस्करण	1977
बलचनमा,	किताब महल, इलाहाबाद,	पंचम संस्करण	1976
दुखमोचन,	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली	"	1978
नई पौध,	किताब महल, इलाहाबाद	"	1957
वर्ण के बेटे,	राजपाल एण्ड संस, दिल्ली	"	1975
बाबा बटेसरनाथ,	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली	चतुर्थ संस्करण	1978
जमनिया का बाबा,	किताब महल, इलाहाबाद	प्रथम संस्करण	1968
उग्रतारा,	राजपाल एण्ड संस, दिल्ली,	तीसरा संस्करण	1970
कुम्भीपाक,	वही	दूसरा संस्करण	1973
पारो	संभावना प्रकाशन, ह्रापुड़,	प्रथम संस्करण	1975
अभिनंदन	वाणी प्रकाशन, दिल्ली	प्रथम संस्करण	1979

